राजस्थान विधान सभा का कार्य-विवरण

अङ्क १] द्वितीय विधान सभा के प्रथम सत्र, १९५७ का २७वां दिवस [संख्या १७

सोमवार, २० मई, १९५७

विधान सभा की बैठक म. पू. ११.७ बजे विधान सभा भवन, जयपुर, में प्रारम्भ हुई।

(श्री रामनिवास मिर्धा, अध्यक्ष, पदासीन)

तारांकित प्रश्नोत्तर

मंत्री मण्डल के सदस्यों हेतु फर्नीचर

१९७ श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जौहरी बाजार, जयपुर) : क्या मुख्य मंत्री निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(क) मंत्री मण्डल के सदस्यों के लिये दिये गये सरकारी आवासगृहों में इस समय कुल कितने मूल्य का फर्नीचर है ?

(ख) क्या इस विषय में कोई मर्यादा निर्धारित की हुई है ? यदि हां, तो कितनी ? क्या इस विषय में कोई नियम बने हुए हैं ? यदि हां; तो क्या उसकी प्रतिलिपि सदन की मेज पर रखने की कृपा करेंगे ?

(ग) क्या किसी मंत्री के आवासगृह में इस निर्धारित मर्यादा से अधिक मूल्य का फर्नीचर है ? यदि हां ; तो किसके यहां और क्यों ?

मुख्य मंत्री (श्री मोहनलाल सुखाड़िया) : (क) मंत्री मंडल के सदस्यों के लिये दिये गये सरकारी आवासगृहों में इस समय कुल ७०,३३० रु० मूल्य का फर्नीचर है ।

(ख) इस विषय में अभी तक कोई मर्यादा निर्धारित नहीं की गई है और न ही कोई नियम इस विषय में बने हुए हैं। उचित मर्यादा निर्धारित करने की कार्यवाही की जा रही है और शीघ्र ही निश्चित कर दी जायगी।

(क) निर्धारित मर्यादा के अभाव में यह प्रश्न नहीं रहता ।

श्री सतीशचन्द्र : यह कब हो जायगी ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : मैं समझता हूं कि एक महीने के अन्दर फैसला हो जायगा क्योंकि बहुत सी जगहों से मेटीरियल इकट्ठा कर लिया गया है ।

देवस्थान विभाग (कोटा) के कर्मचारियों का फिक्सेशन

१९८. श्री दयाकृष्ण विजय (छाबड़ा) : क्या राजस्व मंत्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(क) क्या कोटा स्थित देवस्थान विभाग के कर्मचारियों का फिक्सेशन पूरा हो चुका है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(श्री दयाकृष्ण विजय)

(ग) यदि, हो चुका है तो अब तक उन्हें फिक्सड ग्रेड के अनुसार वेतन न दिये जाने का क्या कारण है ?

राजस्व मंत्री (श्री दामोदरलाल व्यास): (क) कर्मचारियों के वेतन में फिक्सेशन करने का स्टेटमेंट कमिश्नर देवस्थान द्वारा तैयार हो चुका है ।

(क) फिक्सेशन स्टेटमेंट महालेखापाल को तसदीक के लिए भेजा जा चुका है। तसदीक होने पर चुकारा करा दिया जावेगा।

श्री दयाकृष्ण विजय : यह कब तक हो जायगा ?

श्री दामोदरलाल व्यास : ज्यों ही एकाउन्टेंट जनरल की सैंक्शन हो जायगी।

श्री दयाकृष्ण विजय : क्या आप पर्टिक्युलर टाइम बतायेंगे कि कब तक हो जायेगा ?.

श्री दामोदरलाल व्यास: फिक्सेशन के स्टेटमेंट ए. जी. को भेज दिये गये हैं। उसकी जैसे ही मंजूर आयेगी पेमेन्ट हो जायेगा।

सस्ता साहित्य प्रेस के श्री श्रीनारायण की डिप्टी डाइरेक्टर, उद्योग विभाग के पद पर नियुक्ति

१९९. **श्री भैरोंसिंह** (श्री माधोपुर) : क्या उद्योग मन्त्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(क) क्या यह सही है कि श्री श्री नारायण पाठक, सस्ता साहित्य प्रेस, कचहरी रोड, अजमेर को अक्टूबर माह के अन्तिम सप्ताह में डिप्टी डाइरेक्टर फोर इन्डस्ट्रीज़ के पद पर भूतपूर्व अजमेर राज्य द्वारा नियुक्त किया गया था ?

(ख) यदि हां, तो क्या वह नियुक्ति उस समय की गई जब कि कुछ दिन बाद ही अजमेर राज्य राजस्थान में शामिल होने वाला था !

(ग) श्री श्रीनारायण पाठक की क्या योग्यता है और उन्हें किस ग्रेड पर नियुक्त किया गया था, तथा आजकल वे किस ग्रेड में व किस पद पर काम कर रहे हैं ?

मुख्य एवं उद्योग मन्त्री (श्री मोहन लाल सुखाड़िया) : (क) हां। श्री पाठक को डिप्टी डाइरेक्टर,नहीं असिस्टेंट डाइरेक्टर, इन्डस्ट्रीज के अस्थाई पद पर नियुक्त किया गया था।

(ख) इसका विशेष कारण अजमेर स्टेट की फाइलों से प्राप्त नहीं हुआ ।

(ग) श्री श्रीनारायण की योग्यता निम्न प्रकार है :

(१) बी० एस सी० (ज्यूलॉजी)
(२) एम० ए० इन इकॉनोमिक्स
(३) एल एल० बी०

उनकी २५०. १५. ४०० (नोन गजेटेड क्लास २) में नियुक्ति की गई थी। अब वह डिस्ट्रिक्ट इन्डस्ट्रीज़ ऑफिसर के पद पर २००–१०–२५०–१५–४०० की वेतन श्रृंखला में कार्य कर रहे हैं।

श्री भैरोंसिंह : यह असिस्टेन्ट डाइरेक्टर का पद कोई स्थान रिक्त होने के कारण भरा गया था या नया निर्माण हुआ था ?

Page No.3

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : नहीं, हमारे प्लानिंग के अन्दर इस पोस्ट को आवश्यकता थी इसलिए क्रियेट की गई ।

श्री भैरोंसिंह : क्या इस आवश्यकता को एडवर्टाइज़ कराया गया था ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : जी हां। पहले सिलेक्शन कमेटी के जरिये उसकी रिकमन्डेशन पर यह नियुक्ति की गई।

श्री भैरोंसिंह : इस सिलेक्शन कमेटी की नियुक्ति किसकी ओर से की गई ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : गवर्नमेंट की तरफ से।

श्री भैरोंसिंह : क्या यह सही है कि जिस समय इस सिलेक्शन बोर्ड की नियुक्ति की गई थी उससे पहले इस स्थान के बारे में सरकार ने कोई विचार नहीं किया था ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : इसकी जानकारी मुझे नहीं है।

श्री भैरोंसिंह: यदि एडवर्टाइजमेंट हुआ था तो इस सम्बन्ध में कितनी दरख्वास्तें आई थीं ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : नोटिस देने पर जानकारी दे सकता हूं।

श्री भैरोंसिंह : इस सिलेक्शन बोर्ड ने श्री पाठक की नियुक्ति के बारे में सरकार के सामने किस तारीख को रिपोर्ट पेश की ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : नोटिस दें तो यह जानकारी दे सकता हूं, तारीख वगैरह की। वैसे यह पोस्ट क्रियेट की गई थी अक्टूबर, १९५६ में।

श्री भैरोंसिंह : अक्तूबर ५६ में पोस्ट क्रियेट की गई, तो, क्या सरकार ने उचित समझ लिया कि इतने से समय में एडवर्टाइज़मेंट भी हो जायगा, सिलेक्शन बोर्ड ने सिलेक्शन भी कर लिया, रिकमेंड भी कर दिया और इतने से समय में नियुक्ति भी हो जायगी, क्या सरकार इसको वाजिब समझती थी ? क्या इस प्रकार के सिलेक्शन को सरकार वाजिब समझती है ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : उस समय की आवश्यकता को देखते हुए यह वाजिब था।

श्री भैरोंसिंह : अजमेर सरकार के बजाय थोड़े ही दिनों बाद राजस्थान सरकार द्वारा यह नियुक्ति करवाना क्यों उचित नहीं समझा गया ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : यह तो उस समय की सरकार के सोचने का सवाल था।

श्री अध्यक्ष : श्री सरदारसिंह।

श्री सरदारसिंह : श्री सूबेदारसिंह का प्रश्न है।

श्री अध्यक्ष : Yes, Shri Subedar Singh

तहसील बसेड़ी (जि० भरतपुर) में ओलों की वृष्टि से क्षति

२००. **श्री सूबेदारसिंह** (बाड़ी) : क्या राजस्व मन्त्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(क) क्या यह सच है कि भरतपुर जिले की बसेड़ी तहसील में ओलों की वृष्टि हुई है ?

(ख) यदि हां, तो उससे क्या हानि हुई है ?

(श्री सूबेदारसिंह)

(ग) सहायता के लिए सरकार द्वारा क्या व्यवस्था की गई है ?

राजस्व मन्त्री (श्री दामोदरलाल व्यास):

(क) जी हां ।

(ख) लगभग ६,०५६ एकड़ में औसत ८ आने प्रति रुपया नुकसान हुआ है ।

(ग) टिनेन्सी रूल्स के अन्तर्गत विशेष गिरदावरी द्वारा रिलीफ खतौनी तैयार कराई गई है तथा फसल रबी सं० २०१३ की जमा तजवीज के समय क्षतिग्रस्त रकबे की जमा माल की छूट व थाम देने के लिये नियमानुसार कार्यवाही की जायगी । इसके अतिरिक्त आयुक्त, अजमेर के पास २०,००० रुपये की धन-राशि भरतपुर जिले में टेस्ट रिलीफ वर्क्स चालू करने लिये स्वीकार की गई है । आवश्यकतानुसार जिलाधीश टेस्ट रिलीफ वर्क्स चालू करेंगे ।

श्री अध्यक्ष : श्री दयाकृष्ण विजय ।

कोटा के समाज कल्याण बोर्ड के हिसाब की जांच

२०१. श्री दयाकृष्ण विजय (छबड़ा) : क्या समाज कल्याण मन्त्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(१) कोटा जिला में समाज कल्याण बोर्ड का संचालक कौन है ?

(२) उक्त समाज कल्याण बोर्ड को प्रतिवर्ष कितना आर्थिक अनुदान दिया जाता है ?

(३) क्या कभी इस प्रदत्त अनुदान के व्यय का ऑडिट हुआ है ? यदि हां, तो कब २ और उसका क्या परिणाम है ?

समाज कल्याण मन्त्री (श्री हरिभाऊ उपाध्याय) : (१) कोटा जिले में अभी समाज कल्याण खंड की स्थापना नहीं हुई है, अतः संचालक होने का प्रश्न ही नहीं उठता ।

(२) प्रश्न ही नहीं उठता ।

(३) प्रश्न ही नहीं उठता ।

श्री दयाकृष्ण विजय : समाज कल्याण खंड वहां नहीं खोलने का क्या कारण है ?

श्री हरिभाऊ उपाध्याय : वहां किस संस्था ने वोलेन्टरिली ओफर नहीं किया इस लिये नहीं खोला गया, पर इस समय नई योजना में ८० नये समाज कल्याण खंड खोलने की योजना है । आशा है कि कोटा में भी खोले जायेंगे ।

रावराजा श्री सरदारसिंह : उणियारा में भी खोले जायेंगे क्या ?

(हंसी)

प्रश्न संख्या २०२

श्री अध्यक्ष : श्री रामकरणसिंह ।

(अनुपस्थित-प्रश्नोत्तर कृपया आगे देखिये)

प्रश्न संख्या २०३

श्री गोकुलचन्द

(अनुपस्थित-प्रश्नोत्तर कृपया आगे देखिये)

श्री लक्ष्मीचन्द

त० सांचोर (जि० जालोर) में द्वितीय पंचवर्षीय योजना में होने वाले कार्य

२०४. श्री लक्ष्मीचन्द (सांचोर) : क्या

Page No.5

(श्री लक्ष्मीचन्द)

योजना व विकास मन्त्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

तहसील सांचोर, जिला जालोर में द्वितीय पंचवर्षीय योजना में क्या क्या कार्य कराने का सरकार का विचार है ?

मुख्य मन्त्री एवं विकास मन्त्री (श्री मोहनलाल सुखाड़िया) : अलग अलग तहसीलवार द्वितीय पंचवर्षीय योजना के लिये पांचों सालों के लिये अभी विभाजन प्राप्त नहीं हुआ है कि तहसीलों के अन्दर किस अनुपात से शिक्षा, चिकित्सा, कुओं के कार्य और दूसरे कार्य कि किये जायंगे। जहां इस साल एक्सटेन्शन ब्लॉक्स चलते हैं वे कोम्युनिटी ब्लॉक में परिवर्तित किये जा सकेंगे, ऐसी आशा की जा रही है।

श्री लक्ष्मीचन्द : लूणी नदी को सांचोर में बांधने की सरकार की योजना है कि नहीं ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : इसकी अभी मुझे जानकारी नहीं है।

श्री लक्ष्मीचन्द : क्या हाई स्कूल खोलने की योजना है ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : यह मैं तत्काल नहीं कह सकता।

श्री अध्यक्ष : श्री तनसिंह।

सन् १९५१-५२ से कुटीर उद्योगों के हेतु व्यय हुई धन-राशि

२०५. श्री तनसिंह (बाड़मेर) : क्या ग्रामोद्योग मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(१) कुटीर उद्योग में प्रतिवर्ष कितनी रकम १९५१-५२ से अब तक खर्च की गई है ?

(२) इस रकम में से बाडमेर जिले में कितनी खर्च हुई और वह कहां कहां की गई है ?

ग्रामोद्योग मन्त्री (श्री हरिभाऊ उपाध्याय) : (१) कुटीर उद्योगों में सन् १९५१-५२ से प्रतिवर्ष खर्च की गई धनराशि का विवरण निम्न प्रकार है :

१९५१-५२ :	रु०	३,९७,७९६
१९५२-५३ :	रु०	५,००,१५३
१९५३-५४ :	रु०	७,१३,६७५
१९५४-५५ :	रु०	८,२८,३४१
१९५५-५६ :	रु०	१६,४३,०३४
१९५६-५७ :	रु०	२५,२८,६०३
कुल योग	रु०	६६,६९,६७५

(२) उपरोक्त धनराशि में से बाड़मेर जिले में ५८,५२१ रुपये खर्च किये गये जिसका विवरण संलग्न तालिका में दिया हुआ है।

(कृपया परिशिष्ट १ देखिये)

श्री तनसिंह : एक तो तालिका नहीं पहुँची है, खैर। ६६,६९,६७५ रुपया है, उसमें से बाडमेर के लिये सिर्फ ५८,५२१ रु. ही खर्च करने का क्या कारण है ?

श्री हरिभाऊ उपाध्याय : खास कारण तो नहीं बता सकता कि क्या हुआ ? हर एक जिले में, जैसा उसके हिस्से में आया उसी तरह खर्च किया गया। इसके लिये अलग प्रश्न पूछें तो बता सकता हूँ।

Page No.6

श्री तनसिंह : ये हिस्से किस आधार पर किये गये हैं, क्षेत्रफल के आधार पर या जन संख्या के आधार पर ?

श्री हरिभाऊ उपाध्याय : इसके दो आधार होते हैं, दो बातें होती हैं, जिस क्षेत्र में जिस उद्योग को विकसित करना हो, या इसके लिये मांग होती है किसी क्षेत्र से।

श्री तनसिंह : बाडमेर में किस किस कुटीर उद्योग के लिये रुपया दिया गया है।

श्री हरिभाऊ उपाध्याय : तालिका दी हुई है उसमें सब लिखा हुआ है।

श्री भैरोंसिंह (१४) : क्या यह सही है कि बाडमेर में ऊन का उद्योग सबसे ज्यादा चल सकता है ?

श्री हरिभाऊ उपाध्याय : तालिका दी हुई है उसमें बहुधंधी सहकारी समिति बालोतरा है। कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहित करने के लिये धन–राशि दी गई है; जैसे रंगाई उत्पादक सहकारी समिति बाडमेर को दी गई है। द्वितीय पंचवर्षीय योजना पर अलग बाडमेर को दी गई है। उसकी सूची दी गई है।

श्री तनसिंह : यह तालिका या तो आप जानते हैं या आपके भगवान् जानते हैं, यह हमें मिली नहीं, अब सप्लीमेंटरी पूछें तो क्या पूछें ?

श्री हरिभाऊ उपाध्याय : मुझे अफसोस है।

रावराजा श्री सरदारसिंह : इसकी तो हमेशा ही शिकायत रहती है।

शिक्षकों की वेतन-दरों में वृद्धि करने सम्बन्धी योजना

२०६. **श्री मुरलीधर व्यास** (बीकानेर सिटी) : क्या शिक्षा मन्त्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

क्या सरकार शिक्षकों की वेतन दरों में वृद्धि करने के विषय पर विचार कर रही है ?

उप-शिक्षा मन्त्री (श्री पूनमचन्द) : अभी नहीं।

श्री मुरलीधर व्यास : क्या प्राइमरी स्कूलों के अध्यापकों को जो वेतन इस समय मिलता है उसे सरकार ठीक समझती है ?

(साथ ही श्री तनसिंह ने प्रश्न किया)

श्री तनसिंह : क्या "अभी नहीं" का मतलब कभी नहीं ?

(हंसी)

श्री पूनमचन्द : जी नहीं।

श्री मुरलीधर व्यास : शिक्षकों को जो वर्तमान में वेतन मिलता है उसके बढ़ाने के बारे में जो प्रश्न किया गया है और उसके उत्तर में जो कहा गया है कि 'अभी नहीं', तो क्या 'अभी नहीं' से यह अर्थ निकला जाय कि 'कभी नहीं ?'

श्री मोहनलाल सुखाड़िया (मुख्य मन्त्री) : जो उत्तर दिया गया है उससे यह अर्थ नहीं निकलता है कि 'कभी नहीं।'

श्री भैरोंसिंह (१४) : उत्तर में कहा गया है कि 'अभी नहीं', तो, क्या सरकार अध्यापकों को जो वर्तमान में वेतन मिल रहा है उसे काफी समझती है और बढ़ाने की आवश्यकता नहीं समझती ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : सरकार की ओर से बराबर वृद्धि करने का प्रयत्न किया गया है। अभी पिछले साल बढ़ाया गया है और राजस्थान सरकार की आर्थिक स्थिति के सुधरते ही फिर प्रयास किया जायगा।

श्री भैरोंसिंह (१४): क्या सरकार ने इस बात की जांच कराई है या नहीं कि जो वेतन अध्यापकों को मिल रहे हैं वे कम हैं या नहीं और आर्थिक स्थिति के कारण बढ़ोतरी नहीं की जा सकती ?।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : सारी बातों को ध्यान में रखते हुए निर्णय लिया है।

श्री भैरोंसिंह : क्या सरकार यह महसूस करती है कि उनके वेतन यहां के लिविंग स्टेन्डर्ड को देखते हुए कम हैं ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : यह बात केवल अध्यापकों के लिए ही नहीं सारी सर्विसेज के लिए लागू हो सकती है। इसके बारे में जो जानकारी सरकार के सामने है उससे विशेष जानकारी करने की आवश्यकता नहीं है।

श्री भैरोंसिंह : क्या सरकार ने इस बात की जांच की है कि उनकी कितनी तनख्वाह बढ़ानी चाहिए और उससे सरकार के बजट पर कितना असर पड़ता है ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : राजस्थान की आर्थिक स्थिति को देखते हुए विचार किया जा सकता है और इसी लक्ष्य को ध्यान में रखा गया है।

श्री भैरोंसिंह : क्या सरकार ने इसके सम्बन्ध में आंकड़े तैयार किए कि इतनी बजट में कमी पड़ेगी।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : हां, यह जानकारी सरकार को है।

श्री भैरोंसिंह : कितने रुपयों का घाटा होगा ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : यह बात तो जितना वेतन ऊंचा किया जावे उस पर निर्भर है।

श्री भैरोंसिंह : क्या उनका वेतन ऊंचा इसीलिए नहीं कर सकते कि बजट में घाटा है।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : मैं समझता हूं कि मैंने जो उत्तर दिया है उसमें सारी बातें आ जाती हैं और बार बार उसी प्रश्न को दोहराने की जरूरत नहीं रहती।

श्री मदनसिंह : क्या सरकार को यह मालूम है कि अध्यापकों को दो-दो वर्ष तक तनख्वाह नहीं मिलती ?

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट।

लैंड होल्डिंग्ज की सीलिंग कमिटी के कार्य की प्रगति

२०७. श्री पी० के० चौधरी (फुलेरा). Will the Revenue Minister be pleased to state :

(1) What progress has been made in its work by the "Ceiling Committee on Land Holdings" and when will the Committee submit its report ?

(2) Is the Government aware that the delay in the publication

(श्री पी० के० चौधरी)

of the report of this Committee is responsible for discountent amongst the landless labour in the country ?

राजस्व मंत्री (श्री दामोदरलाल व्यास) : (1) Report of the Celing Committee has been prepared but before it could be finalised and passed dy the Sub-Committee, merger of Ajmer and Rajasthan took place and so it became necessary to collect some important data from Ajmer also. Sub-Committee has been requested to collect the necessary data. Meeting of the Sub-committee has been called on 25th May, 1957, when the report will be placed before it for approval. Report of the Ceilling Committee is likely to be submitted by the beginning of the next Session of the Assembly.

(2) The publication of the Committee will be expedited. Allotment of land is made to landless tenants only.

राजस्थान, बीकानेर व जयपुर की बैंकों का एकीकरण

२०८. **श्री मुरलीधर व्यास** (बीकानेर सिटी): क्या वित्त मन्त्री निम्न प्रश्नों का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

बैंक ऑफ राजस्थान व बैंक ऑफ बीकानेर तथा बैंक ऑफ जयपुर के एकीकरण का प्रश्न किस समय से चल रहा है तथा वर्तमान में इस प्रश्न पर सरकार क्या दृष्टिकोण रखती है ?

उप मन्त्री, वित्त विभाग (श्री ऋषभचन्द धारीवाल) : यह प्रश्न अप्रैल ५२ से चल रहा है। राजस्थान सरकार के विचार में, राज्य एवं सर्व हित के लिए तीनों बैंकों का एकीकरण एवं उनका मिलकर कार्य करना वांछनीय है।

श्री मुरलीधर व्यास : क्या इस संबन्ध में राजस्थान सरकार ने कोई कदम उठाया है?

श्री ऋषभचन्द धारीवाल : हां।

श्री मुरलीधर व्यास : क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि क्या कदम उठाए गए हैं ?

श्री ऋषभचन्द धारीवाल : सरकार ने इस सम्बन्ध में बैंकों के चेयरमेनों की मीटिंग बुलाई और एकीकरण के बारे में कहा। इसको बैंक ऑफ जयपुर और बीकानेर ने मंजूर कर लिया, मगर बैंक ऑफ राजस्थान ने मंजूर नहीं किया, बहुत कुछ प्रेशर डाला। रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया ने भी मीटिंग बुलाई मगर कुछ कारणों से वे एकमत नहीं हो सके। अभी भी बराबर इसके लिए कार्यवाही जारी है और उनको एक होने के लिए कहा जा रहा है।

श्री मुरलीधर व्यास : बैंक ऑफ राजस्थान ने क्यों नहीं माना ? उसने क्या कारण बताये, क्या सरकार कृपा करके बताएगी ?

श्री ऋषभचन्द धारीवाल : कुछ आपत्तियें बताई थी। एक बात तो उन्होंने यह बतलाई कि उनकी एक सेपरेट एन्टीटी समाप्त हो जायगी और युनाइटेड बैंक तीनों का मिल

Page No.9

(श्री ऋषभचन्द).

कर एक बनेगा तो उससे एक बड़ा बिजनेस होगा और छोटे बिजनेस वाले सफर करेंगे। कन्ट्रोल और फ़ाइनेन्स के सक्यूलेशन की भी आपत्तियें बताई थीं। उन्होंने यह भी कहा कि हम शेअर होल्डर्स और डाइरेक्टरों की मीटिंग बुलाएंगे और इस तरह से करके टालते रहे।

श्री मुरलीधर व्यास : जब वे इस तरह से टालते रहें तो सरकार ने उनके खिलाफ क्या कार्यवाही की है ?

श्री ऋषभचन्द धारीवाल : सरकार तो उनको परसुएड कर सकती है, उन पर किसी प्रकार से डिसिज़न लाद नहीं सकती।

श्री मुरलीधर व्यास : क्या सरकार के भी शेयर्स हैं ?

श्री ऋषभचन्द धारीवाल : इसके बारें में तो जानकारी देख कर ही बताई जा सकती है।

श्री पी० के० चौधरी : Will the Hon'ble Minister please state as to why these banks are not merged with the State Bank of India when other Banks have been merged in it ?

श्री ऋषभचन्द धारीवाल : This matter is under consideration of the Central Government. When the Imperial Bank was nationalised and was made a State Bank, then more other Banks had come to the pool but that has not been done in their cases as yet.

श्री पी० के० चौधरी : What wa the reason of not merging them with the State Bank of India ?

श्री ऋषभचन्द धारीवाल : That cannot be said. That decision is to be taken by the Central Government.

श्री पी० के० चौधरी : The Centeral Government wanted all the ex-State Banks to be merged with the State Bank of India like Hyderabad and other Banks, then what were the reasons that our banks were not merged with the State Bank of India ?

श्री ऋषभचन्द धारीवाल : That is pending with the Central Government. That is under consideration of the Central Government.

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : बैंक ओफ राजस्थान ने यह आपत्ति कब प्रकट की, सन् ५२ में या ५३ में ?

श्री ऋषभचन्द धारीवाल : Regarding this they had been doing in 1956 as well as in 1955.

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : क्या राजस्थान सरकार ने उनको इस बारे में रिमाइन्ड भी किया है। जब उन्होंने कहा कि हम डाइरेक्टरों और शेयर होल्डरों की मीटिंग बुलाएगें ?

श्री ऋषभचन्द धारीवाल : जी हां। अभी चीफ मिनिस्टर ने उनके चेयरमेनों को बुलाने के लिये पत्र लिखा है और कार्यवाही जारी है।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट।

किशोरपुरा (त० बडौद) में स्कूल संस्थापना एवं उसमें अध्यापक

२०६. श्री रामनारायण वर्मा (पीपलदा) : क्या शिक्षा मंत्री निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर देने का कष्ट करेंगे :

(क) ग्राम किशोरपुरा, तहसील बडौद में स्कूल कौन से सन् में खुला है, उसमें कहां तक पढ़ाई होती है तथा उसमें कितने अध्यापक हैं ?

(ख) क्या यह सही है कि पाठशाला के एक अध्यापक के स्थानान्तरण के बाद उसके स्थान पर कोई अध्यापक नहीं भेजा गया है ? यदि हां, तो क्यों ?

(ग) ३१ जुलाई, सन् ५६ को विद्यार्थियों की संख्या कितनी थी और अब क्या है ?

उप शिक्षा मंत्री (श्री पूनमचन्द) : (क) तारीख १ जुलाई, १६५६ से खुला है, कक्षा २ तक पढ़ाई होती है। एक अध्यापक कार्य करता है।

(ख) जी नहीं।

(ग) ३१ जुलाई, ५६ को विद्यार्थियों की संख्या ३० थी तथा ३० अप्रेल, ५७ को २५ थी।

श्री दयाकृष्ण : क्या यह सही है कि ग्राम किशोरपुरा, तहसील बड़ोद में कोई अध्यापक नहीं है !

श्री पूनमचन्द : नहीं, ऐसा नहीं है।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट।

त० सलूंबर व गिरवा की फसलों में रोली

२१०. श्री सोहनलाल भटनागर (सलूम्बर) : क्या राजस्व मंत्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(क) उदयपुर जिले की सलूम्बर व गिरवा तहसीलों में कितने ग्रामों में रबी की फसल के रोली लग जाने से कितना नुकसान हुआ है ?

(ख) क्या सरकार को विदित है कि रोली के कारण नुकसान काफी हुआ है परन्तु पटवारियों ने जिन्स गिरदावरी में स्थिति सही नहीं बताई है ?

राजस्व मंत्री (श्री दामोदरलाल व्यास) : (क) गिरवा तहसील में कोई हानि नहीं हुई किन्तु सलूम्बर तहसील के १४ ग्रामों में ६ आने से ८ आने तक एवं ८ ग्रामों में ८ आने से १० आने तक हानि हुई है।

(ख) यह सही नहीं है।

श्री सोहनलाल भटनागर : क्या वहां फसल खराब हुई है ?

श्री दामोदरलाल व्यास : (अश्रव्य)

श्री श्रीभानसिंह : Is the Government changing the loss of scale from 6 as., 8 as. into Naya Paisa ?

श्री दामोदरलाल व्यास : That is being done.

श्री श्रीभानसिंह : In Naya Paisa what is the quantity of loss ?

श्री दामोदरलाल व्यास : I have

(श्री दामोदरलाल व्यास)

just given the losses in old coin. You can calculate it into naya Paisa

श्री श्रीभानसिंह : It is given in the old coin. We want it to calculated in the new scale.

श्री दामोदरलाल व्यास : That you can calculate.

कस्टम व एक्साइज़ विभाग के फर्स्ट ग्रेड नाकेदारों व मोहर्रिरों की सूची

२११. श्री भैरोंसिंह (श्री माधोपुर) : क्या आबकारी एवं कर मंत्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(क) क्या यह सही है कि फर्स्ट ग्रेड नाकेदार और मोहर्रिर कस्टम एण्ड एक्साइज़ डिपार्टमेंट की फाइनल लिस्ट प्रकाशित हो चुकी है ?

(ख) यदि हां, तो कब और क्या यह सही है कि उस लिस्ट के अनुसार अभी तक उन मोहर्रिरों को उनकी तनख्वाह की बकाया नहीं मिली है ? यदि हां, तो क्यों और अब कब तक मिल जायेगी ?

आबकारी एवं कर मन्त्री (श्री हरिभाऊ उपाध्याय): (क) फर्स्ट ग्रेड कस्टम्स नाकेदार व मोहर्रिरों की फाइनल सूची दिनांक ४.१२.५६ को जारी की जा चुकी है ।

(ख) उस लिस्ट के अनुसार उनका बकाया वेतन अभी तक नहीं चुकाया गया है । अब इस विषय में चुकारे के हेतु आदेश दिये जा चुके हैं जिसके अनुसार उपायुक्त को समस्त चुकारे की कार्यवाही जारी करने के सिलसिले में लिखा जा चुका है ।

श्री भैरोंसिंह : अब तक उन बिलों का चुकारा क्यों नहीं किया जा सका ?

श्री हरिभाऊ उपाध्याय : ४ दिसम्बर को सूची फाइनल हुई और १६. ४. ५७ को सरकार का आॅर्डर हो गया । फाइनल बनने के बाद भी देखना पड़ता है । इसलिये यह विलम्ब हुआ ।

श्री भैरोंसिंह : क्या फाइनल लिस्ट के अनुसार फाइनल चुकारा हो गया ?

श्री हरिभाऊ उपाध्याय : लिस्टें फाइनल होकर १६. ४. ५७ को आॅर्डर कर दिया गया कि उनका चुकारा कर दिया जावे ।

श्री सतीशचन्द्र : इस संबन्ध में कोई रिप्रेजेन्टेशन भी सरकार के विचाराधीन हैं ?

श्री हरिभाऊ उपाध्याय : रिप्रेजेन्टेशन्स की जानकारी मेरे पास नहीं है ।

श्री अध्यक्ष : श्री बहादुरसिंह ।

धौलपुर में खुलनेवाली एस०टी०सी० बेसिक स्कूल

२१२. श्री बहादुरसिंह (धौलपुर) : क्या वित्त मंत्री यह बतलाने का कष्ट करेंगे :

(क) क्या एस० टी० सी० बेसिक स्कूल सरकार धौलपुर में खोलना चाहती है ? यदि हां, तो कब तक और यदि नहीं, तो क्यों ?

(ख) बेसिक मिडिल स्कूल, धौलपुर उप जिले में कितने व कहां २ हैं ? क्या सरकार की इस संख्या में वृद्धि किये जाने की योजना है ?

Page No.12

श्री अध्यक्ष : This concerns the Education Minister, though it is written "Finance Minister"

श्री मोहनलाल सुखाड़िया (मुख्यमंत्री): यह बेसिक स्कूल के ट्रेनिंग सेन्टर से सम्बन्धित है।

वित्त मंत्री (श्री हरिभाऊ उपाध्याय) :
(क) जुलाई, १६५७ से खोलने का प्रश्न विचाराधीन है।

(ख) धौलपुर उपजिले में एक भी बेसिक मिडिल स्कूल नहीं है। इस वर्ष धौलपुर उपजिले में ४ बेसिक प्राइमरी स्कूल खोलने का विचार है।

श्री जनार्दनराय नागर : बेसिक मिडिल स्कूल कैसे होते हैं ?

श्री हरिभाऊ उपाध्याय : बेसिक में तो मिडिल स्कूल ही होते हैं :

श्री जनार्दनराय नागर : यह नई चीज कैसे ? सीनियर बेसिक स्कूल हों या जूनियर बेसिक स्कूल हों लेकिन बेसिक मिडिल स्कूल क्या है ?

श्री हरिभाऊ उपाध्याय : प्रश्नकर्ता का सवाल ही ऐसा है; प्रश्न गलत पूछा गया।

श्री भैरोंसिंह : यह निर्णय कैसे और किस आधार पर लिया गया कि धौलपुर उपजिले में ४ बेसिक प्राइमरी स्कूल खोले जायेंगे ?

श्री हरिभाऊ उपाध्याय : खोलने के आधार तो कई हैं। जैसे मकान की सुविधा है और वहां कोई स्कूल भी है या नहीं है, पढ़ने वाले लड़कों की संख्या कितनी है और फिर लोगों की मांग का भी ध्यान रखा जाता है। यह सब चीजें खोलने के पूर्व देखी जाती हैं।

श्री भैरोंसिंह : यह चार कहां कहां खोले जा रहे हैं ?

श्री हरिभाऊ उपाध्याय : यह फैसला नहीं हुआ है।

श्री भैरोंसिंह : जब यह फैसला ही नहीं हुआ है कि यह चार बेसिक प्राइमरी स्कूल कहां कहां खोले जायेंगे तो जो आधार आपने स्कूल खोलने के रखे हैं उनकी पूर्ति कैसे होगी ?

श्री हरिभाऊ उपाध्याय : मैंने आपको बताया न कि धौलपुर उपजिले में ही खोले जायेंगे।

श्री भैरोंसिंह : क्या यह स्कूल खोलते समय आप आवेदन मंगायेंगे ?

श्री हरिभाऊ उपाध्याय : जानकारी स्कूलों के द्वारा या इन्सपेक्टर्स के द्वारा मंगाई जा सकती है और उनकी जानकारी के आधार पर ही यह खोले जायेंगे। जहां जहां आवश्यकता हुई वहीं यह खोले जायेंगे।

श्री भानसिंह : इन बेसिक प्राइमरी स्कूलों में कहां तक शिक्षा दी जायेगी ?

श्री हरिभाऊ उपाध्याय : ७ साल से १४ साल तक के बच्चों की तो जूनियर बेसिक और इससे ऊपर की उम्र वालों के लिए सीनियर बेसिक स्कूल मानी जाती है।

श्री भैरोंसिंह : जूनियर बेसिक की क्लासेज कितनी हैं और कितने साल इसकी पढ़ाई होती है ?

Page No.13

श्री हरिभाऊ उपाध्याय : आप इस पर अलग से प्रश्न पूछ लीजिए। मैं फिर इस का जवाब दे दूंगा।

श्री श्रीभानसिंह : जब आप बेसिक मिडिल स्कूल्स खोल रहे हैं तो आप बतायें कि पीरियड ऑफ ट्रेनिंग कितना है? आपने कुछ क्लासेज़ तो रखी ही होंगी?

श्री हरिभाऊ उपाध्याय : हां, हां, जरूर रखी होंगी। जानकारी आपको अलग प्रश्न के उत्तर में दे दूंगा। जानकारी मेरे पास इस समय नहीं है।

श्री भैरोंसिंह : हमारे पूछने का मतलब यह है कि क्या माननीय मंत्रीजी के पास ऐसी कोई जानकारी नहीं है कि प्राइमरी स्कूल जो खोले जायेंगे वह कौन सी क्लासेज़ तक होंगे?

श्री हरिभाऊ उपाध्याय : उसमें कक्षा का उतना बंधन नहीं है, जहां तक मेरी जानकारी है।

श्री श्रीभानसिंह : बेसिक प्राइमरी स्कूल में कोई बंधन नहीं है, ऐसा कैसा हो सकता है? आप यह बतायें कि बेसिक प्राइमरी स्कूल में पढ़ाई कितने साल तक है?

श्री हरिभाऊ उपाध्याय : पाठ्यक्रम तो जरूर होगा लेकिन उसमें कोई बंधन नहीं है। मैं आपको और जानकारी करके बता दूंगा।

श्री भैरोंसिंह : जब मंत्री महोदय से पूछा गया कि धौलपुर उपजिले में कितनी बेसिक प्राइमरी स्कूल्स खोली जायेंगी तो उनका उत्तर मिलता है कि चार। तो अब हम उनसे यह पूछना चाहते हैं कि उनमें क्लासेज़ कितनी होंगी?

श्री हरिभाऊ उपाध्याय : बेसिक में तो कोई मिडिल स्कूल नहीं होतो है। इसमें दो भाग होते हैं; एक तो जूनियर बेसिक स्कूल्स जिनमें ७ से १४ वर्ष तक की आयु के बच्चे और दूसरे सीनियर बेसिक स्कूल्स जिनमें इससे ऊपर की आयु के होते हैं। इसलिए बेसिक मिडिल स्कूल का तो सवाल ही गलत है।

श्री श्रीभानसिंह : जूनियर मिडिल बेसिक स्कूल का पीरियड ऑफ कोचिंग कितनी है?

श्री हरिभाऊ उपाध्याय : इसके बारे में तो मैंने आपको यह बताया है कि जानकारी करके बता दूंगा।

श्री भैरोंसिंह : क्या माननीय मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या राजस्थान में कहीं भी सीनियर बेसिक स्कूल्स नहीं खुले हैं?

श्री हरिभाऊ उपाध्याय : मेरी तो ऐसी ही जानकारी है।

श्री दयाकृष्ण विजय : क्या यह सही है कि कुछ शिक्षा-शास्त्रियों का यह मत है कि आठ साल का बेसिक स्कूल का कोर्स होता है, परन्तु खेर कमेटी की इन्फॉर्मेशन थी कि प्राइमरी स्कूल खोले जा सकते हैं, लेकिन ऐसा मत है कि बेसिक एज्युकेशन का अध्ययन ज्यादा से ज्यादा आठ साल का हो। लेकिन जैसा आपने बताया कि ७ से १४ वर्ष का जूनियर बेसिक स्कूल है परन्तु वह ७ से ११ वर्ष तक का है।

श्री बहादुरसिंह : On a point of

Page No.14

(श्री बहादुरसिंह)

information, Sir, the Hon'ble Member is giving information or seeking information ?

श्री मदनसिंह : अध्यक्ष महोदय, हम जानना चाहते हैं कि क्या यह कोई नई चीज है ?

श्री अध्यक्ष : नई चीज है तभी तो उत्तर नहीं मिल रहा है।

(विराम)

श्री हरिश्चन्द्र

प्रशासन सुविधार्थ जिलों की पुनः सीमा निर्धारण योजना

२१३. श्री हरिशचन्द (डग) Will the Chief Minister be pleased to state:-

(1) whether the Governmet of Rajasthan intend to redraw the boundaries of the districts in the interest of administrative efficiency of the State ?

(2) If so, how and when?

(3) Is the Govenment prepared to make minor adjustments in the tehsil or sub-tehsil boundaries adjoining "Sunel Tapa" to make the administrative units more homogeneous ?

मुख्य मंत्री (श्री मोहनलाल सुखाड़िया) : (1) Yes, Sir.

Government appointed a Committee for the reorganisation of districts, sub-divisions and tehsils. The Committee was composed of the Chief Secretary as Chairman, Additional Chief Secretary, Chairman, Board of Revenue, Home Secretary, Finance Secretary, Deputy Secretary Planning.

(2) Earlier, the report was required by the middle of November, 1956. However, in view of the expected recommendations to be received under the States Organisation Commission and of the likelihood of the States boundaries undergoing a change, the Committee was directed to hold its work in abeyance till the report the States Reorgrnisation Committee was received, Now that the States boundaries and territories have been finalised, the Committee has been asked to take up its work.

(3) The question of Sunel Tappa and the adjoining boundaries will also be examined by this Committee.

जागीर पुनर्ग्रहण विभाग में मुआवजे के फॉर्म भरवाने हेतु लाइजन अधिकारी

२१४. **श्री तनसिंह** (बाड़मेर) : क्या जागीर पुनर्ग्रहण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(क) जागीर पुनर्ग्रहण विभाग में सरकार द्वारा मुआवजे के फॉर्म भराने के काम के लिए कितने लाइज़न ऑफिसर नियुक्त किये गये हैं और उनके क्या क्या नाम हैं तथा वे कहां के रहने वाले हैं ?

(ख) इन लाइजन ऑफिसरों को क्या वेतन या भत्ता दिया गया है और किस मद से दिया गया है ?

Page No.15

जागीर पुनर्ग्रहण मन्त्री (श्री दामोदरलाल व्यास) : (क) १५ । सूची सदन की मेज पर रखवा दी गई है । माननीय सदस्य को मिल गई होगी ।

श्री तनसिंह : मुझे नहीं मिली है ।

श्री दामोदरलाल व्यास : इसकी प्रतिलिपि नोटिस ऑफिस मे भेज दी गई है ।

श्री तनसिंह : हमको यह कैसे मालूम पड़ेगा कि हमारे प्रश्न का उत्तर नोटिस ऑफिस में भेज दिया गया है । इस प्रकार तो हर मेम्बर को वहां जा कर पता लगाना पड़ेगा कि उनका उत्तर आया या नहीं ।

श्री अध्यक्ष : प्रेक्टिस यह है कि अगर आप पांच कॉपी भेजते हैं तो नोटिस ऑफिस में कोई कॉपी नहीं जा पाती है । अगर आप यह चाहते हैं कि मेम्बरों को नोटिस आफिस के जरिये ही कॉपी दी जाय तो फिर आप ६ कॉपी भेजा करिये ।

श्री दामोदरलाल व्यास : ऐसा इन्तजाम हो जायगा । मैं अभी तो पढ़ कर सुना देता है ।

श्री महेन्द्रसिंह रानावत, काकरवारा
श्री प्रतापसिंह विजयपुरा, चित्तौड़गढ़
श्री मोहब्बतसिंह, बिचीवाड़ा
श्री बचनसिंह नरायना, झुंझुनू
श्री रघुनाथसिंह, जयपुर
श्री सूरजसिंह महाराज, किशनगढ़
श्री उत्तमसिंह, बाड़मेर
श्री रामसिंह, नागौर
श्री पृथ्वीसिंह, बूंदी
श्री गुलाबसिंह, पाली
श्री भोपालसिंह, जालौर
श्री गनपतसिंह, जोधपुर
श्री जोधसिंह, बीकानेर
श्री रघुवीरसिंह, चूरू
श्री शार्दूलसिंह, भीलवाड़ा

(ख) ऑनरेरियम के रूप में एक को १५० रु० और शेष को २०० रुपया प्रति मास, तथा टी० ए० व डी० ए० के लिए प्रथम श्रेणी के अफसरों के समान माने गये हैं । पेमेन्ट "Adjustment Account of Advance from the Rajasthan Contingency Fund - 7 - Land Revenue (C) - Expenditure in connection with ex-Zamindari Estates - 1 - Staff (11) District Staff - District Establishment" के मद से दिया गया है ।

श्री सरदारसिंह : माननीय मन्त्री जी, फागी में लाइज़न आफिसर है या नहीं ?

श्री दामोदरलाल व्यास : वहां आवश्यकता नहीं थी ।

श्री सरदारसिंह : वहां पर भी तो बहुत से जागीरदारों को मुआवजा नहीं मिला है ।

श्री दामोदरलाल व्यास : आपने तो आवेदन भर दिया था ।

श्री सरदारसिंह : मैं कहता हूं कि बहुत से जागीरदारों को मुआवजा नहीं मिला है । तो क्या मुझको लाइज़न ऑफिसर वहां बनाना है ?

श्री तनसिंह : ये लाइज़न ऑफिसर की नियुक्तियां किस आधार पर की हैं ? क्या कोई एडवर्टाइज़मेन्ट किया गया था ?

श्री दामोदरलाल व्यास : एडवर्टाइज़मेन्ट की आवश्यकता नहीं थी । उनको उप—

Page No.16

(श्री दामोदरलाल व्यास.)

युक्त समझा गया इसलिए उनको नियुक्त किया गया।

श्री तनसिंह : किस तरह से उपयुक्त समझा गया? क्या सरकार ने या माननीय मंत्री महोदय ने जानकारी की थी? किस आधार पर उपयुक्त समझा गया?

श्री दामोदरलाल व्यास : टेम्परेरी पोस्ट थी और केवल इसी काम के लिये थी; जागीरदारों को सहूलियत मिल सके, उनके क्लेम्स आदि भरवाये जा सकें, इसके लिये सिर्फ अलाउन्स दिया गया है; न तनख्वाह है न पर्मानेन्ट पोस्टस ही हैं।

श्री जयसिंह राणावत : भीलवाड़ा में जो शार्दूलसिंहजी बतलाये गये हैं वे कहां के हैं?

श्री दामोदरलाल व्यास : शार्दूलसिंह जी पाहुना के।

श्री भैरोंसिंह : (१४) सरकार ने किस आधार पर यह निर्णय लिया कि अमुक व्यक्ति ही लाइज़न ऑफिसर होने के काबिल है?

श्री दामोदरलाल व्यास : इस बात के लिये उपयुक्त समझा गया और जागीर कमिश्नर ने देख लिया था कि ये आदमी इस कार्य के लिये उपयुक्त हैं, इसीलिये इनको रखा गया।

श्री भैरोंसिंह (१४) : क्या इस संबन्ध में स्थानीय कलेक्टर की राय नहीं ली गई थी?

श्री दामोदरलाल व्यास : कोई आवश्यकता नहीं थी

श्री भैरोंसिंह (१४) : क्या इन नियुक्तियों के संबन्ध में क्षत्रिय महासभा और भूस्वामी संघ से राय नहीं ली गई थी?

श्री दामोदरलाल व्यास : किसी से राय लेने की आवश्यकता नहीं थी, क्षत्रिय महासभा से राय जरूर ली गई थी।

श्री भैरोंसिंह (१४) : क्षत्रिय महासभा ने किन किन व्यक्तियों के संबन्ध में राय दी थी?

श्री दामोदरलाल व्यास : यह जरूरी नहीं था कि क्षत्रिय महासभा जिन व्यक्तियों के लिये राय दे उन्हें ही नियुक्त किया जाय। जिन लोगों को उपयुक्त समझा गया सरकार ने उनकी नियुक्तियां की।

श्री भैरोंसिंह (१४) : क्या सरकार ने इन पदों के लिये कोई स्पेशल क्वालिफिकेशन प्रेसक्राइब की थी?

श्री दामोदरलाल व्यास : काम ऐसा था कि जिसके लिये कोई स्पेसिफिक क्वालिफिकेशन्स की आवश्यकता नहीं थी। जो जागीर एबोलिशन के कानून से वाकफियत रखता हो, जो जागीरें समाप्त करने प्रिन्सिपिल से सहमत हों उन्हीं व्यक्तियों को रखा गया।

श्री भैरोंसिंह (१४) : यह एक्जामिशन किस आधार पर लिया गया कि अमुक-अमुक व्यक्ति जागीर रिजम्प्शन कानून की वाकफियत रखते हैं?

श्री दामोदरलाल व्यास : सरकार ने अपनी एजेन्सीज़ के जरिये यह मालूम कर लिया था कि कौन कौन आदमी इस पोस्ट के काबिल हैं।

श्री भैरोंसिंह (१४) : किन एजेन्सीज़ के जरिये यह मालूम कियां ?

श्री दामोदरलाल व्यास : सरकार की कई एजेन्सीज़ हैं।

श्री भैरोंसिंह (१४) : किस एजेन्सी द्वारा ।

श्री दामोदरलाल व्यास : ऑफिशियल एजेन्सी द्वारा ।

श्री भैरोंसिंह (१४) : अभी जैसा कि माननीय मंत्री महोदय ने फरमाया कि क्षत्रिय महासभा से राय ली गई, मैं यह जानना चाहता हूं और किन किन संस्थाओं से राय ली गई ?

श्री दामोदरलाल व्यास : क्षत्रिय महासभा ने सुझाव दिये थे ।

श्री भैरोंसिंह (१४) : भूस्वामी संघ के नेता, श्री तनसिंहजी से भी राय ली गई थी या नहीं ?

श्री मदनसिंह : इन व्यक्तियों में सब सिंह ही सिंह नाम के हैं जागीरदार तो दूसरे वर्ग के लोग भी हैं उनको क्यों नहीं रखा गया ?

गत पांच वर्षों में मादक द्रव्यों से होने वाली आय

२१५. **श्रीमती कमला श्रोत्रिय** (भीलवाड़ा) : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

राज्य की अफीम, गांजा, भंग, तम्बाकू, बीड़ी, सिगरेट, चरस और शराब जैसी नशीली वस्तुओं से पिछले पांच वर्षों में कितनी आय हुई ?

वित्त मंत्री (श्री हरिभाऊ उपाध्याय) : सूची सदन की मेज पर प्रस्तुत कर दी गई है ।

श्रीमती कमला श्रोत्रिय : सूची मुझे नहीं मिली है, आप बता दें ताकि आगे प्रश्न कर सकूं

श्री हरिभाऊ उपाध्याय :-

	१९५१-५२	५२-५३.
शराब	१,८८,४८,०००	१,४५,०१,२१८.
अफीम	६३,३५,०००	८१,६६,६४५
भांग-गांजा	७,६६,०००	७,६५,५५१

	५३-५४.	५४-५५	५५-५६.
शराब	१,५४,१४,१२५	१,६२,६४,६५७	१,७२,३२,१०६
अफीम	८५,८३,००५	१,०६,८५,६७४	६२,२७,८६१
भांग-गांजा	८,३२,४८७	६,३०,०५४	८६६,,६६८

कुल आय—१२,२४,५०,६६१

श्रीमती कमला श्रोत्रिय : क्या माननीय मंत्री महोदय यह बतलाने की कृपा करेंगे कि इन मादक चीजों को प्रोत्साहन न देने के लिये क्या कदम उठाये हैं ?

श्री हरिभाऊ उपाध्याय : इसमें उत्तरोत्तर विकास नहीं हुआ है ।

श्रीमती कमला श्रोत्रिय : इन मादक चीजों का उपयोग कम हो यह समाज के लिये जरूरी है, इसके लिये सरकार ने क्या उपाय सोचा है ?

Page No.18

श्री हरिभाऊ उपाध्याय : आप यदि आंकड़े देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि सन् ५१-५२ में १,८८,४८,००० रु० की आमदनी हुई थी, वह आमदनी सन् ५५-५६ में १,५२,३३,१०६ रुपया रह गया है। इस तरह से आमदनी में कमी ही हुई। है

श्रीमती कमला श्रोत्रिय : नाजायज शराब बनाने के कितने मामले पकड़े गये ?

श्री हरिभाऊ उपाध्याय : आपका यह नया प्रश्न है।

बिड़ला एज्युकेशन ट्रस्ट की स्कूलों को टेक-ओवर करना

२१६. **श्रीमती सुमित्रासिंह** (पिलानी) : क्या शिक्षा मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :-

क्या बिड़ला एज्युकेशन ट्रस्ट की तमाम स्कूलें सरकार ने टेक ओवर कर ली हैं ? यदि हां तो सुल्ताना मिडिल स्कूल को अब तक क्यों नहीं टेक ओवर किया गया ?

उप-शिक्षा मंत्री (श्री पूनमचन्द बिश्नोई) : क्योंकि सुल्ताना मिडिल स्कूल से राजकीय मिडिल स्कूल किशोरपुरा केवल २ मील है।

श्रीमती सुमित्रा : क्या यह बात सही है कि किशोरपुरा मिडिल स्कूल एक या दो साल से मिडिल स्कूल बना है ?

श्री पूनमचन्द : यह अलग बात है।

श्रीमती सुमित्रा : पहले सुल्ताना मिडिल स्कूल था तो फिर किशोरपुरा मिडिल स्कूल क्यों बनाया गया ?

श्री पूनमचन्द : यह इसलिये कि प्राइवेट संस्था द्वारा चलाया जाता था, जब बन्द होगया तो सरकार ने उसको टेक ओवर कर लिया।

श्री जनार्दनराय नागर : क्या माननीय मंत्री महोदय यह बतायेंगे कि सरकार की क्या ऐसी नीति है कि जहां प्राइवेट संस्था द्वारा स्कूल खोले गये हों वहां सरकार द्वारा स्कूल नहीं खोले जायेंगे ?

श्री पूनमचन्द : वहां मिडिल स्कूल की मांग थी, सरकार ने मिडिल स्कूल खोल दिया।

श्री जनार्दनराय नागर : मैं सरकार की नीति सम्बन्धी जानकारी चाहता हूं कि जहां प्राइवेट स्कूलें चलायी जाती हैं वहां क्या सरकार स्कूल नहीं खोलेगी ?

श्री पूनमचन्द : यह आवश्यक नहीं, जहां आवश्यकता हो वहां दूसरी स्कूल भी खोली जा सकती हैं।

श्री श्रीभानसिंह : क्या बिड़ला एज्युकेशन ट्रस्ट की तमाम स्कूलें सरकार ने टेक ओवर कर ली हैं ? इसका उत्तर नहीं आया ?

श्री पूनमचन्द : तमाम नहीं लीं।

श्री श्रीभानसिंह : तो कितनी ली गई हैं।

श्री पूनमचन्द : यह मैं अभी नहीं बता सकता।

श्री श्रीभानसिंह : This is a post of this Question.

श्रीमती सुमित्रा : तो यह शिक्षण संस्था किस वजह से ली ?

Page No.19

श्री पूनमचन्द : उन्होंने इस स्कूल को चलाना बन्द कर दिया था इसलिये सरकार ने इसको टेक ओवर करना उचित समझा, इसलिये टेक ओवर कर लिया।

श्री जनार्दनराय नागर : क्या सरकार की ऐसी नीति है कि अगर सार्वजानिक संस्था किसी स्कूल को न चलाये तो सरकार उसको ले लेगी ?

श्री पूनमचन्द : यह कोई आवश्यक नहीं, सरकार जिन संस्थाओं को लेना उचित समझती है उनको लेती है।

श्री जनार्दनराय नागर : क्या माननीय मंत्री महोदय इस बात को बतलाने की कृपा करेंगे, सरकार की नीति के संबन्ध में, कि सरकार की ऐसी दृढ़ नीति है कि अगर कोई प्राइवेट संस्था किसी स्कूल को चलाती है और वह बन्द कर देती है वैसी हालत मे सरकार उस ट्रस्ट से वह संस्था ले लेगी ?

श्री अध्यक्ष : इस भरोसे आप बन्द मत कर देना।

श्री पूनमचन्द : जी नहीं।

श्रीमती सुमित्रा : बिड़ला एज्युकेशन ट्रस्ट की केवल इसी संस्था को क्यों टेक ओवर किया गया ?

श्री पूनमचन्द बिश्नोई : जहां आवश्यकता थी और दूसरी शिक्षण की सरकारी व्यवस्था नहीं थी, वहां टेक ओवर कर लिया गया।

श्री पी.के. चौधरी : Will the Hon'ble Minister state the names of the schools of the Birla Education Society which have been taken over and the names of those schools which have not been taken over ?

श्री पूनमचन्द बिश्नोई : समझ में नहीं आया। दुबारा बोलिये।

श्री पी. के. चौधरी : Will you kindly state the names of the Birla Eucation schools which you have taken over ?

श्री पूनमचन्द बिश्नोई : You can ask a separate question for this.

श्री पी. के. चौधरी. : It was a part of the question.

श्री पूनमचन्द बिश्नोई : It does not arise from this question.

श्रीमती सुमित्रा : मुझे सन्तोषजनक जवाब नहीं मिला है। मैं यह जानना चाहती हूँ कि जो शिक्षण संस्थाएं बिड़ला एजुकेशन ट्रस्ट की ओर से चल रही थीं वे जब उसने खत्म कर दीं तो सरकार को पहले वहां स्कूलें टेक ओवर करनी चाहिये थीं बनिस्बत इसके कि किशोरपुरा में मिडिल स्कूल बनाती।

श्री पूनमचन्द बिश्नोई : सरकार ने जिस स्थान को ठीक समझा उस स्थान पर अपनी स्कूल खोली, और बिरला ने अपने हिसाब से जिस स्थान को ठीक समझा वहां खोली। जब सरकारी स्कूल चल रही है तो उसके दो मील के फासले पर ही दूसरी स्कूल को हाथ में लेना सरकार उचित नहीं समझती, जब कि कई अन्य स्थानों पर पचास-पचास और साठ साठ मील में मिडिल स्कूल नहीं है। तो दो मील वाली और ले ली जावें

(श्री पूनमचन्द बिश्नोई)

और पचास-पचास, साठ–साठ मील में न खोली जावे, यह सरकार उचित नहीं समझती। हम वैसे ही बहुत कम मिडिल स्कूलें खोल पाते हैं। साल भर में २५-३० स्कूलें खोल सकते हैं।

श्री भैरोंसिंह (१४) : सुल्तानपुर मिडिल स्कूल का संचालन किसके हाथ में है ?

श्री पूनमचन्द बिश्नोई : सरकार के हाथ में नहीं है।

श्री भैरोंसिंह (१४) : क्या सरकार ने इसकी जांच कराई है ? जिसके हाथ में इसका संचालन है उसके द्वारा संचालन उपयुक्त ढंग से नहीं होता है।

श्री पूनमचन्द बिश्नोई : इसकी शिकायत हमारे पास नहीं आई।

श्रीमती सुमित्रा : इसकी शिकायत आपके पास आ गई है ; डाइरेक्टर ऑफ एज्युकेशन के पास और इसकी जांच भी हुई है।

श्री पूनमचन्द बिश्नोई : इसको टेक ओवर कर लिया जावे इस प्रकार का आवेदन पत्र आया था और यह सरपंच की ओर से आया था, जनता की ओर से और कोई शिकायत नहीं आई थी।

श्री भैरोंसिंह (१४) : सरपंच क्या जनता में शामिल नहीं है ?

श्री पूनमचन्द बिश्नोई : वह चलाने वाला है, यह कह सकते हैं।

श्री भैरोंसिंह (१४) : तो सरकार ने फिर जांच कराना उचित नहीं समझा ?

श्री पूनमचन्द बिश्नोई : जांच की और इसी नतीजे पर पहुंचे कि किशोरपुरा में जो मिडिल स्कूल सरकार की है वही चलानी चाहिये।

श्री भैरोंसिंह (१४): मैं यह जानना चाहता हूँ कि उस स्कूल के संचालन का काम ठीक प्रकार से होता है या नहीं, इस सम्बन्ध में क्या आपने कोई जांच कराई ? आप इसका साफ उत्तर दें।

श्री पूनमचन्द बिश्नोई : जांच यह कराई गई कि आया यह स्कूल सुल्ताना में रहे या किशोरपुरा में ?

श्री भैरोंसिंह (१४) : तो सरपंच ने फिर किस सम्बन्ध में जांच कराने के लिये कहा था ?

श्री पूनमचन्द बिश्नोई : उसने तो यह कहा कि जो स्कूल किशोरपुरा में चल रही है। इसे बन्द करके हमारी टेके ओवर सरकार कर ले और इसे चलाये।

श्री भैरोंसिंह (१४) : मैं तो यह जानना चाहता हूँ कि सुल्ताना स्कूल का संचालन ठीक प्रकार से नहीं होता, इसका साफ जवाब चाहता हूं, कि इसकी जांच कराई गई या नहीं ?

श्री पूनमचन्द बिश्नोई : इस प्रकार की कोई जांच नहीं कराई गई।

श्रीमती सुमित्रा : क्या माननीय मन्त्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या कहीं भी ऐसी दो मिडिल स्कूलें नहीं हैं ?

Page No.21

श्री पूनमचन्द बिश्नोई : हैं, शहरों में हैं। पर गांवों में ऐसे बहुत कम हैं और शायद नहीं भी होंगें।

श्रीमती सुमित्रा : क्या सरकार को मालूम है कि सुल्ताना भी पांच हजार का कस्बा है ?

श्री पूनमचन्द बिश्नोई : जरूर है। कई ऐसे कस्बे हैं जो सात हजार के भी हैं।

श्री सोहनलाल : विद्यार्थियों का औसत क्या है ?

(उत्तर नहीं दिया गया)

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट।

प्रश्न संख्या २१७

श्री भैरवलाल कालाबादल।

(प्रश्न कर्त्ता अनुपस्थित)

श्री लक्ष्मीचन्द।

त० सांचोर में परिगणित जाति के भूमि हीन कृषकों को भूमि

२१८. **श्री लक्ष्मीचन्द** (सांचोर) : क्या राजस्व मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :

क्या जिला जालोर की तहसील सांचोर में परिगणित जातियों के भूमिहीन किसानों को भूमि वितरण करने की कोई योजना है? यदि हां, तो क्या है और नहीं, तो क्यों नहीं ?

राजस्व मन्त्री (श्री दामोदरलाल व्यास): जालोर जिले की समस्त तहसीलों के क्षेत्रों में सार्वजनिक रूप से भूमिहीन कृषकों को भूमि वितरण की योजना कार्य रूप में है। परिगणित जातियों के लिये पृथक रूप से कोई योजना नहीं है। उक्त योजना के अन्तर्गत सरकार के आदेश हैं कि हरिजनों का इस सम्बन्ध में विशेष रूप से ध्यान रक्खा जाय।

श्री लक्ष्मीचन्द : उसके कौन कौन से सदस्य हैं ?

श्री दामोदरलाल व्यास : ऐसा लगता है माननीय सदस्य ने मेरा जवाब नहीं सुना। ऐसी कोई खास योजना हरिजनों के लिये नहीं है। केवल इस तरह के आदेश सरकार ने दिये हैं कि हरिजनों का इस सम्बन्ध में विशेष रूप से ध्यान रक्खा जाय।

श्री लक्ष्मीचन्द : ये आदेश किसको दिये गये हैं ?

श्री दामोदरलाल व्यास : सरकार के कर्मचारियों को।

श्री लक्ष्मीचन्द : क्या सरकार यह भी देखती है कि इसका पालन भी होता है या नहीं ?

श्री दामोदरलाल व्यास : जब आदेश दिये हैं तो पालन होता ही है।

श्री पी. के. चौधरी : पालन होता है या नहीं, इसकी चैकिंग के लिये आपकी तरफ से कोई इन्तजाम है या नहीं ?

श्री दामोदरलाल व्यास : शिकायत आती है तब कार्यवाही करते हैं।

श्री पी. के. चौधरी : आपने फरमाया कि शिकायत आती है तब कार्यवाही होती है। शिकायत नहीं आई और फिर कार्यवाही हो रही है या नहीं, इसकी आप देखरेख कैसे करते हैं ?

Page No.22

श्री दामोदरलाल व्यास : शिकायत नहीं आई, इसका मतलब है कि कार्यवाही बराबर हो रही है और उससे किसी को शिकायत नहीं है।

श्री पी. के. चौधरी : मेरे कहने का मतलब यह है कि वॉलन्टरी चैकिंग का इन्तजाम भी आपका है या नहीं।

श्री दामोदरलाल व्यास : है, बराबर है। उनकी रिपोर्ट की बराबर कम्प्लायेन्स की जाती है।

श्री प्रभुलाल : उनके लिये रिज़र्वेशन क्यों नहीं रक्खा गया? परिगणित जातियों के लिये स्पेशल ऑर्डर क्यों नहीं दिया गया?

श्री दामोदरलाल व्यास : उनके लिये खास तौर पर हिदायत है कि उनको खास तौर से प्रायॉरिटी दी जावे, एलॉटमेंट ऑफ लैण्ड में।

श्री प्रभुलाल : मेरी अर्ज यह है कि जिनके पास भूमि नहीं हैं शुरू से तो क्या उनके लिये स्पेशल ऑर्डर नहीं होना चाहिये।

श्री दामोदरलाल व्यास : भूमिहीन का मतलब ही यही है कि जिनके पास भूमि नहीं है।

श्री प्रभुलाल : यह उत्तर समझ में नहीं आया। दुबारा फरमाने की कृपा करेंगे?

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट

मन्डावरी (त० लालसोट) की स्कूल के भवनार्थ स्वीकृत धनराशि

२१६. **श्री प्रभुलाल पुरोहित** (लालसोट) : क्या शिक्षा मन्त्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(क) कस्बा मण्डावरी, तहसील लालसोट में स्कूल की इमारत बनने के लिये कितनी धनराशि मन्जूर की गई थी?

(ख) स्कूल की इमारत बनी या नहीं?

(ग) अगर नहीं, तो क्यों और अब कब तक बनेगी?

उप-शिक्षा मन्त्री (श्री पूनमचन्द) : (क) सन् १९५४-५५ में इस कार्य के लिये ५००० रुपया मन्जूर किया गया था।

(ख) अभी पूर्ण नहीं है।

(ग) अन्य स्कूलों के भवन निर्माण कार्य के साथ साथ इस पर भी अवश्य विचार किया जावेगा।

श्री मदनसिंह : कब तक बन जावेगी?

श्री पूनमचन्द : सुनाई नहीं दे रहा है; जरा जोर से बोलियेगा।

श्री मदनसिंह : यह बिल्डिंग अब कब तक बन जावेगी?

श्री पूनमचन्द : निश्चित रूप से तो बता नहीं सकता, पर अन्य स्कूलें जब बनेंगी तब यह भी बन जावेगी।

श्री लक्ष्मीचन्द : कितना काम अधूरा बचा है?

श्री पूनमचन्द : इसमें अभी दस हजार का काम हुआ है। कितना अधूरा है यह तो उन गांव वालों की मांग पर है कि हम वहां

Page No.23

(श्री पूनमचन्द)

कितनी बड़ी स्कूल चलाना चाहते हैं और कितने छात्र वहां पर हाजिर होंगे, उनकी संख्या पर भी निर्भर है।

श्री मदनसिंह : आज तक निश्चित तारीख पर कोई चीज बनाई है आपके डिपार्टमेन्ट ने ?

श्री पूनमचन्द : मैंने सुना नहीं क्या कहा आपने ?

(हंसी)

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट, श्री भैरोंसिंह।

भूतपूर्व जयपुर राज्य के मन्दिरों के महंतों के विवाह

२२०. **श्री भैरोंसिंह** (श्री माधोपुर) : क्या देवस्थान मन्त्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(क) क्या भूतपूर्व जयपुर राज्य में कई मन्दिरों के महन्तों को विवाह करने की इजाजत नहीं थी ?

(ख) क्या यह सही है कि गत दो वर्षों में सरकार द्वारा कई महन्तों को विवाह करने की इजाजत दी गई है ? यदि हां, तो क्यों और किन किन को ?

(ग) क्या सरकार ने यह अनुमति देने के पहिले भूतपूर्व जयपुर राज्य के सम्बन्धित नियमों में कोई परिवर्तन किया है ? यदि हां, तो क्या और कब ?

देवस्थान मन्त्री (श्री दामोदरलाल व्यास) : (क) यह सही है कि भूतपूर्व जयपुर राज्य में कई मन्दिरों के महन्त बिना इजाजत शादी नहीं करते थे।

(ख) समय की परिस्थिति को दृष्टि में रख कर निम्नलिखित महन्त व पुजारियों को विवाह की अनुमति दी गई है :

(१) श्री रामोदराचार्य, महन्त, ठिकाना श्री गलताजी, जयपुर।

(२) श्री रघुनाथदास, महन्त, मन्दिर श्री रघुनाथजी, बगीची देवदास, जयपुर।

(३) श्री लल्लूलाल, पुजारी, मन्दिर श्री गोवर्द्धननाथजी, हवामहल, जयपुर।

(४) श्री नारायणदास, महन्त, श्री बलदेवजी, सिरेड्योढ़ी बाजार, जयपुर।

(५) श्री रामकुमारदास, महन्त, मंदिर श्री लक्ष्मणजी, डीग, भरतपुर।

(ग) इस प्रकार का कोई कानून नहीं था इसलिये परिवर्तन का कोई प्रश्न पैदा नहीं होता।

(भोंपू बजने पर)

श्री भैरोंसिंह (१४) : इस भोंपू की आवाज में कुछ नहीं सुनाई देता है।

(हंसी)

श्री मोहनलाल सुखाड़िया (मुख्य मंत्री) : आप तो सुनाई देते हैं।

(हंसी)

श्री भैरोंसिंह (१४) : तो क्या यह माना जावे कि कोई भी महन्त सरकार की इजाजत के बिना शादी कर सकता है ?

श्री दामोदरलाल व्यास : मेरा जवाब साफ है। जयपुर राज्य के समय ऐसा कोई कानून बना हुआ नहीं था, परन्तु ऐसी प्रेक्टिस जरूर थी कि महन्त बगैर इजाजत शादी नहीं करते थे।

Page No.24

श्री भैरोंसिंह (१४) : इस प्रेक्टिस को कानूनी रूप दिया हुआ था या नहीं ?

श्री दामोदरलाल व्यास : जी नहीं। प्रेक्टिस थी और इसका अभी भी पालन होता है।

श्री श्रीभानसिंह : From which authority did this Mahant obtain permission ?

श्री दामोदरलाल व्यास : From the Government.

श्री जनार्दनराय नागर : किस प्रकार की शादी करने की इजाजत दी जाती थी ?

एक माननीय सदस्य : Love marriage।

(हंसी)

श्री भैरोंसिंह (१४) : क्या सरकार ने यह जांच करने की कोशिश की कि यह प्रेक्टिस कानून सम्मत है या नहीं ?

श्री दामोदरलाल व्यास : यह नहीं था इसलिये इजाजत दे दी गई थी।

(कई माननीय सदस्यों के एक साथ प्रश्न करने के लिये खड़े होने पर और बोलने पर)

श्री भैरोंसिंह (१४) : पहला हक मेरा है साहब।

श्री अध्यक्ष : श्री भैरोंसिंह।

श्री भैरोंसिंह (१४) : जब सरकार ने जांच कर ली है कि प्रचलित प्रेक्टिस कानून सम्मत नहीं है तो आज के युग में इजाजत लेने की क्या बात रह गई ?

श्री दामोदरलाल व्यास : प्रेक्टिस के अनुसार उन्होंने इस बार भी इजाजत चाही और सरकार ने दे दी। अब यह कानून सम्मत है या नहीं, यह तो आप जान सकते हैं।

श्री भैरोंसिंह (१४) : यह पूछ रहा हूँ कि जब कानून सम्मत नहीं है तो इजाजत लेने की क्या बात रह गई, इसका साफ उत्तर दें आप ?

श्री दामोदरलाल व्यास : साफ उत्तर की आवश्यकता नहीं। यह काफी साफ है कि इस तरह की प्रेक्टिस थी।

श्री जनार्दनराय नागर : मैंने यह इसलिये पूछा कि मनु ने ८ प्रकार की शादियां बतलाई हैं, इसलिये यह जानना चाहता हूं कि किस प्रकार की शादी करने की इजाजत दी गई है ?

(हंसी)

(कई माननीय सदस्य एक साथ बोलने लगे)

श्री पी. के. चौधरी : यह जो ब्रैक किया कन्वेन्शन का......

श्री दामोदरलाल व्यास : कोई कन्वेन्शन का ब्रैक नहीं किया। अभी तक इजाजत से ही शादी करते थे और अब भी इजाजत से शादी की है।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया (मुख्य मंत्री): मालूम पड़ता है बहुत दिलचस्पी है इस विषय पर माननीय सदस्यों को। एक एक पूछें तो अच्छा हो।

श्री अध्यक्ष : श्री भैरोंसिंह।

श्री भैरोंसिंह : क्या यह माना जाय कि अब यदि कोई साधु बिना सरकार की इजाजत शादी करता है तो कोई जुर्म नहीं है ?

Page No.25

श्रीदामोदरलाल व्यास : जिन जिन साधुओं को सरकार की ओर से जायदाद दी हुई है उनके लिए यह प्रेक्टिस जारी है कि उनको इसके लिए इजाजत लेना चाहिये।

श्री भैरोंसिंह (१४) : किस कानून के अन्तर्गत इजाजत लेनी चाहिये ?

श्री दामोदरलाल व्यास : जयपुर स्टेट की जो प्रेक्टिस है उनके अन्तर्गत।

श्री भैरोंसिंह (१४) : प्रेक्टिस कोई कानून नहीं है। तो क्या इस प्रकार जयपुर रियासत में प्रेक्टिस ही कानून माना जाता था ? क्या कोई कानून नहीं था ?

श्री दामोदरलाल व्यास : मैंने कहा कि जो प्रेक्टिस थी उनके अनुसार इजाजत लेनी चाहिए।

श्री बृजमोहनलाल : क्या कोई ऐसे महन्त आया था आपके पास ?

श्री भैरोंसिंह : एक आप आये थे ?

(हंसी)

श्री मुरलीधर व्यास : क्या इस प्रकार का मूलभूत अधिकार है ?

श्री दामोदरलाल व्यास : यह तो आप जान सकते हैं।

श्री श्रीमानसिंह: Has the Government consulted its Law Depertm. that these circulars of the former Government of Jaipur are null and void since the promulgation of the Constution and the fundamental rights guaranteed therein?

श्री दामोदरलाल व्यास : It is not necessry to cousult the Law Department.

श्री श्रीमानसिंह : Under what authority did the Government permit them ?

श्री दामोलाल व्यास : On the basis of the practice.

श्री श्रीमानसिंह : Is the Government here to maintain practice or law ?

श्री दामोदरलाल व्यास : Practice and law both.

श्री श्रीमानसिंह : Under what provision did the Government do it ?

श्री दामोदरलाल व्यास : I have already stated that there was such a prectice.

श्री श्रीमानसिंह : Since the promulgation of the Constitution of India those rules and orders stand null and void which are against the Constitution.

श्री अध्यक्ष : That is a question of legal interpretation

श्री बृजमोहनलाल : क्या सरकार गलता के महन्त....

श्री श्रीमानसिंह : whether those orders had the force of law ?

श्री दामोदरलाल व्यास : It is for the aggrieved party to approach the Law Courts and ascertain.

श्री अध्यक्ष : I think it will not be advisable if the hon'ble Members want that the hon' ble Minister should give an answer to legal question they are posing before us.

श्री भैरोंसिंह (१४) : जिन दो महन्तों को पर्मिशन दी गई वह किस आधार पर दी गई ?

श्री दामोदरलाल व्यास : दो नहीं, मैंने कहा था कि पांच को दी गई।

श्री भैरोंसिंह (१४) : पांच को दी गई तो किस आधार पर दी गई ?

श्री दामोदरलाल व्यास : शादी करना था, प्रेक्टिस के अनुसार अधिकार था और इसलिए इजाजत दी गई ।

श्री किशनलाल शाह : The very grant of these temples required the Mahants to remain unmarried.

श्री भैरोंसिंह : क्या सरकार महन्तों की शादी को लीगल मानती है ?

श्री दामोदरलाल व्यास : I said, one at a time. I have not listened to that question and another has come.

श्री पी. के. चौधरी : If there was a contradiction...

श्री अध्यक्ष : श्री रामकरण सिंह ।

भारत सेवक समाज व समाज कल्याण विभाग द्वारा कोटपुतली को सहायता

२२१. श्री रामकरणसिंह : क्या समाज कल्याण मन्त्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(क) भारत सेवक समाज व समाज कल्याण विभाग द्वारा क्या तहसील कोटपुतली को कोई सहायता दी गई है ?

(ख) यदि हां, तो कब और नहीं, तो क्यों ?

समाज कल्याण मन्त्री (श्री हरिभाऊ उपाध्याय) (क) हां, समाज कल्याण विभाग द्वारा दी गई है ।

(ख) छात्रवृत्ति की रकम हैडमास्टर कोटपुतली हाई स्कूल द्वारा व इन्सपेक्टर ऑफ स्कूल्स, किशनगढ़ द्वारा दी गई है । अग्निकांड व अतिवर्षा होने पर सहायता सहायक संचालक, समाज कल्याण विभाग द्वारा दी गई है ।

श्री अध्यक्ष : श्री हरिश्चन्द्र ।

झालावाड़ा जिले में पोपी के कल्टीवेशन पर सरचार्ज

२२२. श्री हरिश्चन्द्र :(डग)Will the Revenue Minister be pleased to state:-

(a) Whether any sur-charge is levied on poppy cultivation in certain Tehsils of Jhalawar District over and above the normal Government charges on land ?

(b) What is the annual amount collected as sur-charge by the Government under this head ?

(c) What is the total amount collected from this tax so far, after the integration of States ?

(d) What is the Government's future policy regarding this tax ?

Page No.27

राजस्व मन्त्री (श्री दामोदरलाल व्यास):

(a) Yes.

(b) Details are as under:-

Year	Amount
1949-50	10,300
1950-51	13,175
1951-52	10,953
1652-53	23,123
1953-54	17,879
1954-55	10,890
1955-56	8,888
Total Rs.	95,208/-

(c) Rs.95,208/-

(d) The matter is under consideration of the Government.

पाली जिले में लो इन्कम ग्रुप हाउसिंग स्कीम के अन्तर्गत हरिजनों को लोन

२२३. **श्री मूलचन्द डागा** (पाली) : क्या मुख्य मन्त्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(क) लो इनकम ग्रुप हाउसिंग स्कीम के अन्तर्गत पाली जिले में कितने मकानात बनाने के लिये किन किन लोगों को ऋण दिया गया ?

(ख) क्या इस योजना के अन्तर्गत पाली के हरिजन व अन्य भाइयों ने भी ऋण के लिए प्रार्थना-पत्र पेश किये थे ?

(ग) यदि हां, तो किन किन लोगों ने प्रार्थना-पत्र पेश किये थे व उनमें से किन किन लोगों को ऋण स्वीकार किये गये ?

मुख्य मन्त्री (श्री मोहनलाल सुखाड़िया):

(क) लो..........

श्री मूलचन्द डागा : सूची मुझे नहीं मिली है।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया (मुख्य मंत्री): लिस्ट का कहा कहां था ?

(हंसी)

(क) लो इनकम ग्रुप हाउसिंग स्कीम के अन्तर्गत पाली जिले में मकानात बनाने हेतु निम्न १० व्यक्तियों को ऋण दिया गया :

सर्व श्री प्यारेलाल गुप्ता, हरिसिंह, मंगल सिंह, गनपतसिंह, नारायनदास, सोहनलाल, सरचतमल, पृथ्वीराज, श्यामलाल, अमृतलाल, भैरूंलाल, बृजनन्दन • प्रसाद, जीतकरण, कन्हैयालाल, दाऊलाल, शंकरलाल, शम्भुदत्त।

(ख) हां।

(ग) हां।

(घ) निम्न ३१ सज्जनों ने प्रार्थना पत्र पेश किये थे :

सर्व श्री रामदयाल, रामचन्द, इन्द्रसिंह, मांगीलाल (हरिजन), श्रीमती भगवान देवी, श्रीमती विद्यादेवी, श्रीसोनारामभट, भूरसिंह, भीकमचन्द, उजारिया (हरिजन), मोडाराम (हरिजन); रतनलाल, शम्भूसिंह भंवरसिंह, अल्लाह बख्श, नाथूराम, भंवरभारती, प्रभुसिंह, आसूलाल, श्रीमती गोपी (हरिजन), श्री सूरज मल, शिवलाल, याकूब, लक्ष्मीलाल, सोहन लाल, भगवतीप्रसाद, प्रह्लाददास, मालमसिंह, मूलसिंह, जवानमल, रामनारायण।

(च) उनमें से किसी को भी ऋण नहीं दिया गया क्योंकि वे प्राथमिकता में नहीं आते थे।

(प्रश्न में क, ख और ग भाग ही हैं किन्तु मुख्य मन्त्री ने क, ख, ग, घ, और च भाग में उत्तर दिया है)

श्री मूलचन्द डागा : जिन शख्सों को ऋण दिया गया था तो क्या यह जांच की गई थी कि उनके खुद के मकानात हैं ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया (मुख्य मंत्री): रूल्स के मुताबिक की गई होगी।

श्री मूलचन्द डागा : मैं यह कहना चाहता हूँ कि उनके मकानात हैं, दो दो मकानात हैं और उनको ऋण दिया गया है।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : आप जो जानकारी दे रहे हैं उसके सम्बन्ध में मैं और जानकारी करूंगा।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट।

गैर मुमकिन सिवाय चक आबादी गोदाम (लालसोट) के पीछे के तीन आम के पेड़ों की आय

२२४. श्री प्रभुलाल (लालसोट) : क्या राजस्व मन्त्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(क) कस्बा लालसोट में गैर मुमकिन सिवाय चक आबादी थला ग्रेन गोदाम के पीछे के तीन पेड़ आम के जिसकी आमदनी कुल करीब २००) सालाना है किसके कब्जे में है और इसकी आमदनी कौन खाता है ?

(ख) क्या आराजी सिवाय चक में उगे हुए पेड़ आम मिलकियत सरकार होती है, या और किसी की ?

राजस्व मन्त्री (श्री दामोदरलाल व्यास): (क) पेड़ सर्व श्री छाजूलाल, रामेश्वर मिश्रान, नाथूलाल चौधरी महाजन के नाम दर्ज हैं, इन्हीं खातेदारों का इन पर कब्जा है और आमदनी भी वे ही लेते हैं।

(ख) सिवाय चक गैर मकबूजा जमीन में उगे हुए पेड़ सब सरकारी शुमार होते है।

श्री प्रभुलाल : ये आम के पेड़……

श्री दामोदरलाल व्यास : आवाज नहीं आ रही है।

श्री प्रभुलाल : ये आम के पेड़…… सरकार में आमदनी जमा होना उचित नहीं है।

(माननीय सदस्य के माइक पर बिलकुल मुंह लगाकर बोलने व लिखा हुआ भी इस प्रकार पढ़ने के कारण बिलकुल भी आवाज सुनने में नहीं आयी !)

श्री अध्यक्ष : श्री रावतमल।

प्रथम पंचवर्षीय योजना में दलित वर्ग हेतु निर्धारित राशि

२२५. श्री रावतमल (चूरू) : क्या समाज कल्याण मन्त्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(क) प्रथम पंचवर्षीय योजना में बैकवर्ड क्लासेज़ के लिए कुल कितना रुपया रखा गया था और उसमें से राजस्थान सरकार की ओर से कितना निर्धारित था और केन्द्रीय सरकार से कितना प्राप्त हुआ था ?

(ख) क्या जिलेवार बैकवर्ड क्लासेज़ की आबादी के हिसाब से यह रुपया खर्च किया गया था ? क्या सरकार जिले की आबादी और रकम का आंकड़ा बताने का कष्ट करेगी ?

(श्री रावतमल)

(ग) उपरोक्त विवरण में छात्रों को सालवार व जिलेवार दिये गये वजीफे के आंकड़े भी बताये जायँ ?

समाज कल्याण मन्त्री (श्री हरिभाऊ उपाध्याय) : (क) प्रथम पंचवर्षीय योजना में बैकवर्ड क्लासेज़ के लिए ११५.६६१ लाख रुपया रखा गया था। इसमें राजस्थान सरकार का ४२.२० लाख रुपया व भारत सरकार का ७३.७६१ लाख रुपया था।

(ख) जिलेवार आबादी के अनुपात से रकम खर्च नहीं की गई है, अतः जिलेवार खर्च के आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं।

(ग) सालवार व जिलेवार स्वीकृति छात्रवृत्तियों के आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं।

श्री रावतमल : जो जिलेवार रकम प्राप्त की गई है तो क्या उसकी सूची हमें प्राप्त हो सकेगी ?

श्री हरिभाऊ उपाध्याय : सुनाई नहीं पड़ा।

श्री रावतमल : जिलेवार आबादी के आंकड़े और जिलेवार रकम जो खर्च की गई है उसकी समाज कल्याण विभाग द्वारा प्रति मिल सकती है ?

श्री हरिभाऊ उपाध्याय : जिलेवार रकम नहीं खर्च की गई थी किन्तु जातियों के अनुसार रकम खर्च की गई।

श्री रामचन्द्र : क्या वायदा करना चाहते हैं ?

श्री हरिभाऊ उपाध्याय : जी हां। प्रथम पंचवर्षीय योजना में नहीं हुआ, द्वितीय पंचवर्षीय योजना में की गई है।

श्री गोकुलचन्द : जो रकम खर्च की गई है वह किस हिसाब से की गई है ?

श्री हरिभाऊ उपाध्याय : मैंने जैसे पहले ही बता दिया कि जातियों के लिए तो रिकार्ड रखा है किन्तु जिलेवार रिकार्ड नहीं रखा है। इन जातियों में अनुसूचित जातियां हैं, पिछड़ी हुई जातियां हैं।

श्री रावतमल : सुनाई नहीं देता है।

श्री रामचन्द्र : किन किन हेड्स में क्या क्या खर्च किया है ?

श्री हरिभाऊ उपाध्याय : रकम जो कुल खर्च की गई उसके आंकड़े मेरे पास हैं। उसके लिए प्रश्न पूछ लीजिये, मैं उसका जवाब दे दूंगा।

श्री रावतमल : 'क' का उत्तर नहीं आया है।

श्री हरिभाऊ उपध्याय: मैंने जवाब दिया न कि सालवार और जिलेवार आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं।

श्री अध्यक्ष : श्री मूलचन्द डागा।

राजस्थान में अनाज की पैदावार-वृद्धि के साथ आयवृद्धि

✓२२६. **श्री मूलचन्द डागा** (पाली) : क्या राजस्व मन्त्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :-

(क) क्या सन् ११५३-५४ से राजस्थान में अनाज की पैदावार बढ़ी है ? यदि

(श्री मूलचन्द डागा)

हां, तो क्या उसके साथ साथ आय (रेवेन्यू) भी बढ़ी है ?

(ख) यदि आय में वृद्धि हुई है तो कितनी और क्या उसकी वसूली पूर्ण हो चुकी है । यदि नहीं, तो क्यों ?

राजस्व मन्त्री (श्री दामोदरलाल व्यास): (क) जी हां ।

(ख) ४५,८१,००० रु० की वृद्धि हुई है । आय की पूर्ण वसूली नहीं हुई है, उसके अनेक कारण हैं, जैसे कहीं अतिवृष्टि, कहीं अनावृष्टि, ओले पड़ना, आग लगना, गोली लगना आदि आदि ।

श्री मूलचन्द डागा : कितनी रकम वसूल हो चुकी है ।

श्री दामोदरलाल व्यास : अलग अलग सालों में अलग अलग हुई है । बहुत बा स्टेटमेन्ट है, कहें तो पढ़ दूं ।

श्री मूलचन्द डागा : मैंने यह पूछा था कि ५३-५४ में कितना बढ़ा है, इस बारे में बतला दीजिये ?

श्री दामोदरलाल व्यास: ५४,८१,००० रु० कुल एरियर मिलाकर वसूल होते हैं । इसलिये यह पोसिबल नहीं है कि अलग अलग बताया जावे ।

श्री मूलचन्द डागा : सन् ५३-५४ में कितनी हुई ?

श्री दामोदरलाल व्यास : ५३-५४ में डिमान्ड ८१,७३, ६८१, एरियर ३,६६,४६, १४७ और कुल टोटल ४,५१,२०,०२८ रु०

श्री मूलचन्द डागा : ५६-५७ में कितनी हुई ?

श्री दामोदरलाल व्यास : २,६२, ६८,७२१. रु० ।

श्री मुलचन्द डागा : मेरा प्रश्न यह था कि कितनी आमदनी वसूल नहीं हुई, उसके आंकड़े बताये जायं ।

श्री दामोदरलाल व्यास : मैंने डिमान्ड बता दी और वसूली बता दी ।

रावराजा श्री सरदारसिंह : अनाज की पैदावार बढ़ी है, तो मंहगाई क्यों बढ़ रही है ?

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट क्वेश्चन ।

दलित वर्ग विद्यार्थियों को शासकीय सहायता

२३७. **श्री सूरजमल (फलोदी) :** क्या समाज कल्याण मन्त्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(क) पिछड़ी हुई जातियों के विद्यार्थियों को सरकार की ओर से क्या आम सुविधाएं दी जाती हैं ?

(ख) उक्त विद्यार्थियों से क्या कोई फीस भी ली जाती है ? यदि हां, तो किस कक्षा से तथा कितनी फीस ली जाती है ?

समाज कल्याण मन्त्री (श्री हरिभाऊ उपाध्याय) : (क) निम्न आम सुविधायें दी जाती हैं :

(१) सरकारी संस्थाओं में पढ़ने वाले

(श्री हरिभाऊ उपाध्याय)

समस्त छात्रों से शिक्षण शुल्क नहीं लिया जाता व अन्य शुल्क भी आधा ही लिया जाता है।

(२) कक्षा १ से ४ तक के विद्यार्थियों को पाठ्य सामग्री आदि खरीदने के लिये एक मुश्त सहायता व कक्षा ४ से ऊपर की कक्षाओं के छात्रों को मासिक छात्रवृत्तियां दी जाती है।

(३) सरकार द्वारा इनके लिये होस्टल चलाये जाते हैं, जहां इन्हें भोजन, वस्त्र, बर्तन आदि की सुविधाएं प्रदान की जाती हैं। इन छात्रों को परिक्षा एवं स्कूल फीस भी दी जाती है पर इन्हें मासिक छात्रवृति नहीं दी जाती।

(४) स्वयं सेवी संस्थाओं द्वारा चलाये जानेवाले छात्रावासों को १५ रु० प्रति छात्र प्रति माह के हिसाब से सहायता दी जाती है।

(५) कल्याणकारी संस्थाओं को छात्रावास व स्कूल आदि चलाने के लिये भी अनुदान दिया जा रहा है।

(ख) पढ़ाने के लिये कोई फीस नहीं ली जाती। अन्य फीस; जैसे खेल, पुस्तकालय आदि को ५० प्रतिशत रकम वसूल की जाती हैं।

श्री सूरजमल : क्या इस साल नये छात्रावास खोले जायेंगे हरिजनों के लिये ?

श्री हरिभाऊ उपाध्याय : यह प्रश्न इससे ताल्लुक नहीं रखता।

सम्वत् २०१३ में बीकानेर जिले के अभावग्रस्त घोषित ग्राम

२२८. **श्री भीमसेन** (लूनकरनसर) : क्या अकाल सहायता मन्त्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

बीकानेर जिले के कौन कौन से गांवों के किसानों की ओर से खरीफ सं० २०१३ की फसल खराब होने के कारण उनके गांव को अभावग्रस्त घोषित करने की मांग की गई तथा उनकी मांग पर कौन कौन से गांवों को अभावग्रस्त घोषित किया गया है।

राजस्व मन्त्री (श्री दामोदरलाल व्यास) : बीकानेर जिले में सम्वत् २०१३ को फसल कुछ खराब हो गई थी, एतदर्थ किसी भी ग्राम को अभावग्रस्त घोषित करने की आवश्यकता नहीं पड़ी।

श्री मुरलीधर व्यास : किस आधार पर अभाव ग्रस्त घोषित किया जाता है।

श्री दामोदरलाल व्यास : आधार रूल्स में दिये गये हैं। ६ आने से नीचे की फसल होती है तो उसको अभावग्रस्त घोषित किया जाता है।

श्री मुरलीधर व्यास : इस सम्बन्ध में जानकारी कौन देता है ?

श्री दामोदरलाल व्यास : डिस्ट्रिक्ट ऑथोरिटीज़।

श्री मुरलीधर व्यास : क्या उन्होंने जानकारी नहीं दी ?

श्री दामोदरलाल व्यास : जी नहीं। जानकारी ६ आने से नीचे की नहीं थी।

श्री भीमसेन : लगान के सम्बन्ध में किसानों को क्या राहत दी गई ?

श्री दामोदरलाल व्यास : जब अभाव ग्रस्त घोषित नहीं किया गया तो राहत देने का सवाल ही नहीं था।

Page No.32

नावा परबतसर तहसीलों के अभाव व अकालग्रस्त घोषित ग्राम

२२६. श्री किशनलाल शाह (नावां) : क्या राजस्व मन्त्री निम्न लिखित प्रश्नों का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(१) नावां और परबतसर तहसीलों में कौन कौन गांव अभावग्रस्त या अकालग्रस्त घोषित किये गये हैं और उनमें राहत-कार्य के लिए कितनी कितनी रकम किस किस कार्य के लिए स्वीकृत की गई है

(२) इस समय किस किस जगह राहत कार्य चालू है ?

(३) क्या राहत कार्यों के स्थान पर सरकार सस्ते अनाज की दुकानें खोलने का भी विचार रखती है ?

(४) क्या अभावग्रस्त या अकालग्रस्त गांवों में लगान में छूट भी घोषित की गई है ?

(५) क्या यह सही है कि तहसील नावां द्वारा अभावग्रस्त क्षेत्रों में भी लगान वसूल करने की सख्ती की जा रही है ?

(६) क्या अभावग्रस्त व अकालग्रस्त के लिए सिविल इजराय स्थगित करने के विषय में सरकार ने कोई कदम उठाया है ?

राजस्व मन्त्री (श्री दामोदरलाल व्यास): (क) राजस्थान राजपत्र (साधारण) दिनांक २-४-५७ में संख्या एफ. १०:१५ राजस्व।

(ख) ५७ दिनांक २८-३-५७ में ऐसे गांवों की सूची प्रकाशित हो चुकी है।

(ख) सूची सदन की मेज पर रखवा दी गई है।

(३) सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(४) जहां जहां से मांग आती है वहां ऐसी दुकानें खोल दी जाती हैं।

(५) इस सम्बन्ध में नियमानुसार कार्यवाही जारी है।

(६) जी नहीं।

(७) जी हां। सिविल इजराय स्थगित करने के विषय में राजकीय आज्ञा प्रकाशित हो चुकी है।

(कृपया परिशिष्ट २ देखिये)

श्री किशनलाल शाह : जो उत्तर नहीं मिले हैं उनके बारे में आप इजाजत दें तो प्रश्न पूछूं ?

श्री दामोदरलाल व्यास : आज की सूचियें नोटिस ऑफिस में पहुंच गई हैं, उन्हें लेना चाहिये था।

श्री किशनलाल शाह : क्या मन्त्रीजी यह बतायेंगे कि नावा तहसील के जिन गांवों को अकाल ग्रस्त घोषित किया गया है उनकी दुबारा जांच करने के लिये पब्लिक की शिकायत आई थी ?

श्री दामोदरलाल व्यास : शिकायतें आई, उनकी जांच कराई गई थी।

श्री किशनलाल शाह : जांच कब कराई गई ?

श्री दामोदरलाल व्यास : जब शिकायत आई तब कराई गई।

Page No.33

श्री किशनलाल शाह : क्या जांच की रिपोर्ट सदन की मेज पर रख सकते हैं ?

श्री दामोदरलाल व्यास : शिकायत आई, उसकी जांच कराई गई तो क्या एक्शन लिया गया ?

श्री दामोदरलाल व्यास : किस गांव के बारे में पूछना चाहते हैं ?

श्री किशनलाल शाह : गांवों के नाम शिकायत में दर्ज हैं। क्या यह सही है कि तहसीलदार गांवों में नहीं गये और तहसील में बैठ कर ही उन्होंने रिपोर्ट कर दी ?

श्री दामोदरलाल व्यास : यह मुझे मालूम नहीं कि तहसील में बैठ कर ही रिपोर्ट कर दी। यदि इस बारे में शिकायत आवे तो जांच की जा सकती है।

श्री किशनलाल शाह : आने वाली शिकायतों के बारे में जांच नहीं की गई क्या ?

श्री दामोदरलाल व्यास : जो शिकायतें आईं उनको कलेक्टर के पास जांच के लिये भेजा गया।

श्री किशनलाल शाह : क्या यह सही है कि तहसीलदार ने जो गलती की है उसके खिलाफ एक्शन नहीं लिया गया है ?

श्री दामोदरलाल व्यास : मैं कई दफा कह चुका हूँ कि जांच हो चुकी है।

श्री मदनसिंह दांता : यदि यह साबित किया जाय कि जांच नहीं की गई है तो क्या कदम उठाया जायगा ?

श्री दामोदरलाल व्यास : तहसीलदार को सजा दी जायगी।

सरकारी कर्मचारियों के गबन के मामलों का निर्णय

२३०. श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जौहरी बाजार, जयपुर) : क्या वित्त मन्त्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

किन किन कर्मचारियों के गबन के मामले सरकार के विचाराधीन हैं और अब तक क्यों नहीं तय किये जा सके हैं ? क्या उन अधिकारियों के विरुद्ध कोई कार्यवाही की गई है जो इस सम्बन्ध में लापरवाह पाये गए ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उप वित्त मन्त्री (श्री ऋषभचंन्द धारीवाल): (क) जिन कर्मचारियों के गबन के मामले सरकार के विचाराधीन हैं उनकी सूची संलग्न है। अब तक ये मामले निम्नलिखित में से एक या एक से अधिक कारणवश पूर्ण रूप से तय नहीं किये जा सके।

(१) न्यायालयों में मामले विचाराधीन।

(२) गबन के रुपये की पूरी वसूली नहीं होने के कारण, और

(३) विभागीय जांच में विलम्ब।

(ख) हां।

(कृपया परिशिष्ट ३ देखिये)

श्री भैरोंसिंह : संलग्न सूची में किन किन के नाम है, बताइये ?

श्री ऋषभचन्द धारीवाल : संलग्न सूची में २७५ नाम हैं इसलिये आप यदि मुझसे ठीक तरह से किसी व्यक्ति के लिये जानकारी के लिये पूछें तो मैं बता दूं।

Page No.34

श्री भैरोंसिंह : उनमें सबसे पुराना कौन सा मामला है ?

श्री ऋषभचन्द धारीवाल : यह दूसरा सवाल है । वगैर देखे नहीं बताया जा सकता ।

श्री भैरोंसिंह : इन २७५ में से किसी का प्रोसीक्युशन हुआ है या नहीं ?

श्री ऋषभचन्द धारीवाल : इनमें से कइयों के खिलाफ मुकदमे चल रहे हैं और कइयों के खिलाफ डिपार्टमेन्टल इन्क्वायरी चल रही है ।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : न्यायालय में कितनों के खिलाफ मुकद्दमे चल रहे हैं ?

श्री ऋषभचन्द धारीवाल : न्यायालय में जो मुकद्दमे चल रहे हैं उनकी संख्या १३६ है ।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : डिपार्टमेंटल इन्क्वायरी कितनों के खिलाफ चल रही है ?

श्री ऋषभचन्द धारीवाल : १४० के खिलाफ ।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : ये १३६ मुकद्दमे कब से चल रहे हैं, इनमें से सबसे पुराना कौन सा है ?

श्री ऋषभचन्द धारीवाल : इसके बारे में नोटिस दें तो बता सकता हूँ ।

श्री भैरोंसिंह : इन सब में कितनी सरकार की रकम है ?

श्री ऋषभचन्द धारीवाल : १६,७३, ८२२ रु० ८ आ० १ पाई है। उसमें से २,७३ १६६ रु० २ आ० ६ पाई वसूल हो सके । १४, ०२, ६५३ रु० ५ आ० ७ पाई बाकी हैं ।

श्री भैरोंसिंह : उनमें से कितनों को राज्य सेवा से पृथक किया गया और कितनों को मुअत्तिल किया गया ?

श्री ऋषभचन्द धारीवाल : उनमें से १ को पदच्युत किया गया, २० को चेतावनी दी गई, २ की पद-अवनति की गई, ४ की वेतन वृद्धि रोकी गई, १ की पेन्शन रोकी गई और ३ पर फाइन किया गया ।

श्री भैरोंसिंह : जिन्हें पदच्युत किया गया उनका चालान अदालत में किया गया या नहीं ? यदि नहीं, तो क्यों और किया गया तो उसका क्या परिणाम रहा ?

श्री ऋषभचन्द धारीवाल : मैं समझा नहीं, आप फिर बताइये ।

श्री भैरोंसिंह : जिन्हें पदच्युत किया गया उनका चालान अदालत में किया गया या नहीं ? यदि नहीं, तो क्यों और किया गया तो उसका क्या परिणाम रहा ?

श्री ऋषभचन्द धारीवाल : पूरी जानकारी किये वगैर मैं नहीं बतला सकता ।

श्री मदनसिंह : चेतावनी जो दी जाती है, उसकी क्या नाप-तोल है ? चेतावनी किसको दी जाती है ?

श्री ऋषभचन्द धारीवाल : चेतावनी उनको दी जाती है जो चेतावनी के लायक होते हैं ।

श्री भैरोंसिंह : क्या गबन करने वालों को चेतावनी देना सही है ?

श्री ऋषभचन्द धारीवाल : लापरवाही करने वालों को चेतावनी दी जाती है। गबन करने वालों पर तो मुकदमा चलेगा।

वर्तमान वर्ष में हायर सेकन्ड्री में परिवर्तित हाई स्कूल्स

२३१. **श्री सोहनलाल भटनागर** (सलूम्बर) : क्या शिक्षा मंत्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(क) चालू वर्ष में कितने हाई स्कूल हायर सेकन्डरी स्कूल में परिवर्तित किए जायेंगे ?

(ख) किसी हाई स्कूल को हायर सेकंडरी स्कूल में परिवर्तित करने के लिये क्या क्राइटेरिया है ?

(ग) क्या उदयपुर जिले की सलूम्बर हाई स्कूल को हायर सेकंडरी स्कूल में परिवर्तित किया जायेगा ?

उप-शिक्षा मंत्री (श्री पूनमचन्द) : (क) ५ मिडिल व हाई स्कूल्स को हायर सेकन्डरी स्कूल बनाया जायेगा।

(ख) (१) एक स्कूल में कम से कम ५०० छात्र हों।

(२) ९ वीं तथा १० वीं कक्षा में कम से कम १०० छात्र हों।

(३) अतिरिक्त भवन की सुविधा हो।

(४) आसपास कोई मल्टी पर्पज़ स्कूल या इन्टर कॉलेज न हो।

(ग) हायर सेकन्डरी स्कूल बनाते समय अन्य स्कूलों के साथ इसकी उपयुक्तता पर भी विचार किया जावेगा।

रावराजा श्री सरदारसिंह : यह कहां कहां बनाये जायेंगे ?

श्री पूनमचन्द : यह तय नहीं हुआ है।

राव राजा श्री सरदार सिंह : क्या एम. एल. एज़. से भी परामर्श किया जायेगा ?

श्री पूनमचन्द : मैंने सुना नहीं।

रावराजा श्री सरदारसिंह : क्या एम. एल. एज़. से भी परामर्श किया जायेगा ?

श्री अध्यक्ष : (राव राजा श्री सरदार सिंह की ओर संकेत कर) आप अगला प्रश्न पूछें।

श्री पूनमचन्द : डिपार्टमेंट तय करता है लेकिन एम. एल. एज़. डेवलपमेंट कमेटी के मेम्बर होते हैं, वे अपनी राय व्यक्त कर सकते हैं।

श्री भैरोंसिंह : क्या रावराजा साहब को कमेटी का मेम्बर बनाया गया है ?

श्री पूनमचन्द : वे डेवलपमेंट कमेटी के मेम्बर हैं क्योंकि एम. एल. ए. हैं।

जून १९५४ से पुनर्ग्रहीत जागीरों से आय

२३२. **रावराजा श्री सरदारसिंह** (उनियारा) : क्या राजस्व मन्त्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने का कष्ट करेंगे :

(क) १९ जून, सन् १९५४ से अब तक किस कदर जागीरें रिज्यूम (पुनर्ग्रहीत) की गईं और उनसे सरकार को क्या आय हुई ?

(ख) अब तक कितनी धन-राशि मुआवजे में दी गई ?

(ग) अब तक कितने मुआवजे के

Page No.36

(श्री सरदारसिंह)

दावे पेश हो चुके हैं और उनमें कितने फाइनल हो चुके हैं और कितने पेन्डिंग हैं एवं अब तक पेन्डिग रहने की क्या वजह है ?

राजस्व मन्त्री (श्री दामोदरलाल व्यास): (क) सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(ख) सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(ग) कुल ४१६५० दावे पेश हो चुके हैं जिनमें १५ फाइनल हो चुके हैं और ४,१५० पेन्डिग हैं।

जागीरदारों द्वारा समय पर दावे पेश न करने, बन्दोबस्ती कागजात के समय पर तैयार न होने, जागीरदारों के वन, खानात् एवं आबकारी सम्बन्धी आंकड़ों के वेरिफिकेशन में देर होने आदि आदि मुआवजे के के दावे पेन्डिग रहने के कारण हैं।

(कृपया परिशिष्ट ३ देखिये)

रावराजा श्री सरदारसिंह : अध्यक्ष महोदय, सूची हमारे पास नहीं आई है, हम कैसे सप्लीमेंट्री क्वेश्चन करें ?

श्री दामोदरलाल व्यास : माननीय सदस्य को सूची नोटिस ऑफिस से लेनी चाहिये थी, मैंने वहां सूची भिजवा दी है।

श्री अध्यक्ष : क्या आपने ६ कॉपीज़ भेजी हैं ?

श्री दामोदरलाल व्यास : शायद छः कॉपीज़ भेजी हैं।

श्री अध्यक्ष : आपको निश्चित होकर कहना चाहिये। अगर छः कॉपीज़ भेजी हैं तब ही माननीय सदस्य को सूची दी जा सकती है।

(करतल-ध्वनि)

रावराजा श्री सरदारसिंह : १७ जून १९५४ से लेकर जो दावे हो चुके हैं और जिस पर तहसीलदार तसदीक कर चुके हैं वे क्यों तय नहीं हुए, इसके क्या कारण हैं ?

श्री दामोदरलाल व्यास : मैंने इसके कारण बता दिये।

रावराजा श्री सरदारसिंह : वे क्या हैं ?

श्री दामोदरलाल व्यास : और सुन लीजिए। जागीरदारों द्वारा समय पर दावे पेश न करने, बन्दोबस्ती कागजात के समय पर तैयार न होने, जागीरदारों के वन व खानात् एवं आबकारी सम्बन्धी आंकड़ों के वेरिफिकेशन में देर होने आदि आदि मुआवजे के दावे के पेन्डिग रहने के कारण हैं।

रावराजा श्री सरदारसिंह : जो समय पर पेश किये गये हैं, उनको तय न करने के क्या कारण हैं ?

श्री दामोदरलाल व्यास : उनके लिए मैंने कहा कि वेरीफिकेशन में देरी हो रही है।

रावराजा श्री सरदारसिंह : सीकर क्षेत्र से जो दावे पेश किए गये क्या उनका वेरीफिकेशन हो चुका है ?

श्री दामोदरलाल व्यास : मैंने अर्ज किया कि कुल १५ केसेज फाइनल हो चुके हैं।

रावराजा श्री सरदारसिंह : १५ केसेज में कौन कौन से हैं ? जो १६ जून, १६५४ को पेश हुए, उनमें से कितने हैं ?

पाली जिले में पिछड़ी जातियों हेतु गत वर्ष छात्रवृत्ति

२०३ **श्री मूलचन्द डागा (१०३)**: क्या समाज कल्याण मन्त्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

पिछड़ी जातियों के लिए गत वर्ष पाली जिले में कितने रुपये की छात्रवृत्ति का प्रावधान किया गया था एवं उसमें से कितनी छात्रवृत्ति स्वीकृत हुई एवं भुगतान की गई ?

समाज कल्याण मंत्री (श्री हरिभाऊ उपाध्याय) : जिलेवार छात्रवृत्ति की रकम का प्रावधान नहीं किया गया। गत वर्ष १४, ४२४ रु० की छात्रवृत्ति स्वीकृत की गई है। छात्रों को भुगतान की गई रकम के आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं।

श्री मूलचन्द डागा पाली जिले को कितनी रकम दी गई ?

श्री हरिभाऊ उपाध्याय : जिलेवार छात्रवत्ति की रकम का कोई प्राविजन नहीं किया गया था। वैसे पाली जिले में जो रुपया खर्च हुआ, वह १४,४२४ रु० खर्च हुआ है।

छापोली (जि० झुंझुनू) में हाई स्कूल खोलने सम्बन्धी

२३४. **श्री तनसिंह (बाडमेर)** : क्या शिक्षा मन्त्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(क) क्या जिला झुंझुनू के अन्तर्गत छापोली ग्रामवासियों ने हाई स्कूल खोलने की प्रार्थना की है ?

(ख) यदि हां, तो सरकार उस विषय में क्या कार्यवाही कर रही है ?

(ग) यदि नहीं, तो क्या कारण है कि वहां हाई स्कूल नहीं खोला जा रहा है ?

(घ) क्या यह सही है कि ग्रामवासी बीस हजार रुपया भवन निर्माण हेतु देने को तैयार हैं ?

उप शिक्षा मन्त्री (श्री पूनमचन्द विश्नोई) : (क) जी हां।

(ख) अन्य मिडिल स्कूलों को हायर सेकन्डरी स्कूल बनाते समय उपयोगितानुसार इस पर भी विचार किया जायेगा।

(ग) उदयपुर में, जो छापोली से ६ मील दूर है जुलाई ५५ में हाई स्कूल खोल दिया गया था इसलिए इतनी पास दूसरी हाई स्कूल खोलना उपयुक्त नहीं समझा गया।

(घ) सरकार के पास ऐसी कोई सूचना प्राप्त नहीं है।

जयपुर जिले की विभिन्न तहसीलों में डेवलपमेंट ब्लॉक्स की स्थापना

२०२ **श्री रामकरण सिंह (कोटपुतली)** : क्या विकास मंत्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(क) जयपुर जिले की किन किन तहसीलों में डेवलपमेंट ब्लॉक्स की स्थापना की जा चुकी है ?

(ख) क्या तहसील कोटपुतली में ब्लॉक खोलने विषयक कोई ऐसी योजना सरकार के विचाराधीन है ?

Page No.38

(श्री रामकरणसिंह)

(ग) यदि हां, तो कब तक खुल जाने की आशा है ?

मुख्य एवं विकास मंत्री (श्री मोहनलाल सुखाड़िया) : (क) जयपुर जिले की ६ तहसीलों में ग्राम सेवा अथवा ग्राम विकास खंड खोले जा चुके हैं इनके नाम इस प्रकार हैं :

१. फुलेरा, २. बस्सी, ३. सांगानेर, ४. जयपुर, ५. बांदीकुई और ६. फागी।

(ख) नये खंड खोलते समय कोटपुतली में खंड खोलने के प्रश्न पर विचार किया जायेगा।

(ग) द्वितीय पंचवर्षीय योजनाकाल के अन्त तक सभी स्थानों पर ग्राम सेवा खंड खोल दिये जावेंगे, अतः कोटपुतली में भी सेवाखंड स्थापित हो ही जावेगा।

खैरथल बहुधंधी सहकारी समिति के नाम बंजर रकबे के पट्टे।

२०३. **श्री गोकुलचन्द** (४८) : क्या राजस्व मंत्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे:

(क) क्या बहुधन्धी सहकारी समिति, खैरथल के नाम तहसीलदार, किशनगढ के कोई बंजर रकबा ३ साल के पट्टे पर दिया था ?

(ख) यदि हां, तो क्या यह सच है कि तीन साल से पहिले ही तहसीलदार, किशनगढ़ ने वह पट्टा केन्सिल कर दिया ? यदि हां, तो क्यों ?

राजस्व मंत्री (श्री दामोदरलाल व्यास) (क) जी हां।

(ख) जी हां। सर्वसाधारण की भलाई को देखते हुए ऐसा किया गया।

श्री गोकुलचन्द : जो सहकारी समिति थी उसको यह जमीन दुकान बनाने के लिए दी गई थी। जो इस जमीन के लिए दरख्वास्त दी गई थी उससे इस बात का जाहिर होता है ?

श्री दामोदरलाल व्यास : यह जमीन सार्वजनिक काम में आती है, मवेशियों के लिए वहां प्याऊ है, दरख्त की छाया में जानवर बैठते हैं। उस जमीन को देने से सर्व साधारण को तकलीफ होती है, इसलिए अलॉटमेंट केंसिल किया गया।

श्री गोकुलचन्द : जो सहकारी समिति ने दरख्वास्त दी थी, उससे ऐसा जाहिर होता था ?

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य सप्लीमेंट्री नहीं पूछें। एक तो समय पर नहीं आते हैं और फिर ज्यादा सप्लीमेंट्री क्वेश्चन पूछते हैं।

ओलों से क्षति प्राप्त कोटा डिविजन की फसलें

२१७. **श्री भैरवलाल कालाबादल** (अकलेरा) : क्या राजस्व मंत्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(क) कोटा डिवीजन की किस किस तहसील में ओलों से फसलों को कितना नुकसान हुआ ?

(ख) जिन किसानों की फसलें नष्ट हो गई उनके लिये सरकार क्या सुविधाएं देने का विचार रखती है ?

(ग) क्या यह भी सरकार की जानकारी में है कि रेवेन्यू विभाग के कर्मचारियों ने घर

(श्री भैरवलाल कालाबादल)

बैठे ही ओलों से नष्ट हुई फसलों का मापदण्ड निर्धारित कर लिया है ?

राजस्व मंत्री (श्री दामोदरलाल व्यास): (क) निम्न तहसीलों में ओलों से फसलों को क्षति पहुंची है। क्षति का अनुमान ६ आने से १ रु० तक है। लाडपुरा, दीगोद, बड़ोद, इटावा,पीपलवा,अन्ता, बारां, मांगरोल, किशनगंज, शाहबाद, कनवास, सांगोद, छबड़ा, छीपा बड़ौद ।

(ख) क्षतिग्रस्त किसानों को नियमानुसार तकावी ऋण एवं निःशुल्क सहायता दिये जाने की व्यवस्था की जा रही है एवं अकाल सहायता कार्य भी खोले जा रहे हैं।

(ग) यह नितान्त निराधार है क्योंकि श्री आयुक्त महोदय, कोटा खंड, कोटा ने स्वयं इटावा व पीपलदा तहसीलों के १२ गांवों को, कि जिनमें भारी क्षति हुई है, निरीक्षण किया है एवं जिलाधीश ने भी स्वयं १२५ गांवों का निरीक्षण किया है तथा स्थान स्थान पर जाकर क्षति के दर्ज करने एवं सहायता - कार्य चलाने के लिये निर्देश दिये हैं ।

श्री रामेश्वरदयाल : क्या झालावाड़ जिले में ओलों से नुकसान पहुँचा है ?

श्री दामोदरलाल व्यास : मैंने तहसील के नाम बता दिये हैं ।

श्री रामेश्वरदयाल : झालावाड़ जिले में ओलों से कितना नुकसान हुआ है ?

श्री सम्पतराज : कोटा जिला झालावाड़ जिले में शरीक है।

श्री दामोदरलाल व्यास : मैंने आपको जानकारी दे दी है।

श्री रामेश्वरदयाल : इसकी जानकारी करनी चाहिये ?

श्री सम्पतराज : ओलों से कितना नुकसान हुआ है और कितनी सहायता देनी है ?

श्री दामोदरलाल व्यास : One at a time please. I have not been able to understand one, and another question has been asked.

श्री सम्पतराज : अध्यक्ष महोदय........

श्री अध्यक्ष : प्रश्नकर्ता को पूछने दें।

श्री भैरवलाल कालाबादल : इकलेरा में जो ओलों से नुकसान हुआ है उसको सहायता देने के लिए क्या कार्यवाही की जा रही है ? इसकी जानकारी नहीं आई है, क्या यह जानकारी मंगाने की कोशिश की गई है ?

श्री दामोदरलाल व्यास : इसकी जानकारी नहीं आई है। कोटा जिले में जो नुकसान हुआ है, उसकी जानकारी दे दी है।

श्री भैरवलाल कालाबादल : इकलेरा में ओलों से नुकसान हुआ है या नहीं ?

श्री दामोदरलाल व्यास : हमारी जानकारी में नुकसान नहीं हुआ है।

श्री भैरवलाल कालाबादल : वहां नुकसान हुआ है, लेकिन इसकी रिपोर्ट नहीं की गई है, इसकी जानकारी करनी चाहिए।

श्री रामेश्वरदयाल : क्या ओलों के गिरने के बाद नुकसान की जानकारी करने के लिए निरीक्षण किया गया था ?

श्री दामोदरलाल व्यास : ओलों के गिरने के बाद ही निरीक्षण कार्य शुरू कर दिया गया था।

१२. १७ म० प०

श्री अध्यक्ष : Now no more question, please. Next.

अंकेक्षा प्रतिवेदन, १९५७ (भाग १) की प्रस्तुति

श्री हरिभाऊ उपाध्याय (वित्त मंत्री) : अध्यक्ष महोदय, मैं संविधान के अनुच्छेद १५१ (२) के अन्तर्गत अंकेक्षा प्रतिवेदन, १९५७, भाग १, सदन की मेज पर रखता हूँ।

राजस्थान सेकन्डरी एज्युकेशन विधेयक, १९५७ (पुरःस्थापन)

श्री मोहनलाल सुखाड़िया (मुख्य-मंत्री) : अध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान सेकन्डरी एज्युकेशन बिल, १९५७ को पुरःस्थापित करने की आज्ञा के लिए प्रस्ताव करता हूँ।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न यह है, "कि राजस्थान सेकन्डरी एज्युकेशन बिल, १९५७ को पुरःस्थापित करने की आज्ञा दी जाय।"

(स्वीकृत)

राजस्थान सेकन्डरी एज्युकेशन बिल को पुरःथापित करने की आज्ञा दी गई।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : मैं राजस्थान सेकन्डरी एज्युकेशन बिल, १९५७ को पुरःस्थापित करता हूँ।

१२.२८ म० प०

मांग संख्या ३१—विविध

(पूर्व क्रम से)

श्री अध्यक्ष : मांग संख्या ३१ पर जो कट मोशन्स आये थे, जिन पर यहां वाद-विवाद हुआ, उनका उत्तर सरकार की तरफ से श्री बद्रीप्रसाद देंगे।

श्री मुरलीधर व्यास : अध्यक्ष महोदय, मेरा भाषण उस रोज अधूरा रह गया था क्योंकि बोलते हुए समय समाप्त हो चुका था। ऐसी हालत में मुझे इजाजत दें जिससे मैं (अपने भाषण को) पूरा करूं।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : अध्यक्ष महोदय, यह निश्चित हो गया है कि उत्तर दिया जाय।

श्री अध्यक्ष : इसीलिए कहा है कि उत्तर दें।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता (स्वायत्त शासन मंत्री) : अध्यक्ष महोदय, पंचायतों के लिए जो मांग मूव की गई थी, उसमें कई तरह की आपत्तियां की गई हैं। उन आपत्तियों में एक पंचायतों के फोर्मेशन के बारे में है, दूसरी पंचायतों के चुनाव के बारे में है, तीसरी लोकल बोडीज़ को सहायता के सम्बन्ध में है व चौथी पंचायतों के द्वारा पॉवर को डिसेन्ट्रलाइज़्ड करने के सम्बन्ध में है। मैं संक्षेप में इस बारे में सदन की जानकारी के लिए निवेदन करना चाहूंगा।

पहली बात यह निवेदन करना है कि सदन के सभी माननीय सदस्य इसे महसूस करते हैं कि जनवरी १९५७ को सारे कलेक्टर्स को हिदायत की गई थी कि राजस्थान में जितनी भी पंचायतें बनी हुई हैं उन्हें दुबारा एग्ज़ामिन करें। पंचायतों के सर्किल, पटवारी सर्किल हैं उनके लिहाज से ५ हजार से ज्यादा आबादी की पंचायत न हो, इसके लिए दुबारा देखने के लिए जनवरी ५७ में तमाम कलेक्टर्स को

(श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता)

हिदायत की गई थी और कलेक्टर्स के यहां से प्रस्ताव मांगे थे। मैं निवेदन करूंगा कि कलेक्टर्स के यहां से प्रस्ताव आने वाले हैं। आज तक जो कठिनाइयां आई हैं और आगे भी जो कठिनाइयां आ सकती हैं उनके बारे में वे अपने प्रस्ताव रखेंगे। कलेक्टर्स के यहां से प्रस्ताव आने पर जेर दफा ८६ के अन्तर्गत प्रस्ताव गजट में शाया किये जायंगे और दो महीनों तक उनके सम्बन्ध में किसी को भी एतराज करने का मौका होगा और इसके बाद दो महीनों के बाद जो एतराज आयेंगे उन पर विचार करके फाइनल किया जायगा। मैं सदन के सभी माननीय सदस्यों से निवेदन करूंगा कि इस सम्बन्ध में दुबारा चुनाव जल्दी होने वाले हैं, हम सबको दिलचस्पी रख कर पंचायतों के फोर्मेशन में अपना सक्रिय सहयोग देना चाहिये ताकि फिर शिकायत का मौका न हो कि चुनाव गलत हुए, सेंटर्स ठीक नहीं बने, गलत तरीके से गांवों को लिया गया, गलत वार्ड्स बने।

दूसरी बातें पंचायतों के चुनाव के सम्बन्ध में जो कही गई हैं, मैं यह निवेदन करूंगा कि खास बात यह थी कि चुनाव हाथ उठा कर किये जाते हैं। यह बात ठीक है, राजस्थान में पंचायतों के चुनाव हाथ उठा कर किये जाते हैं। अन्य प्रांतों में भी इस प्रकार का नियम है, पर कुछ प्रांतों में यह है कि पंचायतों के चुनाव सीक्रेट प्रणाली से कराये जायं। हमारे यहां ऐसे चुनाव पंचायतों के कराये जायंगे तो इसमें बहुत ज्यादा खर्चा होगा। इसलिये अभी गवर्नमेंट ने निश्चय नहीं किया है कि हमारे यहां पंचायतों के चुनाव सीक्रेट कराये जायं। अभी हमारे यहां पंचायतों के चुनाव के बारे में जो नियम है वह यह है कि हाथ उठा कर चुनाव कराये जायें और जब तक गवर्नमेंट इस बारे में और निर्णय न कर ले तब तक यही नियम रखा जायगा।

पंचायतों के चुनाव के बारे में पंचायतों को सरकारी सहायता दी जाती है, लोकल बोडीज को सहायता दी जाती है. इसके बारे में आपत्तियां की गई हैं। पंचायतों और लोकल बोडीज को सहायता देने के बारे में एक बड़ी बात पिछले साल गवर्नमेंट द्वारा हुई है वह यह है कि जितनी जमीनें सरकार के पास थीं वे पंचायतों को और म्युनिसिपैलिटीज को दे दी गई हैं, सरकार द्वारा वे जमीनें पंचायतों और म्युनिसिपलिटीज को सेल्स के लिये, बेचने के लिये अथवा अपने काम में लेने के लिए दे दी गई हैं। अब कोई पंचायत राजस्थान में ऐसी नहीं है जिसको जमीन बेचने और जमीन को अपने काम में लेने का अधिकार नहीं हो। इससे, मैं समझता हूं, पंचायतों को और म्युनिसिपैलिटीज को लाखों रुपयों का फायदा हुआ है। सहायता देने के बारे में जो रकम जमा की जाती है उस रकम में से एक आना फी रुपया सहायता देने का निश्चय किया है और इसके अनुसार इस बजट में भी २० लाख रुपया रखा गया है। सरकार को जिन आर्थिक परिस्थितियों का सामना करना पड़ रहा है वह माननीय सदस्यों को मालूम है; बजट में घाटा है, इसके बावजूद भी लाखों रुपयों की जमीनें और जमा की जाने वाली धन-राशि में से एक आना प्रति रुपया सरकार ने देने का निश्चय किया है, वह हमारी आर्थिक स्थिति को देखते हुए कम नहीं है। मैं माननीय सदस्यों से निवेदन करूंगा कि इस बात को कहते समय इस बात को ध्यान में रखें।

(श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता)

म्युनिसिपलिटीज़ के बारे में यह बात कही गई कि म्युनिसिपलिटीज़ को सरकार सहायता देती है, पंचायतों को नहीं देती। पर इस साल यह शिकायत साथ साथ आई है। म्युनिसिपेलिटीज़ को सरकार सहायता देती रही है और नियमानुसार हर एक म्युनिसिपेलिटी को सहायता दी गई है। इसमें बड़ी म्युनिसिपेलिटीज़ को ८ आना और छोटी म्युनिसिपेलिटीज़ को १० आना के लिहाज से। इसी तरह ऋण के बारे में भी है।

एक यह शिकायत की गई कि जो कानून बनाया गया है उसमें बहुत से अधिकार सरकार के हाथ में रखे गये हैं। इस सम्बन्ध में मैं निवेदन करूंगा कि इसी सदन, इससे पहले के सदन द्वारा बनाया हुआ यह कानून है। पंचायतों को अपने क्षेत्र में काम करने के पूरे अधिकार दिये गये हैं, ऊपर से देख-रेख करने का अधिकार चीफ पंचायत ओफीसर को दिया है। वही अधिकार बी० डी० ओज़० को और कलेक्टर्स को जो दिये जांय, इस प्रकार की व्यवस्था करने का सरकार का विचार है। कलेक्टर्स हैं वे सेक्रेटरीज़ की तरह, सलाहकार की तरह काम करें और बी० डी० ओज़० जो हैं वे इन्स्पेक्टर का काम करें, इसके बारे में सरकार द्वारा निर्णय किया जायगा।

एक शिकायत खास तौर से की गई, इन्स्पेक्टर्स की नियुक्ति के बारे में मैंने जानकारी की। इन्स्पेक्टर्स के अपोइन्टमेंट्स के बारे में शिकायत की। मैं निवेदन करूंगा कि ५२ में इन्टीग्रेशन हुआ, उस समय २० इन्स्पेक्टर्स लिये गये ५३ में ४ इन्स्पेक्टर्स पी० एस० सी० से लिये गये पर उन्होंने जोइन नहीं किया। इसके बाद सन् १९५५ में पब्लिक सर्विस कमिशन से २ इन्स्पेक्टर्स का और सिलेक्शन हुआ और उसके बाद सन् ५६ में कुछ इन्स्पेक्टर्स और एपोइन्ट किये गये। आज हमारे यहां परमानेन्ट केडर में एक भी ऐसा इन्सपेक्टर नहीं है जो पब्लिक सर्विस कमिशन से सिलेक्टेड नहीं हो।

श्री भैरोंसिंह : मैं यह पूछना चाहता हूँ कि पब्लिक सर्विस कमिशन से सिलेक्टेड है या नहीं।

श्री बद्रीप्रसाद : मैंने कहा कि एक भी ऐसा इन्सपेक्टर नहीं है परमानेन्ट केडर में जो पब्लिक सर्विस कमिशन से सिलेक्ट नहीं किया गया हो।

श्री भैरोंसिंह : गिरधारी और महाराम.

श्री बद्रीप्रसाद : जून १९५६ के बाद से कोई नहीं है। जिन दो के बारे में शिकायत की है उनके लिये मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि वे टेम्पोरेरी वेकेन्सीज़ के अगेन्स्ट में लिये गये थे और पब्लिक सर्विस कमिशन के एप्रूवल से एपोइन्ट किये गये थे। जब तक पब्लिक सर्विस कमिशन से एप्रूव्ड नहीं किये जाते तब तक टेम्पोरेरी ही रखे जाते हैं।

श्री भैरोंसिंह : टेम्पोरेरीज़ की लिस्ट आपके पास है क्या ?

श्री बद्रीप्रसाद : टेम्पोरेरीज़ की लिस्ट इस वक्त मेरे पास नहीं है।

आपको मैंने केटेगरिकली स्थिति साफ कर दी है और मैं यह बता देना चाहता हूँ कि किसी भी परमानेन्ट व्यक्ति के अगेन्स्ट में नहीं है। मैं समझता हूँ कि आपको किसी तरह की शिकायत नहीं होगी और आयन्दा

(श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता)

भी जो एपोइन्टमेंट्स होंगे वे नियमानुसार ही होंगे। आपको किसी प्रकारकी शक की बात नहीं होनी चाहिये। मैं समझता हूं कि मैंने जो कुछ निवेदन किया है उससे शंका दूर हो गई होगी।

एक बात और यह कही गई कि पंचायतों के चुनावों में ऊपर से हस्तक्षेप होता है। उस सम्बन्ध में मैं आपसे यह निवेदन करूंगा कि ऐसी बात नहीं है। आप इस बात की शिकायत करते हैं कि ऊपर से आज्ञाएं होती हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। यह नहीं कि पंचायत जैसी मर्जी आए उसी तरह से चुनाव करा लें। हमने कलेक्टर्स को हिदायत कर दी है कि पंचायतों के वार्डवाइज़ ठीक तरह से चुनाव कराये जावें। मैं समझता हूँ कि आपको इससे कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिये और यह मांग पास की जानी चाहिये।

निर्माण एवं गृह मंत्री (श्री रामकिशोर व्यास) : अध्यक्ष महोदय, सार्वजनिक संपर्क कार्यालय के बारे में कई कटौती के प्रस्ताव आये हैं और काफी आलोचना की गई है। उसमें एक प्रधान विषय यह है कि सरकार की विज्ञापन देने की भेद-भाव की नीति और उसके संबन्ध में इस पर कोई नियम न होने के संबन्ध में विशेष जोर दिया गया। यह बात सही है कि आजकल, अभी तक कोई इस प्रकार के नियम बने हुए नहीं हैं जिनके आधार पर विज्ञापन दिये जावें। यह व्यक्तिगत प्रश्न है और यह देखना है कि कितना पुराना पत्र है और उसका सर्कयुलेशन कितना है और उसकी दरें क्या हैं, किस आधार पर दिया जावे? ये सारी बातें ऐसी हैं जिनके आधार पर हमें विचार करना पड़ता है। राजस्थान सरकार इस विषय में विचार करती है और यह इस प्रकार के नियम बनाना चाहती हैं। दूसरे प्रान्तों से इस प्रकार की सूचना प्राप्त करने का प्रयत्न किया गया। मैं आपको सूचना देना चाहता हूं कि अभी किसी भी प्रान्त में ऐसे नियम नहीं बनाये हैं। यहां तक कि हमारी सरकार में भी इस प्रकार के नियम नहीं बने हैं। इस पर सरकार विचार कर रही है और जल्दी ही नियम बनाये जावेंगे, अभी नियम नहीं बन सके हैं। राजस्थान सरकार ने अलग अलग प्रान्तों से जानकारी प्राप्त की है। जल्दी से जल्दी इस संबन्ध में नियम बनाये जावें, प्रान्तीय सरकारें यह चाहती हैं; उसके आधार पर विज्ञापन दिये जावेंगे।

इसमें एक बात मैं आपसे निवेदन करूं कि अभी तक राजस्थान में पत्र–कला के प्रकाश में लाने की विशेष आवश्यकता है। यह कुछ ही आगे बढ़े हैं। यहां के पत्रों की साधारणतः स्थिति अच्छी नहीं है और गवर्नमेंट यह चाहती है कि इनका काम अच्छी तरह से आगे बढ़े और इनका विकास हो, फलें-फूलें और जितनी सहायता सरकार आर्थिक तौर से देना चाहती है दे सकती है, उनको ऊंचे से ऊंचा ले जाने के लिये जितनी सहायता गवर्नमेंट से हो सकती है देना चाहती है। मैं इस सम्बन्ध में निश्चित तौर से तो नहीं कह सकता लेकिन जब इस प्रकार के नियम बन जावेंगे, जैसा कि बनाने का इरादा है, मैं समझता हूँ कि बहुत से पत्र इसमें से निकल जावेंगे और बहुत कम

१२ ४५ म० प०

(श्री सज्जनसिंह, सभापति, पदासीन)

इस क्षेत्र में आ सकेंगे। यह तो विचारने की बात है। सरकार इसके लिये नियम बनाना

(श्री रामकिशोर व्यास)

चाहती है। हम इस सम्बन्ध में गवर्नमेंट ऑफ इन्डिया की क्या नीति है, वह भी जानना चाहते हैं। मैं आपको आश्वासन देता हूँ कि सरकार ऐसे नियम बनाना चाहती है।

इसके अलावा एक बात यह कही गई कि जो विरोधी पत्र हैं और गवर्नमेंट की आलोचना करते हैं उनके साथ भेद-भाव की नीति बरती जाती है। मगर मैं आपसे यह निवेदन करना चाहता हूँ कि ऐसी बात नहीं है। सरकार की कड़ी से कड़ी आलोचना भी जो पत्र करते हैं उनको भी विज्ञापन दिये जाते हैं। मैंने ऐसे पत्र भी देखे हैं जिन्होंने सरकार की कड़ी से कड़ी आलोचना की है और फिर भी उनको विज्ञापन दिये हैं। कुछ पत्र जो एक तरफ तो सरकार की कड़ी आलोचना करते हैं और दूसरी तरफ उनमें विज्ञापनों की भरमार देखेंगे। आप देखेंगे कि अगर कोई राजस्थान सरकार की आलोचना करता है तो उसको विज्ञापन नहीं दिये जावें, यह बात सही नहीं है।

एक बात एप्रूव्ड लिस्ट के बारे में कही गई। मैं यह निवेदन करूंगा कि जो बातें कही गई हैं उनसे मैं सहमत नहीं हूं। मैं यह कहूँगा कि एप्रूव्ड लिस्ट बनाने का गवर्नमेंट का काम है और इसके लिये कोई भी बॉडी नहीं हो सकती। यह केवल राजस्थान में ही नहीं बल्कि दूसरे सारे प्रान्तों में यही कायदा है। यह डिसीजन सरकार ही लेती है और यह फंक्शन गवर्नमेंट का ही होता है। यह तो अविश्वास के कारण ऐसी भावना आई है और मैं समझता हूँ कि इस प्रकार की भावना आनी नहीं चाहिये। मैं समझता हूँ कि यह भी नियम बनने के बाद ठीक हो जावेगा और यह समस्या भी हल हो जाएगी।

एक बात यह कही गई कि बजट में ६ हजार रुपये पत्रकारों को रिसेप्शन के लिये रखे गये हैं, वह उनको रिश्वत देने के लिये रखे गये हैं। यह कहा जाता है कि उनको रिश्वत दी जाती है, उनको खाना खिलाया जाता है। इस तरह से उनको खाना खिला कर, रिश्वत देकर उनकी नीति और राय को खरीदा जाता है; इस प्रकार की बात सदन में कही गई है। आपको मैं निवेदन करूंगा, आप उस समय उपस्थित नहीं होंगे। मैं निवेदन करूंगा कि पत्रकारों के स्वागत के लिये रुपया रखना कोई नई बात नहीं है। राजस्थान में ही नहीं, मैं तो यह कहूंगा कि यह रकम सब जगह रखी जाती है। इसका कारण यह होता है कि आज राजस्थान में सभी जगह विकास का कार्य होता है। गवर्नमेंट चाहती है कि पत्रकारों के द्वारा जल्दी से जल्दी यह सारी जानकारी जनता को, जनता तक यह सूचना पहुंचाने के लिये पत्रकार और पत्र हैं, इसलिये विकास को सूचना को जल्दी से जल्दी जनता तक पहुंचाने के लिये पत्रकारों को जितनी सुविधा गवर्नमेंट दे सकती है, देना चाहती है। इसका अर्थ यह नहीं कि जो सहूलियतें देते हैं तो इस कारण उनका ईमान खरीदते हैं। यदि कोई ऐसा समझते हैं तो मैं यह कहूंगा कि उनका यह सोचना उचित नहीं है। मैं यह कहूंगा कि इस प्रकार का सोचना, मैं समझता हूँ कि राज्य सरकार के साथ ही अन्याय नहीं बल्कि जिस बन्धु ने यह कहा है उनके साथ भी अन्याय है। बहुत से पत्रकार गवर्नमेंट के साथ जाते हैं और गवर्नमेंट उनको अपने साथ ले जाती है, उसको वे एक प्रकार से रिश्वत लेना समझते हैं। मगर यह तो उनको जल्दी सूचना देने के लिये होता है। आशा है, सदन के बहुत से भाई मेरी

(श्री रामकिशोर व्यास)

इस बात से सहमत होंगे । मिसाल के लिए मैं आपको बताऊं कि टाइम्स ऑफ इण्डिया के और नवभारत टाइम्स के सम्पादक यहां आए और उन्होंने राजस्थान में विकास सम्बन्धी कार्यों को देखा और राजस्थान सरकार के जनसम्पर्क विभाग से इन्तजाम हुआ तो क्या यह कहा जा सकता है कि उनको खरीदा गया था, उनको किसी तरह की रिश्वत दी गई ?

श्री भैरोंसिंह : नवजीवन जैसे पत्र की बात कही होगी ।

श्री रामकिशोर व्यास (गृह मन्त्री) : टाइम्स ऑफ इण्डिया के सम्पादक तो ऐसे आदमी हैं कि जिनका पत्रकारों की दुनिया में काफी सम्मान है और वह अखिल पत्रकार संमेलन के सभापति भी हैं और फिर वह स्वन्तत्र विचारों के लिए तो मशहूर हैं । तो इस प्रकार के पत्रकार यहां आयें बाहर के और फिर यहां के भी और उनको विकास कार्यों को दिखाया जाय, केवल इसलिए कि वे अपने पत्रों द्वारा जो कार्य राजस्थान में हो रहे हैं उनकी जानकारी जनता तक दें और उनके लिए कहा जाय कि उनको खरीदा जाता है और उनको रिश्वत दी जाती है तो ऐसा ख्याल करना बिलकुल ठीक नहीं है । राजस्थान के भी पत्रकार जब आते हैं तो उनको भी जानकारी होना आवश्यक है; तो ऐसी दशा में उनके लिए कुछ कहना ठीक नहीं है ।

एक बात यह कही गई कि राजस्थान के जन-सम्पर्क कार्यालय की ओर से अब तक केवल तीन - चार बुलेटिन ही निकले हैं, तो मैं आपकी सूचना के लिए और जानकारी के लिए कहूंगा कि गये वर्ष में कोई २००० प्रेस नोट इश्यू हुए हैं जिनमें २०० से अधिक विशेष लेख हैं । इससे मुझे आशा है कि आपकी शंका का निवारण हो गया होगा । एग्ज़ीबीशन के लिए कहा गया कि उन पर बहुत रुपया खर्च होता है, इस विभाग में बहुत पैट्रोल खर्च होता है और सरकारी रुपयों का दुरुपयोग होता है । तो इस बारे में मैं आपसे निवेदन करूंगा कि भारत सरकार की यह वर्तमान नीति है कि प्रदर्शनियों के द्वारा अधिक से अधिक विकास सम्बन्धी कामों की जानकारी जनता तक ज्यादा से ज्यादा पहुँचाई जाये । बहुत से लोग जो पढ़े लिखे नहीं हैं उन तक विकास सम्बन्धी कार्यों की जानकारी पहुँचाने के लिए यह सबसे बढ़िया माध्यम है, परन्तु जो पढ़े लिखे हैं उनके लिए तो कोई बात ही नहीं, वे तो पुस्तकें आदि पढ़कर भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं । मैं समझता हूं कि राजस्थान को इस बात का फक्र होना चाहिए था कि अभी गये साल ५६ में जो इन्दौर में प्रदर्शनी हुई, जो कि अखिल भारतीय विकास प्रदर्शनी थी और जिसमें भारत सरकार की भी प्रदर्शनी शामिल थी और दूसरे प्रान्तों की ओर से भी इसमें भाग लिया गया था जिसमें राजस्थान को सर्व प्रथम स्थान मिला ; सबसे पहला पुरस्कार राजस्थान की एग्ज़ीबीशन को मिला था । इस पर आपको गर्व होना चाहिए था । इसके बाद मैं आपको बताऊं कि मसूरी में जो विकास प्रदर्शनी लगी थी उसमें राजस्थान ने भी भाग लिया था, इसके अन्दर भारत सरकार और उत्तर प्रदेश को छोड़कर राजस्थान का तीसरा नम्बर था । इससे आपको हर्ष होना चाहिए कि एग्ज़ीबीशन का जहां तक ताल्लुक है हमने इसको प्रोत्साहन दिया है और काफी आगे बढ़ाया है । इनको काफी अच्छे पैमाने पर करने की कोशिश की है

Page No.46

(श्री रामकिशोर व्यास)

और इनके द्वारा हमने जनता को ज्यादा से ज्यादा जानकारी देने का प्रयत्न किया है।

एक बात फाइव इयर प्लान की पब्लिसिटी के बारे में कही गई कि पंचवर्षीय योजना के बारे में कोई पब्लिसिटी नहीं की जाती है। मैं इस सम्बन्ध में निवेदन करूं कि इस बारे में काफी किया जा रहा है, इस बारे में काफी साहित्य निकाला है। लेकिन एक बात यह जरूर है कि देहातों में और जिलों में जितना प्रचार होना चाहिए था उतना अभी नहीं हो सका है। विशेषकर उन लोगों में जो पढ़े-लिखे नहीं है । जो लोग पढ़े-लिखे हैं उनके लिए तो पंच-वर्षीय योजना के लिए काफी साहित्य सामग्री है, लेकिन जो पढ़े-लिखे नहीं हैं उनके पास जानकारी पहुंचाने लिए अभी हमारे पास पर्याप्त साधन नहीं है। आपको जानकारी के लिए बताऊं कि विकास सबंधी कार्यों की जानकारी लोगों तक पहुंचाने के लिए राजस्थान सरकार की ओर से एक पत्रिका निकाली थी जिसमें पंच-वर्षीय योजना के लिये लिखा था जिसकी एक लाख से भी अधिक प्रतियां निकलीं और जगह जगह भेजी गई। इसके साथ ही राजस्थान विकास पत्रिका निकलती है और उसमें केवल विकास संबंधी बातें ही लिखी होती हैं। उसमें विकास संबंधी जानकारी पब्लिसिटी द्वारा कराई जाती है।

एक बात और कही गई कि एक पत्रिका निकली थी जिसमें एक नैकेड लेडी का तस्वीर है और उसमें उसके प्राइवेट पार्टस भी नजर आते हैं और उसके लिए कहा गया कि यह पुस्तक जलाने के काबिल है। मैं इस सम्बन्ध में आपको बताऊं कि यह तो एक ऐसी चीज थी जिसमें को किसी प्रकार की बू नहीं आनी चाहिये थी । लेकिन मुझे आश्चर्य है कि हमारे माननीय सदस्य को इसमें कहां से बू आ गई, इसका पता नहीं है। इसको सभी लोगों ने देखा होगा। वह पुस्तक जो है उसका नाम "Drive for better health in Rajasthan" है। इसमें ब्लॉक्स में बच्चों का सर्वे कराया गया था उसमें कुछ बच्चों का चित्र दिया हुआ था कि पहले उनका स्वास्थ्य कैसा था और फिर बाद में कैसा हो गया । यह स्वास्थ्य सम्बन्धी पत्रिका है। यह दो चित्र एक बच्ची के इस पुस्तिका में दिये हुए हैं। उस बच्ची का पहले वजन १७ पौंड था और फिर उसका वजन बढ़कर २० पौंड हुआ है। तो इस तरह से एक ही बच्ची के दो चित्र दिये हुए हैं और उस बच्चे की आयु करीब ४ साल की है। आप सभी लोगों ने देखा होगा कि गांवों में बच्चे आठ-दस साल तक की उम्र के नंगे फिरा करते हैं। न केवल गांवों में ही बल्कि आप देखेंगे कि शहरों में आपको नंगे बच्चे दिखाई देंगे। तो चार साल के बच्चे का फोटो इस प्रकार से देना कोई बुरी चीज नहीं है और फिर वह किसी बुरी भावना से नहीं, बल्कि किसी चीज का सर्वे किया गया और उस सर्वे में जो बात पाई गई उसी का चित्र उसमें दिया गया है। तो खास तौर से सर्वे की दृष्टि से यह चित्र दिया गया था । इसी वजह से मैंने आपको यह सब बताया है कि इसमें कोई दुर्गन्ध की भावना नहीं है, कोई वासना हो ऐसी बात नहीं है। मुझे पता नहीं कि मेरे भाई को कैसे इसमें खराब बू आ गई।

दूसरी बात जिसके बारे में एतराज किया

Page No.47

(श्री रामकिशोर व्यास)

गया वह यह थी कि बहुत सी पत्रिकायें अंग्रेजी में छापी गई हैं और हिन्दी में छपनी चाहिए थीं। इस सम्बन्ध में मैं आपसे निवेदन करूंगा कि कई पुस्तिकायें ऐसी होती हैं जो कि अंग्रेजी में छपवानी पड़ती हैं और कई ऐसी होती हैं जो कि हिन्दी में ही छपवानी पड़ती हैं। लेकिन मैं आपको बताऊं कि ज्यादातर हिन्दी ही में छपवाते हैं। गई साल करीब बीस पुस्तकें छोटी बड़ी छपवाई जिनमें से मैं आपको बताऊं कि करीब १५ पुस्तकें हिन्दी में छापी गईं और चार-पांच ही केवल अंग्रेजी में छापी गईं। यह पुस्तकें एक प्रान्त से दूसरे प्रांत में जाती हैं और यह पुस्तिका जिस पर एतराज किया जा रहा है यह अखिल भारतीय डेवलपमेन्ट कमिश्नर्स की जो कांफ्रेंस हुई थी उस कांफ्रेंस के लिए इस पुस्तक को तैयार किया गया था। तो भारत में सभी प्रान्तों में हिन्दी नहीं चलती इसलिए इन्टर–स्टेट परपेजेज़ के लिए तो अंग्रेजी में ही पुस्तकें तैयार की जाती हैं ताकि वे लोग जो हिन्दी नहीं जानते हैं इनको आसानी से पढ़ सकें और समझ सकें। इसके अलावा पुस्तकों को अंग्रेजी में छपवाने का उद्देश्य नहीं है। एक बात कागज के ऊपर भी कही गई कि किताबें आर्ट पेपर पर छापी जाती हैं जो आर्ट पेपर पर नहीं छापी जानी चाहियें, इससे काफी पैसा बर्बाद जाता है। इसके लिये मैं आपसे यह कहूँगा कि बहुत कम पुस्तकें आर्ट पेपर पर छापी जाती हैं, अधिकांश पुस्तकें मामूली कागज पर ही निकलती हैं। हां, कुछ पुस्तकें जो कि इन्टर स्टेट परपेजेज़ के लिये होती हैं उन्हीं को अच्छे पेपर पर छपवाया जाता है। राजस्थान प्रेस ने एक कलेन्डर निकाला है जिसको हिन्दुस्तान के सभी स्टेटों ने सराहा है....

श्री भैरोंसिंह (१४) : जिसमें सावन की रागिनी दिखाई गई है, वही।

श्री रामकिशोर व्यास : हां: सारे भारतवर्ष में उसका सम्मान किया गया है और इसकी काफी डिमान्ड है।

इसी तरह एक प्रोफेसर के लिए कहा गया जिनका नाम सैगल हैं। उनको कोटे से बुलाया गया है और वहां वह हैड ऑफ दी इंगलिश डिपार्टमेन्ट थे। यहां सम्पर्क कार्यालय में ऐसे ही आदमी की आवश्यकता थी जो कि अंग्रेजी का अच्छा पढ़ा लिखा हो। उनके वेतन में किसी प्रकार की वृद्धि नहीं हुई है, वे जिस ग्रेड में वहां थे उसी ग्रेड में यहां पर लिये गये हैं, जो वेतन उनको वहां मिलता था वही वेतन यहां मिल रहा है, ग्रेड में कोई अन्तर नहीं है; बल्कि उनके लिए तो बिल्कुल रिवर्स पोज़ीशन है और यहां आने से उनको एक रूप में नुकसान ही हुआ है और वह यह है कि वह वहां एग्ज़ामिनर रहते थे और उनके पास जो एग्ज़मिनेशन कॉपी जँचने के लिए आती थीं तो उनको एग्ज़ामिनेशन फीस मिलती थी, अब वह उनको नहीं मिलेगी। इस सेन्स में उनको यहां आने से कोई लाभ नहीं हुआ है। इसके आलावा मैं आपको बताऊं कि वे जयपुर राज्य में पहले असिस्टेन्ट पब्लिसिटी ऑफिसर के और उनको इस पद की पहले काफी जानकारी है....

श्री भैरोंसिंह : जिनको शायद जयपुर के पागलखाने में भेजा गया था ?

श्री रामकिशोर व्यास : यह आपकी जानकारी होगी क्योंकि मैं वहां नहीं जाता हूँ, वहां आप ही जाते होंगे। लेकिन जहां तक सेलरी का ताल्लुक है उसमें किसी प्रकार का

(श्री रामकिशोर व्यास)

अन्तर नहीं, जो वहां पर उनको मिलता था वही वेतन यहां पर मिल रहा है ।

दूसरी बात विकास पत्र के सम्पादक के लिये कही गई थी और वह यह कि इनको सप्लाई डिपार्टमेंट से लाकर रख दिया गया है । मैं सदन की सूचना के लिये निवेदन करूं कि यह कोई जरूरी नहीं कि सप्लाई डिपार्टमेंट के किसी आदमी को लिया ही न जाय । जो सप्लाई डिपार्टमेंट में सरप्लस स्टाफ था उनको कार्य पर लगाना सरकार का कर्तव्य था और जिन व्यक्ति के लिये कहा जाता है वे सप्लाई डिपार्टमेंट में पब्लिक रिलेशन्स ऑफिसर थे और इसके अलावा जब वे सरकारी नौकरी में आये, उसके पहले भी सात आठ दैनिक व साप्ताहिक पत्रों में पत्रकार रह चुके हैं । विकास जो अखबार निकलता है वह अच्छे तरीके से निकलता है इसकी सब जगह से सराहना की गई है, आप इसके लिये जो सम्मतियां आयी हैं उनको देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि इस पत्र की लोगों ने कितनी सराहना की है ।

इसके अलावा दूसरी बात मैं निवेदन करूं सार्वजनिक सम्पर्क कार्यालय में अपोइन्टमेन्ट्स के सिलसिले में । इसके लिये कहा गया कि नियुक्तियों में बहुत पक्षपात किया गया है मैं आपकी सूचना के लिये निवेदन करूं, आज भी करीब २० जगहें खाली पड़ी हैं । अगर सरकार किन्हीं को रखना चाहती तो रख सकती थी, लेकिन वे सब जगहें पब्लिक सर्विस कमीशन को फिल-अप करने के लिये दी हुई हैं । टेम्परेरी अपोइन्टमेन्ट्स भी हम लोगों ने नहीं किये और इस वजह से काम का हर्जा भी होता है, लेकिन इस ख्याल से कि पब्लिक सर्विस कमीशन ही इन पोस्ट्स को भरे, अभी तक वे खाली पड़ी हुई हैं, गवर्नमेन्ट ने अपने राइट को भी एक्सरसाइज़ नहीं किया ।

इन सब बातों को सुनकर, मैं समझता हूँ, माननीय सदस्यों को सन्तोष हुआ होगा, अतः वे अपना कटमोशन वापिस लेंगे और जो यह मांग रखी गई है उसको स्वीकार करने की कृपा करेंगे ।

श्री नाथूराम मिर्धा (यातायात मंत्री) : माननीय चेयरमेन महोदय, मांग संख्या ३१, मुख्य शीर्षक ५७-विविध के सम्बन्ध में एक कटौती का प्रस्ताव था । श्री-माधोपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने, जिस समय कटौती प्रस्ताव पर बहस हुई थी उस समय आधे वक्त मैं उपस्थित नहीं था, फिर भी जो बहस कटौती प्रस्ताव के सिलसिले में हुई उसमें, टोंक-देवली रूट का जो नेशनलाइज़ेशन हो गया था उसको खत्म क्यों किया गया इसके पीछे श्री माधोपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने कुछ राज़ बताया, जिसको मैंने बड़े ध्यान से सुना ।

माननीय चेयरमेन, मैं आपके सामने यह निवेदन कर देना चाहता हूं कि माननीय सदस्य पिछले पांच साल से इस विधान सभा के मेम्बर रहे हैं, अच्छे वक्ता हैं बड़े, जोर से बोलते हैं और काफी अच्छा प्रभाव डालने की भी कोशिश करते हैं । फिर भी जो यहां बात कही जाती है उसके बारे में वे यह भी जानते हैं, सदन में उनको कुछ भी कहने का प्रिविलेज है । जो जानकारी उन्होंने दी इस मामले में इस सर्विस को नेशनलाइज़ करने के बारे में, उसमें उन्होंने कहा है कि इसको जानबूझ कर सरकार ने तोड़ा है, घाटा बताकर तोड़ा है और बाद में यह भी कहा कि

(श्री नाथूराम मिर्धा)

घाटा हुआ तो क्यों हुआ ? किसी प्राइवेट आदमी की मदद करने की नियत से यह सब किया गया, यह भी बात मैंने उनके मुंह से सुनी थी। नागौर जिले के चुनाव में चालीस हजार की सहायता के लिये ऐसा किया गया था, ऐसा भी उन्होंने कहा।

माननीय चेयरमेन, मैं यह निवेदन कर देना चाहता हूँ कि यह जो फेक्ट्स माननीय सदस्य द्वारा बताये गये हैं वे गलत हैं और मैं यह भी दावा करता हूँ कि जो एलीगेशन्स लगाने की वे कोशिश करते हैं अगर वे खुद अर्जी लिख कर दें, तो मैं उन सारी बातों की जानकारी हासिल करने के लिये तैयार हूं। चालीस हजार रुपये नागौर जिले के चुनाव के लिये दिये गये अगर वे यह दावा करते हैं तो के मुझे लिखकर दें अगर जांच करने पर कुछ तथ्य मालूम हुआ तो मैं इस बात को मन्जूर कर लूंगा, वरना जांच करने बाद उनकी बातें गलत साबित हुईं तो जो कानूनी सुलूक उनके साथ होना चाहिये उसको बर्दाश्त करने के लिये उनको तैयार होना पड़ेगा।

चेयरमेन महोदय, इसके बाद मैं यह निवेदन कर देना चाहता हूं कि वास्तव में उस रूट से बस सर्विस बन्द करने के क्या कारण थे ? सन् ५२ से पहले इस रूट पर सरकार द्वारा दो गाड़ियां चलती थीं और वे गाड़ियां उस समय चलती थीं जिस समय ट्रान्सपोर्ट महकमा कोमर्शियल लाइन पर नहीं चलता था। सन् ५२ में यह तय किया कि बिजलीघर का महकमा, यातायात का महकमा, इनको कॉमर्शियल लाइन्स पर अकाउन्ट्स रखने के लिये कहा जाय। सन् ५३ से कोमर्शियल लाइन्स पर अकाउन्ट्स रखे गये। इस रूट पर जो गाड़ियां चलती थीं, आर० टी० ए० से कह कर उसमें चार गाड़ियां और बढ़वा दीं; इस तरह से इस रूट पर छः गाड़ियां चलने लगीं। अब मैं सदन के सामने ५५-५६ से पहले इन गाड़ियों के चलने से जो नफा या नुकसान होता था वह मैं रखना चाहता हूँ कि किस किस साल में कितना कितना नफा हुआ ? बाद में घाटा क्यों होने लगा, इस पर भी मैं प्रकाश डालना चाहूंगा। ५५-५६ में जो घाटा हुआ वह घाटा ८०० रुपयों का था। उसके बाद ५६-५७ के जो आंकड़े हैं घाटे के वह करीब सात हजार इन मोटरों पर पड़ा है जिसमें ५६-५७ के पूरे साल का यह अकाउन्ट नहीं है। इनके पहले सालों में जो नफा हुआ उसका भी कुछ कारण है। उन सालों में जो छः बसेज चलती थीं वे एक्सक्लुजिवली हमारी ही बसें थीं। इसलिये हमको फायदा था। उसके बाद आर० टी० ए० के यहां प्राइवेट लोगों ने दरख्वास्तें दीं और मांग की गई कि हमें भी परमिट मिलना चाहिये और आर० टी० ए० ने उनको परमिट दे दिये। इससे पहले एक दफा आर. टी. ए. के इस निर्णय के खिलाफ हाई कोर्ट में आवेदन किया कि जिस रूट पर गवर्नमेंट की गाड़ियां चलती हैं उस पर प्राइवेट गाड़ियां नहीं चल सकतीं। हाई कोर्ट के निर्णय के अनुसार प्राइवेट गाड़ियों को भी परमिट देना पड़ा। जब केवल सरकार की गाड़ियां चलती थीं तो उस समय सरकार को फायदा था और जब प्राइवेट मोटरें भी चलने लगीं तो हमें निरन्तर घाटा होने लगा। इसका कारण एक यह भी था कि नेशनेलाइज़ बस सर्विस में सभी तरह का स्टाफ रखना पड़ता है। इस तरह से प्राइवेट बसेज के कम्पीटिशन में उतरने से हमको घाटा लगने लगा। इस प्रकार बहुत सोच-विचार करने

(श्री नाथूराम मिर्धा)

के बाद यह प्रस्ताव रखना पड़ा। पहले गाड़ियां चलती थीं वे भी कुछ खराब हो गई थी उनको रिप्लेस करने पर भी खर्च हुआ। वैसे भी पुरानी गाड़ियों पर ज्यादा खर्च पड़ता है। यह सरकार ने सोच लिया था कि प्राइवेट पार्टीज़ के साथ में चलाकर हम फायदा नहीं उठा सकते इसलिये सर्विस को बन्द कर देना पड़ा।

इसके अलावा यह भी बात कही गई कि नेशनलाइज़ेशन खत्म होने के बाद जो नौकर थे उनको निकाल दिया गया। मैं सदन की जानकारी के लिये बता देना चाहता हूँ कि इस सर्विस में १३ आदमी थे जिनमें से १२ आदमियों को हमने वापिस नौकरी में रख लिया है। सिरोही बस सर्विस जो चलती है उनमें काम करते हैं। इसके अलावा जो एक आदमी का था उसने अपने आप ही रिटायरमेन्ट की इच्छा प्रगट की इसलिये हमने उसको छुट्टी दे दी। इस तरह से सब स्टाफ का डिस्पोज़ल कर दिया।

दो गाड़ियां बहुत खराब थीं, दोनों गाड़ियों की गैरेज की गाड़ियों के साथ नीलाम करना जरूरी था। इसके अलावा चार गाड़ियां जो अच्छी हालत में थी उनको वापिस, आबू बस सर्विस चलती है जो बम्बई सरकार से हमें मिली है, उन चारों गाड़ियों को हमने उस जगह ट्रान्सफर कर दिया है। इसका मतलब यह नहीं कि हमारा बसों का राष्ट्रीयकरण करने का इरादा नहीं। हमारा नेशनेलाइज़ करने का ट्रेन्ड जरूर है, हमने द्वितीय पंच वर्षीय योजना में इस बात की कोशिश भी की थी। और हमें कुछ प्रोवीजन भी मिला कि हम इसको नेशनेलाइज़ कर सकते हैं, हम इसके लिये आर्थिक सहायता प्राप्त करना चाहते थे केन्द्रीय सरकार से, किन्तु द्वितीय पंच वर्षीय योजना में हम वह प्राप्त नहीं कर सके इसलिये नेशनेलाइज़ करने के बारे में हमारे चाहते हुए भी हम आगे नहीं बढ़ सके। तो एक इतने छोटे से टुकड़े से नेशनेलाइज़ेशन के सिद्धान्त को आजमाया नहीं जा सकता। और असल माने में यह नेशनेलाइज़ेशन था भी नहीं। पुराने जमाने में सरकार के ४ परमिट थे उन्हें ६ करवा लिया।

श्री भैरोंसिंह : नेशनेलाइज़ेशन के लिये भारत सरकार से क्या सहायता मिलने वाली है ?

श्री नाथूराम मिर्धा : प्रथम पंच वर्षीय योजना में कुछ स्टेटों ने अपने अपने प्लान बनाकर भेजे थे, हमारी तरफ से भी मांग की गई थी। इस सिलसिले में ज्यादा जरूरतों को ध्यान में रखते हुए और प्रायोरिटी के हिसाब से भी प्लानिंग कमीशन ने इसके लिये अलग से कोई रकम स्वीकार न करके रोड और ट्रान्सपोर्ट में सम्मिलित रूप से धनराशि रक्खी है जो कि ६ करोड़ ८८ लाख है। इसमें अब सड़कें बनाना ज्यादा जरूरी है।

हमने लगभग ३५ बसें पहले खरीदी भी थीं, वे बहुत दिनों तक पड़ी रहीं पैसे की व्यवस्था की और स्टाफ की कमी के कारण। फिर हमने यह जो एक एक्सपेरीमेन्ट किया है इससे भी हम इस समय इस स्टेज में राइप नहीं है कि नेशनेलाइजेशन करके बसें चला सकें। फिर यह अलग पॉलिसी का मामला है। द्वितीय पंचवर्षीय योजना काल में भी हम डिफिकल्टी महसूस कर रहे हैं। ऐसी स्थिति

Page No.51

(श्री नाथूराम मिर्धा)

में यह घाटे का काम रहेगा । इस सिलसिले में एक प्रश्न भी अलग से है उस समय में इस बारे में और बता सकूंगा ।

श्री भैरोंसिंह : प्रथम पंचवर्षीय योजना काल में इस विषय में कितनी रकम लैप्स हुई थीं ?

श्री नाथूराम मिर्धा : कोई रकम (लैप्स) नहीं हुई थी ।

श्री भैरोंसिंह : हुई है ।

श्री नाथूराम मिर्धा : बिलकुल गलत बात है ।

तो मैं चेयरमैन महोदय, इस बात को साफ करना चाहता हूँ कि हमने जान बूझकर इस बस सार्विस को नहीं रोका है और न किसी प्राइवेट पार्टी को फायदा पहुँचाने के लिए ही ऐसा किया है । ऐसी स्थिति में जो सदन के काफी जिम्मेदार आदमी हैं उनको कोई बात यहां कहें तो सोच समझ कर जिम्मेदारी के साथ कहना चाहिये । इस तरह से जो कुछ मुद्दों पर जानकारी चाही गई थी कटौती प्रस्ताव के द्वारा, वह मैंने आपको दी है । फिर इस सम्बन्ध में एक प्रश्न भी आने वाला है; उस समय चुकते आंकड़े पेश कर दूंगा सदन के सामने ।

श्री पी० के० चौधरी : मैं बोल सकता हूँ ?

श्री सज्जनसिंह (सभापति) : May I know what you want to say ? You have already moved your cut-motion.

श्री पी० के० चौधरी : I had moved a cut-motion. I want to give a reply.

श्री सभापति : Reply to the Minister's reply.

श्री पी० के० चौधरी (फुलेरा) : अध्यक्ष (सभापति) महोदय, मैंने जो कट मोशन मूव किया था वह खास कर जो पब्लिसिटी डिपार्टमेंट है उसकी इनएफिशियेन्सी और इनकॉम्पीटेन्सी की तरफ हमारी सरकार का ध्यान आकर्षित करने के लिए मूव किया था । लेकिन मेरे कट मोशन के जवाब में माननीय मन्त्री महोदय ने जो कुछ बातें कही हैं उनसे मुझे मालूम होता है कि जिस पर्पज़ से मैंने कट मोशन पेश किया था वह पर्पज़ सर्व नहीं हुआ । माननीय मन्त्री जी ने जो इनएफिशियेन्सी और इनकॉम्पीटेन्सी के बारे में मैंने कहा था, उस बारे में तो कोई बात नहीं कही । लेकिन इसकी एक मिसाल के तौर पर मैंने जो किताब पेश की थी, नमूने के तौर पर जो बात कही थी, उसके पन्ने उन्होंने उलटे और इसका जवाब दिया था । ये सब बातें मुझे याद दिलाती हैं एक छोटी सी अंग्रेजी कहावत की "He could not see the wood because of the trees."

यानि दो आदमी जंगल में गये थे । वहां वे पेड़ गिनते रहे पर जंगल किसको कहते हैं they could not see the wood. यह हालत यहां हुई है । किताब मैंने पेश की थी मिसाल के तौर पर और इसके जरिये जिसकी तरफ मैं ध्यान आकर्षित करना चाहता था वह यह था कि यह सब पब्लिकेशन के लिए जो जिम्मेदार हैं वे इनएफिशियेन्ट हैं, इनकॉम्पीटेन्ट हैं ।

Page No.52

(श्री पी. के. चौधरी)

जो प्रिन्ट का जिक्र किया, मैं समझता हूं कि आपने बराबर गौर से वह प्रिन्ट नहीं देखा। मेरा ऑब्जेक्शन इस बात पर नही था कि फोटो नंगी थी, पर आब्जेक्शन इस बात पर था कि इसमें सैक्स को जो डिस्प्ले किया वह २२ वाले प्रिन्ट के विषय में था। उसे १७ पौंड में दे कर कर सकते थे। ये दोनों १७ और २२ पौंड के प्रिन्ट हैं। आप गौर से देखें। एक में जो १७ पौंड का है उसमें सैक्स शेडेड है, पर दूसरा २२ पौंड का है उसमें शेडेड नहीं है। तो २२ पौंड में क्यों नही लिया और सैक्स को शेडेड क्यों नहीं किया ? तो यह कोई तरीका नही है प्रिन्ट करने का। आप सफाई देते हैं कि गांव में तो सब नंगे रहते हैं। ऐसा है तो फिर हम भी तो नंगे रहते हैं, एक आदमी ने कहा कि २२ करोड़ आदमी नंगे रहते हैं। पर हम तो अपनी या उनकी नंगी फोटो नहीं देते हैं। नंगी फोटो लीजिए पर दूसरी को जैसे १७ पौंड में शेड कर दिया तो इसी तरह आपको चाहिये था कि २२ पौंड में भी शेड कर देते। एक स्टेटिस्टिक का सवाल है। आप इस बात को नही देख पाये।

दूसरी बात जो मैंने अंग्रेजी में छापने के लिये कहीं उसकी भी उन्होंने सफाई पेश की कि १५ हिन्दी में और ५ अंग्रेजी में हुई हैं। पर मैं कहना चाहता हूँ कि हमारी तमाम पब्लिकेशन्स गांवों में पहुंचाने के लिए होती हैं इसलिए हिन्दी में होनी चाहिये। और फिर देशी हैण्ड मेड कागज पर यह होता तो सिर्फ आपका प्रचार ही नहीं होता लेकिन साथ साथ आपका जो गृह उद्योग है उसका भी विस्तार होता। इससे लोगों को एम्प्लोयमेन्ट भी मिलता है।

दूसरी एक बात, जो रिलीजस पिक्चर्स के बारे में मैंने कही थी, उसका उन्होंने जिक्र नहीं किया। मेरा ख्याल है कि मन्त्री जी समझ नहीं पाये इसलिए जवाब नहीं दे सके हैं। दूसरी तरह से जवाब दिया है। जिस भावना से वह बात कही गई उस भावना को वे समझ नहीं पाये। फिर भी हम समझते हैं कि उनका इरादा अच्छा है। वे इन खामियों को सुधारने की कोशिश करेंगे, यह समझ कर मैं अपना कट मोशन वापिस लेने की इजाजत चाहता हूं।

श्री भैरोंसिंह (श्री माधोपुर) : सभापति महोदय, मैंने इस मांग के सम्बन्ध में ३ कटौती के प्रस्ताव इस सदन में प्रस्तुत किये थे।

पहला, राजस्थान पंचायत विभाग में पंचायत इन्सपेक्टरों की नियुक्ति से सम्बन्धित था।

दूसरा, पब्लिसिटी डिपार्टमेंट से सम्बन्धित था।

तथा तीसरा, जिसका उत्तर अभी प्राप्त हुआ है, टैंक बस सर्विस के सम्बन्ध में था।

सभापति महोदय, इन माननीय मन्त्री जी ने इस मांग पर सरकारी स्तर पर अपना उत्तर दिया और अन्त में आपने इस सदन से अपील की, खास तौर से उन सदस्यों से जिन्होंने प्रस्ताव प्रस्तुत किये, कि वे इन्हें वापिस ले लें।

सभापति महोदय, प्रस्ताव वापिस लेने

Page No.53

(श्री भैरोंसिंह)

का जहां प्रश्न आता है वहां हमें यह सोचना पड़ेगा कि जिन बातों की विवेचना इस सदन में की गई थी उनके उत्तर सन्तोषजनक प्राप्त हुए हैं या नहीं? मुझे खेद है कि जिन माननीय मन्त्रियों ने इस बात की ख्वाहिश प्रकट की थी कि प्रस्ताव वापिस ले लिये जावें उनके उत्तर सन्तोषजनक कहूं, यह तो बहुत दूर है, पर मामूली से कन्विन्सिंग भी हों, ऐसा मुझे नहीं लगता।

सभापति महोदय, अभी अभी विज्ञापन सम्बन्धी नीति का उल्लेख करते हुए माननीय गृहमंत्री जी ने बताया कि राजस्थान में जिन समाचार पत्रों को विज्ञापन मिलते हैं उनमें एक बात का दृष्टिकोण नहीं होता कि कौन सा पत्र राजस्थान सरकार की कटु आलोचना करता है और कौन सा पत्र राजस्थान सरकार के कारनामों की तारीफ करता है। उनका दृष्टिकोण केवल पब्लिसिटी का है।

सभापति महोदय, जिस तरह की बातें सदन में कही गईं यदि वे बातें वास्तव में सत्य हैं और सत्य होती तो निस्संदेह मुझे कोई संकोच नहीं होता कि मैं अपने कटौती के प्रस्ताव वापिस ले लूं पर मैं तो समझता हूं कि जिन बातों का उल्लेख किया गया उनमें वास्तविकता बहुत कम है।

एक डिप्टी डाइरेक्टर के प्रश्न को लेकर यह जिक्र किया गया था कि यह कोई नई नियुक्ति नहीं हुई। पी० एस० सी० के द्वारा इसके एप्रूवल को कोई आवश्यकता नहीं थी और जिस व्यक्ति की नियुक्ति की गई वह व्यक्ति भूतपूर्व जयपुर राज्य में इस प्रकार के एक विभाग में कार्य करता था। सभापति महोदय, मैं थोड़ी सी देर के लिये माननीय मन्त्री जी की इस बात को सही भी समझूं तो मुझे यह निश्चित रूप से सोचना पड़ेगा कि आज के राजस्थान के राज्य में जो हमारा एक प्रकार का प्रकाशन विभाग है उस प्रकाशन विभाग के, जिसका स्तर हमारी सरकार बहुत ऊंचा मानती है, जिसको ऊंचा बनाये रखने के लिये एक्सपीरियन्स्ड हैण्ड की आवश्यकता महसूस करती है, क्या उस काम को पूरा करने के लिये जिस व्यक्ति की इस पद पर नियुक्ति की गई वह पर्याप्त है, मैं समझता हूँ कि नहीं है।

सभापति महोदय, इसका एक जबर्दस्त प्रमाण यह है कि पब्लिसिटी डिपार्टमेंट में एक अलग प्रकार की टेकनीक है। एक व्यक्ति किसी कॉलेज में प्रोफेसर है, किसी राज्य में काम करता है पब्लिसिटी डिपार्टमेंट में, मैं समझता हूं कि जिस विशेष प्रकार की क्वालिफिकेशन्स होनी चाहिए, जिस विशेष प्रकार की योग्यता होनी चाहिए, उस डिपार्टमेंट में यदि किसी प्रोफेसर की नियुक्ति करते हैं तो वह उचित नहीं होगा। लेकिन वह नियुक्ति हो गई। राजस्थान सरकार को यदि आवश्यकता थी तो इस बात के सम्बन्ध में सबसे पहले क्वालिफिकेशन्स प्रेस्क्राइब करनी चाहिए थी कि राजस्थान के पब्लिसिटी डिपार्टमेंट के लिये उच्चाधिकारी की आवश्यकता है और उसके लिए अमुक क्वालिफिकेशन्स होनी आवश्यक है, लेकिन एक दृष्टिकोण सामने रख कर कि चूंकि पहले इस विभाग में काम करते थे, प्रोफेसर हैं, बराबर की क्वालिफिकेशन्स हैं, हैं डिग्री होल्डर्स हैं, ऐसा कर देना उचित है, लेकिन मैं माननीय मंत्री महोदय की जानकारी के लिये कहूं कि चाहे जिस व्यक्ति की नियुक्ति करें, वह उस विभाग के लिए उपयुक्त सिद्ध

(श्री भैरोंसिंह)

होगा, यह जानकारी होती है। लेकिन मैं निश्चित रूप से कह सकता हूं कि इस प्रकार की जानकारी श्री मक्खनलाल जी के लिए नहीं की गई थी। सभापति महोदय, मैं १०-१२ दिन पहले की घटना आपके समक्ष बताना चाहूँगा कि पब्लिसिटी डिपार्टमेंट जनता के साथ जैसा व्यवहार करता है तो किस प्रकार की पब्लिसिटी होती होगी। सभापति महोदय, एक गणराज्य अखबार निकलता है। उसमें किसी व्यक्ति की विवेचना होगई, उसमें प्रोप्राइटरी के बारे में उल्लेख हुआ था, हमारे उक्त महोदय, वही सैहल साहब इस बात से नाराज हुए और वे गणराज्य के कार्यालय में चले गये, उस कार्यालय में और प्रेस में जितने काम करने वाले थे उनको गालीगुफ्तार किया, उनके साथ अभद्र व्यवहार किया और वह भी ऐसे व्यक्ति के साथ जिस व्यक्ति ने चम्बल चम्बल नाम की पुस्तक लिखी थी और जिस पर पुरस्कार प्राप्त किया था, उनके साथ अभद्र व्यवहार किया। यही कहा जायगा कि उनको उस पत्र में लिखने के फलस्वरूप जलन हो गई थी, एक प्रोप्राइटरी की जलन हो गई थी, किंतु ऐसी बात नहीं थी। अगर राजस्थान सरकार इसकी जांच करे तो पता चलेगा कि उनके मस्तिष्क में स्खलन हो गया और इस कारण से मस्तिष्क उपयुक्त रूप से काम नहीं करता। मैं सभापति महोदय, निश्चित रूप से कह सकता हूं कि जब उनके मस्तिष्क में स्खलन है, उपयुक्त रूप से काम नहीं करता है तो वे इस पब्लिसिटी डिपार्टमेंट में तो निश्चित रूप से काम नहीं कर सकते, पंचायत विभाग में कर सकते हैं।

(हंसी)

जहां एक व्यक्ति के लिए शिकायत हो और वह व्यक्ति जस्टिफाइड है, जो इस प्रकार की बात सदन में कहता है तो इस प्रकार की बातें, इस प्रकार की नियुक्ति निश्चित रूप से अनुचित होगी।

तो सभापति महोदय, मैं निवेदन कर रहा था कि राजस्थान सरकार को एक प्रकार का बोर्ड बनाना चाहिए जो राजस्थान सरकार की विज्ञापन नीति के लिए एप्रूल दे, किन किन पत्रों को शामिल करना है इसकी एप्रूवल दे। लेकिन सभापति महोदय, किस पत्र को एप्रूव्ड लिस्ट में स्थान दें, किस पत्र को विज्ञापन दें, इसके लिए निश्चित यह होना चाहिये कि जो पत्र सार्वजनिक रूप से जनता में अधिक वितरित होता हो, उसको विज्ञापन दें लेकिन उनका दृष्टिकोण एक ही होता है और वह यह है कि डायरेक्टर पब्लिसिटी को खुश कैसे रखा जाय और उनको खुश रखें तो निश्चित रूप से सबसे पहले उनको विज्ञापन मिलते हैं। यह भी देखा गया है कि विज्ञापन के आदेश न दिये जांय, मसलन लोकवाणी में यदि विज्ञापन निकला है तो नवजीवन में यही पड़ लेंगे, चाहे आदेश न भी मिले हों, लेकिन एक पर्चे से विज्ञापन निकाल देते हैं। अधिकारी का वरद् हस्त उन पर है, मैं विज्ञापन निकाल देता हूं, चाहे मिलते हों या न मिलते हों, विज्ञापन निकालकर रसीदें प्रस्तुत करेंगे तो उनको विज्ञापन का खर्चा मिल जावेगा। एक ही नहीं, नवजीवन के बारे में गत दो वर्षों का यही अनुभव है, आदेश नहीं मिलते हैं और विज्ञापन छप जाते हैं और उनको पैसा मिल जाता है। मैं आपके सामने, सभापति महोदय, एक छोटा सा उदाहरण प्रस्तुत करूंगा। चेयरमैन महोदय, एक लाइफ स्केच निकला है जिसमें लिखा

(श्री भैरोंसिंह)

है 'कृपया, सस्नेह, कनक मधुकर' । इसमें हमारे श्री राजेन्द्रशंकरजी भट्ट की खूब तारीफ लिखी हुई है । मैं समझता हूँ कि हमारे इस विभाग के अधिकारी की तारीफ करने का यदि प्रश्न है तो वह सरकार कर सकती है और सम्बन्धित विभाग के लोग जो हैं वे कर सकते हैं । लेकिन जब नवजीवन तारीफ करता है और तारीफ ही नहीं ब्लॉक बनाकर, तारीफ लिख कर, बाहर के समाचार पत्रों में उसको प्रकाशनार्थ भेजते हैं तो यह कैसी दिल-चस्पी प्रकट करता है । लोकवाणी, हिन्दुस्तान टाइम्स, टाइम्स ऑफ इण्डिया, आदि जो पत्र हैं उनमें इस प्रकार की तारीफ किसी की नहीं छपती । लेकिन नवजीवन क्या लिखता है, यही दृष्टि पड़ती है कि उसके साथ विशेष रियायत है और विज्ञापन के आदेश मिले बिना भी विज्ञापन छप जाते हैं; तो इस ओर यह संकेत हो जाता है कि बिना रियायत विज्ञापन कैसे मिल जाते हैं ? सभापति महोदय, मैं आपको बताऊं कि गत वर्ष में नवजीवन को २७ हजार रुपये के विज्ञापन मिले थे । राजस्थान में सबसे ज्यादा बंटने वाले पत्रों के मुकाबले में उसको भी विज्ञापन मिले थे । एक पब्लिसिटी विभाग से, राजस्थान के अच्छे एडमिनिस्ट्रेशन के दृष्टिकोण से किसी प्रकार उसके लिये औचित्य है, मैं यह नहीं मान सकता । अगर आपको अपनी पब्लिसिटी करवाना है, अगर आपको अपने फोटो छपवाने हैं तो उसके लिए दूसरा ढंग हो सकता है, लेकिन सम्पादक दूसरे रूप में लिख कर देते हैं, सभापति महोदय, मुझे क्षमा करें, इस बीच में दाल में काला है । और जैसा सदन में उल्लेख किया है वैसा है ।

सभापति महोदय, मैं माननीय गृह मंत्रीजी की इस बात को मंजूर नहीं करता कि जो पब्लिसिटी डिपार्टमेन्ट से पुस्तकें-पुस्तिकायें छपती हैं वे वास्तव में ऐसी पुस्तक-पुस्तिकायें हैं जो जनता को सही सूचना देकर जनता का सर्वांगीण विकास कर सकती हैं । मुझे तो भय है कि इन पुस्तिकाओं को देखते हैं या नहीं । गाडोलिया लोहारों के लिए पुस्तक छपवाई गई, अंग्रेजी में छपवाई गई । अंग्रेजी छपवाते हैं तो उनको पढ़ेंगे कौन ? जो गाडोलिया लोहार नहीं हैं वे ? गाडिया लोहार अंग्रेजी जानते नहीं और अंग्रेजी में इन पुस्तकों का छपवाना यही सिद्ध करता है कि गाडिया लोहार उनको पढ़े नहीं । सरकार सोचती है कि उनको गाडिया लोहार पढ़ते हैं, जो तरक्की करनी चाहिये वह तरक्की वे करें । लेकिन वे किताबें अच्छे २ अखबारों में छपती हैं, अंग्रेजी-पढ़े लिखे हैं उनमें वे वितरित हो जाती हैं । हिन्दी में छपाई होती है । गाडिया लोहारों के लिए छपती हैं लेकिन मैं समझता हूँ अंग्रेजी में इस प्रकार की पुस्तकें छपवाना निरर्थक है और उससे कोई लाभ निकलने वाला नहीं ।

अभी माननीय गृहमंत्रीजी ने बताया था कि पुस्तकों को अच्छी जानकारी के साथ छापा जाता है । माननीय सभापति महोदय, 'संयुक्त राजस्थान' अप्रेल, ५७ का पत्र है, उसके पेज संख्या १६ पर लिखा है, "राजस्थानी कहावतें और शब्दालंकार" । उसी के अन्तर्गत यह कहावत है :

"सांसी साह सरावगी, सिरीमाल सूनार ।
ये रुसा पांचूं बुरा, पहले करो विचार ॥"

(श्री भैरोंसिंह)

मतलब, सांसी, शाह, सरावगी, श्रीमाली और सुनार; ये पांचों बुरे हैं, यानि जिसमें 'स' पहले आ गया है बुरे हैं; बात करना है तो पहले विचार करें। इसी प्रकार एक और कहावत है :

"दांत दगांती दायमो, दारी औ' दरबान।
ये पांचूं दद्दा बुरा, पतराखै भगवान॥"

ये दद्दे बुरे हैं। सभापति महोदय, राजस्थान सरकार का प्रकाशन है इसलिए अफसोस होता है। आज यदि इस प्रकार की कहावतें हैं तो जिस देश में जाति-प्रथा होती है वहां ये बातें संभव हो सकती हैं; जहां इसमें एक जाति दूसरी जाति को बुरा बताने के लिए ऐसा प्रचलित करें। लेकिन यहां सरकार द्वारा ऐसी कहावतों को प्रोटेक्शन देना, यह उन जातियों के साथ अन्याय होगा। आज, सांसी, शाह, श्रीमाली बोलते नहीं; जिक्र नहीं करते हैं तो सरकार को यह नहीं समझना चाहिए कि चूंकि इसके विपरीत आवाज़ नहीं आयी है इसलिए उनको एक श्रेणी में ले लिया और यह उचित काम है, लेकिन हमें इसकी जांच करनी चाहिये, कहावत होती हैं या पहेलियां वे किस प्रकार की हैं और उनका दृष्टिकोण क्या है? उनकी रचना किस आधार पर हुई है आदि इन चीजों को नहीं देखेंगे तो निस्संदेह उन जातियों के प्रति आप अन्याय करेंगे।

इसके अलावा एक राष्ट्रीय कलैंडर की चर्चा हुई थी, गृह मंत्रीजी ने कहा था कि उसकी आवश्यकता है। मैंने बीच में पूछा था कि उसमें श्रावण की रागिणी बताई गई है क्या? सभापति महोदय, एक कलैन्डर बना है उसमें अलग अलग रागिणियें बताई हैं, जैसे चैत्र में किस तरह की होती है, वैसाख में किस तरह से और भादवा और आषाढ में किस तरह से और श्रावण की रागिणी किस तरह की होती है....

श्री सभापति (श्री सज्जनसिंह) : माननीय सदस्य से मैं निवेदन करूंगा कि जैसा उनका कट-मोशन है उससे ही सम्बंधित बातें...

श्री नाथूराम मिर्धा (यातायात मंत्री): नये मुद्दे क्यों उठाते हैं ?

श्री सभापति : मैं बोल रहा हूं।
कट मोशन पर बोलें लेकिन उसको अलग न लेकर मंत्री जी ने उत्तर दिया है उनके उत्तर का ही वापिस जवाब दें और अपना जवाब सूक्ष्म दें।

श्री भैरोंसिंह : मैं सूक्ष्म ही बोल रहा हूँ। उन्होंने जो विशेष बातें कहीं थीं उसके बारे में कुछ कहना चाहता हूं।

मैं निवेदन कर रहा था कि यदि रागिणी के बारे कोई कलात्मक दृष्टिकोण है जो हमें यह देखना होगा कि जो रागिणी के चित्र बनाकर छापे गये हैं वे वास्तव में कलात्मक दृष्टि में आते हैं या नहीं? तो मैं कहूंगा कि पब्लिसिटी विभाग के सारे पदाधिकारियों में से एक को भी इसका ज्ञान नहीं होगा। मैं समझता हूँ कि किसी में भी रागिणी समझने का ज्ञान नहीं है। मैं रागिणी के छपे हुए चित्रों के बारे में कुछ और निवेदन करूंगा। इस कलैण्डर की कीमत ३ रु० रखी है। हालांकि सरकार ने १२,००० रु० इस पर खर्च किये हैं और २००० कलेन्डर छपाये

Page No.57

(श्री भैरोंसिंह)

है। इस तरह से एक कलेन्डर पर ६ रु० खर्च आये। पब्लिक रिलेशन्स डिपार्टमेंट के लिये इस तरह का खर्चा करने की आवश्यकता नहीं थी। यदि उनको कलात्मिक दृष्टि से कुछ करना था तो एक दूसरा विभाग खोलते और कला की तरक्की के लिये कुछ निर्णय लेते। लेकिन उन्होंने केलैन्डर छपाये इसलिये कि शायद उनको छपाई में किसी को प्रोत्साहन या पोटेक्शन देना होगा इसलिये छपाई का काम उनको दे दिया। लेकिन इसमें दो चीजें होती हैं; साधारणतः इन चित्रों के विरुद्ध घृणा उत्पन्न होती है और लोगों के ऊपर इसका बुरा असर होता है। आज हमारे 'दा साहब' यहां नहीं हैं। यदि उनको ये दिखाये जायं तो शायद वे इन्हें फाड़ डालें। ऐसे कलैन्डर पब्लिसिटी विभाग की तरफ से छापे जाते हैं तो यह राजस्थान सरकार के लिये शोभा की बात नहीं है। इस प्रकार का जो खर्चा होता है उसको रोकना पड़ेगा।

विज्ञापनों की नीति के बारे में जिस प्रकार की बातें कहने में आई हैं उनसे यही मालूम होता है कि विज्ञापनों की नीति में सुधार हो, इस प्रकार की बात बार-बार सामने आती है। दो साप्ताहिक पत्र ऐसे हैं जो चलते ही विज्ञापनों के बल पर हैं। एक तो 'राजस्थान हैराल्ड' और दूसरा 'जनवाणी'। इनको जब विज्ञापन मिलते हैं तभी ये छपते हैं। अगर इनको विज्ञापन नहीं मिलते हैं तो समाचारों के लिये ये नहीं छपते हैं। लेकिन किन को विज्ञापन देना है इसके बारे में निर्णय कर दिया है। जिस प्रकार का निर्णय राजस्थान हैराल्ड और जन-वाणी के लिये किया है उसी प्रकार का निर्णय दूसरों के लिये भी किया होगा। एक बात कह दी कि पत्रकारों को रिश्वत दी जाती है। लेकिन मैं रिश्वत का नाम नहीं लेता, लेकिन विज्ञापन देने की नीति में पक्षपात से काम लिया जाता है, तो यह रिश्वत देना है या नहीं यह मैं नहीं कह सकता, लेकिन अपने फोटो इन अखबारों में छपवाने के लिये उनकी कैपेसिटी के बाहर विज्ञापन दिये जाते हैं, तो क्या है? हिन्दुस्तान टाइम्स और टाइम्स ऑफ इंडिया के बारे में कौन कहता है....

श्री सभापति (श्री सज्जनसिंह) : मैं माननीय सदस्य से कहूंगा कि वे अपना भाषण संक्षिप्त करने की कृपा करें और भी कट मोशन्स पर बोलने वालों को भी जवाब देने हैं।

श्री भैरोंसिंह : मैं जल्दी ही कर रहा हूँ। मैं निवेदन करूंगा कि विज्ञापन की नीति के सम्बंध में गृह मंत्रीजी ने जो कुछ कहा उससे मुझे बिल्कुल संतोष नहीं है, इसलिये यह प्रश्न सामने आता है। इस प्रकार के असंतोषपूर्ण जवाब के कारण मैं अपना कटौती प्रस्ताव वापिस नहीं लूंगा, मैं समझता हूँ, मुझे वापिस नहीं लेनी चाहिये इसलिये इसे सदन के अनुमोदन पर छोड़ रहा हूं।

दूसरा कटौती प्रस्ताव मेरा पंचायतों के बारे में है।

श्री सभापति : एक ही के बारे में इतना समय ले लिया, अब छोटा जवाब दें।

श्री भैरोंसिंह : छोटा जवाब दूंगा तो मंत्रीजी नाराज हो जायेंगे।

श्री सभापति : छोटा जवाब देंगे तो वे प्रसन्न होंगे नाराज नहीं।

श्री भैरोंसिंह : (जारी) जिन व्यक्तियों को पब्लिक सर्विस कमीशन ने इन्सपेक्टर के पद के लिये रिजेक्ट किया था उनके बारे में जिस तारीख को आदेश पंचायतों के दफ्तर में पहुंच गया उनके छः-छः, आठ-आठ और चौहदह-चौहदह महीनों के बाद तक उनको इन्सपेक्टर के पद की तनख्वाह मिली है। यदि मंत्री जी चाहें तो मैं एक एक का नाम बता दूंगा। एक तो हैं....

श्री सभापति : यह सूचना प्राइवेट तौर पर भेज दीजिये न।

श्री भैरोंसिंह : वे गर्दन हिला रहे हैं इसलिये कहता हूं।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : आज हमारे विभाग में बिना पब्लिक सर्विस कमीशन के एप्रूवल के नहीं है। यदि किसी को बिना पी० एस० सी० के एप्रूवल के रख लिया जाय तो ए० जी० बिल पास नहीं करेगा।

श्री भैरोंसिंह : मैं समझता हूं, मंत्रीजी जानते हैं या नहीं। मैं नाम बता दूं कि किन किन को रिजेक्ट किया था और किस किस को तनख्वाह दी गई है। अभी आप कहते हैं कि उनको निकाला गया है। हो सकता है कि ५-६ दिन पहले उन इन्सपेक्टर्स को निकाल दिया हो, मेरे पास अप-टू-डेट इन्फोर्मेशन नहीं है इसलिये मैं चेलेन्ज नहीं कर सकता, लेकिन एक बात निश्चित रूप से कहता हूँ और चाहता हूँ कि मंत्रीजी उसे कॉंट्राडिक्ट करें। वह यह कि जिन पंचायत इन्सपेक्टर्स को पी० एस० सी० ने रिजेक्ट किया था उनमें से एक को १० महीनों तक और एक को ६ महीनों तक और एक को १७ महीनों तक तनख्वाह दी गई है। यदि मंत्रीजी कहें कि नहीं दी गई तो मैं उनको नाम बताऊं।

श्री सभपति : ये नहीं कहते हैं।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : आपने नाम बताये नहीं। हम तो यह कहते हैं कि पी० एस० सी० किसी को रिजेक्ट नहीं करती है वह तो सिलेक्शन करती है।

श्री भैरोंसिंह : मेरा सवाल यह है कि पी० एस० सी० के रिजेक्ट करने के बाद आपने उनको रखा या नहीं ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : पी० एस० सी० रिजेक्ट नहीं करती है वरन कुछ को सिलेक्ट करती है और कुछ को नहीं करती है, इसलिये प्रोपोज़िशन ही दूसरा है।

श्री भैरोंसिंह : जिनको रखने के लिये सिफारिश नहीं की उनको क्यों रखा ? २० केन्डिडेट गये थे उनमें से ५ को सिलेक्ट किया था....

श्री सभापति : जो कुछ कहना है चेअर को एड्रेस करते हुए कहिये।

श्री भैरोंसिंह : एक का नाम है गिरधर सिंह और दूसरे का नाम है मुनीराम और तीसरे का नाम अभी और बतला दूंगा। तो मैं यह कह रहा था कि इस प्रकार जो नियुक्तियें होती हैं उनके बारे में यह कहना कि पंचायत विभाग में जितनी इन्सपेक्टर्स की नियुक्तियां हुई हैं वे बिना पी० एस० सी० के एप्रूवल के नहीं होती है, यह सही नहीं है। मैं यह कहता हूँ कि यह वास्तविकता के ऊपर आधारित नहीं हैं। मैं मंत्रीजी को जानकारी दूंगा कि यदि वे इन्क्वायरी करना चाहें और सदन में उन्होंने जो कुछ कहा है उसको

(श्री भैरोंसिंह)

दुरुस्त करना चाहें तो मैं सदन में या सदन के बाहर उनको सूचना देने को तैयार हूं। पंचायत के बारे में जो बातें कहीं और कहा कि कलेक्टर्स को आदेश दिये हैं, उनके बारे में मैं कहूंगा कि उनको आदेशों को देखने से पता चलेगा कि कलेक्टर्स उनकी तामील करते हैं या नहीं ? लेकिन मैं कहता हूं कि तामील नहीं होती है । इसके लिये अलग प्रश्न आयेगा।

यातायात मंत्री महोदय ने कहा कि सदन में जो बात कही जाती है, वह विशेष जानकारी पर नहीं, वास्तविक तथ्यों के आधार पर नहीं कही जाती है। उन्होंने मेरा आधा भाषण सुना था, आधी प्रोसिडिंग देखी है। यदि उन्होंने पूरी प्रोसिडिंग देखी होती, तो उन्हें पता चलता कि मैंने जो सदन में कहा था वह यह है कि आर. टी. ए. ऑफिस का एक व्यक्ति खुद मखुल्ला कहता है कि टोंक बस सर्विस के लिए जो सरकारी बस सर्विस चलती है उसके स्थान पर जो दूसरे व्यक्ति को परमिट दे दिया गया है, उसके लिए ४० हजार रुपया कांग्रेस फंड में लिया गया। मैं आपको कहता हूं कि आप वहां स्टाल पर बैठ जाइये, एक कप चाय का लीजिये, आपको इस रूट पर चलने वाली बस की चर्चा सुनने को मिलेगी। मैंने कहा कि सरकार इसकी इन्क्वायरी कर ले लेकिन इस पर ध्यान नहीं दिया। मैं उस व्यक्ति को पेश करने की कोशिश करूंगा। वैसे मंत्री महोदय, मंत्री की हैसियत से नहीं, एक साधारण आदमी की हैसियत से मेरे साथ चलें, मैं आज ही दोपहर में उस व्यक्ति से वही बात कहलवाने की कोशिश करूंगा की जो बात तुम मुझसे कहते हो वह इनको कहो। उन्होंने मेरी बात पर इतनी शीघ्रता से निर्णय लिया और एक बात कह दी। उन्होंने एक बात कही कि सन् १९५५-५६ में घाटा रहा, सन् १९५६-५७ में घाटा रहा, लेकिन १९५४-५५ में नफा रहा, १९५३-५४ में नफा रहा, १९५२-५३ में नफा रहा। मेरा यह इल्जाम था कि सरकार की तरफ से जो बस सर्विस का मेनेजमेंट था, उसकी इनएफिशियेन्सी के कारण टोंक बस सर्विस से फायदा नहीं उठाया जा सका। मैंने कहा था कि जो प्राइवेट बस चलती हैं उनको लाभ है और सरकारी बस को घाटा है। जब प्राइवेट बस सर्विस लाभ उठा सकती है तो सरकार क्यों नहीं लाभ उठा सकती ? लेकिन प्राइवेट बस को घाटा नहीं और सरकारी बस को घाटा होता है। इससे यह कैसे मान सकते हैं कि सरकारी मेनेजमेंट इनएफिशियेन्ट नहीं है ? उनकी इनएफिशियेन्सी के कारण ही घाटा होता है, मेरा प्रश्न यह था कि घाटा क्यों हुआ ? तीन साल नफा रहा, उनको चालू रखने की कोशिश नहीं की गई और दो दफा घाटा हुआ तो व्यवस्था को रद्द कर दिया गया। इसलिए यह प्रश्न होता है कि घाटा हुआ क्यों ? इसकी जांच करें कि इसका जिम्मेदार कौन है, यदि मेनेजमेंट की इनएफीशियेन्सी के कारण घाटा हुआ तो उसको एफिशियेन्ट बनाना चाहिए ताकि घाटे की पूर्ति कर सकें, लेकिन उस घाटे की पूर्ति की आवश्यकता नहीं समझी गई और इनएफीशियेन्सी का सरकार ने अपने ऊपर चार्ज लगा कर, यह मंजूर कर कि आर. टी. ए. ऑफिस के अन्दर जो लोग हैं वे इनएफिशियेन्ट हैं, यह साबित कर, यह मंजूर कर लिया कि हम जो बस सर्विस चलाते हैं, उसमें घाटा रहता है। इससे इनएफिशियेन्सी का कमिटमेंट करना है। यदि अपना कलंक धोना है तो उसको ठीक करने के लिए चेष्टा करें, मैंने जो तीन

(श्री भैरोंसिंह)

कटौती प्रस्ताव रखे, उनके सम्बन्ध में रत्ती भर भी मुझे संतोष नहीं हुआ है इसलिए मैं अपने कटौती प्रस्तावों को वापिस न लेते हुए और उन कटौती प्रस्तावों को सदन में रखते हुए यह चाहूंगा कि मेरे कटौती प्रस्तावों को स्वीकार करें।

श्री जगदीशप्रसाद माथुर (सीकर) : माननीय सभापति महोदय, मैंने जो पंचायत विभाग के सम्बन्ध में अपना कटौती प्रस्ताव रखा था, उसके सम्बन्ध में माननीय मंत्री जी ने बतलाया कि जनवरी, ५७ में आदेश दिये गये थे कि पंचायतों का ठीक ढंग से निर्माण करें, लेकिन यहां पंचायत के निर्माण करने का प्रश्न नहीं है, प्रश्न यह है कि पंचायतों की जो व्यवस्था है, पंचायतों के जो कार्य हैं उनमें हस्तक्षेप होता है। पचायतों का चुनाव के वक्त हस्तक्षेप होता है और यहां तक कि मंत्री महोदय चुनाव के सम्बन्ध में तारीख बदलने के लिये आदेश दे देते हैं। यदि इस तरह का हस्तक्षेप होगा तो अपने देश के अन्दर क्या जनतंत्र चल सकेगा? यह दिखाई नहीं देता। मेरे कटौती प्रस्ताव के सम्बन्ध में मंत्री महोदय ने कुछ नहीं कहा। मैंने तहसील पंचायतों के सम्बन्ध में भी कहा था कि अंगूठा छाप पंच आते हैं, उनके हाथ में लिस्ट दे दी जाय और कहें कि इस पर क्रोस मार्क लगा कर वोट दे दो, उनके द्वारा यह कर सकना बिल्कुल असम्भव है। ये जो दो बातें रखी थीं, इनके सम्बन्ध में कोई संतोषजनक उत्तर नहीं आया है। इसलिए मैं मेरा कटौती प्रस्ताव सदन के सामने मत हेतु प्रस्तुत करता हूँ।

श्री बहादुरसिंह : सभापति महोदय, अभी चौथी डिमान्ड चल रही है और कल सब कट मोशन्स पर बहस समाप्त होनी है। हर एक डिमान्ड डेढ़ घंटे में की जानी है जो नहीं की जा रही है।

श्री नाथूराम मिर्धा : बाकी जो डिमान्ड रह जायेंगी, उन पर गुलेटिन लगेगा।

श्री बहादुरसिंह : इससे आवश्यक बातें रह जायेंगी, जिन्हें कट मोशन्स के जरिये सदस्य सदन के सामने रखना चाहते हैं। This matter should be decided first.

श्री सभापति : मैं माननीय सदस्यों को बतला चुका हूँ। यदि उनकी मन्शा यह हो और वे दूसरी डिमान्ड्स पर बोलना चाहें और उनका कटौती प्रस्तावों पर बोलने का विचार हो, तो उनको अपनी स्पीच का टाइम कर्टेल करना होगा और सीमित तरीके से बोलें क्योंकि इस तरह मंत्री मंडल भी जवाब के अन्दर बहुत समय ले लेगा। तो फिर दूसरी डिमान्ड्स आने वाली हैं उनके लिए समय नहीं रहेगा। आपको मालूम है कि कल २ बजे गुलेटिन अप्लाई कर दिया जायगा। यदि आप दूसरी डिमान्ड पर बोलना चाहें तो अपने जवाब जहां तक हो सकें, सूक्ष्म से सूक्ष्म पेश करने की कोशिश करें।

श्री तनसिंह : सभापति महोदय, यह हम पर ही लागू क्यों होता है? नियमानुसार १५ दिन की इसके लिये व्यवस्था है। आपको यदि कर्टेल ही समय में करना है तो उसी रेशयो से कर्टेल कर दिया जाय। लेकिन यहां उस पक्ष को

[illegible]

सोचना चाहिए कि समय बढ़ा कर इन मांगों के लिए ज्यादा समय दें, इस पर नहीं विचार किया जाता । अभी ४–५ मांगें हुई हैं व १५, २० मांगें पड़ी हुई हैं । मैं नहीं समझता कि इस पर क्यों नहीं विचार किया जाता और क्यों नहीं समय बढ़ा कर मांगों पर विचार करने दिया जाता । शायद आलोचना से डर कर गुलेटिन एप्लाई कर देना चाहते हैं ।

श्री सभापति : Order please.

श्री श्रीभानसिंह : Mr. Speaker, sir, on a point of order, may I draw your attention to page 80 of the "Decisions from the chair ?" In that it is pointed out that in a right of reply--there is a principle behind the right of reply; only those motions which are policy cuts, only those Hon'ble Members who are giving motions in which they want to discuss the policy of the Government, only in that case they can have a right of reply, otherwise those cut--motions, discussing a specific subject, they have no right of reply. As such I would request a ruling from the Chair. Probably it is on page 80 or 82. I wish to draw your attention to this decision.

श्री सभापति : Page of what proceedings ?

श्री श्रीभानसिंह : Decisions from the Chair.

श्री सभापति: The Hon'ble Member is referring to page 80 or 82 of the rulings by chair. It is a very vague point of order and I think it does not require a specific ruling on this point. In the absence of a specific reference, I think it is very difficult for the Chair to give a decision on this point of order.

श्री श्रीभानसिंह : If you permit, I will have the book. ... ...

श्री सभापति : What book ?

श्री श्रीभानसिंह : May I point out ? My point of order is this. The principle behind this cut-motion is this that when there is a specific cut in that case the Hon'ble Member does not have a right of reply because whenever there is a specific cut, there is nothing for the mover to reply. For instance, Sir, there is a specific cut that such and such road has not been made. To that the Hon'ble Minister says there is no provision in the budget. It cannot be made the subject of a debate. While there is a cut-motion discussing policy of the Government, only in that case the Hon'ble Member moving the cut-motion has a right of reply.

श्री सभापतिः Perhaps the Hon'-ble Member is referring to the Rules of procedure of the House.

श्री श्रीभानसिंह : I will just point out.

(विराम)

Page 97 of the Decisions from Chair. Serial No. 147.

श्री सभापति : What book ?

श्री श्रीभानसिंह : Decisions from the Chair. Page 97 and serial 147.

श्री सभापति : I think a ruling on this point will be given after some time. In the meantime the debate will continue.

श्री तनसिंह (बाड़मेर) : माननीय सभापति ; मैंने भी एक कट मोशन रखा था। अभी एतराज उठाया गया कि एक बार जवाब दे दिया तो फिर दुबारा जवाब देने की आवश्यकता नहीं।

श्री सभापति (श्री सज्जनसिंह) : आप जवाब देना चाहें तो जवाब दीजिये।

श्री तनसिंह : जवाब के विषय में ही कह रहा हूँ। जब कट मोशन रखा जाय और उसके विषय में जवाब ही नहीं दिया जाय तो मुझे वापिस कम से कम यह तो कहना ही पड़ेगा कि यहां आकर मंत्री महोदय बैठ जाते हैं, वाद-विवाद होता है उसे सुनते हैं, हमारा समय बर्बाद करते हैं, राजस्थान के धन का विनाश होता है। यहां आकर हमको वापिस जवाब तक नहीं दिया जाता तो मैं तो यह कहूंगा कि कट मोशन के लिये ...

श्री सभापति : माननीय सदस्य अपना स्थान ग्रहण करें। मैं रीड आउट करता हूं आपके कटौती प्रस्ताव को।

"कि मांग संख्या ३१ मुख्य शीर्षक ५७- विविध में १०० रु० की कटौती की जाय (पंचायत विभाग के पक्षपात व ढिलाई के सम्बन्ध में)"

क्या आपका खयाल है कि आपको मंत्री महोदय ने जवाब नहीं दिया ?

श्री तनसिंह : जो उत्तर दिया वह तो सुना, पर मैंने जो मुद्दे इस कट मोशन को प्रस्तुत करते समय पेश किये थे उनके बारे में उन्होंने कुछ नहीं कहा। वैसे तो जनरल सब पंचायतों के विषय में, दूसरा भी कट मोशन इस विषय में था, उन्होंने जवाब दिया, पर मैंने खास तौर से कहा था कि चीफ पंचायत ऑफीसर के ऑफिस को तोड़ दिया जाना चाहिये। इस बारे में पोइन्ट्स रखे थे, क्योंकि यहां सरासर पक्षपात होता है, यहां एक जाति के साथ पक्षपात किया जाता है। इसलिये इस ऑफिस को तोड़ कर इसके बदले में कमिश्नर्स को अधिकार दे दिये जाने चाहिये कि उनके हल्के में जो पंचायतें हैं उनका वे संचालन करें।

पर माननीय मंत्री महोदय ने इसका उत्तर नहीं दिया। ऐसी हालत में आप ही मुझे बतलाइये कि इस कटौती के प्रस्ताव के विषय में मैं क्या कह सकता हूं। मंत्री महोदय ने १६० मील प्रति घंटे की गति से बोल दिया, उतना तो मेरी समझ में नहीं आया, पर इतना जरूर देख रहा था कि मेरे कटौती प्रस्ताव के बारे में कुछ नहीं कहा। ऐसी सूरत में मैं अपना कटौती प्रस्ताव वापिस नहीं लेकर सदन की राय के लिये प्रस्तुत करने के लिये निवेदन करूंगा।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता (स्वायत्त शासन मंत्री) : मैंने आपके कटौती प्रस्ताव के उत्तर में कहा था, मैंने डिसेंट्रलाइज़ेशन के सम्बन्ध में कहा था, अंग्रेजी का शब्द होने के कारण शायद मैं नहीं समझ सका होऊं, पर मैंने कहा था कि डिसेंट्रलाइज़ेशन करने के बारे में सरकार का विचार है, विलेज लेवल वर्कर्स, बी. डी. ओज़. और कलेक्टर्स को अधिकार दिये जायं ऐसी सरकार की मंशा है, यह रेकार्ड में मौजूद है। तो डिसेंट्रलाइज़ेशन के बारे में मैंने कहा है।

श्री सभापति : मन्त्री महोदय ने शायद श्री तनसिंह जी का कटौती का प्रस्ताव ध्यान से नहीं पढ़ा है। उनका कटौती का प्रस्ताव डिसेंट्रलाइज़ेशन करने के सम्बन्ध में नहीं, पंचायतों में पक्षपात व ढिलाई के सम्बन्ध में है। अगर इस पोइन्ट पर जवाब नहीं दिया गया है तो दूसरा प्रश्न है। अभी जो मन्त्री महोदय ने जवाब दिया है वह तो इस कट मोशन का जवाब नहीं है।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : उन्होंने कट मोशन पर बोलते हुए डिसेंट्रलाइजेशन के बारे में कहा था कि डिसेंट्रलाइजेशन होना चाहिए, उसके बारे में मैंने जवाब दिया....

श्री तनसिंह : That was an alternative policy suggested by me, and he has replied to it.

श्री सभापति : और कोई सज्जन बोलना चाहेंगे ?

श्री मोहरसिंह : सभापति महोदय,....

श्री सभापति : मैं एक निवेदन कर दूं कि आपका भाषण बहुत लम्बा नहीं होना चाहिये। संक्षेप में जो कुछ कहना चाहें कह दें।

श्री मोहरसिंह : मेरा कटौती का प्रस्ताव इस प्रकार है : "क्रम संख्या १३७ कि मांग संख्या ३१, मुख्य शीर्षक ५७–विविध में १ रु० की कमी की जाय। (पंचायतों में सरकार द्वारा अनुचित हस्तक्षेपके सम्बन्ध में)।"

इस पर मंत्रीजी द्वारा जो उत्तर दिया गया उससे मुझे किसी प्रकार का संतोष नहीं हुआ है। पंचायतों के मुतल्लिक जवाब दिया गया, उससे मुझे संतोष नहीं। जो हस्तक्षेप की बात कही थी कि चुनाव शुरू होते हैं उसी वक्त से हस्तक्षेप किया गया है, इसका कोई जवाब नहीं दिया गया। आगे के लिये कहा है कि कलेक्टर्स को हिदायतें दे दी गई हैं कि ऐसा करें, पर मुझे तो आज तक की सरकार की कार्य करने की जो नीति है उससे ऐसा लगता है कि कराया कुछ नहीं जायेगा। कहावत है,

'होनहार बिरवान के होत चीकने पात।'

गवर्नमेंट या मुतल्लिका मिनिस्टर महोदय इसमें कुछ करेंगे, इसकी मुझे तो कम ही उम्मीद है।

इसके अलावा मेरे तीन कट मोशन्स और हैं, क्रम संख्या १३५, १३६ और १३८। १३५ नं० का जो मेरा कटौती प्रस्ताव है वह यह है, 'कि मांग संख्या ३१, मुख्य शीर्षक ५७–विविध में ७,०५,००० रु० की कमी की जाय। (व्यय के नए मदों की व्यवस्था न करने के सम्बन्ध में)।"

इसका मुझे कुछ भी जवाब नहीं मिला है। इसी प्रकार विस्थापितों और नगरपालि-

(श्री मोहरसिंह)

कार्यों के बारे में जो कटौती के प्रस्ताव रखे उनका कोई जवाब ही नहीं मिला है। इसलिये मैं अपने कट मोशन्स को वापिस नहीं लेता।

श्री सभापति : मांग संख्या ३१, मुख्य शीर्षक ५७, विविध पर जो कटौती प्रस्ताव आये हैं वे अब मत हेतु लिये जा रहे हैं। सबसे पहले श्री तनसिंह जी का प्रस्ताव है। हाउस के सामने प्रश्न यह है कि श्री तनसिंह जी का कटौती प्रस्ताव है," कि मांग संख्या ३१, मुख्य शीर्षक ५७ विविध में १०० रु० की कटौती की जाय। (पंचायत विभाग के पक्षपात व ढिलाई के सम्बन्ध में)"; क्या इसे स्वीकार किया जाय।

(अस्वीकृत)

कटौती प्रस्ताव गिर गया।

(विराम)

दूसरा कटौती प्रस्ताव है श्री भैरोंसिंहजी का : "That the Demand No. 31-Miscellaneous be reduced by Rs. 100/- (To discuss the partiality in the appointments of the Panchayat Inspectors)."

प्रश्न यह है कि इसे स्वीकार किया जाय।

(अस्वीकृत)

कटौती प्रस्ताव गिर गया।

(विराम)

श्री भैरोंसिंह जी का दूसरा कटौती प्रस्ताव है : "That the Demand No. XXXI-Miscellaneous Sub-head D part (i) be reduced by Rs. 100/- (To discuss the discriminatory policy in giving Government advertisements etc...)."

प्रश्न यह है कि इसे स्वीकार किया जाय ?

(अस्वीकृत)

कटौती का प्रस्ताव गिर गया।

(विराम)

श्री मुक्तिलालजी मोदी का कटौती प्रस्ताव है : 'कि मांग संख्या ३१, मुख्य शीर्षक ५७–मिस्लेनियस में १०० रुपया की कटौती की जाय (पंचायत विभाग द्वारा पंचायतों के प्रशासन में धांधली पर बहस करने हेतु)'

प्रश्न यह है कि इसे स्वीकार किया जाय।

(अस्वीकृत)

कटौती प्रस्ताव गिर गया।

(विराम)

श्री जगदीश प्रसाद माथुर का कटौती प्रस्ताव है : "That the Demand No. XXXI, Major head 57-Misc, be reduced by Rs. 100/- (To discuss the failure of the Panchayat Department in the formation of Panchayats in a proper way)."

प्रश्न यह है कि इस कटौती प्रस्ताव को स्वीकार किया जाय।

(अस्वीकृत)

कटौती प्रस्ताव गिर गया।

(विराम)

श्री जगदीशप्रसाद माथुर का दूसरा कटौती प्रस्ताव है :

"That the Demand No. 31, Major head 57-Miscellaneous sub-head Village Panchayats- be reduced by Rs. 100/- (To discuss the

१ (श्री सभापति)

failure of the Panchayat Department in the establishment of Panchayats in a proper legal way)."

प्रश्न यह है कि इसे स्वीकार किया जाय।

(अस्वीकृत)

कटौती प्रस्ताव गिर गया।

(विराम)

श्री भैरोंसिंह जी का एक और कट मोशन है :

"That the Demand No. XXXI, Major head 57-Miscellaneous be reduced by Rs. 100/- (To discuss the mis-management in the running of Government buses on Tonk, Sirohi & Abu routes)."

प्रश्न यह है कि इसे स्वीकार किया जाय।

(अस्वीकृत)

कट मोशन गिर गया।

(विराम)

श्री मोहरसिंहजी का कट मोशन है, 'कि मांग संख्या ३१, मुख्य शीर्षक ५७-विविध में ७,०५,००० रु० की कमी की जाय। (व्यय के नए मदों की व्याख्या न करने के सम्बन्ध में)'

प्रश्न यह है कि इस कटौती प्रस्ताव को स्वीकार किया जाय।

(अस्वीकृत)

कटौती प्रस्ताव गिर गया।

(विराम)

श्री मोहरसिंह का सरा कटौती प्रस्ताव है : 'कि मांग संख्या ३१, मुख्य शीर्षक ५७-विविध में १ रु० की कमी की जाय। (विस्थापित किसानों के साथ अन्याय के सम्बन्ध में)'

प्रश्न यह है कि इस कटौती प्रस्ताव को स्वीकार किया जाय।

(अस्वीकृत)

कटौती प्रस्ताव गिर गया।

(विराम)

श्री मोहरसिंह का कटौती का प्रस्ताव है, 'कि मांग संख्या ३१, मुख्य शीर्षक ५७-विविध में १ रु० की कमी की जाय। (पंचायतों में सरकार द्वारा अनुचित हस्तक्षेप के सम्बन्ध में)'

प्रश्न यह है कि इस कटौती के प्रस्ताव को स्वीकार किया जाए।

(अस्वीकृत)

कटौती प्रस्ताव गिर गया।

(विराम)

श्री मोहरसिंह का एक और कट मोशन है, 'कि मांग संख्या ३१, मुख्य शीर्षक ५७ में १ रु० की कमी की जाय (नगरपालिकाओं को अपर्याप्त सहायता के सम्बन्ध में)'

प्रश्न यह है कि इस कटौती प्रस्ताव को स्वीकार किया जाय।

(अस्वीकृत)

कटौती प्रस्ताव गिर गया।

(विराम)

श्री लच्छुराम का कट मोशन है, 'कि संख्या ३१, मुख्य शीर्षक ५७ विविध मांग में १ रु० की कमी की जाय (पब्लिसिटी विभाग की दक्षहीनता के सम्बन्ध में)'

(श्री सभापति)

प्रश्न यह है कि इस कटौती प्रस्ताव को स्वीकार किया जाय।

(अस्वीकृत)

कटौती प्रस्ताव गिर गया।

(विराम)

श्री लच्छूराम का दूसरा कट मोशन है, 'कि मांग संख्या ३१, मुख्य शीर्षक ५७-विविध में १ रु० की कमी की जाय (सड़क यातायात के राष्ट्रीयकरण के सम्बन्ध में)'

प्रश्न यह है कि इस कटौती प्रस्ताव को स्वीकार किया जाय।

(अस्वीकृत)

कटौती प्रस्ताव गिर गया।

(विराम)

श्री लच्छूराम का एक और कटौती का प्रस्ताव है, 'कि मांग संख्या ३१, मुख्य शीर्षक ५७–विविध में १ रु० की कमी की जाय (पंचायतों को अपर्याप्त आर्थिक सहायता के सम्बन्ध में)'

प्रश्न यह है कि इस कटौती प्रस्ताव को स्वीकार किया जाए।

(अस्वीकृत)

कटौती प्रस्ताव गिर गया।

(विराम)

Mr. P. K. Chowdhry, would you like to withdraw your cut-motion?

श्री पी. के. चोधरी : मैं अपना कटौती प्रस्ताव वापिस लेने की अनुमति चाहता हूं।

श्री सभापति : क्या सदन की यह अनुमति है कि कट मोशन वापिस लेने दिया जाए?

(स्वीकृत)

वापिस लेने की अनुमति प्रदान की गई।

श्री पी. के. चोधरी : I withdraw my cut-motion.

श्री सभापति : प्रश्न यह है, 'कि मांग संख्या ३१, मुख्य शीर्षक ५७–विविध के सम्बन्ध में ३१ मार्च, १९५८ को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त आवश्यक राशि को पूरा करने हेतु राज्यपाल महोदय को ८७,१०,००० रु० तक की राशि प्रदान की जावे।'

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की जाती है।

(विराम)

२–५–म०प०

मांग संख्या १४-शिक्षा

श्री दामोदरलाल व्यास (राजस्वमंत्री) : माननीय चेयरमैन, मैं प्रस्ताव करता हूँ, 'कि अनुदान की मांग संख्या १४, मुख्य शीर्षक ३७-शिक्षा के सम्बन्ध में ३१ मार्च, १९५८ को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त आवश्यक राशि को पूरा करने हेतु राज्यपाल महोदय को ४,०१,२८,००० रु० तक की राशि प्रदान की जावे।'

श्री सभापति : Motion moved.

श्री तनसिंह (बाडमेर) : माननीय सभापति, मेरा कटौती का प्रस्ताव इस प्रकार है कि मांग संख्या १४, मुख्य शीर्षक ३७–शिक्षा में १ रु० तक की कटौती की जाय

(श्री तनसिंह)

(अनिवार्य व निःशुल्क शिक्षा न देने की नीति के अननुमोदन के सम्बन्ध में)"

माननीय सभापति, आज स्वतंत्रता प्राप्त होने के बाद हर एक व्यक्ति यह सोच रहा था कि जो सुविधायें उनको प्राप्त नहीं हैं वे स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद मिलेंगी, मगर आज बहुत वर्ष हो गए स्वतंत्रता प्राप्त हुए। उस स्वतंत्रता से जो फल हमको मिलने वाला था अभी तक नहीं मिला है। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद शिक्षा की दिशा में कदम उठाया, उसकी विवेचना करूं तो आपको पता चलेगा कि जहां चारों ओर विकास ही विकास के कार्यों में झूठा प्रोत्साहन दिया जा रहा है और अनावश्यक खर्च किया जा रहा है और बहुत दिलचस्पी लेकर उसके प्रचार में रुपया खर्च किया जा रहा है उसके मुकाबले में या उतना रुपया शिक्षा में नहीं दिया जाता। मैं नहीं समझता कि केवल भौतिक साधनों से ही हमको सुख मिल सकता है। जब तक प्रजातंत्र के लक्ष्य की पूर्ति नहीं होती तब तक किसी प्रकार से जनता को लाभ नहीं हो सकता।

शिक्षा की उन्नति के सम्बन्ध में अभी एक प्रश्न के उत्तर में माननीय संबन्धित मंत्री जी ने, जो शिक्षा विभाग के मन्त्री हैं, बताया कि प्राइमरी बेसिक एजुकेशन किस कक्षा तक द जाती है, उनको मालूम नहीं। यह हाल है हमारे मन्त्री जी का शिक्षा के सम्बन्ध में जानकारी का। समझ में नहीं आता कि हमारे मन्त्रीजी किस चिन्ता में रहते हैं, किस प्रकार के कार्य में रत रहते हैं। आज हमको लगातार ७-८ वर्ष हो गए हैं, हम देख रहे हैं कि सरकार के लगातार प्रयत्नों के बावजूद भी बजट में घाटा ही घाटा आ रहा है और इस घाटे को पूरा करने के लिए सरकार उत्तरोत्तर हम पर टैक्स लगाती जा रही है। मगर यह कहा जाता है कि जहां पर शिक्षा का अभाव है वहां पर हम दो मील के टुकड़े में स्कूल कैसे खोलें? मैं यह निवेदन करूंगा कि गावों में आपको ऐसे स्कूल मिलेंगे जो गांवों से २० मील की दूरी पर हैं और आपको १३० मील की दूरी में और २०० मील की दूरी में कोई कॉलेज नहीं मिलेगा। इसका कारण क्या है? इस सबका कारण शिक्षा विभाग की नीति है। जिस समय सरकार से निवेदन किया जाता है तो यही कारण आज हमारे सामने रखा जाता है कि हमारे पास पैसा नहीं है, इसलिए स्कूल नहीं खोले जा सकते। मैं यह कहूंगा कि आप विकास के कार्य की पब्लिसिटी में जितना पैसा खर्च करते हैं उसको छोड़ कर स्कूल के बारे में पब्लिसिटी करें तो पब्लिक खुद अपना पैसा इकट्ठा करके स्कूल बिल्डिंग्स बनाने का विचार कर लेगी और कई जगह विचार किया भी है। कई गांवों में इस प्रकार का प्रचार पब्लिक ने किया है और इससे लोगों की रुचि बढ़ी है पढ़ाई की ओर। लेकिन हमें अफसोस इस बात का है कि हमारी सरकार इस प्रकार कान में तेल डाल कर सो रही है जैसे उसका इस तरफ कोई ध्यान ही नहीं हो; जैसे कोई उत्तरदायित्व ही नहीं हो। हमारे लोगों को सुशिक्षित बनाना हमारी सरकार का काम है। आज जो खर्चा शिक्षा पर शिक्षा विभाग ४ करोड़ कर रहा है वह राजस्थान जैसे बड़े इलाके के लिये जिसकी इतनी बड़ी आबादी है, क्या यह पर्याप्त कहा जा सकता है, जब कि दूसरे मदों में उनकी आवश्यकता से अधिक अनावश्यक रूप से पैसा खर्च किया जा रहा है। तो मैं यह निवेदन करूंगा कि यह ४ करोड़ रुपया ही शिक्षा पर राजस्थान में क्यों खर्च किया जा रहा है और

(श्री तनसिंह)

इसका सदुपयोग किस तरह हो रहा है, यह देखने की चीज है। हमारे रेतीले इलाके में सीमावर्ती इलाके में, जैसे बाडमेर, जैसलमेर के सम्बन्ध में मैं आपको उदाहरण दूंगा कि सीमा के एक कोने से दूसरे कोने को आप देखें तो आपको मालूम होगा कि २०० मील तक आपको कोई कॉलेज नजर नहीं आयेगा, हाई स्कूल १०० मील या उससे भी ऊपर पर आपको मिलेंगे ; हां, प्राइमरी स्कूलें आपको कहीं १५ और २० मील की दूरी पर अवश्य मिलेंगी। यदि गांवों में शिक्षा का यही हाल रहा और हम करोड़ों रुपये उन लोगों को देते रहे जहां बहुत नजदीक नजदीक–गांव हैं और जहां शिक्षा आसानी से प्राप्त हो सकती है, जहां पर किसी प्रकार की कठिनाई नहीं है, तो राजस्थान की तरक्की नहीं हो सकती। आप यह कह सकते हैं कि जहां आबादी ज्यादा है, नजदीक नजदीक स्कूल खोले जाते हैं, जहां आबादी कम है वहां पर दूर दूर खोले जाते हैं, यह दलील आपकी कुछ हद तक ठीक हो सकती है लेकिन इसके लिये कोई निश्चित नीति होनी चाहिये कि किस तरह शिक्षा का प्रसार करना हैं। यदि इस नीति को अपनाया जावे कि एक इलाके में कुछ हो और दूसरे में कुछ नहीं तो मैं समझता हूं कि हमारा जो ध्येय है वह कैसे और कब पूरा होगा ? आज जिन स्थानों तक मास्टरों के जाने की हिम्मत नहीं हो सकती उन स्थानों पर किस प्रकार से आप स्कूलें खोल सकते हैं ? मगर ये स्थान कितने हैं ? राजस्थान सरकार ने अभी तक इस सम्बन्ध में आंकड़े भी इकट्ठे नहीं किये कि प्राइमरी बेसिक स्कूल्स कहां कहां खोलने पड़ेंगे और उन लोगों के साथ कितना न्याय होगा और किस प्रकार की शिक्षण और दूसरा एडमिनिस्ट्रेशन की व्यवस्था की जावेगी ? इस प्रकार की व्यवस्था सरकार ने अभी तक नहीं की है।

क्या शिक्षा के संबंध में सरकार की यही विरोधीकरण नीति रहेगी ? मैं सरकार से यह पूछना चाहता हूँ कि क्या सरकार यह चाहती है कि हम लोग जो गांवों में रहते हैं हमेशा बिल्कुल उज्जड, अपढ़ ही रहें और पढ़ाई का ठेका शहर वालों को ही हो और गांव वाले ठोठ ही रहें, क्या शहर वाले जो हमेशा गांव वालों का शोषण करते हैं करते रहें ? वे हमारा शोषण क्यों न करें, वे पढ़े लिखे होते हैं। मैं यह कहूंगा कि जितने शिक्षा के अवसर होते हैं सब शहरों में होते हैं। शहर में हाई स्कूल और कॉलेजेज् होते हैं इसलिये कि वहां पर बहुत ज्यादा कॉम्पेक्ट पोपुलेशन है। मैं अभी तक यह नहीं समझ पाया कि जब सरकार यह कहती है कि हम समाजवादी समाज का ढांचा बनाना चाहते हैं तो क्या उनके लिये इस प्रकार का कन्सीडरेशन करना उचित है ? मैं तो कहूंगा कि इस प्रकार का कोई कन्सीडरेशन नहीं होना चाहिये। उनके लिए इस प्रकार के कन्सीडरेशन नहीं होने चाहिये। उनको तो चाहिये कि वास्तविक जनता तो ग्रामीण है और उसके ज्ञान को ज्योतिर्मय करने के लिये एक ही रास्ता है और वह है अनिवार्य शिक्षा और साथ ही साथ निःशुल्क शिक्षा का। लेकिन मुझे खेद इस बात का है कि शिक्षा में करोड़ों और लाखों रुपया खर्च करने के बावजूद भी इस दिशा में कोई कदम नहीं उठाया गया है और इस विषय में हमारी सरकार को जितना कोसा जाय उतना ही अच्छा है। मैं आपके द्वारा माननीय सदस्यों को स्पष्ट बता देना चाहता हूं कि कोई भी शोषण अधिक समय तक बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। तो माननीय

(श्री तनसिंह)

चेयरमेन साहब, मुझे आपके द्वारा सदन से निवेदन करना है कि हमें सरकार को मजबूर करना चाहिये कि वह इस समय अपनी नीति घोषित करे कि वह इतने अर्से के अन्दर, इतने समय के भीतर भीतर शिक्षा को अनिवार्य व निःशुल्क बना देगी और यही मेरे इस प्रस्ताव का खास ध्येय है।

श्री सभापति (श्री सज्जनसिंह) : **श्रीमती** चन्द्रकला।

श्रीमती डॉ. चन्द्रकला (किशनपोल, बाजार जयपुर) अध्यक्ष महोदय, शिक्षा जैसे महत्वपूर्ण विषय पर कटौती का प्रस्ताव है तो मैं निवेदन करना चाहती हूं कि संबंधित शिक्षा मंत्री महोदय यदि हमारी बात सुनने के लिए उपस्थित होते और शिष्टाचार के नाते भी उनको ऐसा करना चहिए था तो अच्छा रहे।

श्री सभापति : उनके डिप्टी मौजूद हैं।

श्रीमती डॉ. चन्द्रकला : बुनियादी शिक्षा से सम्बन्धित मंत्री महोदय ?

श्री सभापति : मैं समझता हूं कि उनके भी डिप्टी यहां मौजूद हैं।

श्रीमती डॉ. चन्द्रकला : सभापति महोदय, मैं अनुदान की मांग संख्या१४, मुख्य शीर्षक ३३ के विषय में एक रुपये तक की कटौती का प्रस्ताव सदन के सम्मुख रखते हुए नम्र निवेदन करना चाहती हूं कि जो आजकल की शिक्षा है वह हमारे प्रान्त के लिए, हम लोगों के लिए अनुकूल एवं उपयोगी नहीं है। इसलिए उसमें आमूलचूल परिवर्तन करने की दिशा में प्रयत्न किया जाना चहिए।

सभापति महोदय, भले व्यक्ति के जीवन में शिक्षा का स्थान आवश्यकता की दृष्टि से रोटी और कपड़ा के बाद आ सकता है। लेकिन किसी भी राष्ट्र के जीवन में शिक्षा की आवश्यकता प्रमुख और प्रथम होती है क्योंकि शिक्षा के द्वारा ही हम अपनी सब समस्याओं को हल कर सकते हैं। और हम देखते भी हैं कि जिन राष्ट्रों ने, जिन देशों ने, अपने यहां समुचित शिक्षा की व्यवस्था की वे आज बहुत आगे बढ़ सके हैं। और दूसरे देशों की बात जाने दीजिए आज शिक्षा हमारे भारत देश की प्रमुख आवश्यकता है। जब हमारा प्रजातंत्र अपनी शिशु अवस्था में है तो हम ऐसी शिक्षा की व्यवस्था करें कि हम उसका पूरा पूरा लाभ उठाकर अपने को उन्नत कर सकें। इस समय हमारे विधान के अन्दर हर व्यक्ति को बिना किसी भेदभाव के समान अवसर प्राप्त हैं। वह अपने अधिकारों के प्रति जागरूक रहते हुए अपने कर्तव्यों के पालन के योग्य बन सकता है। ऐसी स्थिति में शिक्षा की अनिवार्यता महसूस करते हुए हमें इस दिशा में उन्नति करने के लिए अच्छी तरह सोचने की आवश्यकता है। राजस्थान प्रान्त शिक्षा के क्षेत्र में थोड़ा और भी पीछे है। अपनी परिस्थितियों के कारण यहां पर साक्षरता का औसत भी थोड़ा कम है और वह भी विषम है इन बातों को देखते हुए जो प्रस्तावित राशि है वह कम है लेकिन उसके विषय में मैं विशेष न कह कर जो भी राशि इस शिक्षा के मद में रखी गई है उचित और सुन्दर ढंग से कैसे खर्च किया जा सकता है, इसके लिए मुझे निवेदन करना है। सभापति महोदय, मैं महसूस करती हूं कि आजकल हम लोग शिक्षा का अर्थ केवल साक्षरता से लेते हैं। साक्षरता शिक्षा की दिशा में बढ़ने का पहला कदम है। इसलिए प्रारम्भ में यदि शिक्षा और साक्षरता

(श्रीमती डॉ. चन्द्रकला)

दोनों में हम समानता रखें, दोनों को एक समझें तो यह बात कुछ हद तक स्वीकार की जा सकती है। लेकिन वास्तव में साक्षरता ही सब कुछ नहीं है। शिक्षा वह साधन है जिसके द्वारा मनुष्य शरीरिक, मानसिक, बौद्धिक और आत्मिक विकास होता है, वह अपने कर्तव्यों को समझता है, अपने अधिकारों को समझता है और उनका पूरी तरह से पालन करता है। यदि इस दृष्टि से हम देखें तो हमको पता लगेगा कि क्या हम शिक्षा की दिशा में सही तरीके से आगे बढ़ रहे हैं। हमें यह देखना होगा कि क्या हम आज ऐसा महसूस करते हैं कि हमारी शिक्षा हमारे राष्ट्रीय जीवन को उन्नत बना रही है? मेरा ख्याल है कि हमारी सरकार, हमारी जनता इस बात को महसूस नहीं करती है। स्पष्ट आज है कि हमारे जीवन में और हमारी शिक्षा में कोई सामंजस्य नहीं है। सारा गणित और अर्थशास्त्र पढ़ने के बाद भी लोग घरों के हिसाब-किताब रखने में भी असमर्थ होते हैं। सारा इतिहास और भूगोल पढ़ने के बाद भी लोग अपने गांव और देश की जानकारी से अनभिज्ञ रहते हैं। यह सब हमारी शिक्षा का प्रभाव है। हम आये दिन देख सकते हैं और अखबारों में भी पढ़ सकते हैं कि बड़ी बड़ी परीक्षाओं में परीक्षार्थ भी अपने जवाब को जिस तरह से देते हैं उससे मालूम होता है हमारी शिक्षा का कहां तक काम हुआ है? सबसे बड़ी बात जिसका हमारी सरकार को सामना करना पड़ता है वह है हमारी शिक्षित बेकारी। हमारे विद्यार्थी दस साल, बारह साल, चौदह साल बिता कर जब निकलते हैं, स्वास्थ्य को खोकर, अपने आत्म विश्वास को खोकर तो वह एक निराशा साथ लिए बाहर आते हैं और उनकी समझ में नहीं आता कि वे क्या करें? उनके जीवन में आगे क्या दिशा है? ऐसी अवस्था में हमको विशेष सतर्क होने की आवश्यकता है।

सभापति महोदय, मैं आपके द्वारा सदन का ध्यान दिलाती हूं कि जब हम आजाद नहीं थे और हमारा संघर्ष अंग्रेजी साम्राज्य से चलता था उस समय हम बहुत अच्छी तरह से, बड़े जोर से इस शिक्षा पर हमला करते थे। जो शिक्षा उस समय का शासक वर्ग हमें देता था उस शिक्षा का हम घोर विरोध करते थे और बहुत बुरी तरह से मैकॉले साहब को जिन्होंने इस शिक्षा पद्धति को चलाया था उनको कोसते थे और कहते थे कि यह शिक्षा हमको गुलाम बनाना चाहती है, यह गोरे साहबों के लिए हमको नौकर बनाने की मशीन हैं। हम जब यह महसूस करते हैं तो हम क्यों नहीं शिक्षा को वह रूप दे देते हैं जो कि आवश्यक है। जो उस समय महसूस करते थे क्या आज की परिस्थिति के लिए भी वही बात नहीं कह सकते। इसलिए तो मेरी निश्चित राय है और मेरी राय से आप लोग भी सहमत होंगे कि इस शिक्षा में पूरा पूरा परिवर्तन करने की आवश्यता है। मैंने माना है कि हमारी सरकार ने पाठ्यक्रम में और किसी न किसी तरह से शिक्षा-पद्धति में परिवर्तन करने का प्रयत्न किया है लेकिन इससे भी हमारी शिक्षा की आवश्यकताओं कि पूर्ति नहीं होगी। हमारी आवश्यकता की पूर्ति पत्ते-पत्ते पर विचरने से नहीं होगी। हमारी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए हमें जड़ मूल से विचार करना होगा। जहां तक साक्षरता का प्रश्न है, जहां तक प्राथमिक शिक्षा का संबंध है हमें योजना बनानी होगी और उनके अनुसार अपने प्रान्त के लोगों को साक्षर बनाना होगा। हमारी सरकार को इतने साल काम करते हो

(श्रीमती डॉ. चन्द्रकला)

गए लेकिन हम शिक्षा के पथ पर बहुत थोड़ा बढ़ सके हैं। हमको पूरी कोशिश करनी पड़ेगी और साक्षरता को बढ़ाने का प्रयत्न करना पड़ेगा। इसके लिए हमारी सरकार ने नई नई स्कूलें खोली हैं लेकिन वे स्कूल और कालेज पर्याप्त नहीं हैं। फिर भी जो कुछ है, वे ठीक हैं, वे उपयोगी हैं। मैं उसके लिए अपनी सरकार का अभिनन्दन करती हूं। लेकिन इसके साथ ही साथ हमें यह देखना होगा कि यदि हम इसी गति से चले तो हमें अपना लक्ष्य प्राप्त करने में वर्षों लगेंगे। इसके लिए मेरा एक सुझाव है कि हमारे पास जो जन-शक्ति है उसका उपयोग करें। सभापति महोदय, मैं बराबर जनशक्ति की ओर अपनी सरकार का लक्ष्य दिलाना चाहती हूँ। यदि आज भी हमारी सरकार कुछ न करे और केवल इतना ही कर दे कि जो विद्यार्थी हाई स्कूल पास करें वे कम से कम दो को, जो इन्टर पास करें वे चार को, जो बी० ए० करें वे ६ को और जो एम० ए० करें वे दस को साक्षर करें तो काफी साक्षरता लोगों में फैल सकती है और इतनों को साक्षर करने के बाद ही उसको प्रमाण पत्र मिले तो हम देखेंगे कि दो-चार साल में ही साक्षरता का बहुत प्रचार हो जायगा। इसी तरह से बच्चों के लिए जो हम प्रारम्भिक स्कूलें खोलते हैं, यह ठीक है इसको हम साक्षर करने की दिशा में एक कदम कह सकते है, यह प्रयत्न हमारा श्लाघनीय है। लेकिन इसके साथ साथ जिस दिशा की ओर मैंने इंगित किया उस ओर भी हम ध्यान देंगे तो शिक्षा को हम काफी आगे ले जा सकेंगे।

इसके साथ साथ आजकल जो हमें देखने को मिलता है वह यह है कि जो सरकार आयोजना बनाती है, जो नीति निर्धारित करती है उस नीति-निर्धारण में सारे प्रान्त को ध्यान में रखते हुए उसके टुकड़े टुकड़े कर दिये जाते हैं। संभव हो, आयोजन कर्ता यह सोचते हों कि इससे हम शिक्षा का प्रसार ज्यादा कर पायेंगे। मैं यह भी देखती हूँ कि जयपुर में ऐसी आबादी है जहां स्कूल का नाम निशान नहीं है। लोग कहते हैं कि शहरों में ही स्कूलें खोली जाती हैं, शहरों में ही बड़े बड़े कालेज हाई स्कूल वगैरह होते हैं। लेकिन मैं आपकी जानकारी के लिए बताऊं कि शहर के पास ऐसी आबादी भी है जहां स्कूल्स नहीं है, प्रारम्भिक स्कूल्स तक नहीं है। प्रारम्भिक स्कूल के लिए जब कहा गया तो यह जवाब मिला कि यह तो म्युनिसिपल एरिया है, यहां तो म्युनिसिपैलिटी को ही स्कूल खोलना चाहिये। मैं यह पूछना चाहती हूँ सरकार से, क्या जिस इलाके में म्युनिसिपैलिटी स्कूल नहीं खोल सकती क्या सरकार की जिम्मेवारी नहीं है। आज म्युनिसिपैलिटी की आर्थिक अवस्था मजबूत नहीं, इसलिए वह लोगों की शिक्षा समस्या को हल नहीं कर सकती। मेरा सरकार से यह निवेदन है कि जहां प्रारम्भिक स्कूलों की व्यवस्था म्युनिसिपैलिटी नहीं कर सकती वहां सरकार को मदद देकर इस प्रकार की स्कूलों का प्रबन्ध करना चाहिये। जहां तक प्रारम्भिक शिक्षा का सवाल है इसमें किसी की दो राय नहीं हो सकती कि यह शिक्षा सब को मिलनी चाहिये, विशेष कुछ न हो तो कम से कम हिन्दी का ज्ञान तो सब को होना ही चाहिये। गणित और सामान्य विषयों के साथ हिन्दी का ज्ञान अनिवार्य होना चाहिये।

इसके साथ साथ हमें यह भी देखना होगा कि जो शिक्षा यहां दी जा रही है वह हमारी बेकारी का और तो नहीं बढ़ा रही है? इसके लिए हमारे राष्ट्रपिता ने बुनियादी तालीम को

(श्रीमती डॉ. चन्द्रकला)

योजना बनाई थी, पर वह बुनियादी तालीम किस तरह से चलती है यह तो पता हमें प्रश्नोत्तर के समय चला। इस विषय में सरकार कितना ध्यान रखती है यह तो हमें प्रश्नोत्तर के समय पता चला कि हमारे मन्त्री महोदय बुनियादी शिक्षा का क्या मतलब है इसको पूरी तरह व्यक्त नहीं कर सके। मुझे एक बुनियादी स्कूल में जब जाने का मौका मिला तो वहां दो चीजें बतलाईं; एक तो तकली बताई गई और दूसरी खेत की क्यारी। वहां के विद्यार्थियों ने कहा कि हम तकली कात लेते हैं, खेत की क्यारी बना लेते हैं। मैं पूछती हूँ क्या बुनियादी तालीम इसे ही कहते हैं? साफ है कि हम अभी तक बुनियादी तालीम की वास्तविकता को नहीं समझ पाये। हमें चाहिये कि इस बुनियादी तालीम के हर पहलू को समझ कर ग्रहण करें। इसके लिये आवश्यक है कि प्रारम्भिक शिक्षा के साथ साथ हमें कला कौशल की शिक्षा का भी प्रसार करना चाहिये। कला और कौशल की भावना इस पृष्ठभूमि के साथ होनी चाहिये कि वह हमारे जीवन के लिये उपयोगी हो। एक किसान का लड़का हाई स्कूल पास करके जाता है तो वह अपने आपको बेकार महसूस न करे। मैंने यहां तक देखा है कि एक गांव के रहने वाले तमाम लोगों ने अपने यहां के हाई स्कूल पास लड़के को देखकर कह दिया कि हमें ऐसी शिक्षा नहीं चाहिये जो हमारे लड़कों को परिश्रम का काम न करने दे और अपना पुश्तैनी धन्धा करने से रोके। हमें ऐसी शिक्षा नहीं चाहिये जो हमारे बच्चों को आजीविका के साधन न दे सके। इसके लिये हमें जापान से शिक्षा लेनी चाहिये। वहां बच्चों को समुचित शिक्षा दी जाती है, शुरू से उनको कला कौशल का ज्ञान कराया जाता है। आज जापानी गर्व से यह कहते हैं कि हम हमारे देश का निर्माण अपनी दसों अंगुलियों से करते हैं। जापानी खिलौने जितने भी हमारे देश में आते हैं और अन्य विदेशों में जाते हैं वे बड़े विश्वास के साथ अन्य देशों के बाजारों अपने पांव में फैलाते हैं। इसका कारण यह है कि वहां के लोगों में कला कौशल के प्रति उत्साह रहता है। इसके अलावा जो छात्र साहित्य या अन्य विषयों में रुचि रखते हैं उनके लिए कॉलेजेज़ व विश्वविद्यालय भी हैं।

इसके साथ साथ हमें यह भी दिखाई पड़ता है कि हम जो शिक्षा दे रहे हैं वह वास्तव में आज की नीति के अनुसार बाबू ही तैयार करती है और केवल नौकर ही तैयार कर रही है। आज हमें पंच वर्षीय योजना के लिये योग्य व्यक्ति नहीं मिल रहे हैं। मेरा खयाल है, सरकार का इस ओर ध्यान नहीं। योजनाओं के साथ साथ हमें उन्हें कार्यरूप देने वाले व्यक्तियों को भी तैयार करना चाहिये, हमें डाक्टरों की आवश्यकता है, नर्सेज की आवश्यकता है ग्राम सेवकों की आवश्यकता है; हमें इस प्रकार अलग अलग चीजों के लिये आदमी चाहिये। इसका खयाल न कर हमारी सरकार उसी शिक्षा की ओर चली जा रही है जिससे हमारी ये योजनायें कार्यान्वित होनी मुश्किल हैं।

इसके अलावा मैं एक छोटा सा सुझाव और देना चाहती हूं। कुछ ऐसी संस्थायें हैं, संगठन हैं जो शिक्षा के क्षेत्र में नये नये प्रयोग कर रहे हैं। वे राष्ट्र की और प्रान्त की आवश्यकताओं को समझ कर नये नये प्रयोग कर रहे हैं। सरकार को चाहिए कि

(श्रीमती डा. चन्द्रकला)

ऐसी संस्थाओं को प्रोत्साहन दे, उनको सहयोग दे और आर्थिक सहायता भी दे बिना नियम बन्धन के। नियमों की जकड़ में न जकड़ कर उनके गला घोटने की कोशिश नहीं करनी चाहिये। नियमों में जहां तक हो सके ऐसी संस्थाओं के लिये छूट देनी चाहिये, उनको मौका देना चाहिये।

अन्त में सभापति महोदय, मैं स्त्रियों की शिक्षा के बारे में कहे बिना नहीं रह सकती। सरकार को इस ओर भी ध्यान देना चाहिए। मैं केवल मात्र स्त्रियों की शिक्षा की वकालत न करना ही चाहती हूं और न मैं इसे पसन्द ही करती हूं लेकिन हरेक मनुष्य की आवश्यकता को देखते हुए हमें यह मानना पड़ेगा कि स्त्रियों की शिक्षा का भी उचित प्रबन्ध हो। बजट को देखने से यह पता चलता है कि एक कॉलेज को डिग्री से पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज बनाया गया है और एक इन्टर कॉलेज को डिग्री कालेज बनाया गया है, यह बहुत अच्छी बात है। मेरे खयाल से स्त्रियों को इतनी उच्च शिक्षा की आवश्यकता नहीं क्योंकि जो लड़कियां एम० ए० या बी० ए० की डिग्री लेना चाहती हैं वे लड़कों के कॉलेज में जाकर हासिल कर सकती हैं, वहां जाकर वे पढ़ सकती हैं। हमको यह कोशिश करनी चाहिये कि हम लड़कियों के लिये ऐसी शिक्षा का प्रबन्ध करें जो उनके जीवन के लिये उपयोगी हो सके। लड़की सबसे पहले मां है, उसको जाकर घर संभालना पड़ता है। मैं देख रही हूं कि सरकार घरेलू विज्ञान की शिक्षा के लिये किसी प्रकार का प्रबन्ध नहीं कर रही है। मातृत्व और शिशुपालन की शिक्षा के लिये उचित प्रबन्ध नहीं। न तो इस प्रकार की शिक्षा ग्राम सेविका ओं द्वारा मिलती है और न अन्य उपायों के द्वारा ही। मेरा यह सुझाव है कि मातत्व और शिशुपालन की उत्तम शिक्षा का प्रबन्ध लड़कियों के लिये होना नितान्त आवश्यक है। इस ओर हमारी सरकार प्रयत्नशील होती तो अधिक अच्छा हो सकता था। इसके साथ साथ लड़की के माता होने के साथ वह एक नागरिक भी है इसलिये उसको सब तरह की शिक्षा देनी चाहिये। उसको भी कला कौशल की शिक्षा दी जाय। इन सब बातों को देखते हुए शिक्षा के लिये जो बजट रखा गया है मैं समझती हूं उसे सब लोग थोड़ा कहेंगे। लेकिन प्रान्त की आर्थिक स्थिति को देखते हुए, इसकी उन्नति को ध्यान में रखते हुए हमारी सरकार इस मद में और अधिक पैसा रखती, वह भी हमें स्वीकार होता। फिर भी जो कुछ रखा गया है वह ठीक है, इसी से हम वर्तमान शिक्षा पद्धति में परिवर्तन लाकर अच्छी शिक्षा दे सकें तो हमारे प्रान्त के नागरिक अपने उत्तर–दायित्व, अपने कर्तव्यों को, अपने अधिकारों को महसूस करते हुए हमारे प्रान्त के विकास में अधिक से अधिक योग दे सकेंगे।

श्री भैरवलाल कालाबादल (अकलेरा): माननीय चेयरमेन महोदय, मांग संख्या १४, के मुख्य शीर्षक ३७–शिक्षा के सम्बन्ध में मेरा कटौती का प्रस्ताव है।

मेरे प्रस्ताव का मतलब यह है शिक्षा में, जो धन खर्च होता है वह धन अनियमितता से खर्च होता है। इसका कारण यह है कि आज समाज को उन्नतिशील बनाने के लिए शिक्षा बहुत जरूरी है। शिक्षा को उन्नतिशील बनाने के लिये हमको अधिक खर्च करना चाहिये और वह भी नियमित रूप से खर्च होना चाहिये। नियमित रूप से खर्च करने का तात्पर्य यह है कि जो धन खर्च होता है

Page No.74

(श्री भैरवलाल कालाबादल)

उसका अच्छा उपयोग हो। नियम से खर्च होते हुए भी अगर उसके लाभ न सोचे जायं और हानि–हानि ही होती रहे तो उस खर्चे को मैं अनियमित रूप से खर्चा होना समझता हूं।

आज हमारे छात्र पढ़ते हैं तो होता क्या है कि स्कूलों में अध्यापक ठीक तरह से नहीं पढ़ाते और ठीक न पढ़ाने पर भी उनको जो धन वेतन के रूप में दिया जाता है वह अनियमित है। आज स्कूल में छात्र इतने कमजोर रहते हैं कि उन्हें ट्यूशन करके पढ़ाया जाता है और इसमें जनता का भी जो खर्चा होता है वह भी अनियमित होता है। हमको शिक्षा की तरक्की के लिए अध्यापकों की इज्जत करनी पड़ेगी और इसके साथ उनको अच्छी तनख्वाह भी देनी पड़ेगी, तब वे ठीक तरह से काम करेंगे। ठीक तनख्वाह न देने के कारण नियमित रूप से वे नहीं पढ़ाते और वे तो समझते हैं कि हमें तो तनख्वाह मिलती है, वे तो पैसे के गुलाम हैं, राष्ट्र को उन्नतिशील बनाने के लिए बालकों को ठीक तरह से नहीं पढ़ाते।

आज शिक्षकों का चरित्र भी ऊंचा होना चाहिये। इसका परिणाम यह हो रहा है कि शिक्षा पर खर्च तो होता है पर शिक्षकों के चरित्र अच्छे न होने के कारण हमारे छात्र भी चरित्रवान् नहीं बन रहे हैं। पुराने समय से हम यह सुनते हैं और कई किताबों में पढ़ा भी है कि एक गुरू के घर हजारों विद्यार्थी शिक्षा पाते थे और गुरू के अनुशासन में रहते थे। आज अधिकतर छात्र गुरू के अनुशासन में नहीं रहते। आज हम कालेजों में और हाईस्कूलों में देखते हैं कि वहां चरित्र को उन्नत बनाने की ओर कम ध्यान दिया जाता है और राष्ट्र विरोधी आन्दोलन, तथ्य-बगावत करने में अधिकतर दिखाई देते हैं। इसका कारण है आज की हमारी शिक्षा का ढंग।

पाठ्यक्रम का भी बुरा असर पड़ रहा है। आज हमारा पाठ्यक्रम इस प्रकार का है कि जिससे हमारे छात्र चरित्रवान् नहीं बन पाते। इसमें तब्दीली की जरूरत है।

जो कुछ भी किताबें प्रकाशित की जाती हैं और उन किताबों को जो लिखने वाले हैं वे चाहे विद्वान हों या न हों, योग्य हों या न हों, सही तरीके से रचना न करते हों, यह नहीं देखा जाता पर देखा यह जाता है कि किसी भी तरह से हमारे एक मित्र को, साथी को, या रिश्तेदार को, या भाई–भतीजे को रोजगार मिलना चाहिये, उसे धन्धा मिलना चाहिये। इस प्रकार मैं समझता हूँ कि पाठ्यक्रम की जो पुस्तकें बताई जाती हैं और जो पैसा उनको दिया जाता है वह भी अनियमित तरीके से दिया जाता है। उसको भी मैं नियमित नहीं मानता।

मैं आपके द्वारा सदन का ध्यान इस ओर भी दिलाना चाहता हूं कि गांवों में यह हाल है कि विद्यार्थियों के बैठने के लिये कमरे नहीं हैं, स्कूलों के लिये मकान नहीं हैं, उनके लिये आसन नहीं हैं, फर्श नहीं हैं। जमीन पर कंकरों पर वे बैठते हैं, कई जगह तो पेड़ों के नीचे बैठना पड़ता है। आज अधिकांश पैसा शहरों में खर्च किया जाता है। गांवों के बच्चों के लिए खर्च बहुत कम होता है। यह भी मैं समझता हूँ कि एक प्रकार की अनियमितता है। आप जिस राष्ट्र को उन्नतिशील करना चाहते हैं और जो राष्ट्र हमारे गांवों पर निर्भर है जिस राष्ट्र के बालक हमारे गांवों में रहते

Page No.75

(श्री भैरवलाल कालाबादल)

हैं और हमारे गांवों के बालक हमारे देश को ऊंचा उठा सकते हैं उनकी ओर सरकार का ध्यान कम है। उनको शिक्षित करना चाहिये।

अध्यापकगण में आज पार्टीबाजियां हैं। हम भी पढ़ते थे एक जमाने में। तब एक हैडमास्टर के अनुशासन में सब अध्यापक रहते थे और एक 'अ' कक्षा के अध्यापक के अनुशासन में मिडिल क्लास के छात्र भी रहते थे पर आज अ क्लास के बच्चों को हैडमास्टर भी कुछ कह दे तो उसकी आज्ञा का पालन नहीं होता। यह है हमारी आज की शिक्षा और फिर कहते हैं कि हम उन्नति की ओर जा रहे हैं! हमारी आज की शिक्षा तो हमें अवनति की ओर ही लिये जा रही है और दिनो दिन हमारे बालक बिगड़ते जा रहे हैं। मैं तो समझता हूँ कि अंग्रेजों ने जो कॉलेज और हाई स्कूलें हमारे भारत को गुलाम बनाने के लिये, हमारे भारत में गुलामी की काली छाया डालने के लिए मशीनों को तैयार करने के रूप में तैयार की थीं। आज उन्हीं मशीनों का निर्माण इन कॉलेजों और हाई स्कूलों से इस स्वतंत्र भारत में भी हो रहा है। सरकार का ध्यान भी इस ओर अधिक है पर हमारी पुरानी संस्कृति की ओर ध्यान कम है।

इसलिये मैं समझता हूँ कि माननीय अध्यक्ष (सभापति), इस सारे संविधान पर होने वाली धन-राशि अनियमित है। आज इस शिक्षा के फलस्वरूप अनुशासन-हीनता, चरित्रहीनता चारों ओर छात्रों में और अध्यापकों में पाई जाती है। इसके साथ व्यवहार कुशलता भी नहीं पाई जाती। यह तरीका शिक्षा का गलत है।

श्री सभापति (श्री सज्जनसिंह) : माननीय सदस्य अपने विषय से बाहर जा रहे हैं।

श्री भैरवलाल कालाबादल : तो जो धन आज इस पर खर्च होता है, वह उपयोग में नहीं आता है, बिगाड़ हो रहा है; तो इस बिगाड़ होने को ही मैं अनियमितता समझता हूं।

(हंसी)

और अनियमित ही धन खर्च होता है। आज ग्राम सेवक ऐसे बनाये जाते हैं जो हिन्दी भाषा जानते नहीं और ग्राम का रहन-सहन नहीं जानते।

श्री सभापति (श्री सज्जनसिंह) : ग्राम सेवक का सम्बन्ध शिक्षा से नहीं है।

श्री भैरवलाल कालाबादल : शिक्षा पर ही तो है। माननीय अध्यक्ष (सभापति), आज कृषि कालेज जो खोले जाते हैं उनमें पढ़ने वाले छात्र हिन्दी बोलना नहीं जानते, अंग्रेजी बोलना जानते हैं, उन्हें कृषि की शिक्षा अंग्रेजी में दी जाती है। तो अंग्रेजो जानने वाले गांवों में जाकर क्या किसानों का भला करेंगे और क्या उनको बतावेंगे....

श्री सभापति : यह तो आप कॉम्युनिटी डेवलपमेन्ट की तरफ चल पड़े।

श्री कालाबादल : यह तो हर तरह को शिक्षा हो जाती है।

(हंसी)

मैं तो पढ़ने-लिखने को ही शिक्षा नहीं मानता; किसी भी तरह का जो ज्ञान सिखाया जाता है उसी को शिक्षा मानकर आपको बता रहा हूं। तो माननीय अध्यक्ष (सभापति), मैंने यह बताया शिक्षा के बारे में।

(श्री भैरवलाल कालाबादल)

हमारे अजमेर में अनिवार्य शिक्षा कर दी थी। पर माननीय अध्यक्ष (सभापति), आज मुझे सुनने में आया है कि अजमेर के राजस्थान में मिलते ही वह अनिवार्य शिक्षा समाप्त की जा रही है और वहां ५०० अध्यापकों को नौकरी से अलग किया जा रहा है। तो क्या वे बेकार नहीं होंगे? क्या इससे हमारे देश में बेकारी नहीं बढ़ेगी? इसलिये मैं तो यह समझता हूं कि अजमेर में ही क्यों सारे प्रान्त में, घर-घर में, गांव गांव में अनिवार्य शिक्षा होनी चाहिये और शहरी शिक्षा को, अंग्रेजी शिक्षा को, जिसने हमारे देश को गुलाम बनाया, बदलना चाहिए। आज भी पाठ्यक्रम वही गलत चल रहा है, उसको बदलना चाहिये।

तो इन बातों के आधार पर जो मैंने एक रुपया की कटौती का प्रस्ताव सदन में रक्खा है, मैं समझता हूँ कि हाउस मेरे इस प्रस्ताव का समर्थन करेगा।

श्री सभापति (श्री सज्जनसिंह) : श्री पी. के. चौधरी।

श्री पी० के० चौधरी (फुलेरा) : अध्यक्ष महोदय, I beg to move, "That the demand No. XIV, Major Head 37-Education be reduced by Rs. 100/- (to discuss the multi-purpose or higher secondary schools.)"

श्री सभापति (श्री सज्जनसिंह) : मैं माननीय सदस्य से निवेदन करूंगा कि आप के जितने भी कट मोशन्स हैं उनको आप साइमल्टेनियसली मूव कर दें।

श्री पी० के० चौधरी : Yes. I will do that.

मैंने जो कट मोशन पेश किया है उसका उद्देश्य यह है कि जो सरकार की मल्टी पर्पज़ और हायरसेकन्डरी स्कूल्स के बारे में नीति है उसकी समालोचना करूं और उस बारे में एक सुझाव भी मेरी तरफ से पेश करूं।

पहले मैं इस बात पर जोर देना चाहता हूं कि आज जिस रेट से मल्टी पर्पज़ या हायर सेकेन्डरी स्कूलें खोली जा रही हैं वे काफी कम हैं। हम चाहते हैं, काफी जल्दी स्कूलों की तादाद बढ़ाई जावे। आजकल जो रेट है उससे तो पचास-साठ सालों में भी स्कूलें हम लोगों की जरूरत के अनुसार खोल नहीं सकेंगे।

दूसरी बात जहां जहां मल्टी पर्पज़ या हायर सेकन्डरी स्कूलें खोली गई हैं वहां पर पूरे सामान का इन्तजाम नहीं था। आज तक मल्टी पर्पज़ स्कूलों के लिए कोई भी स्कूल ऐसा नहीं है जहां कौंसिलर का इन्तजाम हो। जहां पर मल्टी पर्पज़ स्कूल खोले जाते हैं तो इसका मतलब यह होता है कि वहां डाइवर्सिफाइड कोर्स शुरू हो, यानि उसका डाइवर्सिफाइड कोर्स है। उनसे बालकों को शिक्षा का कैरीकुलम लेना चाहिये, उसके लिए साइकोलोजी और एप्टीट्यूड को देख कर सलाह दी गई है कि तुमको फलां सब्जेक्ट लेना चाहिए लेकिन इसके लिए जहां मुझे जानकारी है अभी तक हमारे स्कूलों में, जिसको हम कौंसिलर कहते हैं, उसका इन्तजाम नहीं हुआ है। मल्टी पर्पज़ स्कूल्स में एक-एक, दो-दो कौंसिलर्स होने चाहिये ताकि विद्यार्थियों को साल भर की प्रोग्रेस को देखकर, उनका एप्टीट्यूड देखकर, अगर विद्यार्थी का डाइवर्सिफाइड एप्टीट्यूड होता है तो उसको

(श्री पी० के० चौधरी)

कौन सा कोर्स लेना चाहिए, यह तय किया जा सके। हमने सुना है कि आगे जाकर कुछ शिक्षकों को ट्रेनिंग देंगे कि किस तरह से कौंसिलर का काम करना है। लेकिन मैं समझता हूं कि आज जो शिक्षक मौजूदा स्कूल्स में हैं और उनका जिस प्रकार से सिलेक्शन होता है, वोकेश्नल गाइड्स की ट्रेनिंग देते हैं, वह भी पूरी नहीं होती। यहां जब शिक्षकों को इसके लिए ट्रेनिंग दी जाय, कौंसिलर्स के लिए ट्रेनिंग दी जाय तो यह देखना चाहिये कि शिक्षक का बी. ए. बी. टी. में साइकोलोजी सब्जेक्ट है या नहीं। आज जो सिलेक्सन हो रहा है, आज जो चुनाव हो रहा है उसके लिए हैड मास्टरों को लिख दिया जाता है या इन्सपेक्टरों को लिख दिया जाता है कि एक एक स्कूल में टीचर भेज दो, वे मर्जी चाहे जिसको भेज देते हैं. देखते नहीं हैं कि वे इस प्रकार की ट्रेनिंग के लिए मौजू हैं या नहीं। वे यह नहीं देखते कि बी. ए. में उसके साइकोलोजी का सब्जेक्ट था या नहीं?

मैं समझता हूं कि जहां तक कौंसिलर का इन्तजाम करने की व्यवस्था न हो सके तब तक कामयाब नहीं हो सकते। यह दुख की बात है कि आज की जो शिक्षा-पद्धति है और जो व्यवस्था आज है यदि मेट्रिक में या मल्टीपर्पज़ स्कूल्स में विद्यार्थी ५० प्रतिशत पास हो गये तो हम समझते हैं वह फर्स्ट क्लास स्कूल है, उसको फर्स्ट क्लास स्कूल कहते हैं, लेकिन हम यह नहीं देखते हैं कि बाकी के विद्यार्थी क्यों फैल हुए, ६० प्रतिशत ही क्यों पास होते हैं और ४० प्रतिशत क्यों फैल होते हैं? हम यह नहीं देखते हैं कि नेशनल एक्सचेकर का, टेक्सपेयर का कितना नुकसान होता है? दूसरे देशों में यह देखा जाता है कि क्यों फैल होते हैं। कोई फैल न होने पाये, इसी मकसद से मल्टीपर्पज़ स्कूल्स चलने देते हैं। जो कोर्स लिया जाय, उसके लिये क्या २ सब्जेक्ट्स होंगे, कौन कौन सूटेबल होंगे, यदि यह देखा जाता है तो कोई कारण प्रतीत नहीं होता, कोई वजह नहीं होती कि कोई एक विद्यार्थी फैल भी हो। यदि फैल होगा तो मैं मानूंगा कि उसके लिए शिक्षकों और कौंसिलर का ही दोष है। यह जो दुरुपयोग होता है उसको रोकने के लिए सब से ज्यादा जो जरूरी चीज है माल्टीपर्पज़ स्कूल्स के लिए वह यह है कि उसमें ट्रेन्ड कौंसिलर्स हों, यह नहीं कि नाम के लिए बता दें कि हर स्कूल में कौंसिलर का इन्तजाम कर लिया। मैं शिक्षा मंत्री महोदय से कहना चाहता हूं कि इस ओर ध्यान दिया जाय, पक्के कौंसिलर्स हों, ट्रेन्ड हों, साइकोलोजी उनका सब्जेक्ट हो, और यह दिक्कत तो तब ही दूर होगी जब विद्यार्थी डाइवर्सिफाइड कोर्स लेगा, विद्यार्थी का एप्टीट्यूड देखना होगा और जब विद्यार्थी फैल होने की बात भी नहीं होगी।

दूसरी बात मैं यह कहना चाहता हूँ कि हर एक स्कूल में साइकोलोजी की ट्रेनिंग होनी चाहिए, शिक्षकों को साइकोलोजी की ट्रेनिंग देनी चाहिए ताकि वे विद्यार्थियों को पढ़ा सकें। दूसरा मैं यह कहना चाहता हूं कि आज जो शिक्षा दी जाती है, चाहे वह शिक्षा हाई स्कूल की हो, चाहे वह शिक्षा मल्टीपर्पज स्कूल्स में हो, जिस समाज में वह विद्यार्थी पैदा हुआ है, वह उस समाज में है या उस समाज से निकल गया है, यह देखना होगा कि विद्यार्थी जिसकी शिक्षा लेता है वह उस समाज में वापिस घुस कर अपने समाज का

Page No.78

(श्री पी. के. चौधरी)

काम करता है या नहीं ? एक किसान का लड़का शिक्षा प्राप्त करता है; चाहे वह हाई स्कूल में शिक्षा प्राप्त करता है, चाहे वह मल्टी पर्पज़ स्कूल्स में शिक्षा प्राप्त करता है, शिक्षा प्राप्त करने के पश्चात् आज यह होता है कि उस लड़के को अपने बाप-दादा के धन्धे को अपनाने में शर्म आती है। आज जो शिक्षा विद्यार्थी को मिल रही है उससे अपने बाप के धन्धे को अपनाने से वह दूर भागता है। शिक्षा विद्यार्थी के लिए समाज में आज एकता और हेलमेल लाने के लिए नहीं है, वह उसको उससे दूर ले जाती है, समाज से उसको दूर ले जाती है। आज यह चीज़ रखने की आवश्यकता है कि जो विद्यार्थी शिक्षा पाता है, चाहे वह हाई स्कूल में हो, चाहे मल्टीपर्पज़ स्कूल्स में हो, चाहे कॉलेज में हो, वह अपने समाज को अपनाये, समाज और शिक्षा दोनों में एक क्लियर रिलेशन हो। दोनों को पास लाना चाहिए। आज जो शिक्षा पाकर, बी. ए., एम., ए. कर लेते हैं बाप का तो पेशा अपनाते नहीं किन्तु दफ्तरों में जाकर बाबू बनते हैं। टेक्निकल स्कूल्स में जो शिक्षा दी जाती है, जैसा एक भाई ने बताया, एक विद्यार्थी अगर आज एग्रीकल्चर की शिक्षा प्राप्त करता है तो होता यह है कि वह टीचर बन जाता है, इन्जीनियरिंग की शिक्षा पाता है तो इन्जीनियर बन जाता है, वह खेती नहीं करता। वास्तव में यह शिक्षा पद्धति का दोष है। इसलिए मैं कहूँगा कि मल्टीपर्पज़ स्कूल्स में मैंने जो सुझाव रखें हैं उनका शिक्षा में प्रयोग करके देखें। एग्रीकल्चर में मल्टीपर्पज स्कूल्स चलाते हैं। वहां जो एग्रीकल्चर की शिक्षा दी जावेगी, वह स्कूल्स में नहीं दी जावेगी, विद्यार्थी एग्रीकल्चर का सब्जेक्ट लेगा तो खेती के सीजन में, उसकी फेमिली खेती करती है तो उसको खेती करने दिया जाय, तीन-चार घंटे ही उसको स्कूल्स में आने दिया जाय। एग्रीकल्चर स्कूलों में जो किचन गार्डन बना रखे हैं वह वास्तविक तौर पर एग्रीकल्चर शिक्षा नहीं है। एग्रीकल्चर शिक्षा तो वास्तव में वही होगी कि सीजन में वह अपने बाप के साथ काम करेगा और यदि जरूरत होगी तो मास्टर खुद, जो एग्रीकल्चर शिक्षक है, वह खेतों में जाकर देखेगा कि विद्यार्थी किस प्रकार खेती करते हैं। जो शिक्षण देना होगा वह वहीं जाकर देगा। इस तरह यह होगा कि जो शिक्षण होगा वह प्रैक्टिकल शिक्षण होगा। इल्जाम जो लगाया जाता है वह सही है। जो शिक्षा देते हैं वह केवल थियोरिटिकल होती है, प्रैक्टिकल शिक्षा वास्तव में नहीं होती, उस शिक्षा का व्यवहारिक जगत के साथ सम्बन्ध नहीं रहता। इस कारण इस पर्पज़ से कि वह प्रैक्टिकल ट्रेनिंग हो, प्रैक्टिकल शिक्षा हो विद्यार्थियों को मल्टीपर्पज स्कूल्स में या हायर सेकेन्डरी स्कूल्स में शिक्षा दी जावेगी। इस प्रकार से अगर एग्रीकल्चर की उनमें शिक्षा दी जायगी तो ट्रेनिंग खत्म होने के बाद उसकी वह शिक्षा एक प्रैक्टिकल शिक्षा होगी और दूसरा फायदा उससे यह होगा कि जो उस विद्यार्थी के बाप का पैसा है, खेती का धन्धा है, उससे उस विद्यार्थी को नफरत भी पैदा नहीं होगी, उसको उस धन्धे से शर्म नहीं आयगी बाप के साथ हल चलाने में। यही मेरा सुझाव है। इस पर कम से कम एक्सपेरिमेन्ट किया जाय। दो-चार जगह इसका एक्सपेरिमेन्ट किया जाय तो वास्तव में कोई एग्रीकल्चर शिक्षा भी दी जा सकेगी और जो ये किचन गार्डन्स हैं उनकी आवश्यकता नहीं रहेगी।

दूसरी बात है....

श्री सभापति (श्री सज्जनसिंह): Order please ! मैं माननीय सदस्य का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि आपके चार कट मोशन्स और हैं, and you should be careful about the time that you have taken putting all these cut-motions.

श्री पी. के. चौधरी : माननीय चेयरमेन, मेरे दो कट मोशन्स ऐसे हैं जिनमें एक मिनिट से अधिक नहीं लूंगा । दूसरे जो दो हैं वे हैं मल्टीपर्पज़ स्कूल्स और बेसिक शिक्षा के बारे में ।

श्री सभापति : You can distribute your time according to the importance of each cut-motion.

२. ४८ म० प०

श्री पी. के. चौधरी : Yes, sir. अब मैं इसको पूरा कर लेता हूं ।

दूसरी बात यह कहना चाहता हूं कि इस तरह के एग्रीकल्चर हायर सेन्कडरी स्कूल्स चलायेंगे तो उसमें यह फायदा होगा कि जो विद्यार्थी हैं वे फेमिली का काम धन्धा सीखेंगे और उससे उनको नफरत नहीं होगी । दूसरा फायदा उसमें यह होगा कि जो केवल थ्योरिटीकल चीज़ है वह नहीं होगी और उसके साथ प्रेक्टिकल भी होगी ।

दूसरी बात यह कहना चाहता हूं कि जहां जहां मल्टीपर्पज़ स्कूल्स हैं वहां पर कम से कम विद्यार्थियों का रिकार्ड रखा जाने का इन्तजाम होना चाहिए । जितने विद्यार्थी हैं, चाहे डाइवर्सिफाइड कोर्स लिया हो या नहीं लिया हो, जब विद्यार्थी स्कूल्स छोड़ कर बाहर जाते हैं, क्या जिन्दगी में तरक्की हैं, डाइवरसिफाइड कोर्स लिया है, उसके जीवन में क्या असर होता है और जिसने डाइवर्सिफाइड कोर्स नहीं लिया है उसके जीवन में क्या असर होता है, ताकि आगे जाकर हमको यह मिलेगा कि जब किसी विद्यार्थी को कोर्स लेने में सलाह देते हैं तो उसमें से फेक्ट्स और स्टेटिस्टिक्स मिल सकेंगे और इस प्रकार आगे जाकर जो कौंसिलर्स रहेंगे वे ज्यादा एक्सपर्ट होंगे ।

दूसरी बात मैं कहना चाहता हूँ कि हर एक स्कूल में जहां जहां मल्टीपर्पज़ चलता है वहां एक एम्पलोयमेन्ट एडवाइज़री बोडी रखनी चाहिये और मल्टीपर्पज़ स्कूल्स से वोकेशनल ट्रेनिंग लेकर जो विद्यार्थी आते हैं उनको पहले प्रिफरेन्स देने के लिये सरकार को उन्हें पहले एम्पलोयमेन्ट देना चाहिये ताकि मल्टिपर्पज़ स्कूल्स को ज्यादा प्रोत्साहन मिले । इतना कह कर मैं मेरा दूसरा कटौती प्रस्ताव आपके सामने पेश करता हूं । My cut-motion is "That the Demand No 14, Major head 37-Education be reduced by Rs. 100/-(To discuss the opening of a Degree college at Sambhar)."

यह मोशन मैंने सिर्फ इसलिये रखा है कि अपने एज्युकेशन मिनिस्टर का ध्यान इस ओर दिलाऊं कि सांभर में डिग्री कॉलेज की जरूरत है । इसकी तरफ दृष्टि आकर्षित करने के लिये मैं इसकी तरफ ज्यादा बहस नहीं करना चाहता । मैं इतना कहना चाहता हूं कि वहां पर डिग्री कॉलेज की जरूरत किस लिये है । वहां पर काफी आबादी है और मिडिल क्लास और Intelligentia वहां रहती है । वे लोग हायर एज्युकेशन के लिये इच्छा रखते हैं इसलिये डिग्री कॉलेज की वहां जबर्दस्त मांग है । लोग ज्यादा से ज्यादा

(श्री पी. के. चौधरी)

चाहते हैं कि वहां डिग्री कॉलेज हो और डिग्री कॉलेज न होने से वहां के लोगों में असंतोष है। इसलिये मैं चाहूँगा कि मंत्रीजी वहां पर डिग्री कॉलेज खोलने का जल्दी से जल्दी इन्तजाम करें।

मेरा दूसरा कट मोशन इस प्रकार है:—
"that the Demand No. 14 major head 37 Education be reduced by Re. 1/-(To discuss the Besic Education in the State)."

जहां तक बेसिक एज्युकेशन का ताल्लुक है, हम देखते हैं कि जिस ढंग से हम चाहते हैं उस रूप में बेसिक एज्युकेशन का प्रचार नहीं हो रहा है और मेरे पहले वाले वक्ता जो थे उन्होंने बताया कि किस ढंग से बेसिक एज्युकेशन दी जाती है। जिन स्कूलों को हम बेसिक स्कूल्स कहते हैं वहां पर भी बेसिक टाइप का एज्युकेशन नहीं दिया जाता है, नाम के लिये ही बेसिक स्कूल्स हैं। कोलेशन वगैरह है उनकी शिक्षक लोगों को जानकारी नहीं है।

दूसरी बात, जिसका कि हमको पता लगा है सेन्टर ने हमको कह दिया था कि कम से कम ५ साल में २५ पर्सेन्ट स्कूल्स बेसिक स्कूल्स बना लें लेकिन हमारी सरकार ने इस बात को मन्जूर नहीं किया है। वे तो दो ढाई हज़ार स्कूलों को बेसिक स्कूल्स बना रहे हैं और चार–पांच हजार ट्रेडिशनल स्कूल्स खुल रही हैं। मैं चाहता हूँ कि बेसिक एज्युकेशन को तरक्की देने के लिये बेसिक स्कूल्स ही खोले जायं। आज ट्रेडीशनल एज्युकेशन का जमाना खत्म हो गया है, उसका आज कोई स्थान नहीं है। अन्य बच्चों को आज बेसिक एज्युकेशन के थ्रू शिक्षा दे सकते हैं। इससे क्या क्या भलाई होती है, यह बात आपको अच्छी तरह से मालूम है। मैं यह नहीं कहना चाहता कि बेसिक एज्युकेशन क्यों देनी, चाहिये यह आप सब जानते हैं। मैं सिर्फ यह बताना चाहता हूँ कि यहां बेसिक एज्युकेशन का प्रचार करने के लिये या बेसिक स्कूल्स खोलने के लिये हमारे सामने जो दिक्कतें आती हैं उसके लिये मैं आपके सामने कुछ सुझाव रखना चाहता हूँ। एक तो यह कि बेसिक एज्युकेशन पद्धति की जो स्कूल्स हैं उनकी शिक्षा खत्म होने के बाद बेसिक स्कूल के लड़कों को दूसरी स्कूलों में एडजस्ट होना मुश्किल है। बेसिक एज्युकेशन सिस्टम पीसमील में इन्ट्रोड्यूस नहीं हो सकता। पीसमील में इन्ट्रोड्यूस होता है, उसका नतीजा यह होता है कि बेसिक स्कूलों में प्राइमरी तक बेसिक एज्युकेशन का इन्तजाम होता है। प्राइमरी से आगे की शिक्षा बेसिक स्कूल्स के अलावा साधारण स्कूलों में लेनी होती है, वहां उनके लिये मुश्किल हो जाती है। पूरी बेसिक स्कूल्स नहीं होती हैं तो प्राइमरी स्टेट पर जो बेसिक शिक्षा देते हैं उस पर पानी फिरता है। इसलिये पीसमील इन्ट्रोडक्शन नहीं होना चाहिये। सच्चे माने में यदि बेसिक सिस्टम को इन्ट्रोड्यूज करना है तो तमाम स्टेज पर एक साथ इन्ट्रोड्यूस करने की कोशिश करनी चाहिये क्योंकि हम जब तक पुरानी शिक्षा पद्धति को नहीं बदलेंगे और बदले में इसको इन्ट्रोड्यूस नहीं करेंगे तब तक प्राइमरी स्टेज पर देने से कोई फायदा नहीं होगा। आज थ्योरिटिकल वे इन्ट्रोड्यूस करते हैं, एक जगह किया और दूसरी जगह नहीं किया। हम ऐसा नहीं चाहते हैं। हम चाहते हैं कि जितनी प्राइमरी स्कूल्स हैं उनको बेसिक स्कूल्स बनाया जाय। आज जो दिक्कत है वह यह है कि टीचर्स नहीं हैं। इसको भी

(श्री पी० के० चौधरी)

ठीक करना है और इसको ठीक कर सकते हैं। सरकार यह मुकर्रर कर दे कि बेसिक स्कूल्स में सिम्पल क्राफ्ट्स को इन्ट्रोड्यूस करना है और जब तक तीन चार साल में टीचर्स ट्रेनिंग लेकर तैयार नहीं हो जावें तब तक सिम्पल क्राफ्ट्स चालू रहें। लेकिन सरकार बेसिक स्कूल्स के टीचर्स को ट्रेन करने की ओर भी कोई खास ध्यान नहीं देती है। सरकार ने बजट में टीचर्स की ट्रेनिंग के लिये ६२,००० रु० की रकम रखी है। हम उनको एक साथ ट्रेन करना चाहते हैं तो टीचर्स के लिये ज्यादा पैसों का इन्तजाम करना चाहिये।

दूसरी बात मैं यह कहना चाहता हूं कि कम से कम सरकार यह दृष्टि रखकर चले कि हमको दो तीन साल में सभी स्कूलों को बेसिक स्कूल्स करना है। यदि ऐसा ख्याल रखें तो उसको चाहिये कि जितनी प्राइमरी स्कूल्स हैं उन सब में सिम्पल क्राफ्ट्स इन्ट्रोड्यूस कर दें। दूसरी बात बेसिक ढंग से कोलेशन की शिक्षा मिलनी चाहिये। हर एक स्कूल्स में क्राफ्ट्स, सफाई आदि का काम बच्चों को सिखाना चाहिये, स्कूलों का मेनेजमेन्ट भी बच्चों को बताना चाहिये। अभी सब स्कूलों का मेनेजमेन्ट हैड मास्टर करते हैं लेकिन मेनेजमेन्ट का काम हैड मास्टर नहीं करें और बच्चों को बताया जाय कि किस प्रकार स्कूलों को चलावें। बच्चे खुद मेनेजमेन्ट चलायें और मास्टर देखते रहें। यदि ऐसा करेंगे तो बच्चों में सेन्स ऑफ रेस्पोन्सिबिलिटी आ सकती है। इस प्रकार की छोटी मोटी चीजें इन्ट्रोड्यूस करनी चाहिये। जो बेसिक स्कूल्स प्राइमरी स्टेज पर हैं मैं चाहता हूँ कि सरकार की तरफ से एक ढंग की प्राइमरी स्कूल में सिम्पल क्राफ्ट्स इन्ट्रोड्यूस किये जायं। क्राफ्ट्स सिखाने का जो मौजूद तरीका है उसका मैं समर्थन करता हूँ। वह इसलिये नहीं करता हूँ कि बेसिक स्कूल्स में बी. ए. पास करके शिक्षक लोग आकर शिक्षा देते हैं वह वास्तविक शिक्षा नहीं होती है। क्राफ्ट्स की शिक्षा अगर देनी है तो ट्रेडीशनल क्राफ्ट्समेन, जैसे वीवर्स, कार्पेन्टर्स आदि होते हैं उनसे शिक्षा दिलानी चाहिये। जहां तक कोलेशन होता है वहां तक बेसिक टीचर ट्रेनिंग दे सकता है लेकिन कैसे कपड़ा लगाना, कैसे रंगना, कैसे पैदा करना उसकी शिक्षा ठीक ढंग से ट्रेडीशनल लोगों से दिलानी चाहिये। उसका नतीजा यह होता है कि बच्चों को अच्छी तरह शिक्षा मिल सकती है, नहीं तो मामूली शिक्षा प्राप्त टीचर्स क्राफ्ट की हत्या करते हैं। एक्चुअल क्राफ्ट्स की शिक्षा ट्रेडीशनल क्राफ्ट्समेन, वीवर, कार्पेन्टर आदि हैं उन्हीं से दिलानी चाहिये। थ्योरिटिकल शिक्षा बेसिक ट्रेन्ड टीचर्स दे सकते हैं। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं कि जहां पर हम बेसिक स्कूल्स खोलते हैं, वहां कम से कम जो हम बेसिक क्राफ्ट चलाते हैं, उनके साथ साथ हम सब्सीडियरी क्राफ्ट चलाते हैं, तो वह चल सकता है और उससे स्कूल की इन्कम बढ़ सकती है। मसलन हम जहां पर बेसिक वीविंग स्कूल में इन्ट्रोड्यूज करते हैं, जहां वीविंग आप सिखाते हैं, उसके साथ सब्सीडियरी क्राफ्ट शुरू करें; जैसे वीविंग के साथ ब्लीचिंग, डाइंग और प्रिन्टिंग हैं। इससे क्या होगा? जो आप बेसिक स्कूल्स में कपड़ा बनायेंगे वह ज्यादा भाव से बेचा जा सकेगा। आप सब जानते होंगे कि बेसिक एजुकेशन का जो आइडिया है वह गांधीजी की वजह से आया। उनका यह विचार था

(श्री पी. के. चौधरी)

कि स्कूलें सेल्फ सपोर्टिंग होंगी और टीचर्स की तनख्वाह है वह उसे मिल जायगी, जो सामान वहां बनाया जायेगा । आज हम देखते हैं कि बेसिक स्कूलें ट्रेडीशनल स्कूल्स से भी कोस्टली बन गई हैं । जिस आइडिया को लेकर गांधीजी ने नई तालीम, बेसिक एजुकेशन की शुरुआत की थी वह इस वजह से और इस चीज को मान कर की थी कि ट्रेडीशनल सिस्टम स्कूल शिक्षा की नीड (need) को पूरा नहीं कर सकेगी । इसलिए शिक्षा को सस्ता करने के लिए यह जरूरी है कि कम पैसा खर्च हो और इस ख्याल से बेसिक स्कूल्स को शुरू किया था । लेकिन आज आप देखेंगे कि बेसिक स्कूल्स का खर्चा ट्रेडीशनल स्कूल्स से ज्यादा होता है । जो हमारा बेसिक स्कूल्स को कम खर्च में चलाने का प्रश्न था, वह आज ज्यादा कोस्टली हो गया है ।

दूसरी बात जो बेशिक शिक्षा के बारे में आती है वह यह है कि बेसिक शिक्षा में हम प्रोडक्टिव साइड को भूल जाते हैं और थ्योरिटिकल को ज्यादा ध्यान में रखते हैं । हम मानते हैं कि बेसिक शिक्षा की बात जब जिनके दिमाग में आई थी, उनका विचार था कि बेसिक शिक्षा सेल्फ सपोर्टिंग हो । शिक्षकों की तनख्वाह उस सामान से आ जायगी, जो स्कूल सामान पैदा करेंगी । इसलिये मैं समझता हूँ कि बेसिक शिक्षा के साथ हमें सब्सिडियरी क्राफ्ट को रखना चाहिए । जो ये स्कूल्स कपड़ा बनाते हैं उसको ब्लीच्ड कर दें, जरा रंग दें, तो उनकी ज्यादा कीमत मिल सकती है । साथ ही जो हम क्राफ्ट की शिक्षा देते हैं वह कम्पलीट शिक्षा होती है । आप सांगानेर में पेपर मिल को रखते हैं, वहां पेपर मेकिंग सिखाते हैं, लेकिन पूरा मेकिंग नहीं सिखाते । आप जामिया मिलिया में जाइये, वहां आप देखेंगे....

श्री जनार्दनराय नागर : On a point of order, Mr. Chairman, समय इतना कम है, इसमें पूरे कटमोशन कैसे लेंगे ?

श्री सभापति : मैंने सदस्यों को ध्यान दिलाया था कि कटमोशन्स एक समय में एक साथ मूव कर दें, लेकिन आप यह भी ध्यान में रखें कि पांच पांच मिनट एक-एक कट मोशन के लिए दिये जायें तो पांच पांच मिनट के हिसाब से कम से कम २५ मिनट तो देने होंगे । इनको २० मिनट बोलते हुए हो गये हैं । मैं इनको सेकिंड वार्निंग देने वाला था । मैं माननीय सदस्यों से दरख्वास्त करना चाहूँगा कि आपके दूसरे कट मोशन भी इस बेसिक एजुकेशन से सम्बन्ध रखने वाले हों, आप उन सब पर साथ साथ बोल कर समाप्त कर दें ।

श्री पी. के. चौधरी : This is my third cut-motion. Now only two are left.

श्री सभापति : और दूसरे माननीय सदस्य भी बोलना चाहेंगे इसलिये जहां तक सम्भव हो अपना भाषण शोर्ट करें ।

श्री पी. के. चौधरी : Within five or ten minutes I am finishing. मैं कह रहा था कि सब्सीडियरी क्राफ्ट इन्ट्रोड्यूस करें । इससे जो प्रोडक्शन होगा उससे ज्यादा पैसा मिल सकेगा और हमको इकोनोमिक मदद भी मिल सकेगी ।

अब इतना कहते हुए मैं अपना तीसरा

Page No.83

(श्री पी. के. चौधरी)

कट मोशन आपके सामने पेश करता हूं। मेरा थर्ड कट मोशन है :

"That the Demand No. XIV, Major head 37, Education be reduced to Rs. 100/- (To discuss starting of higher secondary and Multi-purpose schools at Phulera Sambhar and Kishangarh-Renwal.) यह कट मोशन खास तौर से क्रिटिसाइज़ करने के लिए नहीं है लेकिन हमारे मिनिस्टर साहब का ध्यान इस तरफ आकर्षित करना बहुत जरूरी है। रेनवाल, किशनगढ़, फुलेरा और सांभर में मल्टी पर्पज़ और हायर सेकन्डरी स्कूल्स खोलना। वहां की पोपुलेशन के लिहाज से और वहां की पोपुलेशन के क्लासिफि-केशन के लिहाज से जरूरी है। सांभर में ज्यादातर लोग मिडिल क्लास के लोग हैं। किशनगढ़ में ज्यादातर बिजनेस कॉम्युनिटी है, फुलेरा में सर्विस क्लास के लोग हैं। इन सब जगहों की जनता की डिमान्ड मल्टीपर्पज़ और हायर सेकन्डरी स्कूल्स की बहुत ज्यादा है। इसलिए मैं मन्त्री महोदय की दृष्टि इस तरफ आकर्षित करना चाहता हूँ कि इन जगहों पर मल्टी पर्पज़ और हायर सेकन्डरी स्कूल्स खोले जायं। मैं आशा करता हूं कि मंत्री महोदय महरबानी करेंगे इस चीज को मंजूर करने की। हम देखते हैं कि जहां इसकी डिमान्ड कम है वहां मल्टी पर्पज़ स्कूल खोले गए हैं, इसलिए मैं हिम्मत करता हूँ कहने की कि जहां ज्यादा डिमान्ड है, ज्यादा मांग है, वहां पर मल्टीपर्पज़ और हायर सेकन्डरी स्कूल्स होनी आवश्यक हैं। इतना कह कर मैं इस मांग को आपके सामने पेश करता हूं।

मेरा फोर्थ मोशन है: "That the Demand No. XIV, Major head 37 Education be reduced by Re. 1/- (To discuss the failure to make Education compulsory in the State.).

यह कट मोशन इसलिये किया कि हम सरकार का ध्यान इस तरफ दिलवाना चाहते हैं कि जो कम्पलसरी एजुकेशन है, यह बहुत जरूरी है और इसे आपको जल्दी से जल्दी पूरा करना चाहिये। मैंने पहले भी सदन में कहा था कि हमारे जो डारेक्टिव प्रिन्सिपल्स ऑफ स्टेट हैं, उनमें कहा गया है, जो हमारा हिन्दुस्तान का संविधान है, उसमें आता है कि दस वर्ष के अन्दर कम्पलसरी एजु-केशन कर देनी चाहिए यानि १४ वर्ष के बच्चों के लिए कम्पलसरी एजुकेशन करनी चाहिये। आज तक उसमें हम कामयाब नहीं हो सके इसलिए पार्लियामेन्ट ने एक रिज़ोल्युशन पास किया था कि १० साल जो १९६१ में पूरे हो जाते हैं उसमें पांच साल और बढ़ा दिये जायेंगे; यानि १९६६ तक हम कम्पलसरी एजुकेशन का इन्तजाम कर सकेंगे, लेकिन जिस रेट से हम चलते हैं उस रेट से कम्पलसरी एजुकेशन ५० साल में भी हम नहीं दे सकते। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ कि इसके ऊपर ज्यादा ध्यान दिया जाय। हम सब मानते हैं कि यह प्रश्न जो हमारे सामने है, उसको लेकिंग ऑफ फाइनेंस के कारण पूरा नहीं कर पाते। मेरे पूर्व वक्ताओं ने भी कम्पलसरी एजुकेशन पर गौर किया है और उन्होंने सुझाव दिये हैं। मैं भी कुछ सुझाव देना चाहता हूं। मैं इस चीज को मानता हूँ कि अगर हम पैसे की तरफ देखते जायेंगे, १०० वर्ष चले जायेंगे तो भी कम्पलसरी एज्युकेशन नहीं होगी और

Page No.84

(श्री पी. के. चौधरी)

साथ ही जिस एज्युकेशन को हम आज पकड़े हुए हैं वह सच्ची एज्युकेशन नहीं है क्योंकि जो विद्यार्थी शिक्षा पाने आता है उसको यह शिक्षा बेसिक एज्युकेशन के पास नहीं, दूर ले जाती है; तो हमारी जो शिक्षा पद्धति है उसमें परिवर्तन करना चाहिये। मैं कम्पल्सरी एज्युकेशन के बारे में सिर्फ दो सुझाव लाना चाहता हूं।

पहला तो यह सुझाव पेश करना चाहता हूँ कि जो शिक्षा कम पैसे से देनी है तो ऐसे शिक्षक निकालने हैं जो सस्ते टीचर्स हों, और सस्ते ही स्कूल्स हों। इसमें जो तनख्वाह देने का रखा है वह नहीं रखकर जो साधु-सन्यासी हैं, जो साधु-समाज है, जो शिक्षा देने को तैयार हैं, ऐसे साधुओं को पकड़कर गांवों में जमीन दे दें, उस जमीन पर आश्रम टाइप के स्कूल्स चलाये जायं। वहां हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं : वहां विद्यार्थी काम करेंगे और टीचर्स खेती करेंगे; इससे उनका निर्वाह हो सकता है और साथ ही साथ वे टीचर्स प्राइमरी एज्युकेशन दे सकते हैं। तो जो पैसे की जिम्मेदारी हमारे ऊपर लेते हैं, उससे हम पूरी तरह नहीं कर सकते। गांव वालों से मिल कर उनको जमीन निर्वाह के लिए जमीन दिलाई जा सकती है और इस तरह गांव में स्कूल चालू कराया जा सकता है। वहां हमारे लिए किसी प्रकार की रुकावट नहीं हो सकती। आप शायद इसे इम्प्रेक्टिकेब्ल समझते हों, मिनिस्टर साहब हंस रहे हैं, शायद वे इसे इम्प्रेक्टिकेब्ल समझते हों, पर मैं कहता हूँ, यह प्रेक्टिकेब्ल है। नाथद्वारा में साधु हैं, उनको जमीनें दे दीजिये, गांव में बैठाइये, गांवों में जमीनों की कमी नहीं ...

श्री सभापति : क्या मैं माननीय सदस्य का ध्यान समय की तरफ आकर्षित कर सकता हूँ। I just wanted to draw your attention towards the time.

You will very kindly be brief.

श्री पी० के० चौधरी : I am just concluding.

दूसरा सुझाव है कि हमारे राजस्थान में कई हिस्सों में बस्तियां बहुत दूर दूर हैं और कई गांवों के बीच में एक एक स्कूल है जहां से कई गांव दूर पड़ जाते हैं, इसलिये उन गांवों के विद्यार्थी उन स्कूलों में, पढ़ने के लिये आ नहीं सकते, इसके लिये मैं यह सुझाव रखना चाहता हूँ कि मोबाइल स्कूल्स का इन्तजाम होना चाहिये। मास्टरों को जीप दे दी जायं और उन गांवों के विद्यार्थियों को स्थान और समय बता दिया जाय। शिक्षक जीप द्वारा नियत स्थान और समय पर वहां पहुंच जायं और विद्यार्थियों को पढा कर दूसरी जगह नियत स्थान और समय पर विद्यार्थियों को शिक्षा देने चले जायं। उधर विद्यार्थी इकट्ठे हो जायं और एक टीचर जीप द्वारा वहां पहुँच कर उन उन स्थानों पर अलग अलग समय पर शिक्षा दे आये। जिन गांवों की थिन पोपुलेशन है, जैसलमेर और बाड़मेर के बारे में मेरे भाई बात करते थे वहां मोबाइल स्कूल्स का इन्तजाम करेंगे तो अच्छा रहेगा।

श्री मूलचन्द डागा (पाली) : माननीय सभापति, मेरा कट मोशन है :

"That the Demand No. XIV, Major head 37-Education be reduced by Re. 1/- (To discuss the inadequacy of buildings for primary schools in Pali)."

मेरा जो कटौती प्रस्ताव है, बिलकुल साफ

Page No.85

(श्री मूलचन्द डागा)

है। उसका उद्देश्य साफ है और किसलिये रखा है वह भी साफ है। मेरी छोटी सी मांग है। मैं यह नहीं चाहता कि शिक्षा शास्त्रियों की तरह बातें करूं कि जीर्ण हों या और बड़ी बड़ी बातें करूं। मेरी तो एक छोटी सी मांग है कि स्कूलों के लिये बिल्डिंग्स का इन्तजाम कर दिया जाय। मैं शिक्षा शास्त्रियों की तरह लम्बी लम्बी बातें नहीं करूंगा, मैं तो यह निवेदन करूँगा कि मेरे शहर में स्कूल बिल्डिंग्स नहीं हैं, जहां शिक्षार्थी शिक्षा प्राप्त करें। पाली जोधपुर डिवीजन का एक बड़ा शहर है, ३०००० की जन-संख्या तक तो पहुँच गया है।

(हंसी)

और आगे बढ़ने की आशा है! इस शहर में आज तक एक भी प्राइमरी स्कूल का भवन या मकान नहीं है, जहां कि ३ प्राइमरी स्कूलें चलती हैं। मेरे ख्याल से आप चाहेंगे कि स्कूलों का जो निर्माण हो, अच्छे मकानों में हो। मकान और इमारत बच्चों और शिक्षकों पर असर डालता है। हमारे यहां पहली प्राइमरी स्कूल में ३०० छात्र हैं, दूसरी प्राइमरी स्कूल में २५० छात्र हैं और तीसरी प्राइमरी स्कूल जो शरणार्थियों के लिये है उसमें १७५ छात्र हैं। एक प्राइमरी स्कूल मिल की ओर से चलता है उसमें १५० विद्यार्थी हैं। मिल का सेठ अपनी ओर से १०००० रुपये देने को तैयार है पर कई बार की लिखा-पढ़ी के बावजूद भी मिल के सामने स्कूल भवन का निर्माण नहीं हो रहा है। मैं आपका ध्यान इस ओर दिलाना चाहता हूं कि आज-कल पाली में जिन स्थानों पर प्राइमरी स्कूल्स हैं, वहां गंदगी है, गलियें हैं, और वास्तव में इन स्कूलों के लिये भवन हैं ही नहीं, ये स्कूलें न्यात के नोहरों में हैं जहां शादी के दिनों में न्यात वाले अच्छी तरह से जीम सकते हैं, जब कोई न्यात होती है तो लड़कों को छुट्टी हो जाती है, ऐसे स्थानों पर स्कूलें हैं। जहां बड़े बड़े कॉलेज और शिक्षा संस्थाओं के लिये बड़े बड़े शिक्षा शास्त्री सुझाव रखते हैं वहां जोधपुर डिवीजन में पाली जैसे बड़े शहर मे प्राइमरी स्कूलों के लिये इमारतें तक नहीं हैं, यह एक सोचने की बात है।

एक बात मैं और निवेदन करना चाहूँगा, वह यह है कि वहां के धनी सेठ बांगड़जी ने स्कूल भवन का निर्माण किया, पर शिक्षा विभाग ने उस पर भी हस्तक्षेप करना शुरू कर दिया और इन्स्पेक्टर्स ऑफ स्कूल्स, और बड़े २ स्कूलों के निरीक्षक हैं, उनके भी कार्यालय वहीं खोल दिये हैं। वहां एक ओर स्कूल का वातावरण है, दूसरी ओर आपका यह कार्यालयों का वातावरण है। सेठजी ने लाखों रुपया स्कूल भवन के निर्माण पर लगाया पर आपने न मालूम किस शर्त पर वहां अपना कार्यालय चला रखा है जब कि सरकार के कार्यालय के लिये दूसरे मकान मौजूद हैं। फिर भी न मालूम क्यों उस भवन में स्कूल के वातावरण में कार्यालय का वातावरण पैदा कर दिया है।

एक बात मैं और कहना चाहता हूं वह यह हैं, मन्त्री महोदय मुझे इसके लिये आश्वासन दें, मेरी यह मांग नहीं है कि इसी साल इन भवनों का निर्माण करें, मैं तो यह चाहता हूँ कि सरकार अभी से इस बात के लिये सजग हो जाय कि पाली शहर में इन स्कूलों के लिये अभी से जमीन एक्वायर कर

(श्री मूलचन्द डागा)

ले, क्योंकि पाली में मकान बहुत बढ़ रहे है। सरकार प्राइमरी स्कूलों के भवनों के निर्माण के लिये स्थान एक्वायर करने का काम आसानी से कर सकती है। जो जमीनें शहर से सटी हुई हैं, उनको प्राइमरी स्कूलों के लिये एक्वायर कर ले; जहां आज नहीं बाद में स्कूलों के लिये भवन बन सकें और खेलने के लिये मैदान रह सकें।

तो एक चीज की ओर आपका ध्यान दिलाने का था। शहर की बढ़ती हुई जन-संख्या और स्कूलों की संख्या देखते हुए प्राइमरी स्कूलों के लिये वहां जमीनें एक्वायर करेंगे और इस साल नहीं, चन्द वर्षों में वहां स्कूलों का निर्माण हो जायगा, ऐसी मुझे आशा है।

श्री सभापति : श्री भीमसेन।

मैं आपसे निवेदन करूंगा कि आपके तीन-चार कटौती प्रस्ताव हैं उनको साइमल्टेनियसली ले लें।

श्री भीमसेन (लूनकरनसर) : मेरा पहला कटौती प्रस्ताव इस प्रकार है :

"That the Demand No. XIV Major head 37-Education be reduced by Re. 1/- (To discuss the mismanagement in schools in rural areas of the State)."

श्री सभापति : Please speak a little close to the mike.

श्री भीमसेन : राज्य से प्रतिवर्ष देहातों में स्कूलें खुलतीं हैं लेकिन जिस गति से देहातों में स्कूलें खोली जाती हैं उसी तरह से स्कूलों की व्यवस्था नहीं होती। बहुत से स्कूलों में ब्लेक बोर्ड्स और दूसरे मेटीरियल्स की कमी रहती है, कहीं अध्यापक नहीं हैं तो कहीं अध्यापकों के पास टेक्स्ट बुक्स का अभाव रहता है। इसके अलावा सबसे बड़ी शिकायत यह रहती है कि अध्यापक गांवों में मौजूद नहीं रहते और इस तरह देहाती क्षेत्रों में स्कूलों का, शिक्षा का प्रबन्ध संतोषजनक नहीं कहा जा सकता। इस ओर सरकार का ध्यान आकर्षित करने के लिये मैंने यह कटौती का प्रस्ताव पेश किया है।

राज्य के देहाती क्षेत्रों में खास तौर से बीकानेर जिले की ओर ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं जहां स्कूलों में ऐसे अध्यापक भर्ती किये जाते हैं जिन्हें देहातों में रहने से कोई मोहब्बत नहीं, जिन्हें देहातों के रहन-सहन के बारे में कोई जानकारी नहीं। ऐसे टीचर्स हैं जो देहातों में रहना पसंद नहीं करते और वे महीने में केवल तीन चार दिनों के लिये महज इसलिये गांवों में आते हैं कि रजिस्टरों की खाना पूर्ति उन्हें करनी पड़ती है। इस प्रकार की व्यवस्था सन्तोषजनक नहीं कही जा सकती। इस बारे में सरकार को दृढ़ नीति अपनानी चाहिये।

अब मैं व्यवस्था में सुधार लाने हेतु कुछ सुझाव प्रस्तुत करना चाहता हूं। सबसे पहले स्कूलों में जो अध्यापक रखे जावें वे ऐसे रखे जावें जिनको देहात की जानकारी हो और हो सकता हो तो ऐसे ही अध्यापक रखे जावें जो देहात के ही रहने वाले हों। जिनको अपने देहात की उन्नति में दिलचस्पी हो। आज इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता कि

(श्री भीमसेन)

यदि कोई व्यक्ति जो देहात का रहने वाला हो और देहात में ही अध्यापक बनाया जाए तो वह उस देहात की काया पलट कर सकता है अगर वह दिलचस्पी से काम करे। मगर आज यह देखा जाता है कि जिस तरह के के अध्यापक मिल जाते हैं उनको रख लिया जाता है। मैं यह नहीं कहना चाहता कि उनको नहीं रखा जाना चाहिये मगर आवश्यकता इस बात की है कि उन्हीं लोगों को तरजीह दी जावे जो देहात से दिलचस्पी रखते हों और देहात के ही रहनेवाले हों।

दूसरी बात जो मैं सरकार के ध्यान में लाना चाहता हूँ वह यह है कि जो एस. डी. आई० और इन्सपेक्टर आदि हैं उनको यह हिदायत होनी चाहिये कि कम से कम एक स्कूल में वर्ष में एक बार अचानक निरीक्षण करें ताकि अध्यापकों को यह भय रहे कि न मालूम किस समय ऑफीसर्स इन्सपेक्शन के लिये आ जाएं। इसके लिये कोई प्रोग्राम पहले से निश्चित नहीं किया जाए कि फलां तारीख को निरीक्षण किया जाएगा जिससे कि तमाम अध्यापक कन्ट्रोल में रहें। ऐसी व्यवस्था करने से वे इस बात की चिन्ता रखेंगे कि एस. डी. आई. न मालूम किस समय आ जाए और इस कारण वे सतर्क रहेंगे। इसलिये मैंने अपना यह कट मोशन रखा है और राज्य सरकार का ध्यान इस ओर दिलाया है।

दूसरा मेरा प्रस्ताव इस प्रकार है :

"That the Demand No. 14-Major Head 37-Education be reduced by Re. 1/- (To discuss the matters pertaining to purchase of books for educational institutions)."

सरकार अपनी संस्थाओं के लिये प्रतिवर्ष किताबें खरीदती है स्कूलों के लिये तथा सरकारी पुस्तकालयों के लिये। इस संबन्ध में सरकार ने जो नीति अपनाई है वह टेन्डर्स मांग कर खरीदने की है इससे कुछ बड़े बड़े व्यवसायी ही कमीशन पर किताबें दे सकते हैं और लाभ उठाते हैं। इस नीति से लेखकों, प्रकाशकों और छोटे छोटे पुस्तक विक्रेताओं को बहुत असन्तोष है और मैंने इस व्याप्त असन्तोष की ओर सरकार का ध्यान आकर्षित करने के लिये यह प्रस्ताव रखा है। इस व्यवस्था में वही inherent deffects हैं जिससे करप्शन को प्रोत्साहन मिलता है और सरकार की जो घोषित नीति है उस नीति के विपरीत यह नीति पड़ती है। सरकार यह चाहती है कि डिसेन्ट्रलाइजेशन ऑफ पोवर हो लेकिन जो नीति पुस्तक खरीदने में अपनाई है उससे सेन्ट्रलाइजेशन ऑफ पोवर होता है और इसके साथ साथ इस व्यवस्था से यह भी शंका करने की गुंजाइश होती है कि सरकार अपने कर्मचारियों का अविश्वास करती है। मैं समझता हूं कि जहां जहां किताबें खरीदी जावें उसके बारे में सरकार हेड ऑफ Institutions पर ही छोड़ दे कि जिस तरह की किताबें वह चाहे खरीद लें। यह व्यवस्था सरकार के लिये भी फायदेमन्द होगी। जो नीति सरकार की तरह से अपनाई जा रही है उससे ऐसा मालूम होता है कि सरकार इससे कुछ लोगों को आर्थिक लाभ पहुँचना चाहती है। मैं समझता हूँ कि पुस्तकों के मामले में, सरस्वती के मन्दिर में लक्ष्मी का प्रवेश नहीं होना चाहिये। सरस्वती और लक्ष्मी एक साथ नहीं रह सकतीं।

सरकार की मुख्य समस्या है बेरोजगारों को रोटी देने की। इससे मैं समझता हूँ कि वह समस्या भी कुछ अंश में पूरी होगी

(श्री भीमसेन)

क्योंकि छोटे छोटे पुस्तक विक्रेता हैं उनको व्यवसाय मिलेगा जिनके व्यवसाय पर अभी बहुत बड़ा असर पड़ रहा है। सरकार इस पर पुनः विचार करे ताकि छोटे छोटे पुस्तक-विक्रेता, प्रकाशक और लेखक हैं जो इस सरकारी नीति से प्रभावित हो गये हैं रोजी पा सकें। सरकार को अन्ततोगत्वा उनके लिये प्रबन्ध करना पड़ेगा तो पहले से ही सरकार कुछ उनको क्यों न दे दे? पुस्तकें हेड ऑफ institutions ही खरीदें तो अधिक सुविधा जनक रहेगा। इस तरह से मैंने सरकार का ध्यान इसी नीति पर पुनर्विचार करने के लिये यह प्रस्ताव पेश किया है।

तीसरा प्रस्ताव मेरा इस प्रकार है :

"That the Demand No. 14. Major head 37-Education be reduced by Re. 1/- (To discuss the failure of Government for making a provision for B-Com. and poat-graduate classes in Political Science at Doongar College, Bikaner, in the current year)."

वैसे तो बीकानेर की अनेक समस्याएं हैं, वहां के होस्पिटल के विकास की समस्या है, वहां पर मेडिकल कालेज स्थापित करने की मांग है पब्लिक की ओर से और इसके साथ साथ वहां वाटर रिज़र्वर बनाने की समस्या है। इन मांगों को पूरा नहीं करने के कारण वहां की जनता में गहरा असन्तोष है। लेकिन इन समस्याओं की ओर ध्यान आकर्षित करने के लिये मैंने जो cut-motions प्रस्तुत किये है उस वक्त बोलूंगा। इस कट मोशन के द्वारा मैं बीकानेर में बी.कोम. एवं पोलिटिक्स में पोस्ट ग्रेजुएट क्लासेज़ खोलने की मांग की ओर सरकार का ध्यान दिलाना चाहता हूँ।

मैं समझता हूं कि बीकानेर का डूंगर कॉलेज, बीकानेर डिवीजन के लिये शिक्षा की पूर्ति करता है और यह एक ऐसा कॉलेज है जहां पर गंगानगर और बीकानेर जिलों के विद्यार्थी फायदा उठाते हैं। वहां पर बी. कॉम. क्लासेज़ के नहीं होने से यह एक बहुत खटकने वाली कमी है और इसको पूरा करना चाहिये और इसके साथ साथ पोलिटिक्स में एम. ए. क्लासेज़ भी शुरू करनी चाहिये। मैं समझता हूँ कि सरकार इस पर शीघ्र ही निर्णय लेगी।

इन शब्दों के साथ मैं अपना प्रस्ताव पेश करता हूं।

श्री लक्ष्मीचन्द (सांचोर) : सभापति महोदय, मेरा प्रस्ताव इस प्रकार हैं, "मांग संख्या १४, मुख्य शीर्षक ३७–शिक्षा में १००) रु० की कटौती की जाय (सांचोर में हाई स्कूल खोलने बाबत)।"

श्री सभापति : आप माइक से मुंह दूर रख कर बोलें।

श्री बी. एन. जोशी : On a point of information, Sir, are the cut-motions being taken in serial order?

श्री सभापति : As they have been arranged previously I am taking one by one.

श्री लक्ष्मीचन्द : सभापति महोदय, सांचोर एक पिछड़ा हुआ प्रान्त है। सांचोर एक तहसील हैड क्वार्टर है मगर अभी तक वहां

(श्री लक्ष्मीचन्द)

पर कोई हाई स्कूल खोलने की योजना नहीं है। वहां पर १६३१ से एक मिडिल स्कूल चल रहा है। प्रतिवर्ष ६०–७० लड़के वहां से मिडिल पास करके निकलते हैं। मगर वहां पर कोई हाई स्कूल नहीं होने के कारण प्रतिवर्ष ६०–७० लड़कों में से चार या पांच लड़के ही आगे पढ़ने के लिये जा सकते हैं क्योंकि वह परगना बहुत गरीब है और अभी तक किसी माननीय मंत्री का ध्यान शिक्षा के मामले में उस परगने की तरफ नहीं गया है और न किसी ने ध्यान ही दिया है। इसके अलावा इस तहसील के नजदीक ४० मील के एरिया में कोई हाई स्कूल नहीं है। वहां पर हाई स्कूल नहीं होने के कारण बेकारी बढ़ती जा रही है और सरकारी कर्मचारियों द्वारा तहसील को भ्रष्टाचार का रूप दिया है। जो कोई मंत्री महोदय वहां पर आए तो उनके 'जी हजूरिये' थे वहां पर भेज दिये और शिक्षा की कमी होने के कारण वहां पर भ्रष्टाचार बढ़ता ही रहा है। सभापति महोदय, मैं आपके द्वारा सदन का ध्यान आकर्षित करूंगा कि भ्रष्टाचार को रोकने के लिये वहां पर हाई स्कूल को खोलना बहुत आवश्यक है। इसके अलावा यह एक पिछड़ा हुआ क्षेत्र है और उसको आगे बढ़ाना सरकार का कर्तव्य हो जाता है।

सभापति महोदय, बाइ–इलेक्शन के दिनों में कई माननीय मंत्री वहां आये थे और उन्होंने वायदा किया था कि सांचोर में हाई स्कूल खोल देंगे, मगर जब वहां से कांग्रेस नाकामयाब हो चुकी तो फिर किसी ने आकर वहां मुंह तक नहीं दिखाया।

"मतलब की मनवार जगत जिमावे चूरमो,
बिन मतलब मनवार राब न पावे राजिया।"

उस समय वोट लेने की गर्ज थी, सभी आए। बाद में किसी ने मुंह नहीं दिखाया।

३. ३० म० प०

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : आप फिर बोल दें।

श्री लक्ष्मी चन्द : वापिस बोलूं, साहब :
'मतलब री मनवार जगत जिमावे चूरमो।
बिना मतलब मनवार राब न पावे राजिया॥'

तो हमने हाई स्कूल खोलने की कही थी और इसीलिए कांग्रेस को वोट दिये थे लेकिन जो वोट लेने के लिए आये थे वे फिर नहीं आये। तो सभापति महोदय, मैं आपके द्वारा सदन से यह प्रार्थना करूंगा कि सांचोर में हाई स्कूल खोलने का जो प्रस्ताव रखा है उसे स्वीकार किया जाय।

श्री सभापति : श्री सरदारसिंह; लिस्ट नम्बर ३, सीरियल नम्बर ५७,

श्री सरदारसिंह (उनियारा) : माननीय सभापतिजी, मांग संख्या १४, लिस्ट नम्बर ३, सीरियल नम्बर ५७ में मेरा, एज्युकेशन के अन्दर उनियारा क्षेत्र में अपर्याप्त शिक्षा के होने के बारे में, १०० रुपयों की कटौती का प्रस्ताव है।

सभापति महोदय, यों तो प्रत्येक व्यक्ति शिक्षा का प्रचार चाहता है और जो धनराशि इस विभाग में रखी गई है उसमें सभी की यह राय होगी कि यह कम है। इसके अन्दर इससे भी ज्यादा धन-राशि रखनी चाहिए थी, लेकिन देखना यह है कि अब यह धन-राशि कहां कहां लगती है और कहां कहां नहीं

(श्री सरदारसिंह)

लगती है। मैं तो जिस क्षेत्र से आया हूं उसका आपके सामने वर्णन करूं तो एक कहावत याद आती है ...

'आंधो बांटे सीरणी, फिर फिर अपने को दे'

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : आज क्या कोई कविता का दिन है।

श्री सरदारसिंह : तो उस क्षेत्र के बारे में तो मैं आपका दावे के साथ कहता हूँ कि पहले के पांच वर्ष तो चले गये हैं और अब भी पाँच वर्ष वैसे ही बीत जायेंगे। इन पिछले पांच सालों में मुझे एक भी ऐसा दृष्टान्त बता दिया जाय कि हमारी सरकार ने शिक्षा के बारे में क्या उन्नति की है? मैं माननीय सभापति जी, आपकी मारफत माननीय मुख्य मत्री जी का ध्यान इस क्षेत्र की ओर आकर्षित कराना चाहता हूं कि जो शिक्षा का डिपार्टमेन्ट हम लोगों ने संभलाया है जिसको कि आज पांचवा साल जाते हो गया है लेकिन आज, उसकी दशा हमारे हाथों में थी उसमे उसकी दशा अब बिलकुल ही गिरती जा रही है। मेरी कॉन्स्टिटुएन्सी में अन्दाजन तीन–चार सौ गांव होंगे, उसमें मैंने पच्चीस तीस स्कूल, दो चार मिडिल स्कूलें, तहसीलों में कई स्कूलें खोली थीं लेकिन आज दिन तक सरकार ने कोई नई स्कूल खोली हो, ऐसी बात नहीं पाई जाती है। मैं आपको उनियारा की बात बताऊं कि पांच-चार रोज हुए उस समय हमारे शिक्षा विभाग के डिप्टी मिनिस्टर साहब ने एक सवाल के उत्तर में जवाब दिया था कि जहां तहसीलों के हैडक्वार्टर्स होंगे वहां हाईस्कूल रखें जायेंगे। इस पर मेरे यहां अखबारों को देखकर ऐसी अफवाह छाई कि जहां तहसील होगी वहां हाई स्कूल रखे जायेंगे। इसके बारे में मेरे क्षेत्र में सनसनी फैल गई और लोगों में बहुत बेचैनी चढ़ गई। लोगों में इतनी बेचैनी फैली कि वे सख्त कदम उठाने को तैयार हो गये। उनका मेरे पास तार आया तो मैंने कहा कि भाई यह तो उनका एक क्राइटेरिया है। लेकिन हमारी तहसील का नाम तो उनियारा ही है। मैं माननीय मुख्य मंत्रीजी का बड़ा आभारी हूं कि उन्होंने उसको क्लेरिफाई कर दिया कि वहां भी रखा जायगा। मैंने जाकर उन लोगों को समझाया क्योंकि आपने आश्वासन दे दिया था। वैसे आप भरोसे के लायक भी हो क्योंकि अभी तक तो गुरू मे आप ही मंत्री हैं; ऐन केन प्रकारेण इस कुर्सी पर बैठे हैं। यह तो मैं सच कहूँगा कि अभी भी आप ही मुख्य मंत्री हैं। पहले तो अपने सिल्वर जुबली की गोठ नहीं खिलाई, अब तो मेरे ख्याल से गोल्डन जुबली होगी।

श्री सभापति : माननीय सदस्य अपने प्रस्ताव पर ही बोलें।

श्री सरदारसिंह : लोग कुछ हड़ताल पर उतारू थे इसलिए मुझे भाग कर वहां जाना पड़ा। तो माननीय सभापति महोदय, मैं थोड़ा सा संक्षेप में वर्णन कर दूं कि वहां तहसील वर्षों से चल रही थी, अब बीच में पार्टी पोलिटिक्स की वजह से तहसील के हैडक्वार्टर का तबादला अलीगढ़ कर दिया; तो आखिर हमने माणिक्यलाल जी वर्मा को बुलाकर उनके हाथ से हाई स्कूल नींव डलवाई। उसमें अब चार कमरे तैयार हो गये। अब हम यह कहते हैं कि इस हाई स्कूल को आप और मदद देकर तय्यार करा दें। इसलिए मैं ज्यादा न कह कर दो सुझाव देना चाहता हूं। मैं यह अर्ज करता हूं कि आखिर

(श्री सरदारसिंह)

पांच साल तो चले गये। अब इस पंचवर्षीय योजना में आपको कहीं भी स्कूल खोलनी हो तो कम से कम इन एम० एल० एज़० को बुलाकर उनके क्षेत्र की स्थिति का हाल पूछ लिया करें तो बड़ा अच्छा हो। यह नहीं होना चाहिए कि आप अपनी पार्टी पोलिटिक्स में पड़कर चाहे जो कर दें।

दूसरी बात अब आपसे यही निवेदन करता हूँ कि उनियारा हाई स्कूल है, जिसके कि आसपास बीस मील के फासले पर कोई और हाई स्कूल नहीं है। आप उसकी ओर ध्यान रखकर उसको बना दें। इतनी ही मेरी प्रार्थना है। उसको आपके ही हाथों से खुलवाऊंगा।

श्री सभापति : श्री रामेश्वर दयाल। लिस्ट नम्बर ३, सीरियल नम्बर ७८.

श्री रामेश्वरदयाल (कोटा) : Mr. chairman, I beg to move the cut-motion, That the Demand No. XIV, Major Head 37-Education be reduced by Rs. 100/- (to discuss failure to encourage private initiative in the sphere of education).

Mr. Chairman, through this cut-motion I propose to discuss the failure of the Government in not giving proper encouragement and assistance to the private initiative and enterprise in the sphere of education. I have moved this cut-motion in order to draw the attention of the Government and specially the Hon'ble Education Ministes, to a very important fact which has, in my opinion, retarded the intellectual development and the proper educational progress of the State. Sir, in our State private initiative and enterprise, I mean, the requisite one, is wanting in the department of Education, and in this respect our State is backward as compared with other States. To take one instance from our neighbouring States, take for instance, the Uttar Pradesh. There the post-graduate education, the degree standard education, the intermediate education, and the high school standard education, is being controlled, managed and supervised by the private and public institutions. There, all the colleges, all the degree colleges, all the post-graduate colleges, they are run by private institutions and not by the Government. Similarly, most of the intermediate colleges and most of the high schools, are also run by the private intitutions and lesser number by the Government. I may say for the sake of information that about 90% of the expenditure of the private institutions in Uttar Pradesh is borne by the Government, and the rest is borne by private and public institutions.

Sir, I may give certain figures from the budget just to show that the control of the Government is larger in degree over these colleges and educational institutions. For example, Grants to non-Government Arts colleges...Rs. 2,25,000/-

Page No.92

(श्री रामेश्वरदयाल)

and the grants to Government Arts Colleges, about Rs. 42 lacs. Similar are the other figures in relation to the other standards of education. For example, Government professional colleges, about Rs. 11 lacs. Grants to non-Government professional colleges, ...Rs. 65,000. So, from what I have said and from the figures which we find in the budget, the conclusion is very clear that in Rajasthan the interference of the Government ni the sphere of education is too much as compared with the other States.

I shall briefly discuss the reasons which require private enterprise and initiative in the sphere of education. Firstly, in view of the tremendous responsibilities and innumerable functions which the Government is called upon to perform, it is not possible for the Government, even if the Government may have the desire to do so, to look after the educational needs of the people effectively and efficiently. Secondly, the Government cannot cater to the growing needs and the requirements of about 2 crores of the population of this State. And here are the examples that various cut-motions have been moved in this House either for opening Degree colleges or Intermediate colleges or the high schools. And I believe our Hon'ble Education Minister will testify to what I say that there are increasing demands either for opening more classes in the post-graduate subjects or for opening Degree classes or for opening Intermediate colleges or high schools from various parts of Rajasthan. So, I want to put this fuestion to the Hon'ble Education Minister, has the Government fulfilled all these demands coming from the various parts of the State? The answer is obvious that the Government has qulfilled only some of the demands, but in spite of the best efforts on the part of the Government, the Government has failed to fulluil all the demands coming from various parts of Rajasthan. Besides, there are so many complaints; regarding the suitability of buildings, and one of the Hon'ble Members of this House has just now said that in his place or in his constituency, the buildings of the schools are not in good condition. For the information of the Hon'ble Education Minister I may also expres that in our Kotah city, primary schools are in most insanitary conditions, and dirty conditions. Similarly, there are complaints regarding the adequacy of the staff; and the want of accommodation in the colleges and the schools. Every year thousands of students in Rajasthan, are refused admission, specially in the subject of science. Therefore, from this it is very clear that it is not possible for the Government to meet all the demands of the

(श्री रामेश्वरदयाल)

people of this State. Having regard to all this, it is necessary that the private initiative and enterprise should be encouraged in the sphere of education.

We are heading towards a welfare State and every individual is a co-sharer in this ideal state, therefore it is better and it is necessary that education should be mostly left to the individuals rather than it should be strictly and rigidly controlled and supervised and managed by the Government. I shall submit before the House that it is desired that the Government should gradually and slowly cease control over the educational activities.

I may also say that the Government has failed in many respects regarding the development of private initiative and enterprise. If the answer of the Government is that because co-operation is not forthcoming from the people, therefore it is not possible for the Government to give more encouragement as is expected or desired. But I shall say that if the co-operation of the people is not forthcoming, then the responsibility lies with the Government that the Government has failed to create suitable conditions and atmosphere for the development of private initiative and enterprise in the sphere of education. Therefore, with regard to all these points, I shall request the Hon'ble Education Minister to give proper attention.

I shall put certain suggestions regarding this matter and the suggestion is that a Committee of some eminent educationists and also some of the members of this House be constituted to examine this aspect of the matter and to prepare a detailed plan for the development of priavate enterprise and initiative in the sphere of education.

The policy of the Government has been to give grants to various colleges and various institutions, but to give grants to institutions and colleges is not enough. Government should go a step forward to encourage private initiative and enterprise in the sphere of education.

Therefore, I have moved this cut-motion.

श्री छोटूसिंह (अलवर) : चेयरमैन महोदय, I move that the Demand, No XIV, Major Head 37-Education be reduced by Re. 1/-(to discuss the failure to give due grades to teachers)

चेयरमैन महोदय, मैं इस कट मोशन के जरिये सरकार के सामने यह प्रस्तुत करना चाहता हूँ कि आज जो शिक्षा का स्तर हमारे राजस्थान में है वह संतोषजनक नहीं है ।

(श्री छोटूसिंह)

राजस्थान सरकार ने निश्चित रूप से काफी तादाद में प्राइमरी और मिडिल तथा हाई स्कूलें खोली हैं और दिन प्रतिदिन स्कूलों की और विद्यार्थियों की संख्या बढ़ती चली जा रही है; इसमें मुझे कहने में कतई संकोच नहीं कि वह इस कार्य के लिये धन्यवाद की पात्र है। लेकिन चेयरमैन महोदय, केवल स्कूलों की गिनती बढ़ जाने से या विद्यार्थियों की संख्या बढ़ जाने से ही क्या हम सन्तोष कर लें कि हमारी शिक्षा की स्थिति सन्तोषजनक है ?

हमारे भारतवर्ष में हमेशा से शिक्षा का एक विशेष स्थान रहा है और यह शिक्षक वर्ग ही है जो अच्छे भारत के नागरिक पैदा करते रहे हैं। हमारे इस शिक्षक वर्ग के बदौलत ही हमारे इस देश में अच्छे से अच्छे विद्वान पैदा हो सके हैं, लेकिन आज तो यहां हम देखते हैं कि हमारे अध्यापकों की जो अवस्था है वह अभ्यागतों की सी है। अगर सबसे ज्यादा कोई निग्लेक्टेड क्लास है तो वह हमारे शिक्षक वर्ग है। आज अगर कोई सबसे ज्यादा पिछड़ी क्लास है कर्मचारी वर्ग में तो वह हमारे शिक्षकगण हैं। मेरी ऐसी मान्यता है कि चाहे हमारा बजट हमें अलाऊ न करता हो, और चाहे अन्य कर्मचारियों की हम वेतन वृद्धि थोड़ा ठहर कर कर लें, पर शिक्षक वर्ग को तो निश्चित रूप से आज हमें अच्छी तनख्वाह देनी चाहिये।

चेयरमैन महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि जब कभी भी सदन में इस बात की चर्चा होती है तो बहुत से माननीय सदस्य और आम लोग भी, जब हम जनता के बीच खड़े होकर देखते हैं, तो शिक्षक वर्ग पर छींटाकशी करते हैं। वे कहते हैं कि वे ट्यूशन बहुत करते हैं, बच्चों को पढ़ाते नहीं, हरामखोरी करते हैं और इस तरह न जाने कितने आरोप लगाते है। पर क्या हमने कभी इस बात को सोचा........

श्री सरदारसिंह : "हरामखोरी" शब्द क्या पार्लियामेन्टरी है, सभापति महोदय।

श्री सभापति (श्री हरदेव जोशी) : मेरा ख्याल है "हरामखोरी" शब्द अन पार्लियामेन्टरी है।

श्री छोटूसिंह : मैंने अपनी ओर से यह नहीं कहा है। जनता में जैसा सुना है वही कह रहा हूँ। मेरी तो मान्यता है कि आम तौर पर इसी तरह की चर्चाएं जनता में सुनने में आती है। तो कहने का मेरा तात्पर्य यह है कि अगर हम शिक्षक वर्ग की ओर ठीक प्रकार से ध्यान नहीं देंगे और अगर उनको हम उतना वेतन नहीं देंगे कि जिससे वे अपना स्टेन्डर्ड आफ लिविंग मेन्टेन कर सकें और वे फिर पूरा अपना ध्यान विद्यार्थियों को पढ़ाने पर लगा सकें तो चेयरमैन महोदय, मैं कहूँगा कि उनके लिए फिर आवश्यक हो जाता है कि वे प्राइवेट ट्युशन करें और हर तरह से अपने जीवन-निर्वाह के लिये और और तरीके इस्तेमाल करें।

आज स्कूलें बढ़ती जा रही हैं, विद्यार्थियों की संख्या भी बढ़ती जा रही है, पर सरकार का इस ओर ध्यान नहीं कि जब वे स्कूलों की तादाद बढ़ाते हैं तो बिल्डिंग्स की भी व्यवस्था करें।

मैं निवेदन करूं कि अलवर शहर में दो हाईस्कूल हैं; एक प्रताप हाई स्कूल और दूसरा यशवन्त हाई स्कूल। आज से पहले तीन चार

(श्री छोटूसिंह)

वर्ष पहले तीन-तीन सौ की संख्या विद्यार्थियों की थी और आज वह संख्या ११-११ सौ की है। दोनों स्कूलों में डबल शिफ्ट चलती हैं, सुबह और शाम और जो पीरियड ४५ मिनट का होता था वह ३० मिनट का पीरियड कर दिया है और इस तरह से आज की यह शिक्षा एक तरह की हौच-पौच बन गई है। परिणाम स्वरूप बच्चों के माता-पिताओं के लिये यह आवश्यक हो जाता है कि वे प्राइवेट ट्युशन करें और बच्चों को पढ़ावें, नहीं तो उन बच्चों का पास होना मुश्किल हो सकता है।

यही हालत है डिग्री कॉलेज की। अलवर में एक डिग्री कॉलेज है, राजा कॉलेज। यहां पहले विद्यार्थियों की संख्या ३०० के करीब थी, आज १२ सौ के लगभग पहुँच गई है। लड़कों की तादाद बढ़ती जा रही है, पर बिल्डिंग के अभाव में वहां पर भी डबल शिफ्ट चलाई जा रही है। इसका मतलब है इनएफीशियेन्सी। यह सही है कि आप स्कूलें बढ़ा रहे हैं, शिक्षण संस्थाओं का एक्सपेन्शन कर रहे हैं पर मैं समझता हूँ कि यह एक्सपेन्शन अगर विथ एफीशियेन्सी हो तो अच्छा है; पर अगर यह एक्सपेन्शन एट दी कोस्ट ऑफ इफीशियेन्सी होता है तो इसे मैं एक्सपेन्शन नहीं मानता। जब सरकार सोचती है कि इतने स्कूल और कॉलेज खुलें तो क्यों न इसके साथ साथ सरकार बजट में भी इस बात का प्रोविजन रख देती है कि जिस अनुपात में विद्यार्थियों की तादाद बढ़ती जाए उसी अनुपात में बिल्डिङ्ग भी बढ़ाई जावें।

मैं निवेदन करना चाहता हूं शिक्षा मन्त्री महोदय से कि किसी भी शिक्षक की तनख्वाह १००) मासिक तो कम से कम होनी ही चाहिये। जो योजनाएं हम आगे चलकर लागू करना चाहते हैं उनको देखते हुए होना तो यह चाहिये कि प्रत्येक कर्मचारी को कम से कम वेतन के १००) मिलें। पर टू स्टार्ट विथ और किसी का वेतन इतना नहीं कर सकते अपने आर्थिक घाटे के कारण, तो कोई वजह नहीं कि इस एक्सपेरीमेन्ट को शिक्षक वर्ग से क्यों न शुरू किया जाय।

आज हमारे यहां जो ५० ६० से बी. टी. ट्रेन्ड अध्यापक हैं उनको ग्रेड नहीं मिला, जब कि हर साल ट्रेन्ड ग्रेजुएट्स की पोस्ट खाली रही हैं। बहुत रिप्रेजेन्टेशन दिये गये तो इसके बाद २ जुलाई, ५६ को राजस्थान सरकार ने उनको ट्रेन्ड ग्रेजुएट्स की पोस्ट दी और वह भी ३१ दिसम्बर, ५६ को एक्सपायर हो गई और आज पांच महीने हो गये पी. एस. सी. की कन्करेन्स नहीं आ पाई है। आखिर किसकी जिम्मेदारी है इसमें? अगर कन्करेन्स नहीं आई है तो इसमें पी. एस. सी. की जिम्मेदारी है या सरकार की है; यह माननीय मन्त्री महोदय बताने की कृपा करें।

चेयरमेन महोदय, इसके अलावा मैं निवेदन करूं कि कितना नुकसान हुआ है इन टीचर्स का जिसको ट्रेन्ड ग्रेजुएट्स की पोस्ट नहीं दी गई। उन्हें हैड मास्टर्स से सिलेक्शन में नहीं बुलाया गया। इसका नतीजा यह हुआ कि उनसे जूनियर्स को वे पोस्ट्स मिल गईं और सीनियर्स जो थे वे उनसे महरूम हो गए।

इसके साथ निवेदन करूं, शिक्षा मन्त्रीजी इस पर ध्यान दें कि यहां राजस्थान में ५४ तक बेसिक ट्रेन्ड टीचर्स नहीं होते थे और इसका नतीजा यह हुआ कि बेसिक ट्रेनिंग ५४ से दी जाने लगी। आज बेसिक ट्रेन्ड

(श्री छोटूसिंह)

टीचर्स को तो प्रिफरेंस दिया जा रहा है, पर जिनको सीनियर समझा जा रहा है और वास्तव में जो सीनियर थे हालांकि उस समय बेसिक ट्रेनिंग नहीं होती थी तो उनकी इस प्रकार से हकतलफी की जा रही है, उनको प्रिफरेन्स नहीं देकर। मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि टीचर्स की सीनियोरिटी फिक्स नहीं हुई है और आज तक भी रेशनलाइज़ेशन ऑफ पे स्केल्स राजस्थान में नहीं हुआ है।

तो चैयरमेन महोदय, मैं आपके द्वारा शिक्षा मन्त्री महोदय से निवेदन करना चाहता हूँ कि ये ऐसे तथ्य हैं कि जो मैं उनके सामने रख रहा हूँ, उन पर वे विचार करें और जल्दी से जल्दी इन्हें रेक्टिफाई करने की कोशिश करें।

अभी यहां हैड मास्टरों की इन्टरव्यू हुई, २४ से २८ तक; हैड मास्टरों के सिलेक्शन के लिये बुलाया गया। इसमें भी कुछ ऐसी अवैधानिताए हुई हैं कि ऐसे टीचर्स जिनको ६ महीने का ट्रेन्ड ग्रेजुएट्स का ग्रेड मिला था उनको बुला लिया गया। मैं, आप चाहें तो उनके नाम भी बता सकता हूँ। एक है मूलचन्द और दूसरा है बलराम शर्मा। वे काफी जूनियर हैं। पर जूनियर होते हुए भी उनको किसी तरह से ले लिया गया। अब वे किसी तरह से आ गये। यह भी हो सकता है कि अनियमितता हुई हो। तो इस तरह से औरों के साथ बड़ा इनजस्टिस हुआ है। यह नहीं होना चाहिये।

तो इस तरह से निवेदन करना चाहता हूं कि जिन जिन टीचर्स ने ट्रेनिंग पास कर ली तो कोई वजह नहीं, कि जब पोस्ट वेकेंट है तो फौरन ही ट्रेन्ड ग्रेजुएट्स को पोस्ट न दे दी जावे।

इसी तरह से निवेदन करूंगा अलवर शहर के बारे में। विद्यार्थियों की तादाद के लिहाजा से भी वहां जल्दी से जल्दी कम से कम ६ स्कूलें खोलने की आवश्यकता है। यहां जो फिगर्स मैंने दिये हैं वे पिछली साल के हैं। इस साल तो भगवान ही भला करे। पूरी तरह से विद्यार्थियों को एडमिशन भी मिल सकेगा या नहीं, इसका भी डर है क्योंकि कहीं कोई गुंजाइश बाकी नहीं है। सब जगह डबल शिफ्ट तो हो चुकीं। ट्रिपल शिफ्ट होने से रहीं, क्योंकि भगवान की कृपा से बिजली की भी वहां बड़ी दुर्व्यवस्था है। इस दुर्व्यवस्था के कारण यह सम्भव नहीं कि रात को पढ़ाया जा सके, बिजली रात को मिलनी दुर्लभ है, इसलिये अन्धेरे में कुछ किया नहीं जा सकता।

इसी तरह से मैं अर्ज करूंगा कि डिग्री कॉलेज का जहां तक सम्बन्ध है वह तो वहां पर है ही, पर मकान नहीं हैं अब, अकोमोडेशन नहीं है कि जिसकी वजह से लड़कों को एडमिशन मिल सके।

तो मैं चैयरमेन महोदय, इस प्रस्ताव द्वारा यह निवेदन करूंगा कि जल्दी से जल्दी इन बातों पर ध्यान दिया जावे।

श्री विश्वम्भरनाथ जोशी (बांदीकुई): Mr. Chairman, I rise to move, "That the Demand No. XIV, Major head 37-Education be reduced by Rs. 100/- (To discuss the gross inefficiency of the Education Department.)".

I also move, "That the Demand

(श्री विश्वम्भरनाथ जोशी)

No, XIV Major head 37-Education be reduced by Rs. 100/- (To discuss the failure of the Government to open Science and commerce classes in the Government High School, Bandikui)."

शिक्षा के विषय में जब भी कोई सवाल आता है तो आम तौर पर यह कह कर संतोष कर लेते हैं कि विगत ८–१० वर्षों में हमने प्राइमरी स्कूलों की तादाद काफी बढ़ा दी है, बहुत से मिडिल स्कूलों को हाई स्कूल बना दिया है और बहुत से हाई स्कूलों को कॉलेज बना दिया है। यह सही है कि यदि हम केवल तादाद या क्वान्टिटी की दृष्टि से देखें तो हम कुछ संतोष मान सकते हैं। लेकिन मैं यह कहना आवश्यक समझता हूं कि शिक्षा के क्षेत्र में या और किसी भी क्षेत्र में केवल तादाद या क्वान्टिटी अपने आप में कोई फायदा नहीं कर सकती है जब कि क्वालिटी या उसके साथ शिक्षा का स्तर भी ऊंचा न किया जाय, उसमें सुधार न किया जाय। तो कम से कम उसको उसके वर्तमान स्तर पर तो कायम रखा जाय। शिक्षा के बारे में यह कहते हुए मुझे बहुत दुख हो रहा है कि शिक्षा विभाग में बद-इन्तजामी है और धांधलीबाजी काफी हद तक पहुँच चुकी है। उसके कारण भी कई हैं। एक तरफ मैं समझता हूं कि शायद ही राजस्थान में कोई ऐसी भाग्यशाली हाईस्कूल या शिक्षण संस्था होगी जिसमें स्टाफ में आपस में पार्टीबाजी न हो। आम तौर पर हर कॉलेज, हर हाईस्कूल हर मिडिल स्कूल इसी मर्ज में मुब्तिला है। एक तरफ एक पार्टी हैड मास्टर की और उसके समर्थकों की होती है तो दूसरी तरफ उसके विपरीत उसके कुछ विरोध करने वालों की दूसरी पार्टी होती है। उसके कारण स्कूलों और कॉलेजों में अनुशासन पर और वहां के बच्चों के चरित्रों पर बुरा असर पड़ता है क्योंकि खुले तौर पर मास्टर लोग शिकायतें करते हैं। गुमनाम के पत्र लिखाते हैं, शिकायतों से भरे पत्र लड़कों से गुमनाम लिखवा कर भेजते हैं, मां-बापों को उसमें घसीटते हैं। हैडमास्टर्स को नहीं हटा पाते हैं, बदइन्तजामी का चार्ज लगा कर उनको हटाने की कोशिश करते हैं बच्चों को बरगला कर, उनको रास्ते से भटकाने में भी कई स्कूलों में शिक्षकों, मास्टर लोगों का हाथ हुआ करता है। और इस प्रकार के कार्यों के कारण बच्चों के चरित्रों पर कैसा असर पड़ेगा, यह सहज ही अनुमान लगाया जा सकता है। जो शिक्षक बच्चों को शिक्षा देते हैं, यदि वे उन बच्चों को बरगलाते हैं कि तुम हैडमास्टर के खिलाफ शिकायत सिद्ध करो तो वे बच्चे आगे जाकर क्या करेंगे ?

हमारी स्कूलों में प्राइवेट ट्युशन का मर्ज भी बद से बदतर होता जा रहा है। पास होना है तो प्राइवेट ट्युशन करो। जो बच्चा प्राइवेट ट्युशन देकर नहीं पढ़ता है तो उसको जान बूझ कर फैल किया जाता है, तब बच्चे मजबूर होकर, फीस देकर उनके घर पर पढ़ते हैं। एक एक मास्टर के घर प्राइवेट कक्षायें चलती हैं, प्रत्येक मास्टर के घर ६०-७० विद्यार्थी प्राइवेट ट्युशन देकर पढ़ते हैं। जो पैसा देनेके लायक हैं वे देकर पढ़ते हैं और जो गरीब लोग होते हैं फीस नहीं दे सकते हैं,उनको डराया जाता है, उनको कहा जाता है कि फेल कर देंगे और यहां तक भी देखा गया है कि जिस मास्टर को ट्युशन दी जाती है वह मास्टर

(श्री विश्वम्भरनाथ जोशी)

पेपर आउट करके बच्चों को पास कराता है अथवा ज्यादा नम्बर, अगर उसके पास पेपर होता है तो, देकर पास कर देता है, यदि पर्चा दूसरे मास्टर का है तो उससे सिफारिश कराके पास करा देता है, ज्यादा नम्बर दिला देता है और यहाँ तक भी कोशिश रहती है कि दूसरे मास्टरों के पास जो ट्युशन के लिए जाने वाले विद्यार्थी हैं उनको फैल कराया जाय और जो विद्यार्थी दूसरे मास्टरों के पास ट्युशन के लिए जाते हैं और उस कक्षा के पर्चे अन्य मास्टर के पास हैं तो उनको फैल किया जाता है। यह नक्शा, यह स्कूलों का चित्र आपके सामने है। एक खाका मैं आपके सामने खींचना चाहता था। आज का शिक्षा विभाग अंधकार में रह रहा है और इसके कारण शिक्षा संस्थायें, पार्टी बाजी व भ्रष्टाचार की अड्डे बनी हुई हैं, इस परिस्थिति को गम्भीरता पूर्वक देखना चाहिये और कोई सख्त कदम शिक्षा विभाग लेना चाहे तो ले सकता है।

दूसरी बात जो मैं कहना चाहता हूँ, वह यह है कि जो लोग शिक्षा विभाग में मैट्रिक पास करने के बाद दरख्वास्तें देते हैं और जगह जिनको नौकरी नहीं मिल सकती है उनको यहाँ सहज ही नौकरी मिल जाती है, हर एक को शिक्षा विभाग में नौकरी मिल जाती है, हर एक को शिक्षा विभाग की नौकरी मिल सकती है; इस दृष्टि से दूसरी जगह नौकरी न मिलने के कारण यहां दरख्वास्तें दे देते हैं, बिना यह देखे कि यह व्यक्ति शिक्षा की जिम्मेदारी को पूरी कर सकेगा या नहीं, उसने ट्रेनिंग ली है या नहीं, चरित्रवान व्यक्ति है अथवा नहीं, उसका असर पड़ सकता है या नहीं, अन्ट-शंट लोगों को शिक्षा विभाग द्वारा भर्ती कर लिया जाता है, अनुभवहीन लड़के जाकर मास्टर बन जाते हैं जिनको वास्तव में शिक्षा से कोई काम नहीं होता है, जिनको शिक्षा से कोई प्रेम नहीं होता, बच्चों के लिए जिनको कोई चिन्ता नहीं होती, वे शिक्षा में इसलिए आ जाते हैं कि यह महकमा उनके लिए एक सहूलियत का महकमा है, यहां इस विभाग में उसको यह सहूलियत रहती है कि यदि एक आदमी मैट्रिक है तो वहां रहकर इन्टर कर सकता है, बी. ए. और एम. ए. कर सकता है, कमाई के साथ साथ इम्तिहान पास करने का यह महकमा एक साधन है, इसी दृष्टिकोण को लेकर वे इस विभाग में आते हैं। पचास प्रतिशत मास्टर ऐसे होते हैं जो शिक्षा विभाग में आने के बाद तीन चार साल में, बी. ए., एम. ए. कर लेते हैं और यदि शिक्षा विभाग से दूसरी जगह कोई अच्छी नौकरी मिल गई तो वे उसको छोड़कर चल देते हैं। तीन तीन चार चार साल का इनको जो अनुभव होता है वह शिक्षा विभाग के लिए एक प्रकार से बेकार हो जाता है, शिक्षा विभाग को नये आदमी भर्ती करने पड़ते हैं और आगे होता यह है कि वे भी इस विभाग को छोड़कर चले जाते हैं। इस प्रकार से इस विभाग की ऐसी व्यवस्था चलती है। अनुभवहीन लोग जो इस विभाग में आते हैं उनके लिए एक प्रतिबन्ध लगाना पड़ेगा; जो लोग शिक्षा विभाग में आते हैं उनको दस–पन्द्रह साल के लिए शिक्षा विभाग में ही रहना पड़ेगा। यह भी शिक्षा विभाग को कर देना चाहिये कि पहले पांच सालों में किसी भी व्यक्ति को इम्तिहान देने की इजाजत नहीं दी जायगी ताकि जो लोग इस विभाग में

(श्री विश्वम्भरनाथ जोशी)

इम्तिहान देने के लिए आना चाहते हैं और इसे स्टेपिंग स्टोन बनाना चाहते है उनकी वह प्रवृत्ति रुक जाय।

इसके साथ साथ मैं यह कहना चाहूँगा कि स्कूल्स के लिए बिल्डिंग्स की ओर शिक्षा विभाग द्वारा ध्यान नहीं दिया गया है। सरकार ने सैंकड़ों की तादाद में स्कूल्स खोले हैं, कहीं कुछ मकानों में चला रहे हैं, कहीं कुछ मन्दिरों में स्कूल्स चला रहे हैं, कहीं कुछ धर्मशालाओं में स्कूल्स चला रहे हैं। जिन गांवों में मन्दिरों में स्कूल्स चल रहे हैं वहां यदि कोई बरात आ जाती है तो तीन रोज तक बाजों की धूम मची रहती है, मंदिरों में स्कूल होने से बच्चों को छुट्टी करनी पड़ती है, कई जगह नीम और पीपल के वृक्षों के नीचे बच्चों को पढ़ना पड़ता है, जहां मंदिरों में बच्चे स्थानाभाव के कारण पढ़ते हैं, उन स्कूलों में हरिजनों के बच्चे आ नहीं सकते क्योंकि जो पुराने विचारों के लोग है वे उनको मंदिरों में अब भी प्रवेश नहीं करने देते; हालांकि इस प्रकार की कोई रोक नहीं नहीं चाहिए, इस प्रकार छूआ-छूत के लिए कानून बना दिया गया है; इस प्रकार से हरिजनों के बच्चे शिक्षा पाने से महरूम रह जाते हैं। मंदिरों में स्थानाभाव के कारण स्कूल्स चलते हैं और उन मन्दिरों में उन बच्चों का घुसना आसान नहीं। हम कहते हैं कि हम गांवों में स्कूल्स खोल सकते हैं लेकिन पब्लिक को बिल्डिंग के लिए इन्तजाम करना चाहिए और जब तक बिल्डिंग नहीं होती है वहां के लोग शिक्षा से महरूम रहते हैं। जब बिल्डिंग की जिम्मेदारी हम पब्लिक पर डालते हैं तो सरकार को यह देखना चाहिए कि जनता उस जिम्मेदारी को पूरा कर सकती है या नहीं? यदि वह जिम्मेदारी जनता नहीं उठा सकती है और मकान का प्रबन्ध नहीं कर सकती है तब सरकार को इसके लिए इन्तजाम करना चाहिए लोकल डेवलपमेन्ट फन्ड्स में जो प्रावधान रखा गया है उसको ज्यादा रख कर पहली प्रायोरिटी बिल्डिंग के लिए दे दी जाय, ५०-५० के बेसिस पर रकम देकर उनको प्रोत्साहित किया जाय। यही नहीं, कहीं हाई स्कूल होता है तो बिल्डिंग की कमी पड़ती है, मिडिल स्कूल रहेगा तो कमी पड़ेगी और इसको दूर करना चाहिये। १५ साल के अर्से में देश की आबादी बढ़ी है और उस हिसाब से विद्यार्थियों की भी संख्या बढ़नी चाहिए।

इसके अलावा शिक्षा की ओर प्रवृत्ति भी ज्यादा हो रही है। ज्यों ज्यों समाज में प्रगति आई है त्यों त्यों लोगों की विद्या की तरफ रुचि हुई है। किसी गांव में पहले जहां ३० विद्यार्थी पढ़ते थे वहां आज ७० पढ़ने लगे हैं। महाराजा कालेज, जयपुर में, एक जमाना था जब केवल ४०० विद्यार्थी पढ़ते थे वहां आज ३००० पढ़ते हैं। राजऋषि कॉलेज अलवर में मेरे जमाने में ४०० विद्यार्थी पढ़ते थे वहां आज किसी साथी ने कहा था कि करीब १२०० विद्यार्थी पढ़ रहे हैं। इसलिये यह अनिवार्य है सरकार के लिये कि जिस तरह विद्यार्थियों की तादाद बढ़ रही है उसी तरह बिल्डिंग्ज़ में भी वृद्धि की जाय। यदि ऐसा नहीं करेंगे तो फेक्ट्रीज़ की तरह पहला शिफ्ट, दूसरा शिफ्ट और तीसरा शिफ्ट करना पड़ेगा। यदि इसी तरह चलता रहा तो यह दुर्भाग्य की बात होगी। शिक्षा का यदि यही तरीका रहा तो यह दुर्भाग्य की बात है। हम उम्मीद नहीं कर सकते कि हमारी शिक्षा की क्वालिटी नीची रहे। मैं यह कहूंगा कि यह दुर्भाग्य की बात है कि हम आज भी शिक्षा प्रणाली को कोसते हुए थकते

(श्री विश्वम्भरनाथ जोशी)

नहीं है। पहले हम यह कहते थे कि यह शिक्षा प्रणाली बिल्कुल अनुपयुक्त है। यह भारत में, देश में गुलामी पैदा करने के लिये काम में लाई जा रही है। अंग्रेज लोग हमारे देश को गुलाम बनाये रखना चाहते हैं इसलिये उन्होंने इस शिक्षाप्रणाली को कायम रखा है। लेकिन मैं आज यह पूछना चाहता हूं कि हमने इस शिक्षा प्रणाली में कौनसा मौलिक परिवर्तन किया है जिसको मौलिक कहा जा सकता है। केवल कुछ किताबों को बदल देने से शिक्षा प्रणाली और तौर–तरीका और उससे होने वाला फायदा नहीं बदल सके हैं। जब तक एक फ्री और स्वतन्त्र समाज की आवश्यकता को दृष्टि गोचर नहीं रखा जायगा तब तक कुछ नहीं होगा। जब तक समाज की आवश्यकताओं और शिक्षण संस्थाओं में सामंजस्य कायम नहीं किया जायगा तब तक कोई तरक्की नहीं होगी। आज की शिक्षा प्रणाली भी इतनी गलत और निकम्मी है जितनी कि अंग्रेजों के टाइम में थी। मैं कह सकता हूं कि इसमें कोई मौलिक परिवर्तन नहीं हुआ है। केवल टेक्स्ट बुक्स में कुछ परिवर्तन कर देने से ही परिवर्तन नहीं होता। यह ठीक है कि अंग्रेजों के टाइम में गुलाम मुल्क के लिये गुलाम पैदा किये जाते थे लेकिन इससे भी ज्यादा अफसोस यह है कि आज आजाद मुल्क के लिए गुलाम पैदा किये जा रहे हैं। हमारे स्वतन्त्र भारत में गुलाम पैदा किये जा रहे हैं, इसलिये आज बड़े दुख की बात है। इस बारे में बजट के समय और अन्य मौकों पर क्रिटिसिज्म होता है और औपचारिक ढंग से उसका जवाब भी दिया जाता है लेकिन न कोई मौलिक परिवर्तन तुलना के लायक किया गया है और न कोई ठोस कदम ही इस ओर उठाया गया है। किसी दिन उठाया जायगा यह ख्याल भी नहीं कर सकते।

इसके बाद मैं कहूंगा कि स्टाफ की शोर्टेज हर स्कूल में है। ऐसी शायद ही कोई स्कूल होगी जहां आवश्यकता के अनुसार स्टाफ होगा। मिसाल के तौर पर बांदीकुई की हाई स्कूल है लेकिन वहां पर ट्रेन्ड ग्रेजुएट एक भी अध्यापक नहीं है। आखिर हाई स्कूल में सामान्य तौर पर कम से कम ४-६ ट्रेन्ड ग्रेजुएट टीचर्स का प्रोविजन रखा जाना चाहिये, या रखा गया होगा लेकिन वहां पर एक भी ट्रेन्ड ग्रेजुएट टीचर नहीं है। यदि किसी टीचर का ट्रान्सफर हो जाता है तो कई महीनों तक घाटा पूरा नहीं किया जाता। हेड मास्टर का ट्रान्सफर होता है तो ३-४ महीनों तक कोई चार्ज नहीं लेता। किसी स्कूल में ३ अध्यापकों की कमी है तो किसी में ४ की और किसी में ६ अध्यापकों की कमी है। ऐसी शायद ही कोई स्कूल हो जहां ३-४ अध्यापकों की कमी न हो। इन्सपेक्टर्स से जब इसके बारे में पूछते हैं तो कहा जाता है कि बजट में गुंजाइश इतनी ही थी। कभी कहीं सिफारिश से बढ़ा दी जाती है। कॉरेस्पोंडिंग तादाद क्यों नहीं दे दी जाती? यदि नहीं रखी जाती है तो जो अधिकारी इसके लिये जिम्मेवार हैं उनसे जवाब तलब किया जाना चाहिये, लेकिन कुछ नहीं किया जाता है। इसलिए मैं कहता हूँ कि केवल प्राइमरी स्कूलों की तादाद बढ़ाकर और इन्टरमीडियेट कॉलेजेज़ को डिग्री कालेजेज़ बना कर ही संतोष कर लें कि हमें जो कुछ करना था वह कर लिया तो यह अफसोस की बात है, असंतोष बढ़ता जा रहा है, उसको रोकना होगा। आज जो विद्यार्थी कॉलेजेज़ से निकलते हैं उनके बारे में अनुभव है कि बी. ए. पास करके निकलते हैं तो उनसे सही लेटर

(श्री विश्वम्भरनाथ जोशी)

तक नहीं लिखा जाता। उनकी क्वालिफिकेशन और योग्यता इतनी कम है कि सही दरख्वास्त नौकरी के लिए नहीं लिख सकते और एक मैट्रिक पास सही डिक्टेशन नहीं ले सकता। यह उनकी इल्मी काब्लियत है, इससे ईन्कार नहीं किया जा सकता है। इस बात को शिक्षा शास्त्री भी मानते हैं। हमको देखना होगा, आज केवल उच्च कोटि के इंजिनीयर्स, डॉक्टर्स आदि निकलने चाहिये। आज आवश्यकता यह है कि शिक्षा के स्तर को न केवल मेन्टेन किया जाय बल्कि उसको उत्तरोत्तर बढ़ाया जाय। हम यह चाहते हैं कि अच्छी क्वालिटी के लोग पैदा हों, उसके लिये अच्छे किस्म के टीचर्स होने चाहिये। इनएनिमेट और बेजान चीजों के सुधार के लिए प्रचार करने के लिए इतना खर्च करते हैं तो ह्यूमन मेटीरियल, जिसके बिना आपका देश आगे बढ़ नहीं सकता, जो कुछ लक्ष्य है उसको आगे बढ़ा नहीं सकते, तो उस ह्युमन मेटीरियल की तरक्की के लिये हम क्या कर रहे हैं उसके लिए हमारा ध्यान नहीं जाता। कुछ नये लोग भरती हो जाते हैं जो कुछ जानते नहीं। स्कूलों की संख्या में वृद्धि होती है लेकिन रुटीन में जैसे मामला चलता है वैसे ही चलता है।

टेक्निकल एज्युकेशन के लिए और शिक्षा को वोकेशनल रुख देने के लिये कोई कदम नहीं उठाया जाता। एकेडेमिक चीज ज्यादा है, व्यवहारिक कम है। आत्म-निर्भर हो सके इस चीज की कमी है और रोजगार के लिए चिन्तित न हों ऐसी बात नहीं है। आज हर एक विद्यार्थी जो उच्चतम शिक्षा प्राप्त करके आता है या १४ वर्ष के बाद लिख पढ़ कर लाखों रुपया खर्चा करने के बावजूद भी अपने जीवन निर्वाह के लिए अपने आपको असमर्थ पाता है तो उससे रक्षा की जिम्मेदारियों को निर्वहन करने की आशा या आकांक्षा करना गलत है। यदि समय रहते इस ओर ध्यान नहीं दिया गया तो कभी भला होने वाला नहीं है। आज प्रजातन्त्र के लिये आवश्यक है कि लोग अपने देश को समझें, अपने अधिकारों को समझें और सही निर्णय ले सकें कि अपने राष्ट्र का और अपने प्रांत का हित किसमें है। यदि ऐसे नागरिक पैदा नहीं होते हैं तो हम कभी सफल नहीं हो सकते। इसलिये मैं कहूंगा कि जो हमारे सारा देश का भविष्य जिस बात पर मुन्नसर करता है उसकी इतनी अपेक्षा करना और उसको औपचारिक ढंग से देखना कोई अच्छी बात नहीं है; राष्ट्र, समाज के जीवन और आनेवाली संतति के साथ खिलवाड़ करने से कम नहीं है। मुझे यही ध्यान दिलाना था।

एक बात मैं अपनी स्थानीय कहूँगा। चांदीकुई में एक हाई स्कूल है और वह ६–७ साल से चल रहा है। वहां पर न तो कोमर्स है और न साइन्स है। चांदीकुई एक मण्डी है। वहां के ७० पर्सेन्ट लोग व्यापारी हैं। वे लोग स्वाभावत: अपने बच्चों को कोमर्स की शिक्षा दिलाना चाहते हैं जो रोजमर्रा के काम में उनके आ सकती है। कोमर्स क्लासेज खोलकर उनकी आशा को पूरा करना चाहिये। इसके अलावा विज्ञान भी आधुनिक विषय है। किसी अच्छी लाइन के लिये इसकी आवश्यकता होती है। इसके लिये बार बार सरकार को प्रार्थना-पत्र दिये गये हैं। पहले कमरों का अभाव था उसको भी जनता ने पूरा करने की कोशिश की है। वहां पर ५ कमरे बनाये हैं जिन पर छत डालदी गई है और वे करीब करीब पूरे हो गये हैं। आशा करते हैं कि

(श्री विश्वम्भरनाथ जोशी)

राजस्थान सरकार अपनी इस जिम्मेदारी को पूरा करेगी और इस अभाव को महसूस करेगी और ठीक कदम उठावेगी। इस कटौती प्रस्ताव के द्वारा चैयरमेन महोदय, सरकार का ध्यान आज की परिस्थितियों की ओर आकर्षित करने के लिये मैंने कटौती प्रस्ताव दिया था।

एक बात मैं और कहना चाहता हूँ। यद्यपि शिक्षण प्रणाली में खामी है लेकिन शिक्षक समाज के निर्माता हैं, वे भावी संतति के निर्माता हैं, उनके साथ इन्साफ करना चाहिये। जब तक एक शिक्षक अपनी दैनिक आवश्यकताओं से मुक्त नहीं होता तब तक उसको शान्ति नहीं मिल सकती, उसको कम से कम इतना वेतन तो देना ही चाहिये जिससे वह अपनी दैनिक आवश्यकताओं की पूर्ति करता हुआ मानसिक शान्ति का अनुभव करे। जब तक उसकी मानसिक शांति नहीं है तब तक हम उससे बहुत ज्यादा उम्मीद नहीं कर सकते। राजस्थान सरकार के दूसरे महकमों में पे फिक्सेशन हो गया है और रेशनेलाइज़ेशन ओफ पे स्केल्स के अनुसार भी फिक्सेशन हो चुका है लेकिन इस महकमे के आदमियों का नहीं हो पाया है। मास्टरों को वही पुरानी तनख्वाह लेनी पड़ती है। उनका फिक्सेशन न होने से उनमें असंतोष है और उनका असंतोष राष्ट्र के लिए खतरा होता है। इसलिये शिक्षकों के असंतोष का निवारण करना चाहिये और उनका फिक्सेशन करना चाहिये। दूसरे आमदनी के जरिये निकालकर या फिजूल खर्ची को रोककर उनक आवश्यकता की ओर जरूर ध्यान देना चाहिये।

श्री जगदीशप्रसाद माथुर (सीकर) : I move, "That the Demand No. XIV, Major head 37-Education be reduced by Rs. 100-/ (To discuss the failure of the Government to exercise proper control over the expenditure of Government Aided Schools.)."

माननीय सभापतिजी, आज अपने प्रान्त के अन्दर इस प्रकार की बहुतसी संस्थाएं हैं जो कुछ व्यक्तियों की ओर से निजी रूप से चलती हैं और उन संस्थाओं की ओर से पूरी सहायता भी दी जाती है। कई शिक्षण संस्थाओं में जो खर्चा होता है, उसका ७५ प्रतिशत राज्य सरकार देती है। यह अच्छी बात है, लेकिन मैं यह बता दूं कि जो रुपया राज्य सरकार ऐसी संस्थाओं पर लगाती है, उसका उन शिक्षण संस्थाओं द्वारा किस प्रकार दुरुपयोग होता है, यह देखने की हमारी सरकार कोशिश नहीं करती। मैं कहूँगा कि इन स्कूलों में जो अध्यापक हैं, उन अध्यापकों के साथ वास्तव में मानवीय व्यवहार नहीं होता है और वहाँ पर राज्य की ओर से चलने वाले स्कूलों से भी कम वेतन मिलता है। यह आम शिकायत है कि राजकीय स्कूलों के अन्दर अध्यापकों को क्लर्क से भी कम वेतन मिलता है। मैं कहूँगा कि इन स्कूलों में काम करने वाले जो अध्यापक हैं, जो सहायता प्राप्त स्कूलों में काम करने वाले अध्यापक हैं, उनको अन्य राजकीय स्कूलों के अध्यापकों से भी कम वेतन मिलता है। यह बात और है कि राज्य सरकार से वे संस्थायें पूरा वेतन ले लेती हैं, राज्य की ओर से उन अध्यापकों के लिए पूर्ण वेतन दे दिया जाता है, लेकिन जो गवर्नमेंट रिकग्नाइज्ड स्कूल्स हैं, उनके रजिस्टर में दिखाया जाता है कि पूरा वेतन अध्यापकों को दे दिया जाता है क्योंकि वे जितना खर्च करते हैं, उस पूरे खर्च का कुछ पर्सेन्टेज उनको मिलता है

(श्री जगदीशप्रसाद माथुर)

लेकिन इन अध्यापकों को ३०), ३५) रु० वेतन का दिया जाता है। इसके साथ ही साथ यह भी देखा जाता है कि जब सेशन शुरू होता है, उस समय इन अध्यापकों को अपोइन्ट किया जाता है और सेशन समाप्त होते ही उनका टर्मिनेशन किया जाता है। पिछले दिनों अध्यापकों का यह प्रश्न सामने आया। राजकीय स्कूलों में जो अध्यापक काम करते हैं, उनको टर्मिनेट नहीं करते हैं, हमारी सरकार को राजकीय स्कूलों का ध्यान हो सकता है, लेकिन जो सहायता प्राप्त संस्थायें हैं, उनमें अध्यापकों को टेम्परेरी बेसिस पर अपोइन्ट करते हैं और उनको सेशन समाप्त होते ही हटा देते हैं। उनकी सर्विसेज़ की कोई सिक्योरिटी नहीं है अपने प्रान्त में। मैं, माननीय सभापति जी, सरकार का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहता हूं कि शिक्षा मंत्रीजी एक एजुकेशन कोड बनायें जो प्राइवेट स्कूल्स के सम्बन्ध में पूरी तरह लागू हो। जब तक यह कोड लागू नहीं होता है तब तक हजारों शिक्षकों का भविष्य अंधेरे में लटका हुआ है। किसी टीचर की सर्विस ६ साल की है, किसी की १० साल की है लेकिन उनकी सर्विस की कोई सिक्योरिटी नहीं है, उन पर सरकारी नियम लागू नहीं होते, जब कि पैसा राज्य का लगता है। उन शिक्षण संस्थाओं में प्रोवीडेन्ट फन्ड के नियम लागू नहीं होते हैं, जब कि ये सब नियम सरकारी स्कूलों में काम करने वाले अध्यापकों पर लागू होते हैं।

दूसरी बात मैं यह कहना चाहता हूँ कि इन संस्थाओं में क्या सरकारी रुपये का दुरुपयोग नहीं होता है? इसके सम्बन्ध में मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि ये संस्थायें वास्तव में व्यक्तिगत रूप से चलाई जाती हैं। इन संस्थाओं को, जो मैनेजर होता है या प्रोप्राइटर होता है, वह अपनी इच्छा के अनुसार चलाता है। आज यह देखा गया है कि यह कहा जाता है कि जब तक एक संस्था का सरकार द्वारा रजिस्ट्रेशन नहीं किया जाता है, उसको सहायता नहीं दी जाती है। इसलिए सरकार को दिखाने के लिए, सरकार को धोखे में डालने के लिए सब संस्थाओं की वर्किंग कमेटी बना ली जाती है। वास्तव में यदि जांच की जाय तो मालूम होगा कि अधिकांशतः वर्किंग कमेटीज़ बेकार हैं। इन संस्थाओं का कैसे उपयोग किया जाता है? जो साधन इन संस्थाओं के पास होते हैं, उनको संस्था के संचालक महोदय कैसे व्यक्तिगत काम में लेते हैं, इसका एक उदाहरण में प्रस्तुत करना चाहता हूं। उदयपुर के अन्दर एक संस्था है जिसको ७५ प्रतिशत खर्चा राज्य की ओर से दिया जाता है लेकिन मेरे पास समाचार आये हैं कि शत प्रतिशत उस स्कूल का खर्चा सरकार भुगतती है। वह संस्था राजस्थान विद्यापीठ है। इस संस्था के पास एक गाड़ी भी है। पिछले आम चुनावों में जो साधन इस संस्था के पास थे, केन्डीडेट के प्रचार कार्य में लगा दिया गया। यह कैसे लगाया, कहां कहां लगाया, यह पता नहीं? लेकिन यह फेक्ट है कि तमाम साधनों को चुनाव प्रचार में लगाया गया। जिन साधनों में सरकार ने रुपया लगाया, उन साधनों को चुनाव में इस प्रकार लगाया जाता है कि प्रत्यक्ष रूप से चुनाव में वे भाग न लें, अप्रत्यक्ष रूप में चुनाव में भाग लें। इसी प्रकार जनता कॉलेज है। वह जनता कॉलेज इसलिए बन्द नहीं हुआ कि अध्यापकों को राज्य ने पोलिंग ऑफिसर या पोलिंग एजेन्ट बनाया, लेकिन जनता कॉलेज के जो प्रोफेसर्स हैं, जो अध्यापक वर्ग हैं, वे सारे लोग, जो एक उम्मीदवार चुनाव में खड़ा

(श्री जगदीशप्रसाद माथुर)

हुआ था, उस उम्मीदवार का प्रचार करने के लिए चले गये थे और बेचारे लड़कों का उस समय शिक्षा का प्रबन्ध नहीं हुआ। जिन संस्थाओं पर सरकार ७५ प्रतिशत खर्चा लगाती है; ७५ प्रतिशत क्या, शत प्रतिशत खर्चा लगाती है, उस शत प्रतिशत खर्च को चुनाव में लगाया जाता है। मैं समझता हूं....

श्री जनार्दनराय नागर : On a point of personal explanation, Mr. Chairman, Sir, The Hon'ble member has just referrce to Vidyapeeth. I am incidentally Pro-Vice-Chancellor of that institution and I want to make personal explanation on behalf of that institution.

श्री सभापति : आप इनके बोलने के बाद या उपयुक्त अवसर पर इनका विरोध कर दीजिए।

श्री जगदीशप्रसाद माथुर : (जारी) इसी प्रकार महिला मण्डल है, जिसमें लड़कियां पढ़ती हैं। इस संस्था पर भी राज्य सरकार का पैसा लगता है। वह महिला मंडल भी चुनाव के दिनों में बन्द हो गया। इसी प्रकार की दूसरी और भी संस्थायें हैं जिनके अध्यापक किसी न किसी रूप में राजनीति में भाग लेते हैं। सरकार का जो डंडा कड़ा है, वह उनके लिए कड़ा है जो पार्टी विशेष का समर्थन करते हैं। मैं इसका एक उदाहरण दूं कि सीकर में म्युनीसिपल चुनाव हो रहे थे; तब एक अध्यापक, जो सरकारी सहायता प्राप्त स्कूल का अध्यापक था, उसने चुनाव के लिए फॉर्म भर दिया। उस पर डाइरेक्टर ऑफ एजुकेशन से क्लेरफिकेशन मांगा गया कि गवर्नमेंट एडेड स्कूल का अध्यापक चुनाव में भाग ले सकता है या नहीं? उन्होंने कहा कि नहीं ले सकता क्योंकि अगर अध्यापक चुनाव में भाग लें तो शिक्षण संस्थाओं का नुकसान होगा। उस अध्यापक को मना कर दिया कि तुम खड़े नहीं हो सकते, उनको लिख कर दे दिया गया। बाद में किस प्रकार का हस्ताक्षेप होता है, जैसे राज्य की कोई व्यवस्था है ही नहीं, तो सरकारी स्तर पर बात आई और मन्त्री-परिषद में बात आई तो उस अध्यापक को चुनाव में भाग लेने देने का और उसको यह अधिकार देने का टेलीफोन ऊपर से आया....

श्री मोहनलाल सुखाड़िया (मुख्य मंत्री): चेयरमेन महोदय, ऊपर से टेलीफोन से क्या मतलब है ?

श्री जगदीशप्रसाद माथुर : शिक्षा मन्त्री द्वारा हुआ होगा।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : ऊपर से कहते हैं तो आपको डेफिनिट कहना चाहिए, यह ज्यादा अच्छा होगा।

श्री जगदीशप्रसाद माथुर : सरकारी अधिकारियों के ऊपर कौन है, मेरे वक्तव्य से स्पष्ट है।

श्री सभापति : जो चीज आप कहना चाहें वह स्पष्ट तौर से कहें।

जगदीशप्रसाद माथुर : मन्त्री-परिषद की ओर से ऐसा हुआ था।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : मन्त्री-परिषद से मतलब यह हुआ कि सारी केबीनेट ने ऑर्डर दिया।

श्री जगदीशप्रसाद माथुर : शिक्षा मन्त्री ने किया, ऐसा मान लीजिये।

Page No.105

(श्री जगदीशप्रसाद माथुर)

तो उस अध्यापक को चुनाव में भाग लेने का मौका दिया गया।

तो एक ओर तो इस तरह नहीं करना चाहिये, इस तरह कहा जाता है और दूसरी ओर स्वयं की पार्टी का प्रश्न आता है तो इस प्रकार की शिक्षण संस्थाओं का किस प्रकार दुरुपयोग किया जाता है, तो मैंने सदन का ध्यान इस ओर आकर्षित करने का प्रयास इसलिए किया है कि आज प्रान्त में बहुत सी ऐसी शिक्षण संस्थाएं हैं, बहुत बड़ा वर्ग इस प्रकार का है जो प्राइवेट एडेड स्कूलों से सम्बन्ध रखता है। वहां न अध्यापकों के बारे में नियम हैं और न स्कूल्स के सम्बन्ध में रूल्स हैं, इस सम्बन्ध में कुछ भी स्पष्ट नियम नहीं हैं, उनको खुली छूट दे रखी है। किसी तरह के नियमों के अभाव में ऐसी शिक्षण संस्थाओं से सम्बन्ध रखने वाले लोग सरकार के पक्ष में ही कार्य करेंगे, सरकार के विरोध में तो वे कार्य कर नहीं सकते। इससे फायदा होता है शिक्षण संस्थाओं की मेनेजिंग कमेटी के लोगों को, पर जनता को इससे नुकसान होता है और उसमें अध्यापक जो हैं उनका दुर्भाग्य है। इस सम्बन्ध में सरकार को निश्चित रूप से कोड बनाना चाहिये जिसकी तहत हर कार्य किया जाय। इसलिए मैं अपना यह कटौती का प्रस्ताव पेश करता हूँ।

४. ३१ म० प०

श्री जनार्दनराय नागर : मैं इस संबंध में अपना स्पष्टीकरण कर दूं।

श्री सभापति (श्री हरिदेव जोशी) : आप इस मांग के अन्त में अपना स्पष्टीकरण दे दी जियेगा।

(विराम)

मुक्तिलाल मोदी।

(अनुपस्थित)

श्री जगदीशप्रसाद माथुर : श्री मुक्तिलालजी तो हैं नहीं, मेरे और कटौती के प्रस्ताव हैं, उन्हें पेश कर दूं।

मेरा दूसरा कटौती का प्रस्ताव इस प्रकार है :

I move "That the Demand No. XIV, Mojor Head 37-Education be reduced by Rs. 100/- (to discuss the failure of the Government in providing free and compulsory primary education),"

माननीय सभापति महोदय, इस प्रस्ताव को देख कर शायद लोग कहेंगे कि जिस राज्य में अन्न और वस्त्र भी लोगों को नहीं मिलते हैं उस राज्य में कम्पलसरी शिक्षा की बात करना व्यर्थ है, पर मेरी मान्यता है कि कम्पलसरी शिक्षा की व्यवस्था करना सबसे प्रथम आवश्यक है क्योंकि लोगों को कम्पलसरी एज्युकेशन मिलेगी तो अन्न और वस्त्र का प्रश्न स्वतः हल हो जायगा।

श्री सभापति : आपका एक कटौती का प्रस्ताव और है उसे भी मूव कर दें।

श्री जगदीशप्रसाद माथुर : उसे भी पेश कर दूंगा, इस पर बोलने के बाद।

मेरा यह मत है कि जब तक प्रत्येक नागरिक को, गांव के रहने वाले लोगों को शिक्षित नहीं करेंगे तब तक वे योग्य नहीं बनेंगे। शिक्षा ही मनुष्य को हर तरह से योग्य

(श्री जगदीशप्रसाद माथुर)

बनाती है। आज कई प्रान्त हैं; जैसे केरल प्रान्त है वहां शिक्षा का इतना अधिक पर्सेन्टेज है कि उसके मुकाबिले में अपने प्रान्त को कम्पेअर करें तो हमारा प्रान्त उसके मुकाबिले में टिक नहीं सकता। आज कहा जाता है कि राज्य का बहुत अधिक रुपया शिक्षा में खर्च किया जाता है। शहरों को तो इस तरह के साधन मिल जाते हैं, पर जब तक गांव गांव में, राजस्थान के प्रत्येक नागरिक को शिक्षा की सुविधा नहीं देंगे तब तक शिक्षा का लाभ राजस्थान के निवासियों को नहीं मिल सकता। आज कहने को तो कहा जाता है कि किसी के लिये बार नहीं है कि उसे कॉलेज आदि में एडमीशन नहीं मिल सकता। मैं यह निवेदन करूंगा कि वैक्सिनेशन के बारे में, चेचक के टीके लगाने के बारे में तो कम्पल्सरी वेक्सिनेशन के लिये इस सदन में बिल आ गया पर कम्पल्सरी एज्युकेशन के बारे में हमारे यहां बिल नहीं आया है। सेकन्डरी एज्युकेशन के बारे में बिल आयें, हायर एज्युकेशन के बारे में बिल आयें; उनके बारे में मैं नहीं कह रहा हूँ, पर रीडिंग, राइटिंग और अर्थमेटिक की प्राइमरी एज्युकेशन जो मिलनी चाहिये, इसके लिये प्रस्ताव रखता हूं। इसके लिये खर्च का सवाल सामने लाकर रखा जा सकता है, उसके लिये मैं यह निवेदन करूंगा कि जो फालतू मद हैं, जिनमें खर्चा होता है, जिनके बारे में कटौती प्रस्ताव आते ही रहते हैं, उस फालतू खर्च को कम कर कम्पल्सरी एज्युकेशन के लिये खर्चा किया जाय और राजस्थान में एक आदर्श कायम किया जाय।

प्राइमरी स्कूलों में टीचर्स अपोइन्ट करते हैं, उनके बारे में अब मैं थोड़ा सा निवेदन करना चाहता हूँ। जब इन टीचर्स का रिक्रूटमेन्ट होता है तो इस प्रकार होता है जैसे लड़ाई के जमाने में सिपाहियों को भर्ती किया जाता था। भर्ती करने एक आदमी आता था, उसके पास एक लकड़ी होती थी, उसमें नाप के निशान लगे थे और यह था कि इतने फीट तक के नाप में जो भी आ जाय उनको फौज में भर्ती कर लिया जाय। वही हालत आज शिक्षकों के रिक्रूटमेंट में होती है। छोटे छोटे मासूम बच्चे जिनको आज जिस किसी ढांचे में ढाल दिया उसका असर उन पर जिंदगी भर रहता है, देश के उन होनहार बच्चों को शिक्षा देने वाले शिक्षकों के रिक्रूटमेंट का यह हाल है।

श्री सभापति : आपका विषय कम्पल्सरी एज्युकेशन है, उस पर बोलिये।

श्री जगदीशप्रसाद माथुर : कम्पल्सरी एज्युकेशन किस प्रकार दी जाती है, इसके बारे में ही बोल रहा हूं कि अध्यापकों की नियुक्ति किस प्रकार करनी चाहिये? इस पर बोलना इस सम्बन्ध में इसलिये आवश्यक है कि इन्हीं अध्यापकों पर ही तो देश के होनहार युवकों की शिक्षा का भार है।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया (मुख्य मंत्री): अध्यापकों की भर्ती के बारे में पहले वाद-विवाद हो चुका है।

श्री जगदीशप्रसाद माथुर : वह तो जनरल अध्यापकों के बारे में हुआ था, मैं तो कम्पल्सरी एज्युकेशन के अध्यापकों के बारे में कह रहा हूँ।

तो इन छोटे छोटे बच्चों को शिक्षा देने के लिये जो अध्यापक रखे जाते हैं...........

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : आपने हिदायत की, पर वे तो जैसे अधूरा सेंटेन्स

Page No.107

(श्री मोहनलाल सुखाड़िया)

पूरा करते ही फिर उसी पर बोलने लग गये ।

श्री जगदीशप्रसाद माथुर : तो यह मेरा कम्पलसरी एज्युकेशन के संबंध में प्रस्ताव है, इसे पेश करता हूं।

तीसरा मेरा कट मोशन है जो इस प्रकार है :

I move "That the Demand No. XIV, Major Head 37-Education be reduced by Rs. 100/- (to discuss the failure of the Government to raise the S. K. Inter College, Sikar, to a Degree College)."

श्री जनार्दनराय नागर : On a point of order, Sir, before we move the rest of the cut motions, I press that by way of right of reply to the demand, Sir, I may be given an opportunity to explain my position.

श्री सभापति : मैं मानता हूँ, इस कट मोशन पर बोल लेने के बाद में आप अपना जवाब दे दीजिये।

श्री जगदीशप्रसाद माथुर : मेरे इस प्रस्तावपर शिक्षा मंत्रीजी कह सकते हैं कि अभी तो कम्पलसरी एज्युकेशन पर जोर दे रहा था, अब हायर एज्युकेशन पर जोर न दिया जाय। श्री सीकर कल्याण इन्टर कॉलेज को डिग्री कॉलेज करने के लिये मैंने प्रस्ताव रखा उस सम्बन्ध में शिक्षा मन्त्रीजी कह सकते हैं कि हायर एज्युकेशन पर जोर न दिया जाय। पर सीकर में वहां एक इन्टर कॉलेज है और आस पास में काफी स्कूलें हैं; आर्ट्स कॉलेज, डिग्री कॉलेज की दृष्टि से वहां कोई कॉलेज नहीं है।

आज अधिकांश लोग वहां इसलिये नहीं पढ़ते कि दो वर्षों तक शिक्षा ग्रहण करने के बाद उनको वहां से दूर किसी दूसरी जगह जाना पड़ेगा। आज जन-साधारण के पास पैसा नहीं और उसकी इस प्रकार की स्थिति नहीं कि वह अपने लड़के को इन्टर तक पढ़ाने के बाद बाहर दूसरे स्थानों तक भेज सके। जहां तक इन्टर की शिक्षा का प्रश्न है मैं यह कहूंगा कि वह किसी योग्य नहीं होती; शिक्षा के क्षेत्र में, नौकरी के क्षेत्र में किसी में भी आप देख लें। जब इन्टर पास किसी जगह नौकरी के लिये जाता है तो उसको मेट्रिक के ग्रेड में डाल दिया जाता है। केवल इन्टर पास करने के लिये, मैं समझता हूं कि कोई भी नागरिक तैयार नहीं।

दूसरी बात यह है कि अगर इसको डिग्री कॉलेज बना दिया तो सीकर में ८ मिडल स्कूल्स हैं और जिनको वे लोग हाई स्कूल बनाने के लिये तैयार हैं; वहां पर ७, ८ और ६ की पढ़ाई होती है। इस कॉलेज से ६ और १० क्लासिज़ को हटा दिया जाए और वहां की दूसरी स्कूलें हैं उनमें शुरू कर दिया जाय तो बहुत सुविधा मिल सकती है। वहां पर प्राइवेट स्कूल्स हैं जो ऐसा करने को तैयार हैं। वे अपने यहां १० वीं कक्षा तक चलाने को तैयार हैं। अगर सरकार वर्तमान इन्टर कॉलेज से ६ वीं और १० वीं कक्षाएं हटा दे और दूसरी स्कूलों के साथ मिला दे तो इन दो कक्षाओं पर जो खर्चा होता है वह खर्च कम हो जाएगा और इससे जो बचत होगी उससे इसको डिग्री कॉलेज में लाया जा सकता है। मैं समझता हूँ कि इससे अधिक खर्च नहीं होगा।

दूसरी बात मैं यह कहना चाहता हूं कि

(श्री जगदीशप्रसाद माथुर)

सीकर जिला है, हमेशा से ही सभी रूपों से उपेक्षा की दृष्टि से ही देखा गया है। डेवलपमेंट के कार्य को ही देखें। विकास मन्त्री ने कहा कि जो कार्य प्रथम पंचवर्षीय योजना में रह गये उन्हें दूसरी पंचवर्षीय योजना में लिया जावेगा, चाहे विकास की दृष्टि से रहे हों या स्कूलों की दृष्टि से रहे हों। मैं यह कहूंगा कि जिस समय चीफ मिनिस्टर महोदय सीकर पधारे तो वहां पर पब्लिक ने सार्वजनिक मांग रखी कि हमारे यहां इन्टर कॉलेज को डिग्री कॉलेज में परिवर्तित किया जाए। उन्होंने यह कहा कि जिस समय अन्य जिलों के सम्बन्ध में विचार करेंगे इस पर भी विचार किया जायगा। लेकिन अन्य जिलों के अन्दर जो सीकर के समान हैं; जैसे अलवर, भरतपुर हैं यहां पर डिग्री कॉलेज है तो फिर अन्य स्थानों के साथ साथ यहां पर भी डिग्री कॉलेज क्यों नहीं खोला जाए ? अलवर और भरतपुर से सीकर जिला जन-संख्या में कम नहीं और दूसरी बातों में कम नहीं है, तो फिर इस स्थान की उपेक्षा क्यों की जाती है; यह एक विचारणीय विषय है ? अतः मैं, सभापति महोदय, आपके द्वारा शिक्षा मन्त्री से कहूँगा कि साल भर पहले आपने कहा था, मुख्य मन्त्रीजी अभी यहां नहीं है, प्रथम पंचवर्षीय योजना में यह नहीं था। आज दूसरी पंचवर्षीय योजना उनके सामने है, अतः मैं निवेदन करूंगा कि सीकर इन्टर कॉलेज को डिग्री कॉलेज बनाने के विषय पर इस बार विचार करें तो किसी प्रकार से अत्युक्ति नहीं होगी और दूसरे लोग भी नहीं कह सकते कि अनुचित रूप से हमारी मांग स्वीकार की गई है। मैं समझता हूं कि हमारी इस मांग को स्वीकार करेंगे और सीकर इन्टर कॉलेज को डिग्री कॉलेज बनाएंगे।

श्री जनार्दनराय नागर (मावली) : सभापति महोदय, मेरे एक माननीय सदस्य ने उदयपुर के महिला मंडल और विद्यापीठ संस्थाओं के सम्बन्ध में सदन में जो आरोप लगाये और आक्षेप किया उसे सुन कर मुझे बहुत दुःख हुआ। मेरा ऐसा अनुमान है कि मेरे माननीय मित्र को उदयपुर और मेवाड़ की इन शिक्षण संस्थाओं का कतई ज्ञान और परिचय नहीं है। उस ज्ञान और परिचय के अभाव में ही उन्होंने इस सम्बन्ध में कह कर बाल स्वरूप चपलता का ही परिचय दिया है। इन संस्थाओं की जानकारी के सम्बन्ध में वे और उनका अनुभव अभी छोटा मालूम होता है। मैं इस बात को अच्छी तरह मान कर चलता हूं कि राजस्थान में इस प्रकार की संस्थाएं बहुत कम मिलेंगी। उदयपुर की इन दो बड़ी संस्थाओं के बारे में जो विचार यहां प्रकट किये गये हैं, मैं समझता हूँ कि इन दोनों संस्थाओं के बारे में मैं सदन के सामने अपनी स्थिति का स्पष्टीकरण कर दूं, क्योंकि इनमें से एक संस्था का मैं भी संचालक हूं और इस नाते मेरा यह कर्तव्य हो जाता है कि मैं स्थिति को स्पष्ट करूं।

जहां तक महिला मंडल का सवाल है, हममें से कई लोग ऐसे हैं, कुछ लोग यहां भी सदन में मौजूद हैं, जो इसको सफल बनाने के लिए बराबर १५–२० सालों से इसमें काम कर रहे हैं। मैं सदन मे प्रार्थना करता हूं कि महिला मंडल के खिलाफ या किसी सार्वजनिक संस्था के खिलाफ कहना या आक्षेप करना राजस्थान के जनतन्त्र की दृष्टि से व समाजवाद की दृष्टि से हितकर नहीं होगा।

(अश्रव्य)

सभापति महोदय, जो सार्वजनिक संस्थाएं बनी हुई हैं उनको समाज के सार्वजनिक क्षेत्रों

(श्री जनार्दनराय नागर)

में काम करना पड़ता है। उनका कर्तव्य होता है कि वे इस बात को देखें कि देश में राजनैतिक, सांस्कृतिक और सामाजिक विकास हो और वे अपना इस विकास कार्य में योग दें। मैं यह यह कहूँगा कि विद्यापीठ में दो, चार या पांच कार्यकर्ता नहीं हैं। विद्यापीठ एक बहुत बड़ी संस्था है जिसमें १७ संस्थाएं चलती हैं और उनका काम २५० गांवों में फैला हुआ है। मैं निश्चित रूप से मानता हूँ कि विद्यापीठ को राजनैतिक विचार धारा रखने में स्वतन्त्रता है। मैं यह आपसे निवेदन करूंगा कि विद्यापीठ में विभिन्न विचार—धारा रखने वाले व्यक्ति भी हैं और वे अपनी अपनी विचार—धारा के अनुसार राजनैतिक क्षेत्रों में कार्य करते हैं और राजनैतिक दलों में जाते हैं। इसलिए मैं यह नही.........

श्री जगदीशप्रसाद : आन ए पोइन्ट आफ आर्डर, सर, जो कुछ आपने फरमाया है वह ठीक है, मगर मैंने जो बातें कहीं उसका जवाब दिया जावे, दूसरी बातों पर सदन का समय नष्ट नहीं किया जाए।

श्री सभापति (हरिदेव जोशी) : वे अपनी स्थिति स्पष्ट कर रहे हैं।

श्री जगदीशप्रसाद : वे तो आउट आफ दी वे जा रहे हैं।

श्री सभापति : वे अपनी स्थिति स्पष्ट कर रहे हैं और जो बातें बताई गई हैं उसका उत्तर दे सकते हैं।

श्री जनार्दनराय नागर : हमने इन संस्थाओं को २२ साल से खून और पसीने से बढ़ाया है है और आज इस सदन में आक्षेप उठाया है। हम सदन के बाहर भी २२ सालों से बराबर इसके विकास के लिए लड़ाई करते आ रहे हैं। इसकी जो यहां पर खिलाफत की गई है उसका स्पष्टीकरण करना मैं अपना गौरव समझता हूँ। मैं दूसरी बातों में नहीं जाना चाहता, सभापति महोदय, मगर विद्यापीठ का यही मूलभूत आधार है कि जो इसमें कार्य करते हैं, काम करने वाले हैं वे अपने स्वतन्त्र विचारों के अनुसार राजनैतिक, सामाजिक आदि क्षेत्रों में काम कर सकते हैं, उनको किसी प्रकार की रोक—टोक नहीं है। हमारे यहां जनसंघ के काम करने वाले कार्यकर्त्ता भी मौजूद हैं, हमारे यहां प्रजा समाजवादी पार्टी में काम करने वाले भी मौजूद हैं और कांग्रेस में भी काम करनेवाले मौजूद हैं। हमारे यहां सब को इस बात की आजादी है कि वे व्यक्तिगत रूप से किसी भी राजनैतिक क्षेत्र में काम कर सकते हैं और मैं समझता हूँ कि यह प्रजातन्त्र के सिद्धान्तों के अनुरूप है और इसी से मैं समझता हूं कि सार्वजनिक क्षेत्र में जनहित के विकास कार्य होते हैं। मुझे यह सुन कर बड़ा आश्चर्य हुआ कि विद्यापीठ के कार्यकर्त्ता चुनावों में गये। मैं समझता हूं कि विद्यापीठ के कार्यकर्त्ता व्यक्तिगत हैसियत से गये हैं............

श्री भैरोंसिंह : जब आप यह कहते हैं कि व्यक्तिगत हैसियत से गये तो फिर आपको किसी प्रकार का एक्सप्लेनेशन देने की जरूरत नहीं।

श्री जनार्दनराय नागर : मेरे मित्र ने कहा कि जनता कॉलेज होते हुए भी वहां के लोगों ने पोलिटिकल पार्टी में शामिल होकर भाग लिया, यही उनके कहने का आशय था।

(श्री जनार्दनराय नागर)

जनता कॉलेज के बारे में मैं कहूंगा कि यह राजस्थान का एक माना हुआ कॉलेज है। इसको भारत सरकार और राजस्थान सरकार से सहायता मिलती है और उनके सहयोग से यह कॉलेज चलता है। यह भी कहा गया कि यह किस प्रकार का कॉलेज है, लेकिन मैं बताना चाहता हूं कि हमारे यहां ६ महीनों का कोरिंग अभ्यास होता है। अभी जो बैच चुनावों का अनुभव प्राप्त करने गया उसके लिए हमने ६ महीनों का कोरिंग अभ्यास रखा जो चुनावों में अपनी अपनी रुचि के क्षेत्रों में काम करने के लिए जरूरी था। आप इस बात को मानेंगे कि चुनाव हर पांच वर्ष में आते हैं और इसका अनुभव होना जरूरी है।

श्री जगदीशप्रसाद माथुर : ऑन ए पोइन्ट ऑफ ऑर्डर, सर, इस पर इतने लम्बे चौड़े भाषण की क्या आवश्यकता है? शिक्षण संस्था के जितने साधन थे उन्हें व अध्यापकों को दो-दो महीनों की छुट्टी देकर कॉलेज बन्द करके चुनावों में भेजा गया। इसको आप स्वयं स्वीकार करते हैं; फिर इतना लम्बा भाषण देना और सदन का समय लेना उचित नहीं है।

श्री जनार्दनराय नागर : तो मैं यह कह रहा था कि यह जो कॉलेज का तरीका है वह बिलकुल ही नये ढंग का है और इसे हमें समझने का प्रयत्न करना चाहिये। जहां तक साधनों का सवाल है, विद्यापीठ के साधनों का उपयोग व्यक्तिगत रूप में अवश्य किया गया है और मैं समझता हूं कि किराया देकर अगर किसी संस्था के साधनों का प्रयोग किया जाता है तो कोई बुराई नहीं है। इसी प्रकार यदि हमने विद्यापीठ को किराये के रूप में पे किया है तो मैं समझता हूं कि कोई बुराई नहीं है। मैं आपसे कहता हूं कि अगर किसी से किराये पर मोटर ली और उसके लिए किराया चुकाया गया तो कोई बुरी बात नहीं है। वही चीज यहां आती है। अगर विद्यापीठ की मोटर का प्रयोग किया गया और उसके लिए पे किया गया तो कोई बुराई नहीं की। अब मैं आपको एक बात और बताऊं। महिला मंडल हमारी बहुत पुरानी संस्था है......

श्री भैरोंसिंह : महिला मण्डल से आपका क्या सम्बन्ध है?

श्री सभापति : सदस्य महोदयों को यह अधिकार है कि अपनी जानकारी के आधार पर सदन में अपनी राय प्रकट करें, किन्तु उसके साथ ही दूसरों को यह अधिकार है कि जो कुछ उन पर आक्षेप किया गया है, वे उसका जवाब दें; वरना जो आक्षेप लगाया जाता है उसके बारे में गलत फहमी होना उचित नहीं होता है।

श्री जनार्दनराय नागर : इसलिए मैं सभापति महोदय, कह रहा था कि यदि व्यक्तिगत हैसियत से संस्था के कार्यकर्ता काम करते हैं तो सदन को इस बात के लिए किसी प्रकार की आपत्ति उठाना, मैं समझता हूं, बहुत ही अनुचित है। मैं और मेरे मित्र एक ही साथ निवास करते हैं और अगर वह चाहते और किसी प्रकार की सूचना लेना चाहते तो वे मुझसे पूछ सकते थे; मगर किसी संस्था के लिए इस प्रकार के आक्षेप लगाना कतई उचित नहीं है। मैं अपने साथियों को निमंत्रण देता हूं कि वे वहां आयें और वहां के कार्यक्रमों को देखें, वहां की संस्था को देखें तो उनको किसी प्रकार की शंका रहने वाली नहीं है। जहां तक

Page No.111

(श्री जनार्दनराय नागर)

महिला मण्डल का सम्बन्ध है उसके लिए मैं आपको बताऊं कि महिला शिक्षण के क्षेत्र में जितना काम इस संस्था ने किया है मैं समझता हूं कि उतना काम दो–एक संस्थाओं को छोड़कर किसी ने भी नहीं किया होगा। ऐसी संस्था के प्रति कोई बात बिना सोचे–विचारे कह देना मैं नहीं समझता कि कहां तक ठीक है ? जिस आधार पर विद्यापीठ कायम है, जिस आधार पर राजस्थान सेवा संघ कायम है, जिस आधार पर विद्याभवन सोसाइटी कायम है और जिस आधार पर पचासों अन्य संस्थायें कायम हैं; उदयपुर में वॉलन्टरी रूप में कायम होने वाली पचासों संस्थायें हैं जिन्होंने हमारा आज राजनैतिक, सामाजिक और शैक्षणिक क्षेत्र बनाया है। सभापति महोदय हम ने आज तीस–पैंतीस वर्षों से खून–पसीना बहा कर वास्तव में अनेक संस्थायें कायम करके समाज का नया शिलान्यास कर, एक नया गुलजार बना कर जो काम किया है उसके लिये मैं माननीय मित्रों को दावत देता हूं, सभापति महोदय, आपके द्वारा कि मेवाड़ की संस्थाओं को वे आकर देखें। मुझे पता नहीं मेवाड़ की संस्थाओं को देख कर मेरे माननीय मित्रों को क्यों अमर्ष होता है। मैं इस बात को स्वीकार करने के लिए तैयार हूं कि आप वहां की संस्थाओं को देखेंगे तो आपकी तबियत लहलहा न उठे तो मुझ से कहिये। मगर बिना किसी बात को समझे कह देना, मैं नहीं समझता, कहां तक उचित है ?

मुझे बड़ी खुशी हुई जब कि माननीय मित्रों ने सार्वजनिक संस्थाओं को सहायता देने की बात कही। मैं यह समझता रहा था कि राजस्थान में जो सार्वजनिक संस्थायें जो कायम हैं वे उनकी बात कहेंगे। लेकिन दो–तीन संस्थाओं को लेकर इस प्रकार का कीचड़, उछालना तो नहीं कहना चाहिए, फिर भी कुछ न कुछ उछालने की कोशिश की है। इससे मुझे बहुत दुःख हुआ है। इसलिए मैंने अपनी ओर से स्पष्टीकरण दिया और मेरे मित्र को मैं इस बात का निमंत्रण देता हूं कि वे मेवाड़ में मेरे साथ चलें और उन संस्थाओं को देखें। वे दो-तीन दिन का अपना प्रोग्राम बनायें। कोई एक दिन में यह संस्था नहीं देखी जा सकती।

श्री जगदीशप्रसाद माथुर : सभापति महोदय, जहां तक मेरी आपत्तियां हैं वे दोनों ही आपने स्वीकार कर ली हैं ......

श्री सभापति : कृपया आप बैठिए। उन्होंने जो अपना स्पष्टीकरण दिया है आप उससे सन्तुष्ट हों या न हों, यह दोनों के लिए लाजमी नहीं है।

(विराम)

श्री भैरोंसिंह : टाइम हो गया।

श्री सभापति : पांच मिनट हैं।

श्री शोभानसिंह : ऑन ए पोइन्ट ऑफ ऑर्डर, सर, डिमाण्ड तब मूव होनी चाहिये जब कि टाइम हो। अब वह डिमान्ड को केवल मूव ही कर सकते हैं, क्योंकि अधिक समय नहीं हैं, क्योंकि उन्हें एक्सप्लेन भी करना होगा। ऐसी हालत में क्या फायदा है मूव करने से।

श्री सभापति : श्री भैरोंसिंह।

श्री भैरोंसिंह (श्री माधोपुर) : श्रीमान सभापति महोदय, I beg to move, "That

(श्री भैरोंसिंह)

the Demand No. XIV, Major head 37-Education be reduced by Rs. 100/- (To discuss the policy of nationalisation of text books)."

श्री सभापति : आप अपने सभी कट-मोशन्स मूव कर दें।

श्री भैरोंसिंह : मैं एक एक पर बोलता जाऊं तो ठीक रहेगा।

श्री सभापति : नहीं, आप सभी एक साथ मूव कर दें।

श्री भैरोंसिंह : फिर समय हो जायगा।

श्री सभापति : आप मूव तो कर दें।

श्री भैरोंसिंह अच्छा मेरा दूसरा कट-मोशन है : I beg to move, "That the Demand No. XIV, Major head 37-Education be reduced by Rs. 100/- (To discuss the unsatisfactory steps taken by the Government for the development of Sanskrit)."

श्री मोहनलाल सुखाड़िया (मुख्य मन्त्री) : क्या माननीय सभापति महोदय हम यह मानकर चलें कि कटमोशन मूव करने के बाद वे आज ही उन पर बोलेंगे। आज फिर समय एक्सटेण्ड करना होगा तब तक बैठना होगा।

श्री सभापति : कौन जानता है, माननीय सदस्य दो-चार मिनट ही बोलकर बैठ जायँ।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : ऐसी बात नहीं है। माननीय सदस्य हमारे सामने ही हैं।

श्री भैरोंसिंह : तो फिर माननीय सभापति जी, मूव करूं।

श्री सभापति : आप दो तो मूव कर चुके हैं।

श्री भैरोंसिंह : मगर एक पर भी नहीं बोला हूं।

श्री सभापति : श्री भैरोंसिंहजी आप अपना कटमोशन आगे पढ़ें।

श्री भैरोंसिंह : "That the Demand No. XIV, Major head 37-Education be reduced by Rs. 100/- (To discuss the failure of the Government in providing full educational facilities to the public of Shri Madhopur Tehsil, Sikar District)."

"That the Demand No. XIV, Major head 37-Eaucation be reduced by Rs. 100/- (To Discuss the failure of the Government in providing full relief to teachers in the matters of increment of their salaries, non-fixation of their services and non-payment of their arrears)."

"That the Demand No. XIV, Major head 37-Education be reduced by Rs. 100/- (To discuss the purchase of stationery and books by the Departmsnt)."

श्री सभापति : आपको कोई और तो अब कटमोशन मूव करना नहीं है।

श्री भैरोंसिंह : मैंने सब मूव तो कर दिये हैं। अब बोलना शुरू करूं या फिर पांच बजने का इन्तजार करूं।

(श्री भैरोंसिंह)

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : कटमोशन आपके खत्म हो गए हैं क्या ?

श्री भैरोंसिंह : मैंने मूव कर दिए हैं, लेकिन बोला अभी एक पर भी नहीं हूं ।

श्री सभापति : सदन की कार्यवाही कल प्रातः ११ बजे तक के लिए स्थगित की जाती है ।

(सदन की कार्यवाही सायं ४ बजकर ५८ मिनट पर दिनांक २१ मई, १९५७ के ११ बजे तक के लिये स्थगित हुई)

Page No.114

संक्षिप्त विवरण

(सोमवार, २० मई, सन् १६५७)

स्कम्भ स्कम्भ

तारांकित प्रश्नोत्तर

मंत्री-मंडल के सदस्यों हेतु दिया गया फर्नीचर।

देवस्थान विभाग (कोटा) के कर्मचारियों का रिव्हिजन।

सस्ता साहित्य प्रेस के श्री श्रीनारायण की डिप्टी डाइरेक्टर उद्योग विभाग के पद पर नियुक्ति।

त० बसेड़ी (जि० भरतपुर) में ओलों की वृष्टि से क्षति।

कोटा के समाज कल्याण बोर्ड के हिसाब की जांच।

जयपुर जिले की विभिन्न तहसीलों में डेवलपमेंट व्लोक्स की स्थापना।

खैरथल बहुधंधी सहकारी समिति के नाम बंजर रकबे का पट्टा।

जि० सांचोर में द्वितीय पंच वर्षीय योजना में होने वाले कार्य।

सन् १६५१-५२ से कुटीर उद्योगों हेतु व्यय हुई रकम।

शिक्षकों के वेतन दरों में वृद्धि करने सम्बन्धी योजना।

लैंड होल्डिंग्ज़ की सीलिंग कमिटीज़ के कार्य की प्रगति।

राजस्थान, बीकानेर व जयपुर की बैंकों का एकीकरण।

किशोरपुरा (त० बड़ौद) में स्कूल संस्थापना एवं उसमें अध्यापक।

त० सलूंबर व गिरवा के ग्रामों की फसलों में रोली।

कस्टम व एक्साइज़ विभाग के फर्स्टग्रेड नाकेदारों व मोहर्रिरों की सूची।

धौलपुर में खुलने वाली ए. टी. सी. बेसिक स्कूल्स।

प्रशासन सुविधार्थ जिलों की पुनः सीमा-निर्धारण सम्बन्धी योजना।

जागीर पुनर्ग्रहण विभाग में मुआवजे के फॉर्म भरवाने हेतु लाइज़न अधिकारी।

राज्य को नशीली वस्तुओं से पिछले पांच वर्षों में आय।

बिड़ला एजुकेशन ट्रस्ट की सरकार द्वारा ली गई स्कूलें।

ओलों से क्षति प्राप्त कोटा डिवीजन की फसलें।

त० सांचोर में परिगणित जातियों को भूमिहीन कृषकों को भूमि।

मंडावरी (त० लालसोट) की स्कूल के भवनार्थ स्वीकृत धन-राशि।

भूतपूर्व जयपुर राज्य के मंदिरों के महन्तों के विवाह।

भारत सेवक समाज व समाज कल्याण विभाग द्वारा त० कोटपुतली को सहायता।

झालावाड़ जिले में पोपी की कल्टीवेशन पर सर्चार्ज।

पाली जिले में लो इनकम ग्रूप हाउसिंग स्कीम के अन्तर्गत हरिजनों को लोन।

गैर मुमकिन सिवाय चक आबादी गोदाम (लालसोट) के पीछे के तीन आम के पेड़ों की आय।

प्रथम पंचवर्षीय योजना में दलित वर्ग हेतु निर्धारित राशि।

राजस्थान में उत्पादन वृद्धि के साथ राजस्व वृद्धि।

दलित वर्ग विद्यालयों हेतु शासकीय अर्थ सहायता।

सम्वत् २०१३ में बीकानेर जिले के अभाव ग्रस्त घोषित ग्राम।

नावां व परबतसर तहसीलों के अभाव व अकाल ग्रस्त घोषित ग्राम।

सरकारी कर्मचारियों के गबन के मामलों का निर्णय।

वर्तमान वर्ष में हायर सेकन्ड्री में परिवर्तित हाई स्कूल्स।

जून १९५४ से पुनर्ग्रहीत जागीरों से आय।

पाली जिले में पिछड़ी जातियों हेतु गत वर्ष छात्र-वृत्ति।

छापोली (जि० झुंझुनू) में हाई स्कूल खोलने की योजना सम्बन्धी।

अंकेक्षा प्रतिवेदन, १९५७ (भाग १) की प्रस्तुति

वित्त मन्त्री, श्री हरिभाऊ उपाध्याय ने संविधान के अनुच्छेद १५१ (२) के अन्तर्गत उक्त प्रतिवेदन सदन की मेज पर रखा।

राजस्थान सेकन्डरी एज्युकेशन विधेयक, १९५७

मुख्य मन्त्री, श्री मोहनलाल सुखाड़िया, ने सदन की आज्ञा प्राप्त करने के पश्चात् उक्त विधेयक पुनःस्थापित किया।

मांग संख्या ३१-विविधि

उपरोक्त मांग पर प्रस्तुत किये गये कटौती प्रस्तावों का उत्तर निम्न मन्त्री महोदयों ने दिया।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता (स्वा.शा.म.)
श्री रामकिशोर व्यास (गृह मंत्री)
श्री नाथूराम मिर्धा (यातायात मंत्री)

तदुपरान्त निम्नलिखित सदस्यों ने मन्त्रियों के उत्तर का प्रत्युत्तर दिया।

श्री तनसिंह
श्री भैरोंसिंह (१४)
श्री मुक्तिलाल मोदी
श्री जगदीशप्रसाद माथुर
श्री मोहनसिंह
श्री लच्छूराम
श्री पी. के. चौधरी

श्री पी. के. चौधरी ने अपना कटौती प्रस्ताव वापिस ले लिया

एवं अन्य प्रस्ताव अस्वीकृत हुए। तदुपरान्त उक्त मांग सदन द्वारा स्वीकृत हुई।

मांग संख्या १४-शिक्षा

श्री दामोदरलाल व्यास राजस्व मन्त्री द्वारा प्रस्तावित उक्त मांग पर निम्नलिखित सदस्यों के २६ कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत हुए:-

श्री तनसिंह
डा० श्रीमती चन्द्रकला
श्री भैरवलाल कालाबादल
श्री पी. के. चौधरी
श्री मूलचन्द डागा
श्री भीमसेन
श्री लक्ष्मीचन्द
रावराजा श्री सरदारसिंह
श्री रामेश्वरदयाल
श्री छोटूसिंह।
श्री विश्वम्भरनाथ जोशी
श्री जगदीशप्रसाद माथुर
श्री भैरोंसिंह

मंगलवार, २१ मई, १९५७ की कार्य सूची

मांगों पर मत दान एवं राजस्थान विनियोग (संख्या १) विधेयक, १९५७ पर विचार-विमर्श।

परिशिष्ट १

२६८१

(कृपया प्रश्न संख्या २०५ का उत्तर देखिये)

५८,५२१ रुपये की धन-राशि जो बाड़मेर जिले में खर्च की गई उसमें से २६,६१३ रुपये प्रथम पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत खर्च हुवे व ३१,६०८ रुपये द्वितीय पंच वर्षीय योजना के प्रथम वर्ष (५६-५७) में खर्च हुवे उसका विवरण निम्न प्रकार है :

प्रथम पंच वर्षीय योजना

१. हाथ करघा उद्योग के प्रोत्साहन हेतु बुनकर कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ को ऋण रूप दी गई धन-राशि का विवरण :—

१९५४-५५ :	१. बहुधंधी सहकारी समिति लि०	बलोत्रा	रु० ७००
१९५५-५६ :	२. बहुधंधी सहकारी समिति	कश्यप	रु० २,४७२ आ० ८
	३. बहुधंधी सहकारी समिति लि०	बलोत्रा	रु० ३,६७७ आ० ८
	४. बहुधंधी सहकारी समिति लि०	शिवारा	रु० २,४७२ आ० ८
	५. उत्पादक सहकारी समिति	थापन	रु० १,२९० आ० ८
			रु० १०,६१३

२. कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहन देने हेतु ऋण रूप दी गई धन-राशि :

१. कंसारा उत्पादक सहकारी समिति	बलोत्रा	रु० १०,०००
२. चर्म रंगाई उत्पादक सहकारी समिति लि०	बाड़मेर	रु० ६,०००
		रु० १६,०००
	योग :	रु० २६,६१३

द्वितीय पंचवर्षीय योजना

१९५६,५७	१. जिला उद्योग अधिकारी के कार्यालय में	बाड़मेर	रु० ४,७०५
	२. हाथ करघा वस्त्र विक्रय केन्द्र (हैंडलूम सैल्स डिपो)	बाड़मेर	रु० ४,६७६
	३. रंगाई छपाई प्रशिक्षण केन्द्र (डाइगं कम प्रिन्टिंग प्रोडक्शन सेन्टर)	बाड़मेर	रु० २,२२४

४. कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहन देने हेतु ऋण रूप दी गई धनराशि :

क. खत्री रंगाई छपाई उत्पादक

परिशिष्ट

	सहकारी समिति लि०	बाड़मेर	रु०	१०,०००
ख.	मोहनलाल मदानी वल्द बख्शीराम	पचभद्रा	रु०	५,०००
ग.	श्री हंसराज वल्द चुन्नीलाल	,,	रु०	५,००० २००००

योग	३१,६०८
कुल योग	५८,५२१

परिशिष्ट २

(कृपया प्रश्न संख्या २२६ का उत्तर देखिये)

राहत कार्यों के लिये सूचित रकमें

खण्ड 'ब' से सम्बन्धित सूची

		तालाब	नाडिये	सड़कें
			तहसील जायल	
१.	जायल	२०००		१ जायल से सीयाजा २०००
२.	गजोद	१०००		२ जायल से मांगल २०००
३.	मेरवाड़	१०००		३ सुरपालिया से इटे २०००
४.	खोयेयाला	२०००		४ खाटू से तरनज २०००
५.	जोधीना	१०००		५ रोहीना से दोतीना २०००
६.	अरसिंगा	१०००		बाकी रकम यह रकम खर्च होने पर मंजूर की जायेगी।
७.	घातगा	१०००		
८.	बरनेल	१०००		
९.	कानेखिया	१०००		
१०.	मागलोद	१०००		
११.	बाडेरा	१०००		
१२.	दगोलो	१०००		
१३.	कुरडा	१०००		
१४.	पायेली	१०००		

तहसील नागौर

१.	डूंडीयारी	१२०००	
२.	जोधरास	१०००	१. भानासर स्टेशन से भानासर कुआ १०००
३.	कालियास	,,	२. बासनी से कुमारी २०००
४.	अकरमहोस	,,	३. नागौर से जोधिपाली २०००
५.	घूटीसरी	,,	४. माही गेट से सदर बाजार १०००
६.	माजगांव	,,	५. माही गेट से साथीयों का चौक १०००
७.	डूंडिया	,,	
८.	मग	,,	
९.	नागेडी	,,	
१०.	रोहनी	,,	
११.	श्यामसर	,,	यह रकम खर्च होने पर और
१२.	चाऊ	,,	मंजूर की जायेगी।

१३.	तिलरी	१०००
१४.	गंटितासर	"
१५.	पलाम	"
१६.	सिधंड	"
१७.	गोत्रा कलां	"
१८.	बरड़ गांव	"
१९.	बालवा	"
२०.	खेतावास	"

तहसील लाडनूं

१.	दादूबासनी	१०००			
२.	लध्यावा	"	१.	रताऊ कठोती	२०००
३.	मीडासर	"	२.	कठोती तीतरी	२०००
४.	सावड़ी	"	३.	रोही टीनगन	२०००
५.	सरनावड़ा	"	४.	रिगंन मीटड़ी	२०००
६.	भीडासर	"	५.	नवी मालगांव	२०००
७.	वालद	"	६.	मालगांव सोडास	२०००
८.	दूदालो	"	७.	लाडनूं स्टेशन से राहूगेट	२०००
९.	सिलन्बाड	"			
१०.	रोजा	"			
११.	लिवान्द	"			

बाकी रकम यह रकम खर्च होने पर मंजूर की जावेगी।

तहसील डीडवाना

१.	मगान	१०००	१.	डीडवाना राम बासनी	२०००
२.	खारीवाली	१०००	२.	रामबासनी जावली मारू	२००
३.	सिनिया	१०००	३.	जावलियावास सजास	२०००
४.	कोलिया	२०००	४.	दयालपुरा—बोड़वा	"
५.	डिडवाना	२०००	५.	बरडवाँ—कायमसर	"
६.	नीबोद	१०००	६.	खाटू खुर्द—पावा	"
७.	बेड़वा	"	७.	खाटू खुर्द—बचदा	"
८.	आकोडा	"	८.	मीचावा—दांसीसर	"
९.	भामदोदा	"			
१०.	हरबालिया	"			

यह रकम खर्च होने पर बकाया रकम मंजूर की जावेगी।

तहसील डेगाना

१.	बारली	१०००	१.	साजू—जैतपुरा	२०००
२.	खेतपुरा	१०००			
३.	बारना	"			

यह रकम खर्च होने पर बकाया रकम मंजूर होगी।

४. बचवादी ,,
५. मीडासरी ,,
६. हाकोरी माकल ,,
७. बन बाड़ा ,,

तहसील नांवा

१. खालबड़ी १०००
यह रकम खर्च होने पर बकाया रकम और मंजूर की जावेगी।

१. मीठड़ी रेल स्टेशन से पुलाना २०००
२. नारायणपुरा से मलाडी ,,
३. धारवाड़ से जीजोट ,,
४. कुचामन मोटर स्टेशन से किला ,,

तहसील परबतसर

१. सूथली १०००
२. रामथलिया १०००
३. धाननवा ,,
४. सकैड ,,
५. नगवाड़ाखुर्द ,,
६. कचोलिया ,,
७. बोरावड़ २०००
८. कालवा १०००
९. मनाना ,,
१०. रामलिया ,,
११. जसवन्तपुरा ,,
१२. बालपड़ा १०००
१३. नैयाकसा १०००
१४. परवतसर १०००
१५. बानदास १०००
१६. डोडरिया कलां ,,
१७. सिनिया ,,
१८. नोटमडिया ,,
१९. मोडी चरणा ,,
२०. भुलर ,,
२१. हरनावा पट्टी ,,
२२. रावडीया ,,

१. गच्छीपुरा से रानी गांव २०००
२. गच्छीपुरा से रामथलिया ,,
३. मकराना से लूडसू ,,
४. कालेटडा से पिलवा ,,
५. बैसरोली से बडू ,,
यह रकम खर्च होने पर बकाया रकम और मंजूर की जावेगी।

परिशिष्ट

खण्ड 'ग' से सम्बन्धी सूची चालू राहत कार्यों की सूची : तालाब : जिला नागौर

तहसीय जायल

१. जायल
२. राजोध
३. सीयाला
४. मेरवाड़
५. बीचोना
६. नरसिंगा
७. धारड़ा
८. बनिल
९. कांगसिया
१०. मागलोद
११. बेड़वा
१२. दुगोली
१३. गुजरड़ा
१४. पैंडिली

तहसील जायल

१. डूंडयाडी
२. जोधरास
३. कालियास
४. करमसीता
५. चंलिमरा
६. मोखगांव
७. ढूंडिया
८. बेंगू
९. नौगड़ी

तहसील डेगाना

१. भारली
२. बेतपुरा
३. बरना

तहसील डीडवाना

१. मदाम
२. डाखोली
३. सानिया
४. कालिया
५. डिडवाना
६. नीबोद
७. देडना
८. अकौडा
९. मामडोदा
१०. तलालिया

तहसील साडून

१. दादूबासनी
२. धूयौवा
३. भोडासरी
४. सारडी
५. मीडासरी
६. अलूद
७. दुदौली
८. सिलवाद
९. रोजा

तहसील परबतसर

१. सूथली
२. राममलिया
३. धानडवा
४. सपैड
५. नानवाड़ा खुर्द
६. कचोलिया
७. बोरावड़
८. मालवा

परिशिष्ट ३

(कृपया प्रश्न संख्या २३० का उत्तर देखिये)

LIST OF PENDING CASES

S. N.	Particulars of the cases. 2
	SUPPLY DEPARTMENT.
1.	Embezzlement by Shri Akhtar Hussaain, Labour Agent and Shri Abdul Majid, Levy Centre, Digod (Kotah District)
2.	Embezzlement by Shri Rewa Shanker Centre Clerk, Supply Deptt. in village Bakora.
3.	Mis. of Government grain (12 bags of wheat, Gram, Gojra, each weighing 2½ mds) by Shri Suraj Mal Jain, Supply Clerk, Tehsil Sarwar (District Jaipur).
4.	Embezzlement by Shri Labh Chand, Supply Clerk, Nimbahera.
5.	Embezzlement by Supply Clerk, Aspur District Dungarpur by Shri Rewa Shanker.
6.	Embezzlement by Shri Jai Kishan, Clerk, Civil Supplies Departsment, Mavli, Udaipur.
7.	Criminal Breach of trust and falsification of accounts in the Cash Book of Rationing Section by Shri Govind Singh Mehta.
8.	Embezzlement of 26 bags of grain from Supply Centre by M/s. Mukand Singh, Naib Tehsildar, Kanhaiya Lal, Clerk, Behrun Bagaria, Chowkidar and Ram Lal Mahajan, P. S. Bakani, Distt. Jhalawar.
9.	Embezzlment in the Supply Office, Bikaner by M/s. Sunder Lal Mohan Lal.
10.	Misappropriation by Shri Nagar Malk, Clerk of the Civil Supplies Department at Sujangarh (C).
11.	Misappropriation by Shri Har Dayal Singh, Ex-potedar, Kotwali Office, Jodhpur.
12.	Embezzlement by Shri Dilkhush Lal Clerk and Shri Daulat Singh, Naib Tehsildar (Supply) Deogarh (100 bags of Jowar).
13.	Embezzlement by Sir Nathu Lal, Supervisor of Collectorate, Banswara.
14.	Embezzlement by Ex-grain Clerk Shri Damodar Lal, Tehsil Aligarh (Tonk).

[redacted]

15. Misappropriation of licence fee by Shri Man Singh, Tehsil Bari, District Bharatpur.

16. Embezzlement by Shri Babu Lal, Supply Clerk and Shri Bhagwati Prasad, Supply Office, Jhunjhunu.

17. Embezzlement by Shri Ladu Singh, Accounts Clerk, Supply Department, Bikaner.

18. Embezzlement by Shri Hari Vallabb, Chanmandi, Bundi.

19. Misappropriation of grains from Centre Asalpur for the year 1946-47, 50-51 and 52 by M/s. Narain Lal and Misri Lal of Civil Supplies, Jaipur.

20. Embezzlement by Shri Jeth Mal, Clerk, Tehsil Nachana, Case No. 24 dt. 5-8-54 (Jaisalmer)

21. Embezzlement by M/s. Bhanwar Lal Asstt. Store-Keeper and Mali-Ram Chowkidar, Sardar Shahar (Churu).

22. Embezzlement of Government money by Shri Ram Kishan Malik, S. A. O., Supply Accounts Branch, Bikaner.

23. Misappropriation of Government money by Shri Anandi Lal Chobey, Ex-Naib Tehsildar Procurement Centre, Ayana, Tehsil Itawa (Kotah).

24. Embezzlement by M/s. Sunder Lal and Ram Nath of the Civil Supplies Department Bikaner.

25. Embezzlement by Shri Mohan Lal Sewag of the Asstt. Commissioner's Office (Civil Supplies) Bikaner.

26. Embezzlement by Shri Faiz Mohd. of Armod Police, Jaipur (Procurement under eslort).

27. Embezzlement by M/s. Vidhya Dhar and Vishnu Dutt of grains at Govt. Godowns in Shahpura Sub-Division (Udaipur).

28. Misappropriation of 45 bags of grains in Supply Department Godowns at Bikaner, by M/s. Fakir Chand, Bhairau Bux, Mool-Chand and Suraj Ratan.

29. Embezzlement in the office of Dy. Commissioner, Civil Supplies, Bikaner by Mssrs. Mohan Lal and Ram Nath.

30. Embezzlement by M/s Sukhpal Singh and Shri Raghu Mal at Godown Bidasar and Chhapar, Sujangarh. (Bikaned)

31. Embezzlement by M/s. Ram Narain and Laxmi Narain at Levy Centre, Devikhera (Jhalawar).

32. Embezzlement by Shri Mitha Lal, Clerk, Procurement Office, Bhim (Udaipur Division).

33. Embezzlement by Shri Jeth Mal Patel, Clerk, Tehsil Bhawri Saroopganj (Sirohi District).

34. Embezzlement in Rabi Procurement Accounts by Shri Pukh Raj, Clerk, Tehsil Sheoganj.

35. Embezzlement by Shri Badri Lal in the Accounts of Bardava Godown Amet (Udaipur District.)

36. Emb zzlement of Government foodgrains weighing 21-10-0 mds. by Shri Parma Nand of Ayana (Distt. Kotah)

LIST OF PENDING CASES

CUSTOMS (EXCISE & TAXATION)

DEPARTMENT.

1. Embezzlement by Shri Mahavir Prasad Dalel Customs Sadduwali, Ganganagar.

2. Embezzlement by Shri Basanti Lal Mehta, Nakedar in Customs & Excise Department.

3. Embezzlement by Shri Amardeen Nakedar, P. S. Jamsar.

4. Stortage of opium in warehouse at Jhalawar under custody of Shri Magan Behari Lal, Warehouse Clerk, Jhalawar.

5. Embezzlement by Shri Laxmi Chand Zakati of Zakat Station, Lakheri (Bundi District).

6. Embezzlement by Shri Prakash Bahadur and Shri Ram Kishore Nakedars, Customs out Post Tiba Bassi.

7. Embezzlement by Shri Ahmed Khan, Thanedar Chak Barwali.

8. Embezzlement by Shri Den Singh Nakedar at Customs Naka Pilibanga Circle, Hanumangarh.

9. Embezzlement by Shri Mishri Lal, Tak Nakedar, Naka Gudha Mallani (Barmer).

10. Misappropriation by Shri Sunder Lal Mathur. Cashier in the office of the Assistant Commissioner, Nagaur.

11. Embezzlement by Shri Lehar Singh Mehta at viliage Amba, P. S. Hamirgarh.

12. Replacement of 84 tins of vegetable ghee by tins of water by Shri Gaffar Ahmed, Moharir, City Circle, Fidi Hussain Chowkidar and Jaggan Nath.

13. Embezzlement by Shri Mohd. Zaffar, Nakedar, Customs Naka Palasni, Jodhpur.

14. Embezzlement by M/s. Baney Singh and Ram Swaroop at Customs outpost Phulera, Jaipur Division.
15. Embezzlement of Government money by M/s. Mangal Chand Nakedar, Surajgarh, Jaipur Division.
16. Embezzlement by Shri Narain Lal Nakedar, Singhpur (Jhalawar).
17. Embezzlement of the amount of T. A. Bill by Shri Mohan Lal Out-post, Customs, Shahpur.
18. Embezzlement by Shri Kishori Saran Cashier, Customs outpost, Jaipur Station.
19. Embezzlement by Shri Mohan Singh I/C Nakedar of Naka Jhala Sanchore, District Jalore.
20. Shri Prakash Chand & Satish Kumar, Customs Nakedar, Bhimganj.
21. Shortage of 170 Sr. 13 Ch. 2½ Tolas opium in the office of Asstt. Commissioner, Customs, Udaipur.
22. Embezzlement by Shri Fakir Mohd. of Circle Exeise Inspector's Office, District Banswara.
23. Embezzlement by Shri Jagdish Prashad, Darga Incharge, Naka, Jhunjhunu District.
24. Embezzlement by Shri Bheru Singh, Ex-Nakedar, Office of the Asstt. Excise Commissioner, Banswara (Udaipur).
25. Embezzlement by Shri Deo Raj (Mohrir's) L. C. C. office of Asstt. Commissioner, Ganganagar.

DEVASTHHN DEPARTMENT.

Embezzlement by Shri Hakumat Rai Cashier, Devasthan Department, Jaipur.

LABOUR DEPARTMENT.

Embezzlement by Shri Prem Prakash Tiwari, L. D. C. in the Labour Commissioner's Office, Jaipur.

MEDICAL & HEALTH DEPARTMENT.

1. Embezzlement by Shri Govind Prashad, Clerk in the office of the Baby Welfare Committee, Jaipur.

(No. 2 missing)

3. Embezzlement case of Medical Department, Bikaner
4. Embezzlement by Shri Radhey Shyam, Peon, Medical Department, Tonk.

5. Temporary misappropriation of Govt. money by Shri Virendra-Nath, Clerk in the office of the D. M. & H. O. Bharatpur.

6. Embezzlement by Shri Lali & Mo han, Compounder; Case No. 11 dt. 21-2-56 u/s 409 IPC, P. S. Bandikui (Jaipur Division).

7. Embezzlement by Shri Gulabram. L. D. C. in the office of the C. M. O. Sirohi.

8. Shri Ganpat Lal, Clerk Baby Welfare Committee, Jaipur.

DEVELOPMENT DEPARTMENT

1. Embezzlement by Shri Suraj Bhan S/o Ram Swaroop, Gaur Brah.

FAMINE DEPARTMENT.

1. Embezzlement by Shri Sobba Lal Mistri and Shri Dalpat Singh, Naib Tehsildar in Famine Relief works, Udaipur.

2. Misappropriation by Shri Brij Mohan, Famine Clerk, Tehsil Dungargarh.

3. Embezzlement in Relief accounts of Tehsil Dungarpur by Shri Bhagwati Lal.

PRISONS.

1. Embezzlement by Shri Sita Ram, Ex-Assistant Jailor, Sub Jail, Rajgarh.

2. Embezzlement in Central Jail, Jaipur.

3. Embezzlement by Shri Bhonrey Lal, Store-Keeper in the Central Prison, Alwar.

FOREST DEPARTMENT.

1. Misappropriation of Government money by Shri Rameshwar Dayal Range Acconntant, Dholpur.

2. Embezzlement by Shri Sumer Chand Nakedar of pratap Bund, Alwar.

3. Embezzlemnt by Shri Habibur Rehman, Forest Ranger, Nimbahera.

4. Embezzlement by Shri Narayan, Ex-Cashier, Conservator Office Kotah.

5. Embezzlement of Rs. 608/6/6 by Shri Balkeshwar, Ex-Range Clerk, Antu, Banswara Division.

6. Embezzlement by Shri Jawahar Lal Range Clerk, Forest Range Office, Ladpura (Kotah)

परिशिष्ट

7. Embezzlement by M/s Durga Shanker and Hazratgul Khan Neka Sagtheli and Kotri Range, Salamgarh.

8. Embezzlement by Shri Nain Mal Modi, Divisional Forest Office Sirohi.

9. Embezzlement by Shri Mumtaz Hussain, Head Guard Naka Salamgarh, Banswara.

10. Embezzlement by Shri Kishore Singh, Forest Guard Range Office Bhim, Div. Forest Officer, Udaipur

11. Embezzlement by Shri Bansi Lal, Range Clerk, Garlu of Banswara Division.

12. Embezzlement by Shri Ramjan Khan, Forest Guard, Bikarni Udaipur Division.

13. Embezzlement by Shri Ahmed Khan Forester, at Forest Naka Dungaria, Range Ghantolia, Division Banswara.

14. Embezzlement by Shri Issar Ahmad, Forest Nakedar at Forest Naka, Jhantla, Range Deogarh (Disstt. Banswara.)

15. Embezzlement by Shri Chandru Pal Singh, Inspector, Forest Settlement Office, Bundi.

16. Misappropriation by Shri Kalyan Singh, Forester Kharwara Range (Paharh) Distt. Udaipur.

17. Embezzlement by Shri Dan Singh Head Guard, Forest Chowki Naka (District Jodhpur).

18. Misappropriation by Shri Shiv Dayal, Forster Pidawa Range, Jhalawar Division.

19, Embezzlement by Shri Sri Niwas Pande, 300 Supervisor, Bikaner 300.

POLICE (INCLUDING R. A. C. & N. C. C.)

1. Embezzlement by Shri Sri Nath, Cashier, Superintendent of Police Office, Bharatpur.

2. Embezzlement by Shri Narain Prasad, Constable No. 140 at P. S. Sironj (District Kotah).

3. Embezzlement case against H. C. Kanji No. 372 of Superintendent of Police, Office, Chittorgarh.

4. Embezzlement by Constable Ram Nath No. 2366, P. S. Masalpur (Sawai Madhopur).

5. Embezzlement by H. C. C. Udairaj, Constable Bhagwan Singh & Constable Raghunath Singh of P. S. I. Offibce, Bhim Mal,

6. Misappropriation by Shri Mazidullah Khan from Police Lines, Jhalawar.

7. Embezzlement by Shri Shyam Singh Rajput, Ex-Accountant, Superintendent of Police, Alwar.

8. Embezzlement by Shri Prem Narain, Ex-Acconntant in the Office of the S. P. Jalore .

9. Embezzlement by H. C. Madan Raj, working as Cashier in Polic Lines, Jodhpur.

10. Embezzlement by Shri Raghunath Pandey Cashier, S. P. Office Churu.

11. Embezzlement in Police Lines, Jodhpur.

12. Embezzlement by Constable Loon Karan, P. S. Sam, Jaisalmer, Case No. 6 dated 3-8-54.

13. Embezzlement by Head Constable Manju Khan S/o Hussain Khan Paroli, P. S. Pander.

14. Embezzlement by Shri Krishan Das Pareek, Police Office, Udaipur.

15. Embezzlement by H. C. Jethmal Case No. 98 dated 22-11-54 P. S. Division 'C' Bikaner.

16. Embezzlement by Constable Roop Singh, No. 256, P. S. Mandalgarh, Distt. Bhilwara, Case No. 37 dt. 24-9-54.

17. Misappropriation by L. C. Shri Surjan Singh from salary and T. A. etc. of the staff, P. S. Gachhipura (Nagaur).

18. Embezzlement by M/s Aziz Uddin and Sultana in S. P. Office, Tonk.

19. Embezzlement by Cashier Shri Muin-Uddin, F. C. No. 569, Police Lines, Ganganagar.

20. Embezzlement by Shri Girraj Saran, Accountant and Shri Kalyan Singh Cashier, Superintendent of Police Office, Bharatpur.

21. Embezzlement by Shri Kalu Lal, B. J. P. S. Kotwali, Udaipur.

22. Embezzlement by M/s Badri Narain B. J. No. 1330 and Bhanwar-Lal Constable in Police Lines, Jaipur.

23. Embezzement by Shri Bhanwari Singh Ex-cashier of Police Lines Jhunjhunu.

24. Embezzlement by Shri A. C. Nanda, Accountant 3rd Bn. RAC, Barmer.

25. Embezzlement by Wavaldar Chattursal Singh of IV Bn. RAC, Karauli.

26. Embezzlement by Shri Jawahar Lal, Ex Treasurer, Jaipur Ponj Coy.

27. Embezzlement by Shri Ajit Singh, Head Clerk in 2nd Bn. R. A. C. Raisinghnagar.

28. Embezzlement by Constable Sohan Lal of 1st Bn. R. A. C. with Government uniform, Case No. 120 dated 24-12-54, P. S. Kotwali Ganganagar.

29. Embezzlement by Constable Shanti Prasad 5th Bn. R. A. C, P. S. Barmer.

30. Embezzlement by Constable Shri Anoop Singh, 1st Bn. R. A. C. Ganganagar.

31. Embezzlement by Shri Jagdish Lal, Constable, 2nd Bn. R. A. C, P. S. Raisinghnagar (Ganganagar).

32. Misappropriation of Government Uniform by Constable Pyare-Singh of R. A. C., P. S. Raisinghnagar (Ganganagar).

33. Embezzlement by Shri Kundan Lal 4th Bn. R. A. C. Post Khatan, P. S. Raisinghnagar (Ganganagr).

34. Embezzlement by M/s. Surbir Singh and Shanti Pd. of R. A. C., P. S. Raisinghnagar.

35. Embezzlement of Government uniform by Constable Diljeet Singh, R. A. C., P. S. Raisinghnagar.

SETTLEMENT

1. Embezzlement by Shri Sunder Lal Cashier, Kapoor Chand Assistant Cashier, S. O. Siker.

PRESS & STATIONERY DEPARTMENT.

1. Government Printing Press, Udaipur; Shri Raghu Nath Singh Chittor.

AGRICULTURE DEPARTMENT.

1. Embezzlement in Bikaner Diary by the Government Employees.

A. Embezzlement by Shri Gulam & Faiz Mohd.

B. " " by Shri Mahinder Nath.

C. " " by Shri Shiv Ratan.

D. " " by Shri Brij Ratan.

E. " " by Shri Sher Mohd.

2. Embezzlement by Shri Nand Lal in the office of the Agriculture Adviser.

3. Embezzlement in Agriculture Office Khanpur Distt. Jhalawar by M/s. Ram Prashad and Ramesh Chandra.
4. Embezzlement by Shri S. B. S. Bower, Farm Manager, Sironj.
5. Embezzlement by Shri Babu Ram, Agriculture Office, Sirohi.

MINES & INDUSTRIES DEPARTMENT

1. Embezzlement in the office of the sheep & Wool Improvement Office, Jaipur by Shri Milap Chand Jain, Accountant.
2. Embezzlement by Shri S. S. Murdia and Shri Shanker Lal, Cashier in Asstt. Mining Engineer Office. Bhilwara.
3. Embezzlement in Asstt. Mining Office, Bhilwara by Shri S. S. Murediya Gajindra Singh.
4. Embezzlement by Shri Panna Lal, Weaving Master, Weaving Factory, Tonk.
5. Embezzlement in Mining Department, Kotah by Shri Ghasi Lal, Collection Clerk, Mandaua, Circle.
6. Embezzlemeet by Shri Bhanwari Lal, Collection Clerk, Khodip Tehsil Nimbahera.
7. Embezzlement by Shri Suraj Narain Shah, Ex-Cashier, Silver Jubilee Exhibition.

LAW AND JUSTICE

1. Embezzlement in the Court of Munsif Rajgarh by Shri Hari Har Swaroop and Chandra Bhan.
2. Embezzlement in District & Sessions Judge's Court Shri Ganganagar by Shri Gangadan Gumasta.
3. Embezzlement in the Sub-Divisional Officer's Court Nagaur by Shri Suraj Karan Bohara.
4. Embezzlement by Shri Dhul Chand Mal Ibrahim Nazir A. D. M. Tonk.
5. Embezzlement in Civil Judge Court, Jodhpur by Shri Shiva Raj Dass and Rikhab Chand.
6. Embezzlement in District Judge Court, Bikaner by Shri Ram Lal, Assistant Nazir,
7. Embezzlement in Munsif Court Baran by Shri Ramesh Chandra Nazir.
8. Embezzlement by Shri Khuman Chand, Ex-Nazir of Civil & Sessions Judge, Churu.

9. Embezzlemsnt by Shri Madan Lal Nazir in the Court of Munsiffi Deeg (Bharatpur).
10. Embezzlement of Government money by Shri Shaji Mohd. in Munsif Court, Sagwara.
11. Embezzlement by Shri Mangi Lal Nazir of the S. D. M. Court Gangapur (Distt. Sawai Madhopur).

EDUCATION DEPARTMENT.

1. Embezzlement by Shri Bhonrey Lal, Cashier and Mangi Lal Store-Keeper, Education Deptt. Alwar.
2. Embezzlement by Shri Shanker Lal, Ex-Head Master, Primary School, Phalodi.
3. Embezzlement by Shri Narain Dass, Head Master, Primary School Ghawni Ladpura (Kotah).
4. Bmbezzlement by Shri Bhanwar Lal Chaplot, Cashier Maharana Bhupal College, Udaipur.
5. Embezzlement by Late Shrikishan, Jaswant College, Jodhpur.
6. Embezzlement by Shri Shanker Lal, Jaswant College, Jodhpur.
7. Embezzlement in Maharaja's College, Jaipur by Shri Gokul Prashad Pathak, Accounts Clerk.
8. Embezzlement in Teachers Training School, Vidayhala, Bhilwara by Shri Amar Das.
9. Embezzlement in High School, Bhilwara by Shri Jai Shanker, Store-Keeper and Shri Chhagan Lal, Cashier, Bhilwara.
10. Embezzlement in women's Normal School, Jaipur by Shri Madan-Lal Pareek.
11. Embezzlement by Cashier Moti Lal Doliya in Maharaja's Sanskrit College, Jaipur.
12. Embezzlement in Ganga Children School, Bikaner by Head Mistress Mrs. K. V. M. Khan & Clerk Shri Poonam Chand.
13. Embezzlement in S. B. K. Government High School Bharatpur.
14. Embezzlement by Shri Goswami Manohar Lal Clerk in the office of Dy. Inspectors of Schools.
15. Embezzlement by Shri Mahavir Pd., Accountant Maharajs Girl's High School, Jaipur.

ELECTRICAL AND MACHENICAL DEPTT.

1. Embezzlement in Electrical & Machenical Department, Karauli

A. Shri Jug Mohan Inspector.

B. „ Badri Prashad Cashier.

C. ,, Anand Prashad Peon.

2. Embezzlement in S. G. Irrigation Department, Jaipur by Shri Ghasi Singh Manjiz. Zilladar Tori.

3. Embezzlement in Ex-Engineer Officer P. W. D. Kotah, by Shri Nizzamuddin Clerk.

4. Embezzlement in Jawai Project, Takhat Sagar by Shri Manak Chand Surpanch Padri.

5. Embezzlement in E & M Department, Sujangarh by Shri Venkalish Ex-Supervisor.

6. Embezzlement by Shri Udai Ram Metu Reader, Electrical & Machanical Deptt., Jaipur.

7. Misappropriation by Shri R. C. Bhargava Asstt. Engineer, Water. Works Public Works Department.

8. Defalcation by Shri K. B. Sinha Engineering Subordinate.

9. Embezzlement by Shri Gurupat Singh Panjabi Store-Keeper P. W. D. Bhilwara.

10. Mis-appropriation of Government money by Late Shri Padam Bhaw, the then Chief Engineer, E & M Deptt. Jaipur.

A. Shri K. S. C. Satsangi, Executive Engineer (Generator)

B. „ V. S. Dubey Executive Engineer (Workshop).
Power House, Rajasthan, Jaipur.

C. Shri A. S. Reddeyar of the United Trading Company Ltd., Delhi.

11. Embezzlement in Jaipur Power House.

REVENUE DEPARTMENT.

1. Embezzlement of Government money by Shri Jugraj Patwari, Tehsil Nagaur.

2. Embezzlement by Shri Pyare Lal, Reader, Tehsil Kurawad,District Udaipur.

3. Embezzlement of Rs. 1,521 in the office of the S. D. O., Jodhpur. Embezzlement by Shri Govind Lal Reader.

4. Embezzlement of Government money by Shri Bhanwar Lal Patwari Circle Dugheri, Tehsil Nainwa District Bundi.

5. Embezzlement case against Shri Bhanwar Lal, Patwari, Tehsil Arnod, District Chittorgarh.

6. Embezzlement by Shri Jai Shanker Brahmin, Tehsil Arnod Patwari.

7. Embezzlement by Shri Narotam Lal Nazir, Collectorate Bharatpur.

8. Embezzlement by Shri Moti Lal, Clerk, Ex-Manager and Bhawani Prasad Court of Wards, Prtabgarh.

9. Embezzlement by Shri Jagdamba Lal Ex-Cattle Pound Havaldar Bagora, Tehsil Jalore.

10. Embezzlement by Rup Singh, Patwari, Tehsil Deogarh.

11. Embezzlement case against Shri Deewan Singh, Patwari, Tehsil Baseri District Bharatpur.

12. Embezzlement by Shri Kamruddin, Tehsil Shahbad District Kotah.

13. Embezzlement of loss of Government money or stores.

A. Shri Mohamed Khan
B. ,, Shanti Lal.
C. ,, Maru Shanker of Tehsil Banswara Ghatol at Bhund Ki Gali.

14. Misappropriation of Government money for Rs. 112-8-0 by peon Gafoor Mohd. of Tehsil Khanpur, District Jhalawar.

15. Embezzlement of Rs. 3,466-15-6 by Shri Devi Singh Patwari Asind.

16. Embezzlement by Shri Shambhu Lal, Clerk in the office of S. D. O. Banswara.

17. Embezzlement of Rs. 30-4-0 by Ram Karan Cashier, Sub-Treasury Uniwara, Aligarh.

18. Embezzlement by Havaldar Rawat Singh and Bhikam Chand Thikana Munga.

19. Embezzlement by Shri Arjun Lal Manager C/Wards, Pratabgarh.

20. Embezzlement by Shri Damodar Das Hawaldar Ex-Patwari Nimbolan Kallan, Tehsil Merta, Distt. Nagor, V. Sundar.

21. Embezzlement by Shri Shyam Prakash, Clerk District Board, Sawai Madhopur.

22. Embezzlement by Shri Jeth Mal Patelar, Sub-Treasury, Desuri.

23. Embezzlement of Rs. 21-7-0 by Shri Mohan Lal Ex-Ahalmad Tehsil, Bikaner.

24. Embezzlement by Ami Chand, Patwari, Kishangarh.

25. Embezzlement by Shri Nand Lal and Badri Lal of Sub-Treasury, Bhim. 2. Bhri Badri Lal Cashier.

26. Embezzlement by Shri Saya Mal of Settlement Department, Jodhpur.
27. Misappropriation of Govt. money by Shri Chatranjan Lal Patwari of Chappar (R. O. Ganganagar, Tehsil Sujangarh, District Churu.
28. Embezzlement by Chandan Mal, Tehsil Kareda (Tehsil Bhilwara)
29. Embezzlement by Shri Mohan Lal, Reader, Tehsil Jaiselmer.
30. Shri Samiullah Khan Patwari of Khaloti, Tehsil Solatpura, Tonk.
31. Embezzlement by Ex-Patwari Shri Kalu Ram Tehsil Salumber, District Udaipur.
32. Embezzlement by Shri Shamboo Lal Patwari, Tehsil Merta (Vill. Poondla) District Nagaur.
33. Embezzlement in Sub-Treasury, Dholpur by Shri Harak Chand Cashier.
34. Embezzlement by Shri Amrit Lal, Ex-Taccavi Clerk, Jaiselmer.
35. Embezzlement by Shri Dayal Chand and Shri Bhagwati Lal Tehsil, Dungarpur.
36. Embezzlement by Ex-Cashier Shri Hassan Ali Ex-Cashier, Collectorate, Dungarpur.
37. Embezzlement by Shri Mohan Lal Patwari, Tehsil Mandal.
38. Embezzlement by Shri Ibrahim Patwari Nathuwa, Tehsil Aspur.
39. Embezzlement in Sub-Treasury Deeg by Shri Bahori Lal. Cashier, Bharatpur.
40. Embezzlement by Shri Mahavir Pd. Patwari Nathdwara, Tehsil Rajsamad.
41. Embezzlement by Kamdar Hari Singh Patwari, Thikana Pachar, District Sikar.
42. Embezzlement by Shri Ibrahim Khan, Patwari of Bawri, Tehsil Sagwara, District Dungarpur.
43. Embezzlement by Shri Sehnaumed Singh, Tehsil Dungarpur.
44. Embezzlement by Shri Sobhag Mal, Patwari, Tehsil Sarwer.
45. Defalcation and loss of Govt. money statement, embezzlement by Shri Jakaria Hussain, Patwari Bissau, Tehsil Jhunjhunu.
46. Embezzlement by Sarbrah Lumlardar, Shri Jagindra Singh of Chak No. 13 ML, Tehsil Padampur, District Ganganagar.
47. Embezzlement by Patwari Makkhan Lal Lachmanpur, Tehsil Talera, District Bundi.

48. Embezzlement by Shri Karori Lal, Tehsil Sikrai.

49. Embezzlement in Tehsil Lalsot by Shri Kishen Sahai, Acctt., Ram-Pratab & Onkar Prasad Cashier.

50. Embezzlement by Shri Bhagwan Das, Ex-Hawaldar Thikana Mandawara, District Sirohi.

51. Embezzlement by Shri Ghisa Singh, Hawaldar Chandura, Thikana Mandha, District Jaipur.

52. Embezzlement in Tehsil Jamwa-Ramgarh, District Jaipur by Patwari, Satya Narain & Deel Devi Sahai:

53. Embezzlement by Patel Bhairon Singh, resident of Thukerwas Kalar, Tehsil Bhim (Udaipur Division).

54. Misappropriation in Tehsil Lachmangarh, District Sikar.

55. Embezzlement by Shri Durga Patel of village Barar, Tehsil Bhim.

56. Embezzlement by Shri Derwar Singh, Patwari, Tehsil Sheo (Barmer)

57. Embezzlement by Shri Mohd. Hanif Khan Patwari of Tehsil Bhainsrodgarh, District Chittorgarh.

58. Embezzlement by Shri Keshri Mal Patwari Tehsil Nimbahera, District Chittorgarh.

59. Embezzlement by Shri Malurano, Tehsil Hanumangarh, District Ganganagar.

60. Embezzlement by Shri Shiva Narain, L. D. C., Tehsil Chalelera at present Tehsil Atru.

61. Embezzlement by Shri Panchan Das Hawaldar, Court of Wards Taliya (Tehsil Nawa, Distt. Nagaur).

62. Embezzlement by Shri Laxmi Narain, J. T. A., Locust Department, Tehsil Lunkaransar, Distt. Bikaner.

63. Embezzlement by Shri Mohan Lal Patwari, Tehsil Rajnagar, District Udaipur.

64. Embezzlement by Shri Jaswant Singh, Hawaldar, Tehsildar Bilara, District Jodhpur.

65. Embezzlement by Shri Madan Lal Patwari, Tehsil Dugla, District Chittorgarh.

66. Embezzlement by Shri Chandra Singh Patwari Village Rodwal, Tehsil Behror, Alwar.

67. Embezzlement by either the Ex-Tehsildar or Ex-Cashier, Jaswantpura, District Jalore.

68. Embezzlement by Shri Ratan Lal, Patwari Tehsil Sangod.

69. Embezzlement by Shri Kanahiya Lal, Ahalmad, P. S. Bhadesur (District Chittorgarh)

70. Embezzlement of Rs. 17/3 by Shri Hira Lal Patwari, Suthkhanda, Chittorgarh.

71. Embezzlement by Shri Mathura Lal, Tehsil Jhalarpatan.

REHABILITATION DEPARTMENT.

1. Embezzlement in Rehabilitation Deptt. Collectorate Bharatpur by Shri Kunj Behari Lal & A. S. Kapoor.

2. Embezzlement by Shri R. P. Ghanshyam Ex-Accountant in the office of Dy. Custodian, Bikaner.

3. Embezzlement by Shri Lala Ram Field Inspector, Addl. Dy. Custodian Officer, Alwar.

4. Embezzlement in the office of Asstt. Custodian Ganganagar by Shri Ram Kumar.

5. Embezzlement by Shri Amar Lala Ram Ex-Field Inspector, Sri Ganganagar.

6. Embezzlemeet in the office of Dy. Custodian Jaipur by peon Jawahar Mal and Shri Rewa Chand, Accountant. Kastur Chand Cashier.

7. Embezzlement in Assistant Custodian Department, Kotputli, by Shri Mata Deen.

8. Embezzlement in Assistant Custodian Department Nohar by Shri Devi Dayal Clerk, Tehsil Nohar.

9. Embezzlement in Rehabilitation Department by Shri Kul Bhushan U. D. C., Jaipur.

10. Embezzlement in Rehabilitation Section, Collectorate, Kotah by Shri Permanand, Accountant and Shri Tharu Mal, Lower Division Clerk.

REVENUE DEPARTMENT

(CONTINUED)

72. Embezzlement of Rs. 426/— by Shri Faiz Ahmed Patwari, Tehsil Chittorgarh.

73. Embezzlement by Surat Ram, Nambardar, Tehsil Karanpur.

74. Embezzlement by Shri Krishna Gopal, Patwari, Tehsil Nanwa.

75. Embezzlement by Prem Narain Patwari, Vi lage Guddaendla.

76 Misappropriation by Shri Chittar Mal, Revenue Ahalmad Tehsil Niwai.

77. Embezzlement by Shri Shanker Lal Gandhi of Village Muged.

78. Embezzlement by Shri Sagar Mal Patwari of Patau Keshi District Bundi.

शुद्धि-पत्र

(कार्य-विवरण सोमवार, दिनांक २० मई, १९५७)

स्कम्भ संख्या	पंक्ति संख्या	अशुद्धि	शुद्धि
१	२	३	४
२७५२	१६	डिप्टी डाइरेक्टर, नहीं असिस्टेंट	डिप्टी डाइरेक्टर नहीं, असिस्टेन्ट
२७६३	४	responsible for dis Countent	responsible for dis Contentment
"	८	Report of the Celing	Report of the Ceiling
"	१०	and passed dy	and passed by
"	२८	tenants enly	Tenants only
२७६६	२	श्री पी. के. चौधरी : what wa	श्री पी. के. चौधरी : What was
"	९–१०	The Centeral Govern-ment	The Central Governm-ent
२७६९	७–८	we want it to calculated	We want it to be calc-ulated
२७७१	अन्तिम पंक्ति से द्वितीय	कितनी हैं और कितने	कितनी हैं और कितने
२७७५	१५	श्री हरिशचन्द्र	श्री हरिश्चन्द्र
२७९७	अन्तिम पंक्ति से द्वितीय	of the Constution	of the Constitution
२७९८	३	necessry to Cousult	necessary to Consult
२८०८	७	मुलचन्द	श्री मूलचन्द
२८२७	७	please. Neast.	please. Next.
२८३३–२८३४	१	१७ मई, १९५७	२० मई, १९५७
२८५४	३३	है, डिग्री होल्डर्स हैं	डिग्री होल्डर्स हैं
२८५७–२८५८	१	१७ मई, १९५७	१८ मई, १९५७
२८६४	३	श्री सभपति	श्री सभापति
२८६६	२६	इनस्फीशियेन्सी के कारण	इनएफीशियेन्सी के कारण
२८७६	१६	(विरम)	(विराम)
२८७८	३२–३३	श्री लच्छूराम का कट मोशन है, 'कि संख्या ३१	श्री लच्छूराम का कट मोशन है, "कि मांग संख्या ३१
२८८७	१८	स्पष्ट आज है कि हमारे	स्पष्ट है कि आज हमारे
२८९४	३	मातत्व और शिशु	मातृत्व और शिशु
२९२७	१	मांग मांग संख्या १४	मांग संख्या १४–शिक्षा
२९२९	१	मंग १४ शिक्षा	मांग संख्या-१४
२९३१	१७	ni the sphere of	in the sphere of
२९३२	१५	has qulfilled only	has fulfilled only

१	२	३	४
२९२२	१६	to fullfu!l all	to fulfil all
,,	३०	may also expres	may also express
२६३६	२	(श्री छेट्टूमिह)	(श्री छोटूसिंह)
२६४३	२१	बनी हुई है इस	बनी हुई है । ऐसी
२०४६	७	इससे ईन्कार	इससे इन्कार
२६५४	६	सब संस्थाओं की वकिंग	सब संस्थाओं की वर्किंग
२६५५	१३	has just referrce	has just referred
,,	अंतिम पंक्ति से द्वितीय	एजुकेशन से क्लेरफिकेशन	एजुकेशन से क्लेरिफिकेशन
२६५६	२६	जगदीशप्रसाद माथुर	श्री जगदीशप्रसाद माथुर
२६५८	४	मुक्तिलाल मोदी	श्री मुक्तिलाल मोदी
२६६३	१	मांग रख्या १४–शिक्षा	मांग संख्या १४–शिक्षा
,,	२३	क्लोसेज को हटा दिया	क्लासेज को हटा दिया
,,	२४	दूसरी स्कूलों हैं	दूसरी स्कूलें हैं
२६६५	२४	(हरिदेव जोशी)	श्री हरिदेव जोशी
२६६७	१२	बेरिंग अभ्यास रखा	बोरिंग अभ्यास रखा
२६७०	३	इस प्रकार कचड़	इस प्रकार का कीचड़
२६८३	१८	१२. दगोलो	१२. दगोली
२६८६	५	Tehsil Seoganj	Tehsil Sheoganj
२६९०	१४	2[1] Talas opium	2½ Tolas opium